शैक्षणिक एव सांस्कृतिक सस्थाओ के लिये सहायतार्थ अनुदान नियम

[हिन्दी-अंग्रेजी · द्विभाषी]

[राज्य सरकार तथा शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित आदेशो एव परिपत्रों का अनूठा सकलन]

सम्पादक

श्रीकृष्ण दत्त शर्मा,

एम० ए०, एल० एल० बी०

[भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत लेखक]

॥ ॐ नमः शिवाय ॥

नम्र निवेदन

गैर सरकारी शिक्षण संस्थानो में अनुदान सम्बन्धी नियम तथा परिपत्रो व आदेशो के संकलन सम्बन्धी पुस्तक कही उपलब्ध नही थी। अत मित्रो के आग्रह पर यह संकलन प्रकाशित किया जा रहा है। आशा है, यह पुस्तक गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओ, उनमे कार्यरत कर्मचारियो, प्रबन्धक मण्डल तथा शिक्षा विभाग के कार्यालयो के लिये संदर्भ पुस्तक के रूप मे उपयोगी सिद्ध होगी।

यद्यपि संकलन का सम्पादन पर्याप्त सावधानी से किया गया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि ध्यान में लाई जावेगी या सुझाव प्राप्त होंगे, तो आपकी कृपा होगी और इनसे भविष्य में इसमे सुधार हो सकेगा।

सादर धन्यवाद,

—दत्त

मूल्य—तीस रुपये

☐ प्रकाशक कलाश बुक डिपो
बी–23, गोविन्द पुरी (पूर्व)
नया रामगढ रोड, जयपुर–302002

☐ मुख्य वितरक ए वन ऐजेन्सीज
चन्द्र हीरा बिल्डिंग, एम० आई० रोड,
(लक्ष्मी पेट्रोल पम्प के पास)
जयपुर–302001

☐ मुद्रक भाग (1) विनीता प्रिंटर्स, जयपुर–1
भाग (2) राष्ट्र उद्योग प्रिंटर्स, जयपुर–1

राजस्थान शिक्षण सस्थ
अनुदान नियम
विषय सूची

भाग (1)

अध्याय (1)

शैक्षणिक एव सास्कृतिक सस्थाओ के लिये सहायतार्थ अनुदान नियम 1963

[मूल अ ग्रेजी मय हिन्दी अनुवाद]

भाग (2) पृष्ठ (1) से (88)

[कृपया ध्यान रहे-भाग (2) की पृष्ठ संख्या अलग से दी गई है]

[कुल पृष्ठ सं० 144+88=232]

Grant-in-aid Rules for Educational & Cultural Institutions in Rajasthan

※Notification

In supersession of all previous orders and rules governing the grant in aid to non Government educational and cultural institutions, the Governor has been pleased to make the enclosed revised rules to regulate payment of grant in aid to the non Government institutions functioning for the educational and cultural development and physical culture of the people in the State

These rules shall be enforced and be applicable to grants payable in 1963 64 The recurring grants payable in 1963 64 shall be on the expenditure in 1962 63

※ Education Department (Cell VI) Notification No F 2 (24) Edu/Cell/VI/62 dated 19th January, 1963

शैक्षणिक एव सास्कृतिक सस्थाओ के लिये सहायतार्थ अनुदान (Grant-in-Aid)

※विज्ञप्ति

अ सरकारी (Non government) शैक्षणिक एव सास्कृतिक सस्थाओ के सहायता अनुदान सम्बधी अनुशासित आदेशो एव नियमो को निष्प्रभावित करते हुए राज्यपाल ने राजस्थान की जनता के शैक्षणिक एव सास्कृतिक विकास एव शारीरिक सवधन के लिये काय करती हुई अ सरकारी सस्थाओ के सहायता अनुदान को व्यवस्थित रूप से वितरण के लिये सलग्न नियम लागू किये हैं।

ये नियम 1963–64 के अनुदान वितरण से लागू होगे। 1963–64 में आवर्त्ती (Recurring) अनुदान वितरण 1962–63 के खर्चों पर होगा।

※शिक्षा विभाग (प्रकोष्ट 6) विज्ञप्ति सख्या एफ 2 (24) शिक्षा/प्रकोष्ठ 6/62 दिनाक 19 जनवरी, 1963। (अप्राधिकृत हिन्दी अनुवाद) राजस्थान सहिता का अध्याय (17)।

THE RULES FOR PAYMENT OF GRANT IN AID TO NON GOVERNMENT EDUCATIONAL, CULTURAL & PHYSICAL EDUCATION INSTITUTIONS IN RAJASTHAN, 1963

1 Short title—These Rules may be called the Rajasthan Grant in aid to educational and cultural institutions Rules, 1963

2 Definitions—In these rules unless the context otherwise requires —

(a) Director of Education in case of degree and Post graduate colleges means the Director of College Education, Rajasthan

(b) Director of Education in case of schools and other institutions (other than degree and Post-graduate colleges and institutions of Sanskrit education) means the Director of Primary and Secondary Education

❀"Director of Education" encludes "Additional Director/Joint Director'

(c) Director of Education in case of institutions of Sanskrit Education means Director of Sanskrit Education

(d) Director of Education in case of institutions of Sanskrit Education means Director of Technical Education

(e) Government means the Government of the State of Rajasthan

(f) University will include University of Rajasthan, Jodhpur University and such other universities as may by law be established in Rajasthan

×(g) 'Examiner' means the Examiner, Local Fund Audit Department Rajasthan Jaipur

---

❀ Added vide No 2 (24) वि प्र/6/62 Date 8 4 68 applicable from 18 10 1964

× Vide No 10 (102) Edu/VI/78 dated 28-5-79 Applicable w e f 1-4-1979

राजस्थान में अ-सरकारी शैक्षणिक, सास्कृतिक एव शारीरिक शिक्षण सस्थाओ को सहायता अनुदान वितरण करने के नियम :—

1 सक्षिप्त नाम —इन नियमो को 'शैक्षणिक एव सास्कृतिक सस्थाओ के लिये राजस्थान सहायता अनुदान नियम सन् 1963" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा ।

परिभाषाए —इन नियमो मे जब तक कि प्रसग का अन्य अर्थ अपेक्षित न हो—

(क) स्नातक (Degree) एव स्नातकोत्तर (Post graduate) महाविद्यालयो के सम्बन्ध मे शिक्षा-निदेशक से अभिप्राय, राजस्थान के महाविद्यालय (College) शिक्षा निदेशक से है ।

(ख) विद्यालयो एव अन्य सस्थाओ (स्नातक एव स्नातकोत्तर महाविद्यालयो एव सस्कृत शिक्षण सस्थाओ के अलावा) के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से अभिप्राय प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से है ।

❀ निदेशक शिक्षा' मे 'अपर निदेशक/सयुक्त निदेशक शामिल है ।

(ग) सस्कृत शिक्षण सस्थाओ से सम्बन्धित शिक्षण सस्थाओ से अभिप्राय, सस्कृत शिक्षा निदेशक से है ।

(घ) तकनीकी (Technical) शिक्षण सस्थाओ से सम्बन्धित शिक्षा निदेशक से अभिप्राय, तकनीकी शिक्षा निदेशक से है ।

(ङ) सरकार से अभिप्राय, राजस्थान राज्य सरकार से है ।

(च) राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय एव राजस्थान मे विधि द्वारा स्थापित किये जा सकने वाले ऐसे अन्य विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के अन्तगत होगे ।

× (छ) "परीक्षक" से अभिप्राय 'परीक्षक' स्थानीय निधि अकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर से है ।

❀ क्रमाक—एफ 2 (24) शिप्र० /6/62 दि० 8 4 68 द्वारा जोडा गया और दि 18 10 64 से प्रभावशील ।

× टिप्पणी पृष्ठ 2 पर ।

3 Eligibility —All institutions functioning in Rajasthan for the educational and cultural development and physical culture of the people are eligible for the following kinds of grants which may be paid at the direction of the sanctioning authority —

(i) Recurring or maintenance grant

(ii) Non recurring grant towards equipments/buildings etc , and

(iii) Such other grants as may be sanctioned by the Government from time to time

Note 1 —The Government, in exceptional cases, may also sanction an ad hoc non recurring grant to any such institutions functioning outside Rajasthan on such terms and conditions as it may deem fit to impose, if such an institution is of an all India character and its project and activities have been approved by the Central or any State Government

Note 2 —Proprietory institutions (i e institutions not registered under either the Society Registration Act, 1860 or Rajasthan Public Trust Act or any other Act etc that may be specified by the Government) will not be eligible for any kind of grant from public funds

Note 3 —Moneys annually granted from public funds for undertaking educational activity in the State are administered under the control of the Director of Education in accordance with the conditions set forth in these rules

Note 4 —The payment of grants to institutions will be subject to the proviso that the requisite budget grants are sanctioned by the State Legislature Notice of the probable reduction in any year will be given as soon as possible after the budget grants are passed and such reduction will continue in force until the notice is modified or cancelled

योग्यता —राजस्थान मे जनता की शिक्षा एव सस्कृति के विकासाथ एव शारीरिक सवधन के लिये कतव्यरत सम्पूर्ण सस्थाये, स्वीकृतिदाता प्राधिकारी (Sanctioning authority) की स्वेच्छा (discretion) पर निम्न प्रकार के अनुदान लेने योग्य है —

(i) आवर्ती अनुदान।

(ii) उपकरणो/भवनो इत्यादि के लिए अनावर्ती अनुदान।

(iii) ऐसे अन्य अनुदान जो सरकार मे समय समय पर स्वीकृत किये जा सके।

टिप्पणी—1 अपवादित (Expectional) अवस्था मे सरकार राजस्थान से बाहर किसी भी ऐसी सस्था को, ऐसी शर्तो पर जो वह लागू करने योग्य मानती हो अनुदान स्वीकृत कर सकेगी,

यदि ऐसी सस्था सम्पूर्ण भारत का स्तर रखती हो और इसकी परियोजना केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो।

टिप्पणी—2 स्वामित्वपूर्ण सस्थाये—जैसे वे सस्थाये जो कि सन 1860 ई के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (Societies Registration Act) या राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट या किसी अन्य एक्ट आदि जो कि सरकार द्वारा उल्लिखित हो, के अन्तगत पजीकृत (Registered) न हो, सावजनिक कोष (Public Fund) से किसी भी प्रकार के अनुदान के लिये योग्य (Eligible) न होगी।

टिप्पणी—3 राज्य मे शैक्षिणिक काय के लिए सावजनिक कोष से वार्षिक अनुदान राशिया, इन नियमो मे उल्लिखित शर्तो के अनुसार निदेशक, शिक्षा के नियन्त्रण मे प्रबन्धित है।

टिप्पणी—4 सस्थाओ के अनुदान का वितरण करने मे शत यह होगी कि आवश्यक अनुदान बजट राज्य विधान सभा द्वारा स्वीकृत किया जावे। किसी भी वष मे समावित कमी की सूचना अनुदान बजट की स्वीकृति के बाद शीघ्रातिशीघ्र दी जायेगी और ऐसी कमी तब तक चालू रहेगी, जबतक कि वह सूचना सशोधित अथवा विलोपित न हो जाये।

Rule 2 Classification of institutions —The institutions will be classified under two categories—

(a) Educational institutions —In this category shall be included all schools, colleges, technical institutions and other institutions imparting primary, secondary or post secondary (higher) education and following the curricular prescribed or approved by the Education Department of the Government of Rajasthan or the Ministry of Education, Government of India, Board of Secondary Education Rajasthan, Statutory Universities established or to be established in Rajasthan

(b) Other institutions —In this category will be included institutions dealing with other aspects of education such as Pre Primary Training Institutions, pre Primary Montessory and Kinder Garten Schools Research and Cultural Societies engaged in the advancement of knowledge or cultural institutions for the collection, preservation, editing and publication of old literature which are not attached to a recognised school or college provided that they do not take part in communal or subversive activities, (Sanskrit Pathshalas and Colleges) societies or special schools engaged in the teaching of Music and/or Dance and or Drama or Physical Education, Physical culture organisation and sports Associations or other Bodies conducting tournaments and com petitions in games sports or cultural activities special schools for physically handicapped children, Arts, (Science or Commerce Colleges, Teachers Training Colleges or Schools, Engineering College/Vocational and Technical Schools) or Institutes includ ing Art or Craft Schools, Rural Institutes Scouts/Guide Asso ciation Vocational Guidance Clinics which are attached to educational institutions institutions for adult and social edu cation, public libraries Educational Camps and tours etc etc

Rule 3 Conditions of grant--No grant shall be made to an institution unless it agrees to comply with the conditions hereinafter laid down which are over and above the conditions prescribed by the University, the Board of Secondary Education,

नियम 2—संस्थाओं का वर्गीकरण —संस्थायें निम्न दो श्रेणियों में विभक्त होगी—

(अ) शिक्षण संस्थायें —इस श्रेणी में समस्त शालायें महाविद्यालय, औद्योगिक संस्थायें या दूसरी संस्थायें जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा देती हो और जो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग या भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय या उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान या राजस्थान में स्थापित या स्थापना किये जाने वाले विधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित या स्वीकृति पाठ्यक्रम का अनुसरण करती हो, सम्मिलित होगी।

(ब) अन्य संस्थायें —इस श्रेणी में शिक्षा के अन्य पहलुओं का सम्पादन करने वाली संस्थायें जैसे पूर्व प्राथमिक (Pre primary) प्रशिक्षण संस्थायें, नर्सरी, मान्टेसरी एवं किंडरगार्टन शालाये, ज्ञानोन्नति के लिए शोध एवं सांस्कृतिक समितियो अथवा प्राचीन साहित्य संग्रह, संरक्षण, सम्पादन एवं प्रचार के लिए सांस्कृतिक संस्था, जो किसी भी मान्यता प्राप्त (Recognised) शाला अथवा महाविद्यालय से संलग्न न हो, बशर्ते कि वे साम्प्रदायिक अथवा विध्वंसकारी कार्यो में भाग न लेते हो, संगीत और/या नृत्य और/या नाटक (Drama) शिक्षण अथवा शारीरिक प्रशिक्षण के लिये कार्यरत समितिया अथवा वरिष्ठ शालाये (संस्कृत पाठशालायें एवं महाविद्यालय), सांस्कृतिक संवर्धन संगठन और क्रीडा (Sports) संघ अथवा खेल-कूद या सांस्कृतिक कार्यों के लिये प्रतियोगितायें और स्पर्धायें संचालन करने वाली दूसरी संस्थायें, विकलांग बच्चो के लिए 'विशिष्ट शालायें, कला विज्ञान अथवा वाणिज्य महाविद्यालय, अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय अथवा शालायें यन्त्र शास्त्र महाविद्यालय, व्यवसायिक और शिल्प (Technical) शालाये अथवा कला या हस्तकला शालायें ग्रामीण संस्थायें, बालचर (Scouts) मार्ग प्रदर्शन समितिया, शिक्षण संस्थाओ से सम्बन्धित व्यावसायिक मार्गदर्शक क्लिनिक्स (Clinics) प्रौढ़ एवं सामाजिक शिक्षण संस्थाये, सार्वजनिक पुस्तकालय, शिक्षण शिविर आदि संस्थाये सम्मिलित होगी।

नियम 3 अनुदान के लिये शर्तें —किसी संस्था को जब तक अनुदान ग्राह्य नही होगा जब तक वह एतत्पश्चात रखी गई शर्तों की पूर्ति के लिए सहमत न हो, जो कि विश्वविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मंडल, राजस्थान (Board of Secondary

Rajasthan and the State Department of Education and every institution which applies for grant in-aid shall be deemed to have accepted its obligation to comply with these conditions —

(1) The institution shall neither prepare nor send up candidates unless permitted by the Director of Education for an examination held in another State when an examination of the same nature is held in Rajasthan by the Education Department or the Board of Secondary Edudation or the University

(2) The records and accounts of the institution shall be open to inspection ond audit by persons authorised by Government or the Education Department or the Accountant General

(3) Admissions and all facilities including free studentship, half free studentships provided by the institutions shall be available to every section of people without any distinction of caste or creed

(4) The institution shall not be run for the profit of any individual and its Governing Body/Council or Management is such as can be trusted to utilise its assets for the furtherance of the objects of the institution

(5) The institution shall, satisfy the requirements laid down under Appendix I regarding to constitution of the management or Governing Body Among other things the constitution of the said body shall ensure its secular character by specially laying dowu that not more than 2/3rd of its members shall belong to any particular caste, sects or creed Any change in the personnel of the Governing or Managing Body shall be reported early to the Department

(6) The institution shall supply to the Education Deptt a list of all its assets, that the income of which is utilised for its expenditure

(7) In the event of the Government being satisfied that a serious dispute exists in the Managing Committee or Governing Board of the institution which hampers the smooth running of the institution and/or the election of the members of the

Education Rajasthan) और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त हो, और सहायता अनुदान के लिए आवेदन देने वाली हर एक संस्था निम्न शर्तों की पूर्ति के लिए इसके आधार पर स्वीकृत की हुई समझी जायेगी —

(1) संस्था किसी भी उम्मीदवार को, बिना शिक्षा निदेशक की अनुमति के दूसरे राज्यों द्वारा रखी गई परीक्षा के लिये न तो तैयार करेगी और न ही भेजेगी, जबकि उसी प्रकार की परीक्षायें राजस्थान में शिक्षा विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा विश्वविद्यालय संचालित करता हो।

(2) संस्था अभिलेख (Records) तथा विवरणों (Accounts) का निरीक्षण तथा लेखा परीक्षा (Audit) सरकार अथवा शिक्षा विभाग अथवा महा लेखाकार (Accountant General) द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के लिये खुला रहेगा।

(3) संस्था द्वारा प्रदत्त (Provided) प्रवेश की तथा निःशुल्क विद्याध्ययन, अर्द्ध शुल्क विद्याध्ययन सहित समस्त सुविधायें, बिना किसी जाति अथवा पंथ के भेदभाव के हर एक वर्ग के लिये ग्राह्य होंगी।

(4) संस्था किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिये नहीं चलाई जायेगी और उसका संचालन निकाय (Governing body) समिति या व्यवस्थापन पर इस बात के लिए विश्वास किया जा सके कि संस्था की पूंजी केवल उस संस्था के उद्देश्यों की प्रगति के लिये ही उपयोग में लाई जाती है।

(5) संस्था संचालक अथवा व्यवस्थापक समिति के सम्बन्ध में परिशिष्ठ (1) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

दूसरी बात कि उक्त समिति का विधान अपनी असाम्प्रदायिक विशेष निर्धारण द्वारा निश्चित करेगा कि इसके सदस्यों का दो तिहाई भाग किसी जाति, वर्ग या पंथ विशेष से सम्बन्धित नहीं होगा। व्यवस्थापिका अथवा प्रबन्धिका समिति के किसी भी व्यक्तिगत परिवर्तन की सूचना शीघ्रातिशीघ्र विभाग को दी जावेगी।

(6) संस्था शिक्षा विभाग को अपनी सारी सम्पत्ति की सूची, जिसकी आय व्यय के उपयोग में लाई जाती हो, देगी।

(7) सरकार के संतुष्ट हो जाने की दशा में, कि संस्था की प्रबन्धक समिति या व्यवस्थापक में कोई गंभीर झगड़ा है, और संस्था के सुचारु रूप से चलने में बाधक है और या प्रबन्ध समिति के सदस्यों का चुनाव जान बूझकर 6 माह से अधिक विलम्बित किये हैं। सरकार उन्हें कारण बतलाने का सूचना पत्र देने के पश्चात

Managing Committee is wilfully delayed for more than six months the Government after giving them a show cause notice may suspend the Governing Body/Council or the Managing Committee and appoint an Administrator to exercise control over the assets and to run the institution till a new Governing Body/Council or the Managing Committee is formed according to rules or the dispute is settled otherwise

(8) The institution shall not be closed down or down graded without atleast one full academic year's notice being given to the Department Such notice shall contain (i) the reasons of the intended closure or down grading and (ii) the list of all the assets held by it

(9) The institution shall unless specially exempted by Government, invest its endowment in trust stock or place them in deposit in the State Bank of India, the Post Office Savings Bank or any Schedule Bank or one Bank recognised by the State Government All money realised as fees from students, contributions endowment and donations received for the institutions, its reserved funds, sums earmarked for building operations or other capital purposes and grants in aid shall constitute the Institutional Fund, which shall be placed in the State Bank of India the Post Office Savings Bank or any other Scheduled Bank or State Recognised Bank No money shall be kept out of the Institutional Fund Withdrawals from the Institutional Fund shall be made only by a person who is duly authorised by the Governing Body or the Managing Committee to operate the Fund and only for the purpose of incuring expenditure for the maintenance or improvement of the institution

(10) The institution shall see that the number of pupils on roll and their average attendance or the number of persons deriving benefit from it, does not fall below the standard or

व्यवस्थापक सभा/समिति अथवा प्रबन्धक समिति को निलम्बित कर सकती है और तब तक के लिये सम्पत्ति नियन्त्रण तथा संस्था को चलाने के लिए एक प्रबन्धक नियुक्त कर सकती है जब तक या तो एक नई व्यवस्थापक सभा/समिति अथवा प्रबन्धक समिति न बन जाय या झगड़ा न सुलझ जाय।

(8) विभाग को बिना एक पूरे वर्ष की सूचना के कोई भी संस्था बन्द नहीं होगी अथवा स्तरावनत (down garding) नहीं होगी। ऐसे सूचना पत्र में निम्न बातें होंगी —

(i) बन्द करने का अभिप्राय या स्तरावनति (down garding) का कारण।

(ii) समस्त रखी हुई सम्पत्ति की सूची।

(9) संस्था तब तक अपने धमस्व को न्यास भण्डार (Trust stock) में विनियोजन (Invest) करेगी अथवा स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक (Scheduled Bank) में अथवा केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त किसी बैंक में धरोहर के रूप में रखेगी, जब तक वह सरकार से विशेष रूप से मुक्त न हो, संस्था के लिए विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में अथवा चन्दा (Contribution) धमस्व और दान के रूप में वसूल की गई समस्त राशि इसके संचित को भवन मरम्मत अथवा दूसरे मूल कार्यों के लिये सुरक्षित राशि तथा सहायक अनुदान आदि के रूप में समस्त राशि संस्था कोष (Institutional fund) में होगी, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक अथवा किसी अन्य अनुसूचित बैंक अथवा केन्द्र में मान्यता प्राप्त बैंक में रखी जायेगी। कोई भी राशि संस्था कोष से बाहर नहीं रखी जायेगी। संस्था कोष से राशि केवल वही व्यक्ति निकाल सकेगा जो कि कोष को कार्यान्वित करने का और वह भी केवल प्रबन्ध के चालू खर्चों के लिये (Incurring expenditure for the maintenance) अथवा संस्था के विकास के लिये व्यवस्थापिका सभा अथवा प्रबन्ध समिति से अधिकार प्राप्त किया हुआ हो।

(10) संस्था देखेगी कि नामावली (On roll) में विद्यार्थियों की संख्या और उनकी औसतन उपस्थिति अथवा इससे लाभ लेने वाले व्यक्तियों की संख्या

number mentioned below --

Section	Class	Average of studend on roll	Average atten dance
Lower Primary School	I to III	45	75%
Pry Section	I to V	75	75%
Middle Sec	VI to VIII	45	75%
Secondary School	IX to X	40	75%
Higher Secondary School	IX to XI	45	75%
Hostels		25	75%
Sanskrit institutions			
Institutions upto Preve hika		12	75%
Madhyama		6	75%
Sanstri & Acharya		2	75%

Note - Provided that the average minimum enrolment in girls institutions shall be atleast 75% of the enrolment in boys institutions mentioned above The average attendance in girls institutions shall not be less than 60%

(11) The institution shall promptly comply with all the instructions issued by the Departmedt for the proper running of the institution

12 The scale of tuition and other fees charged from the students shall not be lower than the scale laid down by the Government in this connection and shall not be changed without the previous approval of the Government

13 No grant shall be admissible for the starting of a new course class section or subject, a project unless previous permis sion h s been obtained from the Department

If the management of an institution wishes to close down any course, class, section or subject, information of the same shall be given to the Department at least three months before such closures

लिखे स्तर अथवा सख्या से कम तो नही है —

वग	कक्षा	नामवली मे औसतन विद्यार्थी	औसतन उपस्थिति
प्राथमिक शालाए	प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी	45	75 प्रतिशत
	प्रथम श्रेणी से यचम श्रेणी	75	75 ,,
उच्च प्राथमिक	छठवी श्रेणी से आठवी श्रेणी	45	75 ,
माध्यमिक शाला	नवमी श्रेणी से दसवी श्रेणी	40	75 ,,
उच्च माध्यमिकशाला	नवमी श्रेणी से ग्यारहवी श्रेणी	45	75 ,,
छात्रावास		25	75 ,
सस्कृत सस्थाए			,,
प्रवेशिका सस्थाए		12	75 ,,
मध्यमा		6	75 ,,
शास्त्री तथा आचाय		2	75 ,,

टिप्पणी —किन्तु साथ ही छात्राओ की सस्थाओ म औसतन कम से कम नामाकन (Enrolment) लडको की सख्या के उपरोक्त वर्णित नामाकन का 75 प्रतिशत होगा। छात्राओ की सख्या में औसतन उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम न होगी।

(11) सस्था को उचित रूप से चलाने के लिये विभाग द्वारा प्रसारित समस्त निर्देशो (Instructions) का वह सस्था अविलम्ब पालन करगी।

(12) विद्यार्थियो के लिये शिक्षण एव अन्य शुल्क की दर, सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित दर (Scale) मे कम न होगी और बिना सरकार की पूव अनुमति के ये परिवर्तित नही की जायेगी।

(13) कोई सस्था तब तक के लिये नये पाठ्यक्रम की कक्षा, वग अथवा विषय अथवा परियोजना चालू करने के लिये अनुदान के लिये ग्राह्य नही होगी, जब तक विभाग म पूव अनुमति प्राप्त न हो। यदि सस्था की प्रबन्धिका किसी पाठ्यक्रम, कक्षा, वग अथवा विषय को बन्द करना चाहती है, तो विभाग को उसकी सूचना बन्द करने के कम से कम तीन माह पूव दी जानी होगी।

(14) No untrained teacher shall be permanently appointed in a school or in a teacher training institution without the permission of the Director of Education, unless the teacher concerned has been exempted from the training qualifications by the Department or the Board of Secondary Education

Note —This rule will not apply to Higher Secondary Schools until the academic session 1965 66

(15) An institution shall not appoint staff on a temporary basis for more than two year without the permission ol the Director of Education

(16) The age of superannuation for teachers shall not ordinarily exceed 58 and no extension/re employment in service hall be granted beyond the age of 60 In Special cases the **Government may waive this condition for not more than 5 years particularly for teachers doing postgraduate teaching or research work**

[1]["The age of superannuation of employees holding posts equal to class III and Class IV employees of Governments hall not exceed 58 and 60 years respectively "]

[2][' No Government Servant retired on superannuation will be re employed by any Institution receiving grant under these Rules ']

[3]["Teacher who have received National and State Awards may be re employed by the aided institutions till such teachers oomplete 58 years Such aided institution would receive the usual grant in aid on the expenditure incurred on such teachers also]

---

1 Added as new para vide No F 1 (164) Edu/Cell VI/68 dated 21-3 1969 , Applicable from 1 7 1969

2 Added vide No F 1 (164) Cell/VI/68 dated 13-3 1970, applicable from 1 7 1970

3 Added vide No F 7 (10) Gr V/74 dated 19-7-1974

(14) अप्रशिक्षित (Untrained) अध्यापक, बिना निदेशक की अनुमति के तब तक के लिये किसी शाला अथवा अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जावगा, जब तक सम्बन्धित अध्यापक विभाग अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल स प्रशिक्षण योग्यताओं के लिये विमुक्त (Exempted) न हो।

टिप्पणी —यह नियम उच्च माध्यमिक शालाओं के लिये शिक्षण सत्र 1965 66 तक लागू नहीं होगा।

(15) बिना शिक्षा निदेशक की अनुमति के, कोई भी संस्था कर्मचारी (Staff) को दो वर्ष से अधिक समय के लिये अस्थाई नियुक्ति नहीं करेगी।

(16) साधारणतया अध्यापकों की अधिवार्षिकी आयु (Superannuation age) 55 वर्ष से अधिक नहीं बढ़गी तथा सेवा में पदोन्नति/पुन नियुक्ति (Re employment) 60 वर्ष की आयु के पश्चात स्वीकृत नहीं की जायगी। विशेष परिस्थिति में सरकार, विशेषतया स्नातकोत्तर अथवा अनुसधान कार्य करने वाले अध्यापकों के लिये इस शर्त को 5 साल तक के लिये त्याग सकती है।

[सरकारी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में समकक्ष पदों को धारण करने वाले कर्मचारियों की आधिवार्षिक आयु क्रमश 58 और 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी][1]

[इन नियमों के अधीन सहायता प्राप्त कोई संस्थान किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी को जो आधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त हुआ है, पुनर्नियोजित नहीं करेगा][2]

[अध्यापकों जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त है, उनको 58 वर्ष की आयु पूरी करने तक के लिये किसी सहायता प्राप्त संस्थान में पुनर्नियोजित किया जा सकेगा। ऐसे सहायता प्राप्त संस्थान ऐसे अध्यापकों पर खर्च किये व्यय पर भी सामान्य सहायता प्राप्त करेंगे][3]

---

1 क्र स एफ 1 (164) शिक्षा/प्र 6/68 दि 21-3-69 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 1-7 69 से लागू।

2 क्र स एफ 1 (164) शि प्र /6/68 दि 13 3 1970 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 1 7-1970 से लागू।

3 क्र स एफ 7 (10) श्रे 5/74 दि 1974 द्वारा जोड़ा गया।

(17) Grant in aid shall not be sanctioned to such of the institutions which have failed to comply with the conditions in the past

(18) The Grant in-aid shall be utilised for the same pur pose for which the same is sanctioned

(19) The un-utilised balance shall be surrendered to the Department/Government before the close of the academic session

Rule 4 **Condition of Service of the staff** —(a) The con ditions of service of every member of the teaching and ministerial staff appointed substantively shall be governed by an agreement executed by him and the Governing Body/Council or the Managing Committee, in the form given in Appendix III Variations in minor details may be approved by the Director of Education The agreement must be executed within one month of the appointment of the persons on probation

(b) The scale of pay and allowances to the staff of the institutions shall not be less than those prescribed by the Government for the staff of simiar category in Government ins- titutions In case of higher salary scales grant in ald shall ordinarily be admissible at the prescribed Government scales only The Government may in special cases allow grant on higher scales

(c) Rules governing private tuitions and appearing at public examinations for members of the staff of the institution shall not be more liberal than those prescribed for Government institutions of the same type and standard

(d) Salaries to the staff shall be paid in full and regularly every month and no un authorised cut shall be made therein The Director of Education may, if be considers it necessary, direct the Governing Body/Council or the Management of any particular institution to discharge salaries by cheque

(e) No persons on the staff of the institution shall be dismissed or removed or reduced in rank until he has been given

(17) सहायता-अनुदान उन सस्थाम्रो के लिये स्वीकृत नही किया जायेगा जो भूत काल मे शर्तो की पूर्ति मे असफल हो गई हो।

[18) सहायता अनुदान जिस काय के लिये स्वीकृत हुआ है उसी काय के उपयोग मे लिया जायेगा।

(19) बिना प्रयोग मे लाया गया शेष धन शिक्षण सत्र की समाप्ति क पूव विभाग/सरकार को समर्पित किया जायेगा।

नियम 4 --कम चारी गण (Staff) की सेवा की शर्तें --

(क) शिक्षक एव प्रशासी वग क हर एक सदस्य की सेवा शर्ते, उसके द्वारा तथा व्यवस्थापिका सभा/समिति प्रबंधका समिति के द्वारा, परिशिष्ट 3 म दिये गये रूप मे, लिखित सविदा से शासित होगी। इन मे परिवतन शिक्षा निदशक की अनुमति से हो सकते हैं। व्यक्ति की परिवीक्षा (Probation) पर नियुक्ति के एक माह के अन्दर सविदा लिखी जानी चाहिये।

(ख) सस्था के कमचारीगण के वतन व भत्ते की दर, सरकार द्वारा सरकारी सस्थाओ म उसी श्रेणी के कमचारीगण के लिये निधारित दर से कम न होगी। उच्च वेतन श्रेणी के सम्बन्ध मे साधारणतया, सहायता अनुदान केवल सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ग्राह्य होगा। विशिष्ट अवस्था म सरकार उच्च वेतन श्रेणी अनुदान स्वीकार कर सकती है।

(ग) सस्था के कमचारी वग के सदस्या क लिये, निजी उपशिक्षण (Pri vate tutions) तथा सावजनिक परीक्षाओ म बठने के नियम उसी तरह की तथा उसी श्रेणी की सरकारी सस्थाओ में निर्धारित नियमो से अधिक उदार (Liberal) नही होगे।

(घ) कमचारी गण को वेतन, पूरा तथा नियमित रूप से हर माह चुकाया जायेगा तथा उसम कोई अनाधिकृत (Un authorised) कटौती नही की जायगी। शिक्षा निदेशक यदि आवश्यक समझे, तो किसी भी सस्था की व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रबंधका को भुगतान पत्र (cheque) द्वारा वेतन वितरण के लिये निर्देशित कर सकता है।

(ङ) सस्था के कमचारी वग का कोइ भी व्यक्ति तब तक के लिये सेवामुक्त निष्कासित, पदावनत नही किया जायेगा, जब तक कि उसके बारे म की जाने वाली

a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him provided that this clause shall not apply —

(i) Where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which led to his conviction on criminal charge, or

(ii) Where it is not practicable to give that persons an opportunity of showing cause and the Department's consent has been obtained before the action is taken

(f) An order imosing punishment of the kind referred to in clause (e) above shall contain the reasons thereof and a copy of it shall be given to the person concerned immediately and sent to the Deptt for information within a month

(g) An appeal shall lie to the authority mentioned in Appendix V from every order of the Governing Body/Council or the Managing Committee imposing punishment referred to in clause (e) above

(h) The management shall implement the order passed by the appellate authority mentioned in (g) above within three *months of the receipt of the copy thereof unless such implement* ation is stayed by the orders of any court or any higher authority

(i) In case the management fails without sufficient reason to pay the amount if any, specified in the order of the appellate authority the Director may deduct it from the next grant in aid and, if necessary from subsequent grant in aid bills also and pay the person concerned on behalf of the management This would be deemed to be a payment to the management of the institution itself

(j) P F Rules are to be followed by the institution as *framed by the Department/Board of Secondary Eduction/University*/Universities to be established

❀[Provided that the institutions shall follow the directions issued by the Government of Rajasthan with regard to investment of past accumulations as well as current and future accretions to the G P F account and ancillary matters from time to time

---

❀ Proviso added to Rule 4 (j) and Rule 4 (k) Substituted vide No F 10 (102) Edu /vi/78 dated 28 5 1979, w e f 1 4 1979

प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बतलाने के लिये, उसे यथोचित अवसर न दिया गया हो, बशर्ते कि निम्नलिखित परिस्थितियों मे यह खण्ड लागू नही होगा —

(1) जहा एक व्यक्ति आचरण के आधार पर पदच्युत अथवा निष्कासित अथवा पदावनत किया गया है, जिसे आपराधिक आरोप के आधार पर उसका दोष सिद्ध हो जाय अथवा

(2) जहा उस व्यक्ति को कारण बतलाने का अवसर देना व्यवहारिक न हो तथा कार्यवाही करने से पूर्व विभाग की सम्मति प्राप्त कर ली गई हो।

(च) उप निर्दिष्ट खण्ड (ड) की तरह के दण्ड से आरोपित आदेशो मे उसके कारण अभिलिखित होगे और उसकी एक प्रति सम्बंधित व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र दी जायेगी तथा एक प्रति विभाग को सूचनार्थ एक माह के अन्दर भेजी जायेगी।

(छ) उप निर्दिष्ट खण्ड (ड) मे दण्ड देने वाली व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रबन्धिका समिति की हर एक आज्ञा से, परिशिष्ट 5 मे वर्णित आदेशानुसार अपील होगी।

(ज) ऊपर खण्ड (छ) मे वर्णित अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशो को प्रबंधिका समिति उसकी प्रति की प्राप्ति के तीन माह के अन्दर कार्यान्वित करेगी जब तक कि ऐसे क्रियान्वयन को किसी न्यायालय अथवा किसी उच्च प्राधिकारी द्वारा स्थगित नही कर दिये गये हो।

(झ) अपील प्राधिकारी के आदेशो मे उल्लिखित यदि कोई भी राशि जिसकी प्रबन्धिका समिति बिना पर्याप्त कारणो के चुकाने मे अवहेलना करती हो, की अवस्था में निदेशक अगली सहायता अनुदान मे से उस राशि की कटौती कर सकता है, तथा यदि आवश्यक हो तो बाद की सहायता अनुदान मे से भी काट सकता है तथा प्रबन्धिका के निमित्त सम्बंधित व्यक्ति को चुका सकता है। यह राशि संस्था की प्रबन्धिका को वितरण (Payment) समझा जायगा।

(ञ) विभाग/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालय/स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालयो द्वारा बनाये गये भविष्यनिधि (P F) नियम संस्था द्वारा अनुसरणीय है।

*[परन्तु यह है कि संस्थायें पिछली संचित राशि तथा चालू व भविष्य के सामान्य भविष्य भविष्य निधि की एकत्रित राशि के विनियोग और तत्सम्बन्धी मामलो के बारे मे समय समय पर राजस्थान सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन करेगी।

---

*क्रमाक एफ 10 (102) शिक्षा VI/78 दि० 28 5 1979 द्वारा संशोधित-प्रतिस्थापित, जो दि० 1 4 1979 से लागू किये गये।

Note —The Department/Board of Secondary Education/ University/Universities to be established shall make necessary ammendments in the respective rules framed by them

(k) (i) All accumulated, current and future accretions to the P F amount of the employees and contribution of the institution shall be deposited in the interest bearing personnel deposit account by the institution in Government Treasury in the manner and as per directions laid down by the State Govt from time to time

(ii) The reserve funds and deposits etc of institutions shall also be invested in the State Govt securities or National Savings Secuities viz Post office Savings Bank Account, National Defence Certificates or Defence Deposit Certificates only

(iii) All the other recurring and non recurring grants which are not needed within a period of three months shall be deposited in the Post Office Saving Account

Note —Reserve Funds will be invisted in the manner prescribed under (ii) above only if under the relevant rules the maintenance of such funds is a condition precedent for entitlement to grant in aid]

Rule 5 Assessment of annual recurring grant—(a) [Annual recurring grant will be given on the basis of estimated expenditure of the currant year and be subject to adjustment from the grant payable in the next year]

(b) Approved expenditure shall be arrived at according to rules and such other instructions that may hereafter be issued from time to time by the Director of Education

---

❀ Amended vide No F 1 (45) Edu /C/vi /67 dated 15th September 1970 Applicable from 1-4-1970 "Note (1) below Rule 5 was deleted—

"Note (1) —In special cases such as a when a new course or class is started or a new experiment or project undertaken or an institution has to face serious financial hardships grants may be sanctioned on the basis of the current year's budget estimates provided that if the whole amount of the grant is not spent during the ye r the saving shall be recovered from the institution or deducted from the next year's grant'

टिप्पणी—विभाग/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्व विद्यालय/स्थापित होने वाले विश्व विद्यालय उनके द्वारा बनाये गये सम्बन्धित नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे।

(ट)(i) समस्त एकत्रित, चालू व भविष्य में होने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों की एकत्रित राशि और संस्था के अंश दान को संस्था द्वारा सरकारी कोष में ब्याज सहित व्यक्तिगत जमा खाते (P D Accounts) में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित निर्देशों व तरीके से जमा कराना होगा।

(ii) संस्थाओं के सुरक्षित कोष और निक्षेप (डिपोजिट) आदि भी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में या राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियों जैसे—डाकघर, बचत बैंक खाता, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाणपत्र या सुरक्षा निक्षेप प्रमाणपत्र में भी विनियोजित किया जावेगा।

(iii) अन्य समस्त आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान राशि जिसकी तीन महीने की अवधि में आवश्यकता न हो, डाकघर बचत खाते में जमा कराई जावेगी।

टिप्पणी—सुरक्षित कोष को केवल ऊपर (ii) में विहित तरीके से विनियोजित किया जावेगा, यदि सम्बन्धित नियमों के अधीन ऐसे कोष का रखना अनुदान की पात्रता के लिये एक पूर्व शर्त हो।]

नियम 5 वार्षिक पुनरावर्तक अनुदान का निर्धारण—(क) [चालू वर्ष के अनुमानित व्यय के आधार पर वार्षिक आवर्तक अनुदान दिया जावेगा और वह अगले वर्ष में देय अनुदान से समायोजित किये जाने के अध्यधीन होगा।]

(ख) स्वीकार किया गया खर्च नियमों तथा ऐसे दूसरे अनुदेशों, जो इसके पश्चात शिक्षा निदेशक द्वारा समय समय पर निकाले गये हों, के अनुसार गिना जावेगा।

---

1 No F 1 (45) Edu/C/VI/67 dt 15–9–70 द्वारा संशोधित व दि 1–4–1970 से लागू। नीचे की टिप्पणी (1) विलोपित की गई जो इस प्रकार थी—

"टिप्पणी 1—जब कोई नया पाठ्यक्रम अथवा कक्षा प्रारम्भ की गई हो, अथवा एक नया प्रयोग या परियोजना हाथ में ली गई हो, अथवा संस्था को गम्भीर आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में चालू साल के अनुमानित बजट के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है बशर्ते कि यदि अनुदान की समस्त राशि उसी साल में खर्च नहीं हुई तो बची हुई राशि संस्था से वापिस ले ली जायेगी अथवा आगामी वर्ष के अनुदान में से काट ली जायेगी।'

(c) Institutions shall be categorised under advise of the Grant in-aid Committee and shall receive Grant in aid as follows —

Category		
	A 80%	of the approved expenditure of the previous year plus likely annual increment of staff
	B 75%	
	C 60%	
	D 50%	

Spl Categary—(institutions carrying on the work of education on experimental and pioneering lines in accordance with the criteria laid down by the Deptt of Education 90%

Note —The case for an increase in grant in aid can, as a rule be reviewed by the Grant in aid Committee ordinarily after 3 years on the basis of inspection reports and general improvements in other principles of categorisation

Grant in aid Committee will admit institutions to the special category after examination of their cases under criteria listed in Appendix X

(d) The total recurring grant in aid from Government of Rajasthan **in any year shall not exceed the difference between the total approved expenditure taken into account and the income from the fees and other recurring sources during the same year** including grants from other States and Central Government Sabhas, Societies and local Bodies

※ For the purpose of this rule

(i) income from interest on reserve fund or rent of properties

(ii) fee income from fee charged at a rate higher than Government rates to the extent of the actual excess realised

shall not be considered as income from other recurring sources

Note (2) —The income from fees and fines referred in sub rule (d) includes the following fees and shall be separately mentioned in the statement of audit prepared by the Chartered Accountant or other approved auditors —

(1) Tution fees

(2) Tutorial fees

※ कृपया अध्याय (2) में आगे परिपत्र देखिये।

(ग) सहायता अनुदान समिति की सलाह के अनुसार, संस्थायें श्रेणियों मे विभक्त की जायेंगी तथा निम्न प्रकार से सहायता अनुदान प्राप्त करेंगी —

श्रेणी		
क	80 प्रतिशत	गत वर्ष के मान्य खर्च का तथा
ख	75 ,,	कर्मचारी वर्ग की वेतन वृद्धि का
ग	60	
घ	50 ,	

विशिष्ट श्रेणी—शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित कसौटी के अनुसार प्रयोगात्मक शिक्षण कार्य को चलाने वाली संस्थाएं —90 प्रतिशत।

टिप्पणी– सहायता अनुदान मे वृद्धि की स्थिति नियमानुसार सहायता अनुदान समिति द्वारा साधारणतया निरीक्षण प्रतिवेदन (Reports) तथा दूसरी श्रेणी के सिद्धान्तो मे सामान्य उन्नति के आधार पर तीन साल पश्चात पुनर्विलोकित की जा सकती है।

सहायता अनुदान समिति, परिशिष्ट 10 मे सूचीबद्ध कसौटी मे संस्थाओं की परिस्थितियों का निरीक्षण करने के पश्चात ही उनको विशिष्ट श्रेणी मे सम्मिलित करेगी।

(घ) राजस्थान सरकार से किसी साल म कुल आवर्तक अनुदान लेखा किये हुए कुल स्वीकृत खर्च तथा उसी साल म शुल्क तथा दूसरे आवर्तक साधनो से (जिसमें कि दूसरे राज्य तथा केन्द्रीय सरकार, सभाओं समितियां तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान सम्मिलित है) हुई आय के अन्तर से अधिक नही होगा।

※इस नियम के प्रयोजन के लिए

(i) सुरक्षित कोष (Reserve Fund) अथवा सम्पत्ति के किराये से आय

(ii) वास्तविक अधिक वसूली की परिधि तक सरकारी दर से ऊंची दर पर वसूल किये गये शुल्को से प्राप्त आय,

दूसरे आवर्तक साधनो से हुई आय की तरह नही समझी जायगी।

टिप्पणी 2—उपनियम (घ) से निर्दिष्ट शुल्क तथा अर्थ दण्ड (Fines) से हुई आय मे निम्नलिखित शुल्क सम्मिलित है तथा चार्टेड अकाउन्टेन्ट अथवा दूसरे मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार लेखा परीक्षा विवरण मे अलग से वर्णित होंगे —

(1) शिक्षण शुल्क

(2) ट्यूटोरियल शुल्क

※ कृपया अध्याय (2) में परिपत्र देखे

(3) Admission and re admission fees

(4) Transfer Certificate fees

(5) Any other fees not covered by the above except

(a) subject fees for example Commerce fees, Science fees, Agriculture fees etc

(b) Games fees and fees charged for craft and other *activities in Agriculture dairy, Home Science,* etc referred in sub clause K M N Rule 6

(6) Fines

With regard to other fees referred to in (a) and (b) above subject fees games and crafts shall be utilised for the specified purpose for which they are charged and in the event of their non utilisation in full or part, the amount is transferred to the *Student Fund to be utilised in the next year* *The Governing* Body/Council or the Management shall in *no* case utilise any portion of the students fund for the purpose of running the institution or in payment of salaries of the staff, rent of the buildings etc

Note (3) —During each year *every institution admitted* to the grant in aid list shall provisionaly be paid a monthly sum equal to 1/12th or a quartely sum equal to 1/4th of the annual grant fixed for the previous year till the current year s grant is sanctioned subject to its final adjustment

The following will be the basis for the Categorisation of the insititutions —

(1) Quality of educational work judged on the results on an average of last 3 years of the public examinations of the Highest class in the institution

(2) *Correction work*

(3) Individual attention

(4) Teaching efficiency

(5) Discipline and tone of the *institution* (Rules of discipline Annexure II)

(5) Extra curricular activities cultural *life games*, etc

(7) Contribution to community life (special service in the area)

(8) Classwise attendances throughout the year

(3) प्रवेश तथा पुन प्रवेश शुल्क
(4) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क
(5) कोई दूसरा शुल्क जो उपरोक्त शुल्को म न आता हो, सिवाय इनके कि—

(क) विषय शुल्क, जैसे वाणिज्य शुल्क, विज्ञान शुल्क आदि

(ख) खेल शुल्क तथा हस्तकला और कृषि दुग्ध शाला, गृह विज्ञान आदि दूसरे कार्यों के लिए शुल्क, जो कि नियम 6 के उपखण्ड (ट, ड एव ढ) मे निर्दिष्ट है।

(6) अर्थ दण्ड

उपरोक्त (क) तथा (ख) मे निर्दिष्ट दूसरे शुल्को के सम्बन्ध मे जसे विषय शुल्क, खेल तथा हस्तकला शुल्क का उपयोग उल्लिखित उद्देश्य जिसके लिये वे लिये गये हैं में ही होगा और उनके पूरे अथवा किसी भाग के उपयोग न होने की दशा मे, वह राशि आगामी वर्ष मे उपयोग किये जाने वाले छात्र कोष मे स्थानान्तरित कर दी जायेगी। व्यवस्थापिका सभा/समिति अथवा प्रबन्धिका किसी दशा मे छात्र कोष का कोई भाग सस्था के चलाने मे अथवा कर्मचारी को वेतन वितरण मे अथवा भवन किराया आदि उद्देश्यो के लिये उपयोग नही करेगी।

3—सहायता अनुदान सूची मे प्रविष्ट हर एक सस्था को हर साल गत वर्ष के निर्दिष्ट वार्षिक अनुदान 1/12 भाग के बराबर मासिक राशि के रूप मे अथवा 1/4 भाग के बराबर, तिमाही राशि रूप म अस्थायी रूप से दिया जायगा, जब तक चालू साल का अनुदान, अन्तिम समायोजन (Adjustment) का ध्यान रखते हुए स्वीकृत न हो जाय।

सस्थाओ की श्रेणी विभक्ति का आधार निम्नलिखित होगा —

(1) शिक्षण कार्य की श्रेणी का निर्णय सस्था मे सबसे ऊंची कक्षा के गत तीन वर्षों की सावजनिक परीक्षाओ के औसत परिणामो से किया जाये।
(2) सशोधन कार्य (Correction Work)
(3) वैयक्तिक ध्यान (Individual Attention)
(4) शिक्षण दक्षता (Teaching efficiency)
(5) सस्था का अनुशासन एव प्रवृति (अनुशासन के नियम, परिशिष्ट II)
(6) अन्य सहगामी प्रवृत्तिया (activities) यथा सास्कृतिक जीवन, खेल इत्यादि।
(7) सामुदायिक जीवन को योगदान (क्षेत्र मे विशिष्ट सेवा)
(8) सारे साल की कक्षावार उपस्थिति।

(9) Facilities for games, sports, P T, and participation and achievement in tournaments

(10) Provision for building and equipment

(11) Absence of malpractices and irregularities

(12) Absence of stagnation among students

(13) Number of faculties and subjects provided

Note —The notice period pay recovered from the employees of the institution and the amount of the management share of the Provident Fund Scheme forfeited by the management during the year shall be shown as income in the audited statement and shall be created as income of the institution for the purpose of arriving at the figure of net approved expenditure

Rule 6 Approved Expenditure —Approved expenditure referred to in Rule 5 above shall relate to the following items only —

❀[Rule 6 (1) All the items referred to in Rule 6 from (a) to (x) will from component A of the admissible items of expenditure]

(a) Actual salary and Provident Fund contribution not *exceeding 6/1 4% in respect of teaching staff except the pre* merger employees of the aided institutions of the former Jodhpur State and the C B Schools run by the Municipal Board in Bikaner, Ganganagar, Churu and Bundi District in whose case it shall not exceed 8/1 3 per cent

(b) Salaries and Providont fund contribution not exceeding 6/1 4% in respect of the Ministerial and Non ministerial staff, except the pre merger employees of the aided institutions of the former Jodhpur State and of the C E Schools run by the Municipal Board of Bikaner, Churu Ganganagar and Bundi District in whose case it shall not exceed 8/1 3 per cent

(c) Stationery and printing charges

(d) Postage stamps on official correspondence rent, charges on telephone for college and residential and partly residential High or Higher Secondary School only Aggregate limit will be laid down for postage

---

❀ Added & amended vide No F 2 (194) Edu/cell/VI/66 dated *23-3-1968 Item* (d) *deleted* and item (e) to (y) re numbered as (d) to (x)—Refer अध्याय (2)

(9) खेल कूद, पी टी तथा प्रतियोगिताओ म भाग लेने की सुविधायें तथा उपलब्धि।

(10) भवन तथा सामान के लिए व्यवस्था।

(11) दुराचरण एव अनियमितता की अनुपस्थिति।

(12) विद्यार्थियों में निष्प्रवाहित अनुपस्थिति।

(13) व्यवस्थित विषय एव विभागो की सख्या।

टिप्पणी—सस्था के कमचारियो द्वारा प्राप्त किया गया सूचना अवधि वेतन और भविष्य निधि के अश की प्रबन्धक द्वारा वष के मध्य मे अधिग्रहित की गई है, को लेखा विवरण मे आय व्यक्त करना पडेगा और सस्था के वास्तविक स्वीकृत व्यय के आकडे के लिए आय बतायी जायेगी।

नियम 6 स्वीकृत खच—उपरोक्त नियम 5 में निर्दिष्ट स्वीकृत खच केवल निम्न लिखित से सम्बन्धित होगा।

❀ [नियम 6(1)—नियम 6 मे (क) से (म) तक वर्णित समस्त आइटम ग्राह्य खच" का भाग (क) होगे।]

(क) वास्तविक वेतन तथा भविष्य निधि अशदान शयणिक कमचारियो का 6/1 4 प्रतिशत से अधिक, सिवाय पूववर्ती जोधपुर राज्य के नागरिक सहायता प्राप्त सस्थाओ के कमचारियो, और C B शालाओ, जो बीकानेर, गगानगर, चूरू और बू दी जिलो में म्यूनिसिपल बोर्डो द्वारा चलाई जाती है, के मामलो मे 8/1 3 प्रतिशत से अधिक न होगा।

(ख) वास्तविक वेतन तथा भविष्य निधि अशदान प्रशासी तथा अ प्रशासी कमचारियो का 6/1 4 प्रतिशत से अधिक, सिवाय पूववर्ती जोधपुर राज्य मे पूव नागरिक सहायता प्राप्त सस्थाओ के कमचारियो और C B शालाओ जा बीकानेर गगानगर, चूरू और बू दी जिलो मे म्यूनिसिपल बोर्डा द्वारा चलाई जाती है, के मामलो मे 8/1-3 प्रतिशत स अधिक न होगा।

(ग) लेखन सामग्री तथा मुद्रण खर्चे।

(घ) कार्यालय सम्बन्धी पत्र व्यवहार के लिए डाक व्यय टिकट किराया, महाविद्यालय तथा निवासाथ तथा आशिक निवासाथ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालाओ के लिए टेलीफोन के खर्चे के लिए कुल सीमा निर्धारित की जायगी। डाक व्यय के लिये कुल सीमा निर्धारित की जावेगी।

❀ वि स F2 (194) Edu/Cell/VI/66 दि 23-3-1968 द्वारा सशोधित—आइटम (घ) लोपित किया गया तथा (ड) से (म) को पुनस्थापित किया गया।

(e) Water and light charges

(f) Registration, audit fees and affiliatian fees

(g) Recurring expenditure on equipment and apparatus

(h) Ordinary repairs to buildings (if these belong to the institution and furniture etc) Repairs may be calculated at 1% for pacca and 2% for Kachha buildings

(i) Building rent (if the building is rented) In all cases the department should be satified that the building is not owned by a society consisting of the same community or groups of persons running the institutions concerned Rent will not be admissible if the building belongs to the same society or groups of persons (see not 5 and 6 below)

(j) Recurring (net) expenditure on Books, Library and Reading Rooms

(k) In the case of residential institutions or educational societies running more the one institution such expenses on managent as are necessary or incidental to the establishment and maintenance of the institutions and the society ❀

(l) Recurring net expenditure on games, physical education and other extra curricular activity e g, camps, annual functions (including prizes) Dramatics, Educational Tours, Excursions, Social Services

(m) Recurring expenditure on craft including Agriculture, Dairy, Home Science after deducting the income accruing therefrom

(n) Expenditure on travelling of teachers in attending conferences and seminars conducted by the Government or Department connected with educational matters, Provided the same has not been paid by the authority calling the teachers or arranging the conferences or seminars, and on journeys

(o) Expenditure on advertisement for the posts of teachers and lecturers for Technical or Science subjects, Home Science, English, Psychology etc at the rate of not more than two advertisement in a year

(p) Petty expenditure according to the prescribed limits for brooms, dusters and earthan pots, rope for water, etc

---

❀ Refer also item No 13 of Appendix VI

(ङ) जल एव विद्युत खर्चें।

(च) पजीयन (Registration) लेखा जोखा शुल्क एव सलग्नता शुल्क।

(छ) उपकरण तथा विज्ञान सम्बन्धी सामान के ग्रावतक खर्चे।

(ज) भवन की साधारण मरम्मत (यदि सस्था तथा फर्नीचर ग्रादि के सवध मे हो) मरम्मत पक्के भवनो के एक प्रतिशत तथा कच्चे भवनो के लिए 2 प्रतिशत के हिसाब से दी जा सकती है।

(झ) भवन किराया (यदि भवन किराया का है)--सब ग्रवस्थाग्रो मे विभाग सतुष्ट होना चाहिए कि भवन, उसी समाज स वनी हुई समिति का ग्रथवा सस्था को चलाने वाले व्यक्तियो के समूह का तो नही हैं। भवन का उसी समाज ग्रथवा व्यक्तियो के समूह का होने की दशा मे किराया स्वीकृत न होगा। (नीचे सूचना 5 व 6 देखिय।)

(ञ) पुस्तको पुस्तकालयो तथा ग्रध्ययन कक्षों के लिये ग्रावतक खर्चे।

(ट) निवासाथ सस्थाए ग्रथवा शिक्षण समितिया, जो कि एक से ग्रधिक सस्था चला रही है, की दशा मे प्रवन्धिका के ऐसे खर्चे जो कि सस्था ग्रौर समिति की स्थापना एव बनाने में ग्रावश्यक या ग्रानुषगिक (Incidental) हो।

(ठ) खेल शारीरिकशिक्षा, तथा ग्रन्य सह शक्षिणिक प्रवृतियो, जैसे शिविर वार्षिक महोत्सव (पारितोषिक ग्रादि खच) नाटक, शिक्षण पयटन, भ्रमण सामाजिक सेवायें ग्रादि, के लिए ग्रावतक ग्राधारण खर्चे।

(ड) कृषि दुग्धालय गृह विज्ञान ग्रादि हस्तकलाग्रो के लिए उनसे ग्रर्जित ग्राय के काटने के पश्चात ग्रावतक खर्चे।

(ढ) शिक्षा सम्बन्धी मामलो के सम्बन्ध मे सरकार ग्रथवा विभाग द्वारा सचालित सम्मेलन व सभाग्रो मे उपस्थित होने के लिए ग्रध्यापको का यात्रा खच। बशर्ते कि ऐसा खच सम्मेलन बुलाने वाले ग्रधिकारी द्वारा नही दिया गया हो।

(ण) मशीनरी ग्रथवा विज्ञान विषयो गृह विज्ञान, ग्रग्रेजी शरीर शास्त्र ग्रादि के लिए ग्रध्यापक एव व्याख्याताग्रो (Lecturers) के पदो के विज्ञापन के लिए खर्चे जो कि वष में दो विज्ञापन से ग्रधिक के लिए नही।

(त) झाडू, डस्टर तथा पानी के लिये मिट्टी के घडे तथा रस्सी ग्रादि के लिए निर्धारित सीमा के ग्रनुसार साधारण खर्चे।

(q) Research bulletin for research institutions only

(r) Book-binding (for public libraries only)

(s) Training expenses for teachers (according to rules for Government employees)

(t) Charges on account of taxes on school building to the extent of the amount if actually paid by the Manager

(u) Travelling expenses of teachers accompanying school children on excursions, subject to the prior approval of the Director of Education

(v) Expenditure incurred for obtaining rent verification certificates from P W D

(w) A new institution coming into existence after the comencement of these rules shall not be eligible for grant in aid unless it has continued sucessfully, at least for one academic session from the date of recognition by the Department In very special cases, however, this condition may be sanctioned against the approved budget of the First year Such grants will not exceed half of, the salaries of the teaching staff likely to be incurred during the year and will be payable in monthly or quarterly or half yearly instalments as may be required by the management

(x) **Expenditure on Hostels** — Approved expenditure for Hostels would relate to the following items —

- (i) Salary or allowance of the Warden or Superintendent or the Matron
- (ii) Ministerial and Class IV establishment considered necessary by the Department
- (iii) Ordinary office contingencies
- (iv) In the case of Societies running more than one boarding house, such expenses on management as are necessary for and incidental to the establishment and maintenance of the Society as provided under the rules above

Note 1 —The expenditure on Central office mentioned in (1) shall be approved for grant only when the total approved expenditure of the Society exceeds Rs one lakh per year and at least 3 institutions are being run by the Society By institutions are meant only those which are recognised as institutions for this purpose by the Department Institution should not be of the

(थ) केवल अनुसधान सस्थाओ के लिए अनुसधान विवरणिका।

(द) पुस्तको की जिल्दें (Book Binding) केवल सवसाधारण पुस्तकालयो के लिए।

(ध) अध्यापको के प्रशिक्षण के लिए खच (सरकारी कमचारी के सेवा नियम के अनुसार)।

(न) शाला भवन मे सीमित मात्रा तक करो का खच यदि वास्तव में व्यवस्थापक द्वारा चुकाया गया हो।

(प) शिक्षा निदेशक की पूव अनुमति को ध्यान मे रखते हुए, शाला के बच्चो के साथ यात्रा मे जाने वाले अध्यापको को यात्रा व्यय।

(फ) किराये के प्रमाण के लिए सावजनिक निर्माण विभाग (P W D) स प्रमाण पत्र प्राप्ति के लिए खच।

(ब) एक नई सस्था, जो कि इन नियमो के लागू होने के पश्चात अस्तित्व मे आ रही है, सहायता अनुदान पाने की अधिकारिणी तब तक नही होगी, जब तक विभागीय मान्यता की तारीख से एक शैक्षणिक सत्र तक सफलता पूवक चालू न रही हो तथापि अधिक विशिष्ट परिस्थिति मे सरकार द्वारा इस शर्त को छोडना पड सकता है। ऐसी अवस्था मे प्रथम वष के स्वीकृत बजट के समान अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। ऐस अनुदान वष भर के अन्दर उठाये जाने वाले शिक्षक वग के सभावित वेतन के आधे से अधिक नही बढेंगे तथा प्रबन्धिका की इच्छानुसार मासिक, तिमाही तथा अद्ध वार्षिक किश्तो मे चुकाया जायेगा।

(भ) छात्रावास पर खर्चे--छात्रावास के लिए स्वीकृत खर्चे निम्न विषय से सम्बन्धित होंगे --

(i) प्रतिपालक (Warden) अथवा अधीक्षक (Superintendent) अथवा अधीक्षिका (Matron) का वेतन अथवा भत्ता।

(ii) विभाग द्वारा आवश्यक स्वीकृत किया हुआ प्रशासी एव चतुर्थ श्रेणी (Class IV) का स्थापन।

(iii) साधारण कार्यालय सम्भावयता खर्चे (Contingencies)।

(iv) सस्थाओ के एक स अधिक छात्रावास चलाने की अवस्था म, प्रबन्ध के एसे खर्चे जो सस्था के स्थापन एव सधारण के लिये आनुषगिक (Incidental) तथा आवश्यक हो जैसा उपयुक्त नियमो मे उपबधित (Provided) है।

टिप्पणी। इस मे वर्णित केन्द्रीय कार्यालय के खर्चे तब ही अनुदान के लिए स्वीकृत होंगे, जब कुल समिति स्वीकृत खर्चा एक लाख रु० सालाना से अधिक हो तथा समिति के द्वारा कम से कम तीन सस्थाए चलाई जा रही हो। सस्थाओ म अभिप्राय केवल वे जो विभाग द्वारा इसी उद्देश्य के लिए

nature of a Department or section or activity of the same institution

Note 2 —Charges on account of contribution made by the institution to a pension fund or a gratuity scheme or an account of the pension or gratutity paid to former teachers are ordinarily not admitted for the purpose of grants-in aid unless the rules on the subject are approved by Government provided that in the case of staff obtained on lent services from any State Government or Government of India, pension and leave salary contribution shall be allowed as approved expenditure

Note 3 —Charges on account of pension to widows of the deceased teachers are ordinarily not admissible for grant in aid unless the rules for grant of pension are duly approved by Government

Note 4 —Expenditure on rent (to the extent assessed by the P W D for the particular period) is admissible to an institution only when the building has been actually taken on rent and rent-deed containing the terms and conditions of rent is executed and registered, No rent is admissible where a parent body has *given a building to a trust for the charitable purpose of running* an educational institution as a donation

No rent is admissible where grant in aid has already been given for repairs, additions and alterations of the building used for educational institutions run by a private body

In case institutions or society which is other than the parent body is entrusted with he running of a school and uses building which was got constructed by the parent body for the use of the school and then new managing body is required to execute a bond or agreement and get the same registered to the effect that rent for use of the building will have to be paid by the newly created management to the parent body for running a school, rent by the society will be admissible for grant in aid

Note 5 —Save otherwise provided no expenditure on repairs of building for which rent is claimed is admissible for grant-in aid as such repairs are to be done by the landlord

Note 6 —Legal expenses are not admissible for grant in-aid as they are non recurring charges Exceptional cases should, however, be referred to the Director with pertinent details for orders, regarding the admissibility of the expenditure

संस्थाए हो/संस्था विभाग अथवा शाखा अथवा उसी संस्था की गतिविधि की प्रकृति की हो, से है ।

टिप्पणी 2 निवृत्ति वेतन कोष अथवा निवृत्ति पारितोषिक योजना को संस्था द्वारा किये गये अशदान के कारण से व्यय अथवा पुराने अध्यापको को चुकाया हुआ निवृत्ति वेतन या निवृत्ति पारितोषिक के कारण साधारणतया तब तक सहायता अनुदान के उद्देश्य के लिए स्वीकृत नही किये जायेंगे, तब तक कि अधिनियम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त न हो, बशर्ते कि राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवाओ से प्राप्त किये गये कर्मचारियो के मामले मे उनका निवृति वेतन और अवकाश वेतन अशदान स्वीकृत व्यय मे स्वीकृत किया जायेगा ।

टिप्पणी—3 मृत अध्यापको की विधवा पत्नियो की निवृत्ति वतन के कारण स व्यय साधारण तया सहायक अनुदान के लिए तब तक ग्राह्य नही होगा जब तक निवृत्ति वेतन अनुदान के लिए नियम सरकार द्वारा स्वीकृत न हो।

टिप्पणी - 4 संस्था को किराया खर्चा विशेष काल के लिये, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर केवल तभी ग्राह्य होगा जब भवन वास्तव मे किराये पर लिया गया हो तथा किराये नामे मे किराये की अवधि तथा शर्तें लिखित एव पजीकृत हो जहा उदभव निकाय ने न्यास (Trust) को भवन, शिक्षण संस्था को चलाने के पर्याय उद्देश्य के लिये दान मे दिया हो किराया ग्राह्य न होगा ।

जहा गैर सरकारी सघ द्वारा चलाई गई शिक्षा संस्थाओ के लिये दिये गये भवन की मरम्मत वढाव तथा परिवर्तन के लिये पहले सहायता अनुदान दिया जा चुका हो कोई किराया ग्राह्य नही होगा ।

ऐसे मामलो मे जहा कि शाला को चलाने का कार्य संस्थाओ अथवा समिति जो उद्भव संस्था से अलग हो को सौंपा गया हो तथा वे उसी भवन का उपयोग करते हो जिसको उदभव संस्था ने शाला के लिये बनवाया था तथा तब नयी प्रबन्ध समिति को एक बन्ध पत्र (Bond) अथवा सविदा (Agreement) लिखना आवश्यक है और इसी आशय से उसे पजीकृत करवाना है कि शाला को चलाने के लिए भवन के उपयोग का किराया नई सचित प्रबंधका द्वारा उद्भव संस्था को चुकाना पडेगा, समिति के द्वारा सहायक अनुदान के लिये ग्राह्य होगा ।

टिप्पणी—5 भवन की मरम्मत का जो किराये पर हो, खर्चा सहायता अनुदान हेतु मान्य नही होगा क्योंकि ऐसी मरम्मत भवन स्वामी द्वारा की जानी चाहिये, जब तक इसके लिए विशेष प्रावधान न हो ।

टिप्पणी--6 न्याय व्यय (Legal expenses) सहायता अनुदान के लिये ग्राह्य नही है, क्योकि वे अनावर्तक (Non recurring) व्यय है, तो भी असाधारण परिस्थितियो मे निदेशक की खर्चे की ग्राह्यता के सम्बन्ध मे आज्ञाओ के लिये सगत विवरण अभिनिर्दिष्ट करना चाहिये ।

Note 7 —Repayment of loans etc —Repayment of loans or the amount transferred to the Revenue Fund is not on expenditure admissible for the purpose of grant in-aid

Note 8 —Arrears of expenditure —The expenditure which is incurred to meet the liabilities of any previous period but included in the expenditure of the year on which the grant is based is not admissible for the purpose of grant-in-aid

Note 9 —The authorised maximum limits of expenditure mentioned in Appendix VI

Note 10 —Any new or additional expenditure on any of the above items not provided in the approved budget will require previous sanction of the Department

Rule 7 Non recurring Grants —(a) Non-recurring grant shall not exceed 50% of the total approved and actual expenditure

(b) Non recurring grants may be given for construction repair and extension of building (including hostels), for purchase of furniture and equipment and for the purchase of library books

(c) Grant for the purchase or replacement of bus shall not exceed 25% of the controlled price of the bus Replacement will normally be allowed after an interval of at least 10 years such grants will ordinarily be considered only for Girls institutions and Montessory schools and preference will be given to institutions situated in cities or away from residential localities

Note —(In case os Girls institutions expenditure incurred for the construction of teachers residential quarters will be admissible for grant in aid),

(d) Grants in aid will be given on only those cases where the plan and estimates of expenditure have received the prior approval of competent authority as per schedule of powers in Appendix V (item 6)

(e) Plans and estimates up to Rs 25,000/- for the construction of building may be scrutinised and countersigned by the Inspector of Schools of the district concerned if the same are prepared by a qualified Engineer/Overseer

Plans and estimates above Rs 25,000/ must be prepared and verified by the P W D and be submitted to the Director of Education through proper channel

टिप्पणी—7 ऋण वापसी —ऋण वापसी अथवा राजस्व कोष की राशि का स्थानान्तरण, सहायता अनुदान के उद्देश्य से ग्राह्य खर्च नही है।

टिप्पणी—8 खर्चे का अवशिष्ट भाग – ऐसा खर्चा जो किसी पहले के समय के देयधन की पूर्ति के लिए उठाया गया हो, परन्तु जो उस वार्षिक खर्च म सम्मिलित हो, जिस पर अनुदान आधारित है, सहायता अनुदान के उद्देश्य के लिए ग्राह्य नही होगा।

टिप्पणी—9 अधिकृत (Authorished) खर्च की अधिकतम सीमा परिशिष्ट 6 मे वर्णित है।

टिप्पणी—10 उपरोक्त किसी भी विषयक्रम पर कोई नये अथवा अलग खच, जो कि स्वीकृत बजट म उपबन्धित नही है के लिये विभाग की पूव अनुमति आवश्यक होगी।

नियम—7 अनावत्तक (Non recurring) अनुदान --(क) अनावत्तक अनुदान, कुल स्वीकृत एव वास्तविक खर्चे के 60 प्रतिशत से अधिक नही होगा।

(ख) अनावत्तक अनुदान निर्माण, मरम्मत एव भवन विस्तार (छात्रालय सहित) के लिए उपकरण (Furnirure) एव सामान की खरीद के लिए तथा पुस्तकालय की पुस्तको की खरीद क लिए, दिये जा सकते हैं।

(ग) बस की खरीद अथवा प्रतिस्थापन के लिए अनुदान बस के नियन्त्रित मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नही बढेगा। साधारणतया प्रतिस्थापन 10 साल के समय के पश्चात स्वीकृत किया जायगा। साधारणतया ऐसे अनुदान केवल बालिका सस्थाओ, मान्टेसरी शालाओ के लिए ही विचारित किये जायेंगे तथा शहरा मे स्थित अथवा निवासाथ स्थाना से दूर सस्थाओ को ही पूर्वाधिकार दिया जायगा।

टिप्पणी—बालिका सस्थाओ के मामले मे अध्यापिकाओ के मामले मे अध्यापिकाओ के निवासस्थान के लिये गृह (Quarters) निर्माण के लिये उठाये गये खर्चे सहायता अनुदान के लिए ग्राह्य होगे।

(घ) सहायता अनुदान केवल उन्ही विषयो म दिया जायेगा जहा खर्चे की योजना एव अनुमान (Estimate) योग्य प्राधिकारी की पूव स्वीकृति प्राप्त कर चुके हैं जसा परिशिष्ट 5 मे उल्लेखित शक्तिया आइटम 6

(ङ) भवन निर्माण के लिये 25000 रुपये तक की योजनायें एव अनुमान (Estimates) जिले से सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक के द्वारा जाचे एव प्रति हस्ताक्षरित (Countersigned) किये जा सकते हैं यदि (योजनायें एव अनुमान) किसी योग्यताप्राप्त अभियन्ता (Engineer)/अधिदशक (Overseer) के द्वारा तयार की गई हो।

25000 रुपय से अधिक की योजनायें एव अनुमान सावजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित एव प्रमाणित होने चाहिये तथा उचित माग से शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करने चाहिये।

(f) Grants in aid will be sanctioned and relea ed to the institutions by the competent authority as per schedule of powers in Appendix V (item 8) Before the sanction of grant the compe tent authority shall be satisfied that —

(i) Statement of expenditure audited by a Chartered Accountant has been received

(ii) Certificate of P W D authorities for the value of construction has been received

(iii) Certificate of the P W D authorities and Departmental authority that the expenditure is according to the approved plan or project

(g) Normally grant in aid is to be released after the com pletion of the approved construction/project In special cases where interim instalments of grant are decided to be sanctioned, the competent authority shall be satisfied, that–

(i) Statement of expenditure audited by a Chartered Accountant has been received

(ii) Certificate of Dy Inspector or Inspector of Schools regarding work done and material used

The instalment sanctioned shall not exceed 50% of the approved and actual expenditure For final payment certificates as (f) above would be necessary

(h) In all cases before or at the time the money granted is paid over the grantee and the officer of the Goverment mark- ing the grant shall sign a written agreement to the effect that the grant is made and accepted subject to the condition as to pre- sumption and all other conditions contained in these rules the grantee undertaking to sell and registered under the Registration Act In case grant has been made by the Government for the erection purchase improvement or repair of a building that building shall not be transfered or used at any time for any other purpose except with the written permission of the Depart ment Ordinarily, the Government shall have a prior lien on such a building for the recovery of the sum representing the grant in aid paid when the building is to be alienated or proposed to be used for purposes other than those for which its constrc- tion was undertaken The decision as to what the market value of such building be, shall rest with the Government The above condition shall be included invariably in the agreement referred to above

(च) सहायता अनुदान सुयोग्य अधिकारी द्वारा संस्था के लिए स्वीकृत एव मुक्त किया (Released) जायेगा जैसा कि परिशिष्ट 5 (मद 8) मे उल्लेखित, शक्तियां। अनुदान की स्वीकृति से पूर्व सक्षम अधिकारी सतुष्ट हो जायेगा कि —

(i) चार्टेड अकाउन्टेन्ट (Charted Accountant) के द्वारा लेखा परीक्षण किया हुआ व्यय विवरण पत्र प्राप्त कर लिया है।

(ii) निर्माण की लागत के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियो का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।

(iii) सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारियो एव विभागीय अधिकारियों का प्रमाणपत्र कि व्यय स्वीकृत योजना अथवा परियोजना के अनुसार है।

(छ) साधारणत सहायता-अनुदान स्वीकृत निर्माण परियोजना के पूर्ण होने पर ही छोडा जाता है। विशिष्ट अवस्थाओ मे जहाँ कि अनुदान की मध्यवर्ती किश्तें स्वीकृति के लिए निश्चित की गई है, सक्षम अधिकारी सतुष्ट हो जायेगा, कि

(i) चार्टेड अकाउन्टेन्ट (Charted Accountant) के द्वारा लेखा परीक्षण किया हुआ व्यय विवरण पत्र प्राप्त कर लिया है।

(ii) निदेशक निरीक्षक अथवा विद्यालय निरीक्षक का कार्य एव उपयोग मे लाये गये सामान से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

स्वीकृत किश्ते, स्वीकृत एव वास्तविक व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक की नही होगी। अन्तिम भुगतान के लिए, प्रमाण पत्र जैसा कि ऊपर (च) मे है, आवश्यक होगे।

(ज) सभी अवस्थाओ मे स्वीकृत राशि के भुगतान के समय या इसके पूर्व अनुदान ग्राही (Grantee) एव अनुदान कर्त्ता राज्याधिकारी इस अभिप्राय की एक लिखित सविदा हस्ताक्षरित करेंगे कि, अनुदान इस शर्त पर दिया जा रहा है व स्वीकार किया जा रहा है कि इन नियमों मे वर्णित समस्त शर्तें मान्य होगी। अनुदानग्राही (Grantee) इस के लिए आश्वासन देगा व पजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत करायगा। ऐसी अवस्था मे जबकि, अनुदान राज्य सरकार द्वारा किसी भवन के निर्माण, खरीद, सुधार अथवा मरम्मत के लिये दिया गया हो, वह भवन न तो हस्तान्तरित ही किया जावेगा तथा न ही विभाग की अनुमति के बिना किसी भी समय अन्य उद्देश्य के लिए काम मे लाया जावेगा। साधारणतया ऐसे भवन पर दी गयी अनुदान राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार का प्रथम ग्रहणाधिकार होगा जबकि या तो भवन को हस्तान्तरित किया जा रहा हो या उस किसी उद्देश्य के लिए काम मे लेने का प्रस्ताव हो जो उस उद्देश्य से भिन्न हो कि जिसके लिए भवन का निर्माण किया गया था। ऐसे भवन का बाजार भाव निश्चित करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा। उपरोक्त शर्त उपर वर्णित सविदा मे अवश्य सम्मिलित की जायगी।

The form of the agreement by the management shall be as prescribed in Appendix VIII with such modifications as the Director of Education may agree to

(7) (i) In cases of well established institution under taking big construction projects Government, at its discretion may release initial instalments of the Grant in aid in advance of the expenditure

Rule 8 Working Days —If any institution has worked for less than 200 days during the twelve months ending on March 31, a proportional reduction may be made in the annual grant payable under the rules

Rule 9 Application for grant in aid —Application for grant in aid or special grant for any financial year must be made on the prescribed forms by the August of the year Such applications shall be accompanied by the following —

(1) A statement of accounts for the financial year ending 31st March of the preceding year duly audited by the Chartered Accountants

Note —Institutions with an annual expenditure of Rs 2,000/ (Rupees two thousand) per annum or below are exempted from getting their accounts audited by Chartered Accountants

(2) A declaration from the person authorised by the management of the institution for which the grant in aid is demanded that it has assets worth atleast three times of the amount of annual expenditure and that such assets (List to be annexed) are free of all encumbrances and do not include assets created or added out of the grant-in aid received and that the income of such assets supplemented by grant in aid will be adequate to enable the management to carry on the institution efficiently and to pay the salaries of the staff of the institution as are prescribed by the Government or other competent authority

Note —Provided that the condition shall be insisted upon during the first three years of an institution

Rule 10 Reduction withdrawal, withholding etc of the grant —The grant in aid shall be liable to be withhold reduced or withdrawn at the discretion of the sanctioning authority if in

प्रबन्ध कारिणी द्वारा किये जाने वाले संविदा का प्रारूप परिशिष्ट 8 क अनुसार, ऐसे सुधारो के साथ जो शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृत कर लिये गये हो, होगा ।

7 (1) बड़ी निर्माण परियाजनाम्रो के उपक्रम करने वालो मजबूत बुनियाद पर स्थापित सस्थाओ की अवस्था मे सरकार, अपनी इच्छा से सहायता अनुदान की प्रथम किश्त व्यय के पेशगी मे दे सकती है ।

नियम 8 कार्य दिवस —यदि किसी सस्था ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महिनो मे 200 दिन से कम कार्य किया हो, तो नियमानुसार सालाना अनुदान के भुगतान मे आनुपातिक कमी की जासकती है ।

नियम 9 सहायता अनुदान के लिए प्राथना पत्र --किसी भी वित्तीय वर्ष के सहायता अनुदान अथवा विशिष्ट अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र हर साल के अगस्त माह मे निर्दिष्ट प्रपत्रो (forms) मे होना चाहिए । ऐसे प्राथना पत्र निम्नलिखित बातो सहित होगा —

(1) चार्टेड अकाउन्टेन्ट (Charted Accountant) से लेखा परीक्षण किया हुआ पिछले साल की 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष का लेखा विवरण ।

टिप्पणी--सस्थाए, जिनके वार्षिक खर्चे 2000/- रुपये अथवा इससे कम प्रति वर्ष है, वे चार्टेड अकाउन्टेन्ट से अपने लेखा परीक्षण करवाने से मुक्त हैं।

(2) सस्था जिनके लिए अनुदान मागा जा रहा है, की प्रबन्धिका से अधिकृत व्यक्ति से एक घोषणा कि--वार्षिक व्यय की राशि से तिगुनी के करीब राशि इसकी परिसम्पत है तथा ऐसी परिसम्पत (सूची नत्थी करनी चाहिए) सारे ऋणो से मुक्त है और प्राप्त किये हुए सहायता अनुदान से उत्पन्न बढी हुई परिसम्पत इसम सम्मिलित नही है और न ही सहायता अनुदान से न्यूनता पूर्व की हुई ऐसी परि सम्पत् से आय सस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए, तथा सस्था कर्मचारी वर्ग के वेतन की चुकौती करने के लिए जैसा सरकार अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट है, प्रबन्धिका को योग्य बनाने म पर्याप्त होगी ।

टिप्पणी--बशर्ते कि इस शर्त पर, सस्था के प्रथम तीन वर्षों म जोर नही जायेगा ।

नियम 10 अनुदान में कमी, वापसी रोकना आदि –सस्था सहायता अनुदान स्वीकृति देने वाले अधिकारी की इच्छा से रोके जाने, कमी करने अथवा वापसी करने के लिए उत्तरदायी होगी यदि उसकी [स्वीकृति देने वाले अधिकारी] सम्मति में, सस्था इन नियमो में निर्दिष्ट किसी भी शर्त को सतुष्ट करने में असमर्थ हो गई

its opinion the institution has failed to satisfy any of the conditions enumerated in these rules but before any such action is taken under this rule, the management shall be informed and also be given an opportunity of showing cause against the charges levelled and action proposed to be taken against it

It will be open to the management to appeal to the Government against the order of the authority withholding, reducing or stopping the grants within two months from the date of the receipt of the said order

Rule 11 Committee to scrutinise application —All applications for (i) recurring grant to new institutions (ii) for increase in the percentage of recurring grants of the institutions already on aid list and (iii) nonrecurring grants will be considered and recommended to the sanctioning authority by a Committee consisting of the following members The Committee will keep in view these rules, Government orders and circularr issued from time to time in this behalf and the provision in the budget —

(1) Director of (P&S) Education Convenor

(2) Director of Colleae Education (When cases of colleges are considered)

(3) Chairman, Board of Secondary Education

(4) A representative of the Education Departmhnt

(5) A representative of the Finance Department

(6) Director of Sanskrit Education when cases of Sanskrit Educational institution are considered

(7) Dy Director of Education of each range, when cases concerning his range are being considered

(8) Three eminent non offical educationists

(9) *Director Technieal Education for proposals on technical educatiou*

The Director of Education shall intimate the amount that may be available for the above grants in the financial year to the above committee when meets to consider applications for grants-in aid

Rule 12 Sanctioning authority —(i) Recurring grants to new institution and all non-recorring grants above Rs 50,000/ (Estimate of expenditure) shall be sanctioned by the Government

(ii) The Director of Education shall have authority to approve expenditure and sanction —

है, लेकिन इस नियम के अ तगत कोई भी ऐसी कायवाही करने मे पूव प्रब धिका को सूचित किया जायगा तथा लगाये गये अभियोगो के विरुद्ध कारण बताने के लिए तथा इसके विरुद्ध की जा जाने वाली कायवाही मे बचाव प्रस्तुत करने के लिय अवसर दिया जायेगा। अनुदान को रोकने, कम करने अथवा वापसी के लिए अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सरकार से अपील क लिए प्रब धिका को स्वत त्रता होगी तथा यह अपील कथित आदेश की प्राप्ति की तारीख स ति माह के अन्दर होगी।

नियम 11 प्रायना पत्र को जाचने के लिये समिति —

(i) नयी सस्थाओ के लिये आवतक (Recurring) अनुदान

(ii) सहायक सूची मे रही हुई सस्थाओ के आवतक अनुदान के प्रतिशत की वृद्धि तथा

(iii) अनावतक अनुदानो के लिये सभी प्रायना पत्र निम्नलिखित सदस्यो स बनी हुई समिति द्वारा विचार किये जायेंगे तथा स्वीकृत करन वाले अधिकारी को सिफारिश किये जायेगे। समिति को इन नियमो, सरकारी आदेशो तथा इसके लिये समय समय पर जारी किये परिपत्रो तथा बजट मे व्यवस्था को ध्यान मे रखना होगा —

(1) अपर निदेशक सयोजक।
(2) निदेशक, कालेज शिक्षा (जब कि महाविद्यालयो के मामले हो)।
(3) माध्यमिक शिक्षा मडल का अध्यक्ष।
(4) शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि।
(5) वित्त विभाग का प्रतिनिधि।
(6) सस्कृत शिक्षा निदेशक जब सस्कृत शिक्षण सस्थाओ के मामले पर विचार हो।
(7) हर क्षेत्र का उपशिक्षा निदेशक, जब उसके सभाग स सम्बन्धित मामलो पर विचार हो।
(8) तीन मुख्य असरकारी शिक्षा शास्त्री।
(9) शिल्प शिक्षण निदेशक, शिल्प शिक्षा के प्रस्तावो के लिये।

शिक्षा निदेशक उपरोक्त समिति को वित्तीय वर मे उपरोक्त अनुदानो के लिए प्राप्त हो सकने वाली राशि की सूचना देगा, जब उपरोक्त समिति सहायता अनुदान के प्राथनापत्रो के विचाराथ मिलती है।

नियम 12 स्वीकृति प्राधिकारी —

(i) नई सस्थाओ को 5000 रुपये से ऊपर (व्यय की गणना) के आवतक अनुदान सरकार द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

(ii) शिक्षा निदेशक व्यय तथा स्वीकृति करने का अधिकारी होगा —

(a) Recurring grants to institutions already on the grants in aid list in accordance with these rules

(b) Non recurring grants up to Rs 50,000/ with the approval of Gr nt in aid Committee

(c) Non recurring grant up to Rs 25,000/- without the concurrence of the Grant in-aid Committee

Rule 13 **Allienation of the property**—An institution or a body which has received grant in aid under these rules shall not transfer any property to any persons, institutions or body without the concurrence of the Department/Government as the case mav be, except the disposal of un serviceable articles

Rule 14 **Maintenance of registers etc**—All materials purchased from time to time out of the funds of an institution shall be entered in a stock register which shall be maintained by every institution on the grant in aid list The Head of the Institution shall be responsible for the proper custody thereof All the bills received for payments shall bear the following certificate —

> "The quality of articles received is good, quantity correct and according to the specifications, rate is not more than those prevailing in the market and entered in stock register at page No "

Rule 15 **Purchase by tenders**—All purchases costing more than Rs 250/- shall be made after calling for tenders from the manufacturers, suppliers and contractors As far as possible, lowest tenders shall be accepted unless for any special reasons to be recorded in writing the management decides otherwise

Power of the Government to grant exemption from the provisions of these rules—The Government may in special cases grant an institution ememption *from one or more of the conditions* contained in these rules

Rule 16 **Supersession**—The existing Rules for Grant in aid as contained in Chapter XVII of the Eductaion Code of Rajasthan 1957 (as amended from time to time) are hereby superseded

INDEX OF ENCLOSURES

(अ) सहायता अनुदान सूची में स्थित संस्थाओं का आवर्तक अनुदान इन नियमों के अनुसार होगा।

(ब) 50000 रुपये तक के अनावर्तक अनुदान, बिना सहायता अनुदान समिति की स्वीकृति से।

(स) 25000 रुपये तक के अनावर्तक अनुदान, बिना सहायता अनुदान समिति की सहमति के।

नियम 13 सम्पत्ति का हस्तान्तरण --संस्था अथवा सभा जिसने इन नियमो के अनुसार सहायता अनुदान प्राप्त किया है किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह को बिना विभाग/सरकार की सहमति के सम्पत्ति का स्थानान्तरण अनुपयोग वस्तुओं के निपटारे के अतिरिक्त नहीं करगी।

नियम 14 रजिस्टर इत्यादि का परिक्षण --समस्त वस्तुएं जो कि संस्था निधि से समय समय पर खरीद की जाती है, को सामग्री पंजिका मे प्रविष्ट किया जायेगा, जिनको प्रत्येक संस्था अनुदान सूची के अनुसार परिरक्षित करेगी। संस्था प्रधान इसके ठीक संरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा। तमाम प्रापकों (Bills) पर जो कि चुकारे के लिए प्राप्त किए गए हैं, निम्न प्रमाण पत्र होगा —

"प्राप्त की गई वस्तु के लक्षण अच्छे हैं, तादाद सही है और विशिष्ट गुणो के अनुसार है, दरें बाजार मे प्रचलित दरो से अधिक नही है, तथा सामग्री पंजिका के पृष्ठ संख्या में प्रविष्ट कर ली गई है।'

नियम 15 निविदा (Tender) के द्वारा क्रय —समस्त प्रकार का क्रय जो 250 रुपये के मूल्य से अधिक हो उत्पादक, वितरक और ठकेदारो से निविदा प्राप्त कर खरीद किया जायेगा। जहां तक सभव हो सबसे निम्न निविदा को स्वीकार किया जायेगा, जब तक किसी विशेष कारण से प्रबंध कारिणी इसके अतिरिक्त तय न करे, जो अभिलिखित होना चाहिये।

इन नियमो के प्रावधानों में छूट देने का सरकार का अधिकार सरकार विशेष मामलो मे संस्था को इन नियमो में उल्लिखित एक या अधिक परिस्थितियो मे छूट स्वीकार कर सकती है।

नियम 16 अतिक्रमण (Superession) —राजस्थान शिक्षा संहिता, 1957 के अध्याय (17) मे उल्लिखित वर्तमान अनुदान नियमो (जैसा कि इसके द्वारा समय समय पर संशोधन किया गया है) का इसके द्वारा अधिक्रमण किया जाता है।

संलग्नो (Enclosures) की सूची

परिशिष्ट	1	नियम संख्या 3 के उपनियम (5)— प्रबन्ध कारिणी का गठन
,,	2	अनुशासन

,,	III	Rule 4 Sub-rule (a)—Governing Bodv and teacher
,,	IV	Governing Body and Head of Institu tion
,,	V	Rule 4 Sub rule (g) 11 Rule 7 Sub-rule (b)—Powers
,,	VI	Rule 6 Notes 9–Maximum limit of ex penditure
,,	VII	Seale of class IV
,,	VIII	Rule 7 Sub-rule (d)–deed

APPENDIX I

Formation of Governing Bodies

(1) The Managing Committee or Governing Council shall consist of not more than fifteen members plus the Head or Heads of the institution or institutions run by the Society

(2) Not more than 2/3 of the management shall belong to any one community caste or sect

(3) Not less thau 1/3 of the total membership should be from amongst doners or subscribers

(4) At least the member should be accepted from amongst the teaching staff of the institution or institutions run by the management

(5) The Education Department will nominate one member on the Managing Committee who will be a Senior Education Officer or eminent educationist

Note—Nomications will be made by the Director in the case of managing bodies or Societies running not more than three institutions or of at least High Schools standard whose expenditure does not exceed rupees 3 lakhs per annum, and the Govern ment in consultation with the Director of Education in the case of managing bodies which run more than three institutions of at least High School standard or whose expenditure exceeds rupees three lakhs per annum

(6) At least one member shall be co opted from amongst the parents of the students of institution or institutions run by the management

,,	3	नियम सख्या 4 का उपनियम (क)—— प्रबन्ध कारिणी समिति तथा अध्यापक के बीच अनुबध पत्र
,,	4	प्रबन्ध कारिणी समिति तथा सस्था के प्रधान के बीच अनुबध पत्र
,,	5	नियम सख्या 4 के उपनियम (छ), नियम सख्या 11, का उपनियम (ख)- शक्तिया
,,	6	नियम सख्या 6 की टिप्पणी सख्या 9- खर्चे की अधिकतम सीमा
,,	7	चतुथ श्रेणी की शृ खला
,,	8	नियम सख्या 7 का उपनियम (घ) बध पत्र (Deed)

परिशिष्ट १

प्रबन्ध मण्डलों का निर्माण

(1) प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध मण्डल मे 15 सदस्य से अधिक नही होगे। इसके अतिरिक्त समाज द्वारा चलाई जाने वाली सस्था का प्रधान या सस्थाओ के प्रधान शामिल होगे।

(2) प्रबन्ध मे किसी एक समुदाय, सम्प्रदाय या जाति का हिस्सा 2/3 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(4) कुल सदस्यो के 1/3 भाग से दान देने वाले या चन्दा देने वाले कम नही होने चाहिये।

(4) प्रबन्धको द्वारा चलाई जाने वाली सस्था या सस्थाओ के अध्यापक वग म से कम से कम एक सदस्य स्वीकार किया जाना चाहिये।

(5) शिक्षा विभाग प्रबन्ध समिति मे एक सदस्य भेजेगा जो शिक्षा विभाग का उच्च अधिकारी या प्रमुख शिक्षाशास्त्री होगा।

टिप्पणी —प्रबन्ध समिति या मण्डल जो तीन सस्था से अधिक न चलाती हो, या कम से कम हाईस्कूल स्तर पर चलाती हो, जिसका वार्षिक व्यय तीन लाख से अधिक न हो तो मनोनयन निदेशक द्वारा किया जायगा। प्रबन्ध मण्डल अगर तीन सस्था से अधिक चलाती हो जो कम से कम हाईस्कूल स्तर पर हो, जिसका खर्चा तीन लाख से अधिक हो तो इस स्थिति म शिक्षा निदेशक की सलाह से सरकार मनो नयन करेगी।

(6) प्रबन्धको द्वारा चलाई जाने वाली सस्था या सस्थाओ मे विद्यार्थिया के सरक्षको की ओर से कम से कम एक सदस्य सम्मिलित किया जावेगा।

(7) At least one old student of the institution run by the management to be co opted by the other members of the Managing Committee or Governing Council under clauses 4, 6 and 7

Note 1 —Doners —Those who have donated at least Rs 250/- at a time or have been paying a subscription of at least Rs 3/ per month for at least one year shall be considered doners Institutions may fix higher minimum of donation or subscription according to their needs

Note 2 —Doners and Founder members and Honorary members (if any) shall form an Electoral College for the election of the members (as may be fixed by them) to the Managing Committee or Governing Council under clause No 3

Note 3 —While making nomination the department will see that the officer to be nominated is not inferior in status to the head of the institution concerned

AAPENDIX II

Rules of Discipline in Educational Institutions

The managers of recognised Educational Institutions are required to enforce the following principles of discipline —

(1) Strict regularity and implicit obedience must be exacted in class

(2) Any reported or observed objectiouable conduct out of institution should be punished

(3) Parents must be given to understand that they can not dictate to managers but that the managers have a right to lay on what conditions they will admit or ratain pupils in their instiutions

(4) Politeness and courtesy of speech and conduct should be inculcated as well as cleanliness of dress and person

(5) No child suffering from a contagious or iufectious discase shall be permitted to atteud any recoguised institutious

(6) Persons at study who are over sixteen (16) are free to attend all public meetings Persons at study who are under that age may with the consent of their guardians be prevented by the Heads of their schools or colleges from attending any particular meeting

(7) उप बन्ध 4, 6, 7 के अन्तर्गत प्रबन्धकों द्वारा चलाई जाने वाली सस्था मे से प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध मण्डल के दूसरे सदस्यो द्वारा एक पुराना विद्यार्थी चुना जावेगा।

टिप्पणी —(1) दान देने वाले–वे जि होने कम से कम 250 रु० एक ही साथ दिया हो, या 3 रु० प्रतिमास के हिसाब से कम से कम एक साल तक दिया हो, दान देने वाले कहे जायेंगे। सस्थायें अपनी आवश्यकतानुसार दान या चन्दे की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है।

(2) दान देने वाले व निर्माण करने वाले एव अवैतनिक सदस्य (अगर कोई हो) प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध मण्डल उप ब ध 3 के अनुसार सदस्यो का चुनाव करने के लिए (जो भी उनके द्वारा निर्धारित की जावे) एक चुनाव कालेज का चयन करेगी।

(3) नाम निदेशन करते समय विभाग यह देखेगा कि विभागीय अधिकारी जिसे प्रधान पद पर मनोनीत किया जायेगा, वह सस्था के प्रधान से निम्न श्रेणी का नहीं है।

परिशिष्ट २

शिक्षण सस्थाओं के अनुशासन के नियम

मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाओ के प्रबन्धको को अनुशासन से सम्बन्धित निम्न सिद्धान्तो का पालन करना चाहिये—

(1) कक्षा मे दृढ नियमितता व आज्ञा पालन यथार्थ मे होना चाहिय।

(2) सस्था के बाहर प्रतिकूल आचरण की सूचना पर दण्ड देना चाहिये।

(3) सरक्षको को यह समझा देना चाहिए कि वे प्रबन्धको को आज्ञा नहीं दे सकते, बल्कि प्रबन्धको को यह अधिकार है कि वे शिष्य को अपनी सस्था में भर्ती करें अथवा न करें।

(4) विनय, भाषण व व्यवहार मे नम्रता तथा उसी प्रकार व्यक्ति और कपड़े की सफाई होनी चाहिए।

(5) कोई भी मान्यता प्राप्त सस्था ऐसे छात्र को, जो कि सक्रामक या छूत की बीमारी का रोगी हैं, उपस्थित होने की अनुमति नही देगी।

(6) पढते समय व्यक्ति जो 16 साल से ऊपर है, सार्वजनिक सभाओं मे उपस्थित होने के लिए स्वतन्त्र है। पढते समय 16 से कम उम्र के को कालेज या स्कूल का प्रधान, सरदार की सहमति से किसी भी प्रकार के

which the heads of the schools or colleges consider objectionable

(7) Persons at study who are over eighteen (18) are free to become members of organisation other than those whose policy or programme involves the dissemination of ideas of violence or the use of violence

(8) Persons at study may take part in the activities of all educational, social and religious associations

(9) Such persons may not however become members of the executive or Managing Committee of any political or religious organisations likely to result in communal antagonism or take an active part in furthering their activities

APPENDIX III

Form of Agreement

An agreement made this————————day of——————between (hereinafter called the teacher) of the one part and the Managing Committee of the——————————other part The Committee hereby agrees to employ the teacher and the teacher hereby agrees to serve as——————————in the said school on the following terms —

(1) The teachers employment shall begin from the————————————day of——————————19 He shall be employed in the first instance for one year on probation and period of probation shall in no case exceed two years If at the end of the period of two years, the teacher is not found competent or otherwise suitable his appointment shall be terminated

(2) If confirmed in his appointment at the end of his period of probation the teacher shall be employed on a monthly salary of Rs ——————————in the grade——————————

(3) The said monthly salary shall be paid regularly in the month following that for which it is due

(4) The duties of the teacher shall not be confined as to place to the school building nor as to time to the periods during which the school is open for the purpose of class tution The teacher shall perform all such duties connected with the work of the school as shall be required of him by the Headmaster and shall in carrying out those duties obey at all times and places

भाग लेने के लिये प्रतिबन्ध लगा सकता है अगर कालेज या स्कूल के प्रधान को इसमे आपत्ति हो।

(7) पढाई के समय 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर किसी सगठन का सदस्य बनने की स्वतन्त्रता है, परन्तु जिनकी नीति या कार्यक्रम हिंसा के विचारो को फैलाना व उनमे सम्मिलित होना है अथवा जो हिंसा का प्रयोग मे लेते हैं को छोडकर।

(8) व्यक्ति पढते समय समस्त शिक्षण सम्बन्धी, सामाजिक व धार्मिक सघो की गतिविधि मे भाग ले सकता है।

(9) इस प्रकार के व्यक्ति किसी भी राजनतिक व धार्मिक सगठनो की प्रबन्ध समिति के सदस्य नही बन सकते, जो सम्प्रदाय विरोधी हो, या उनके कार्यों को आगे बढाने के लिये सक्रिय भाग लेते हो।

परिशिष्ट ३

सविदा (इकरारनामा) का प्रपत्र

यह इकरारनामा दिन को (जो कि बाद मे अध्यापक कहा जाएगा) एक तरफ और दूसरी ओर प्रबन्ध समिति के बीच किया जाता है। समिति अध्यापक को सेवा मे नियुक्त करने की सहमति देती है, और अध्यापक पद पर इन शर्तों के साथ नौकरी करने की सहमति देता है —

(1) अध्यापक का सेवाकाल दिनाक 19 से प्रारम्भ हो जायगा, वह प्रथम बार एक वर्ष तक परीवीक्षा पर नियुक्त किया जायगा, किसी भी स्थिति मे परीवीक्षा का काल दो वर्ष से अधिक नही बढाया जा सकेगा, दो वर्ष समाप्त होने के बाद अगर अध्यापक सुयोग्य या उपयुक्त नही पाया गया तो उसकी नियुक्ति समाप्त हो जावेगी।

(2) परीवीक्षा काल के समाप्त होने के बाद अगर अध्यापक को स्थायी किया जाता है, तो मासिक वेतन वेतन क्रम के अनुसार होगी।

(3) उपरोक्त मासिक वेतन जिस माह में देय हो उसी माह मे नियमित रूप से दिया जायेगा।

(4) अध्यापक का कर्त्तव्य न तो स्कूल भवन के स्थान तक और न कक्षा को पढाने के लिए स्कूल खुलता है उस समय तक ही सीमित है। अध्यापक का अपना कर्त्तव्य पालन के लिए समस्त समय उन कार्यों को करना पडेगा जिसकी प्रधानाध्यापक को आवश्यकता हो। अपने कर्तव्य पालन के लिए उसे प्रत्येक समय समस्त स्थानों

the direction of the head of the institution No work which is not connected with the school shall be required of him and the collection of subscriptions or donations for the School/College/ Society funds shall not be considered as part of his duties But his voluntary engagement in such work is not prohibited

(5) Except during periods when the school is closed for not less than four consecutive days the teacher shall not leave the Station in which the school is situated without having first obtained the written permission of the Headmaster

(6) The teacher shall be allowed leave according to th leave rules of the Government of Rajasthan

(7) (i) Subject to the provision of sub-clause (iii) of this clause the Committee may at any time at a meeting regularly convened under its rule pass a resolution dismissing a teacher without notice for any one or more of the following offences —

(a) In subordination or disobedience of the orders of the Head of the institution or the management

(b) Deliberate neglect of duty

(c) Serious misconduct or the commi sion of an act which constitute a criminal offence

The teacher may at any time within 30 days after the passing of such a resolution apply to have the decision of the Committee reviewed by it at second meeting and the Commitee shall on receipt of such an application be summoned to a second meeting with in one month of the receipt of such an application At such second meeting the teacher may submit an additional statement of his case and shall if he so desires be allowed to appear before the Committee in person to state his case and to answer any question that may be put to him by any members present at the meeting If the teacher does not apply to have the resolu ion of the Committee reviewed or if the resolution is confirmed by the Committee at the second meeting no further notice of dismissal shall be given to the teacher but he shall be given a copy of the resolution by which he is dismissed together with written statement of the grounds of his dismissal He shall also be paid his salary up to and including the day on which he was suspended from duty but he many be required to refund or return any school money or any school property or the value thereof which he has misappropriated or wrongfully retained in his possession

पर, समस्त आज्ञाओं को, जो संस्था के प्रधान द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं माननी होगी। जो कार्य स्कूल से सम्बन्धित न हो उसके द्वारा नहीं करवाया जायेगा। स्कूल/कालेज/संस्था के लिए दान व चन्दा इकट्ठा करना उसके कर्तव्य का अंग नहीं है, परन्तु वे स्वेच्छा से इस प्रकार का कार्य करे तो रोक नहीं है।

(5) घन्टों के बीच की अवधि के अलावा जब स्कूल कम से कम क्रमागत चार दिनों के लिए बन्द होता है तो अध्यापक, जब तक प्रधानाध्यापक से लिखित अनुमति प्राप्त न करले स्थान जहां स्कूल स्थित है नहीं छोड़ सकेगा।

(6) अध्यापक को राजस्थान सरकार के अवकाश नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जायगा।

(7) (1) इस वाक्य के उपवाक्य (3) के अनुसार समिति बिना सूचना के किसी भी समय नियमित सभा में प्रस्ताव पास करके अध्यापक को निम्न में से एक या अधिक अपराध करने पर कार्यच्युत कर सकती है—

(1) संस्था के प्रधान या प्रबन्धक की आज्ञा भंग करना या आज्ञाओं की अवज्ञा करना

(2) जानबूझ कर कार्य की अवज्ञा

(3) गंभीर अवचार या ऐसा कार्य करना जो फौजदारी अपराध हो।

अध्यापक प्रस्ताव पास करने के 30 दिन के अन्दर समिति के निर्णय पर द्वितीय सभा में पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। समिति इस प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर सभा बुलायगी। दूसरी सभा में अध्यापक अपने मामले में सम्बन्धित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत कर सकता है। वह स्वयं उपस्थित होने की मांग करता है तो ऐसा हो सकता है व सभा में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकता है। यदि अध्यापक समिति को प्रस्ताव पर पुनः विचार करने के लिए प्रार्थना पत्र नहीं देता है, और समिति दूसरी सभा में प्रस्ताव को स्थायी कर देती है तो अध्यापक को कार्यच्युत करने की दूसरी बार सूचना नहीं दी जावेगी परन्तु उसे प्रस्ताव की एक लिखित प्रति जिसमें कार्यच्युत करने के कारणों का विवरण हो भेजी जावेगी। उसे जब से कार्यच्युत किया या उन दिनों के साथ उसे उसका वेतन चुकाना होगा, परन्तु उसे स्कूल का रुपया या स्कूल सम्पत्ति अथवा उसकी कीमत जिसका उसने दुरुपयोग किया है या उसने गलती से अधिकार में रोक रखा है, उसका भुगतान करना होगा।

(ii) Instead of dismissing the teacher on any of the grounds aforesaid the Committee may pass a resolution inflicting a lesser punishment by reducing the pay of the teacher for a specified period or by stopping increments of his salary either permanently or temporarily and/or may deprive the teacher of his pay during the period if any of his suspension The Teacher shall still be entiled to apply to have the resolution of the committee reviewed as provided in sub-clause (i) If the teacher so applies, the committee shall be at liberty to accept or reject his appeal at its second meeting or to pass a resolution dimissing the teacher instead of inflicting such minor punishment as aforesaid and in such case the resolution dismissing the teacher shall be final and no other notice of dismissal shall be necessary

(iii) Before a meeting is held for the purpose of dismissing or otherwise punishing the teacher, the Committee or manager shall give to the teacher a statement in writing of the specific charge or charges against him with particulars of time and place and shall allow him at least ten days in to give a written reply thereto and pending the meeting of the committee considered the charge or charges as aforesaid, the committee of the manager may suspend the member from duty The Teacher shall however, be allowed if he so desires to appear before the committee in person to state his case and answer any questions that may be put to him by any members present at the meeting

Note —It will be incumbent upon the management to hold a meeting of the committee within a month from the time of receipt of a reply to the charge or charges framed against a teacher who is suspended and to pay to him subsistance allowance equal to 1/4 of his pay from the time of suspension till the case is finally decided (Now it should be 1/2 of his pay)

(iv) If the teacher is ex onerated of the charges brought against him, he shall be re-instated in his post and shall be paid his salary for the period during which he was suspended

(8) While the teacher is on probation as provided in clause 1, the Committee may at any time terminate this agreement by giving the teacher one calendar month s notice in writing or upon paying to the teacher a sum equal to his salary for the month in addition to any pay which he has then earned The teacher may similarly terminate this agreement by submittiug one calendar month's notice in writing to the Committee through the

(ii) उपरोक्त कारणो से अध्यापको को कायच्युत करने के स्थान पर समिति प्रस्ताव पास करके अल्प दण्ड दे सकती है, जैसे निश्चित समय तक वेतन कम करके अथवा स्थाई व अस्थाई रूप से उसकी वेतन वृद्धि रोक करके, या निलम्बन के समय का वेतन न द करके, अगर कोई हो साधारण दण्ड दे सकती है। उपवाक्य (1) के अ तर्गत अध्यापक समिति को पुन विचार के लिए प्राथना पत्र देता है, यह समिति की इच्छा पर निभर है कि उसकी अपील स्वीकार करे अथवा नाम-जूर करे, या उपरोक्त लघु दण्ड के स्थान पर कायच्युत करने का प्रस्ताव पास करती है तो इस प्रकार के मामले मे अध्यापक का कायच्युत करने का प्रस्ताव अ तिम होगा और दुवारा सूचना की कोई आवश्यकता नही होगी।

(iii) अध्यापक को दण्ड देने या कायच्युत करने के लिए सभा बुलाने से पहले समिति या प्रब धक अध्यापक के विरूद्ध लगाये स्पष्ट दोष का या दोषो का समय और स्थान के साथ एक विवरण अध्यापक को देना होगा और कम से कम दस दिन का समय उसे लिखित उत्तर देने के लिए देना होगा। समिति की विचाराधीन सभा उपरोक्त दोष या दोषो पर विचार कर सकती है समिति या प्रब धक सदस्य को निलम्बित कर सकता है। अगर अध्यापक की इच्छा अपने मामले का समझाने के लिए समिति के सामने स्वय उपस्थित होने की है, तो ऐसा हो सकता है और सभा में उपस्थित किसी भी सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दे सकता है।

नोट --प्रब धक का यह कतव्य है कि अध्यापक के, जिसको निलम्वित किया गया है, दोषो का उत्तर पाने के एक मास के अ दर सभा बुलायें। जब तक उसे निलम्बन होने के समय से लेकर मामला तय नही हो जाय तब तक निर्वाह के लिए उसके वेतन का एव चौथाई भत्ता चुकाना होगा। (अब आधे वेतन के बराबर निर्वाह भत्ता मिलता है)

(iv) अगर अध्यापक अपने दोषो के विरुद्ध निर्दोष सिद्ध कर देता है, तो उसे अपने पद पर पूव व्यवस्था के अनुसार नियुक्त किया जायेगा और निलम्बन होने के समय का उसका वेतन चुकाया जायगा।

(8) वाक्य 1 के अनुसार जब अध्यापक परीवीक्षाकाल म हो तो प्रब ध समिति किसी भी समय इस इकरारनामे को एक माह का लिखित नोटिस देकर या अग्रिम माह का वेतन देकर हटा सकती है। अध्यापक भी एक माह का सस्था के

Head of the institution or on paying to the Committee a sum equal to his salary for one month

(9) If, within three months of the expiry of the period of probation no notice of termination of this agreement or of extension of the period of probation is received by the teacher he will be treated as confirmed in his appointment

(10) When the teacher has been confirmed, neither the teacher nor the committee subject to the provisions of clause 7, shall terminate this agreement except by giving to the other three calendar month's notice in writing or paying to the other a sum equivalent to thrice the monthly salary which the teacher is then earning

The committee shall not terminate the agreement in any case unless a resolution to this effect has been passed at a meeting of the Committee specially convened for the purpose and unless adequate reasons for such action are recorded in the resolution Such reasons shall be (a) inefficiency (b) general retrenchment decided upon for reasons of financial stringency (c) abolition of a subject or (d) abolition of a section or class

(11) The teacher shall follow all rules in regard to public examinations and private tutions etc in force in the institution

(12) If the teacher wishes to apply for any job elsewhere, the application shall be sent through the Head of Institution The maximum number of places where one can apply shall not be more than two during an academic year

(13) If the teacher violates the provision of either clause 7 or clause 9 he will forfeit all pay then due to him and the committee may terminate his services or dismiss him as the case may be

(14) The committee will not exeept with the previous sanction (to be obtained in writing) of the Director of Education exercise its right under clause 8 between first day of January and 31st day of March of any year But the three months notice required under clause 8 shall not include the vacation

(15) Similarly no teacher will terminate his services before the end of the session without the previous premission in writing from the Director of Education

(16) In case the Committee decides to impose any punishment under clause 7 of this agreement the decision of the

प्रधान के जरिये समिति को लिखित नोटिस देकर या समिति को एक माह का वेतन जमा करा कर इकरारनामा तोड सकता है।

परीवीक्षाकाल के समाप्त होने के तीन माह बाद इकरारनामा समाप्त करने की सूचना प्राप्त न हो, या परीवीक्षाकाल बढाया जाने की सूचना अध्यापक को न मिले तो उसकी नियुक्ति स्थायी समझी जायेगी।

(10) जब अध्यापक को स्थायी कर दिया गया हो, तो वाक्य 7 के अनुसार न तो अध्यापक और न समिति ही इकरारनामे को तोड सकेगी। सिवाय या तो तीन माह की लिखित सूचना देकर या अध्यापक उस समय जो प्राप्त कर रहा है, उस दर पर तीन माह का वेतन एक दूसरे को जमा करा कर इकरारनामा तोडा जा सकेगा।

समिति किसी भी स्थिति से एकरारनामे को नही तोड सकेगी जब तक समिति की सभा म इस प्रभाव के लिए प्रस्ताव पास न कर लिया हो, खासतौर से प्रस्ताव मे उद्देश्य व प्रमुख कारण दिये जाने चाहिए। ये कारण —(1) अदक्षता, (2) आर्थिक कमी के कारण सामान्य छटनी करना (3) विषय के समाप्त होने पर (4) कक्षा या वग के समाप्त होने पर, होगें।

(11) अध्यापक का परीक्षा व निजी ट्यूशन के लिए सस्था मे लागू नियमो का पालन करना पडेगा।

(12) अगर अध्यापक की इच्छा किसी दूसरे स्थान पर काय के लिये प्राथना पत्र देने की है तो प्राथना पत्र सस्था के प्रधान द्वारा भेजा जायेगा। एक शैक्षणिक सत्र मे वह अधिकतम दो स्थानो पर प्राथना पत्र दे सकेगा।

(13) अगर अध्यापक वाक्य 7 या 9 का उल्लघन करता है तो उसका बकाया वेतन जब्त किया जावेगा और समिति उसको सेवा से मुक्त कर सकती है या निकाल सकती है, जैसी भी स्थिति हो।

(14) शिक्षा निदेशक की पूर्व (लिखित) स्वीकृति के बिना समिति वाक्य 8 में दिये अधिकारो का प्रयोग एव जनवरी से 31 माच के बीच नही करेगी, परन्तु तीन माह की सूचना मे ग्रीष्मावकाश शामिल नही की जावेगी।

(15) इसी तरह किसी भी अध्यापक को शिक्षा निदेशक की पूव लिखित स्वीकृति बिना सत्र के अन्त से पहले सेवा मुक्त नही किया जा सकेगा।

(16) इस इकरारनामे के उप वाक्य (7) के अन्तगत समिति कोई दण्ड दना तय करती हैं तो समिति अपना निणय तत्काल प्रभावशील होगा, और अध्यापक

Committee shall become operative immediately and the teacher shall carry it out immediately He will however, have the right to appeal to the Appeal Authority specified in Appendix III of the grant in aid Rules

(17) In all cases of appeal the decision of the department or the Government shall be final and no suit shall lie in any Civil Court in respect of the matters decided by it Further neither of the parties shall sue the other for the breach of this agreement nor refer it to arbitration without having first referred the question in dispute to the Director of Education and allowed him reasonable time not exceeding two months to settle the dispute.

Note — If the management fails to honour the judgement made by the Appellate Authority within three months of the date of award, the amount ordered for payment to the teacher shall be deducted from the grant in-aid bill of the institution and paid to the teacher concerned direct by the Director of Education under intimation to the management

(18) If the teacher is not in the station at the time when any *notice ought to be given to him in accordance with any* of the provisions of the agreement such notice may be sent to him by registered post, to his address if known and a notice so posted whether even delivered or not shall have effect from the day when it would have reached him in the ordinary course of the post If the teacher leave the station without leaving any address a resolution or decision of the Committee passed not less than fourteen days, after the date when notice would have been given to him if he had been in the station shall be effective whether the teacher gets notice of it or not

In witness whereof the parties hereto have set their hands the day and year above written

Signed on behalf of the Committee——————————— under the authority of the Committee as passed on in the presence of —

Witness (1)———————

Address———————

Witness (2)———————

Address———————

तत्काल पालन करेगा। सहायक अनुदान नियम के परिशिष्ट 3 के अन्तगत उस अपील प्राधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है।

(17) अपील के समस्त मुकद्मो के लिए विभाग का या सरकार का निर्णय अन्तिम होगा। निर्णय किये मामलो के बारे मे किसी भी दीवानी अदालत मे मुकद्मा नहीं चलाया जा सकेगा। एकरारनामे को तोडने के लिए दूसरी पार्टी न तो मुकद्मा ही चला सकती है और न पचाट को ही सौंप सकती है जब तक इस झगडे के प्रश्न को शिक्षा निदेशक के पास न भेज दें। झगडे को सुलझाने के लिए उचित समय देना चाहिये, परन्तु दो माह से अधिक नही।

टिप्पणी — अगर प्रब ध 3 माह तक अपील सुनने वाले अधिकारी का न्याय पालन करने मे असफल रहता है तो जो रकम अध्यापक को दी जाने वाली है, वह रकम शिक्षा निदेशक सस्था के सहायक अनुदान बिल में से काट कर, प्रबन्ध को सूचना देकर, सम्बन्धित अध्यापक को चुका देगा।

(18)एकरारनामे सम्बन्धित दी जाने वाली सूचना के समय अगर अध्यापक स्टेशन पर नही है, तो इस प्रकार की सूचना उसको उसके पते पर रजिस्टड पोस्ट से भेजनी चाहिए, अगर जानते हो। सूचना जो भेजी जानी चाहिए भेजी जाय अथवा नही उसका असर उसी दिन से प्रारम्भ होगा जिस तरह साधारण डाक उसको प्राप्त होती। अगर अध्यापक बिना पता दिये स्टेशन छोडता है, उसे सूचना दिये जाने के 14 दिन के अन्दर कोई प्रस्ताव या निर्णय समिति पास करती है और वह स्टेशन पर मौजूद है, तो उसका प्रभाव उस पर पडेगा, चाहे सूचना मिले अथवा न मिले।

उपरोक्त लिखित वष और दिन को पक्षो के साक्षी ने अपने हस्ताक्षर किये।

समिति की ओर से प्रस्ताव के प्राधिकार से अधिकारी
ने निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया —

साक्षी (1)

पता

साक्षी (2)

पता

Witnese (1)——————————
Address——————————
Witness (2)——————————
Address——————————

APPENDIX IV

Form of agreement to be executed by the Heads of recognised aided Institutions

An agreement made this————————day of——————
————19————————————between———————————
(hereinafter called the Headmaster) of the one part and the Managing Committee Proprietor of the ——————————school (hereinafter called the Manager of the other party The Manager hereby agrees to employ the Headmaster and the Head master hereby agrees to serve as Headmaster in the said school on the following terms —

(2) The Headmaster s employment shall being from the ——————————day of——————————19 He shall be employed in the first instance for twelve months on probation and during this period shall be paid monthly salary of Rs ———— ————

(2) If confirmed in his appointment at the end of his period of probation the Headmaster shall be employed on a monthly of Rs ————— ————with increment of——————

(3) The Manager shall pay the Headmaster the said mon thly salary not later than the tenth day of the month following that for which the salary is earned, and the Headmaster shall, on receiving the salary sign the acquittance roll in token of such receipt

(4) The Headmaster shall perform all such duties as appertain to a Headmaster and shall be responsible to the Manager of the said school for the due discharge of all such duties The Headmaster shall be soley responsible for the internal management and discipline of the said school, including such matters as the selection of text books, the arrangement of time tables, the allocation of duties to all members of the school staff the grant of casual leave to the staff in accordance with rules made by the Manager, the appointment, promotion, control and dismissal of the menial servants, the admission of free and half rate pupils within the number sanctioned by the Manager

साक्षी (1)

पता

साक्षी (2)

पता

परिशिष्ट ४

मान्य एव अनुदान प्राप्त सस्थाओं के प्रधानों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले एकरारनामे का प्रारूप

यह एकरारनामा दिनाक 19 (जो कि बाद में प्रधानाध्यापक पुकारा जायगा) एक तरफ और दूसरी ओर प्रबन्ध समिति स्कूल के बीच यह तय किया जाता है। (जो कि बाद मे प्रबन्धक कहा जायेगा) प्रबन्धक प्रधानाध्यापक को सेवा नियुक्त करने की स्वीकृति देता है और प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक के पद पर निम्न शर्तों के साथ सेवा करने की स्वीकृति देता है —

(1) प्रधानाध्यापक का सेवा काल दिनाक 19 से प्रारम्भ हो जायगा। वह प्रथम बार 12 मास तक परीवीक्षा के तौर पर नियुक्त किया जायगा। इस काल मे मासिक वेतन रु होगा।

(2) परीवीक्षा काल के समाप्त होने पर अगर स्थायी हो जाता है तो उसका मासिक वेतन रु० बढोत्तरी के अनुसार होगा।

(3) प्रबन्ध प्रधानाध्यापक को उसके द्वारा कमाया हुआ वेतन, उस माह के दस दिन के अन्दर भुगतान करे, और प्रधानाध्यापक रसीद के लिए हस्ताक्षर करे।

(4) प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक से सम्बन्धित समस्त कार्य करने चाहिए। इन समस्त कर्तव्य के लिए प्रधानाध्यापक प्रबन्धक के प्रति उत्तरदायी है, प्रधानाध्यापक आतरिक प्रबन्ध व अनुशासन के लिए पूर्णतया जिम्मेदार है जैसे पाठ्य पुस्तको का चुनाव, समय सारिणी की व्यवस्था स्कूल अधिकारी वर्ग के सदस्यो के कार्य वितरण, प्रबन्धको द्वारा बनाये गये अवकाश नियमो के अनुसार कर्मचारी

the control of the hostel through the Superintendent, the admissi on and promotion of pupils, the organisation of games and the administration of the games fund and other similar funds such as a reading room, or examination fund In financial and other matters for which he is not solely responsible the Headmaster shall follow the direction of the Manager, all instructions by th Manager to the members of the staff shall be issued through the Headmaster

The Headmaster shll have administrative control over the clerk and shall make recommendation to the Manager in regard to the number of free and half rate pupils to be admitted to the institutions The Manager shall have the power to appoint, promote and dismiss the clerk, but rhe Headmaster shall have the power of controlling him

(5) The Headmaster shall give his whole time to the services of the said school and shall not, take up any work un connected with the said school without obtaining the previous sanction of the Manager, the Headmaster shall not leave the station in which the said school is situated during the holidays and the vacation without having first obtained the written per mission of the Manager

(6) The Headmaster shall confirm to all the approved rules in force in the school inclusive of leave rules and shall obey all lawful orders and directions as he shall from time to time receive from the Manager

(7) (a) The Manager may dismis a Headmaster without notice for any one or more of the following offences —

(1) Insubordination

(2) *Deliberate neglect of duty*

(3) Serious misconduct or the commission of an act which constitute a criminal offences

After proper enquiry is made, a charge sheet is given and an opportunity to answer is given to the person concerned

(b) *Such termination will have to be supported* by a resolution of the Committee specially convened for the purpose at least three fourth of the members are present by a two third majority *of the members present and voting*

(c) The dismissal or removal of a teacher shall be subject to the approval of the Director A teacher di charged with or

वग का तात्कालिक अवकास स्वीकृत करना, सेवक की नियुक्ति, पदोन्नति,नियन्त्रण व कायच्युत करना, प्रबन्धकों की स्वीकृति के अनुसार आधी शुल्क व शुल्क मुक्त छात्रों को भर्ती करना अधीक्षक द्वारा छात्रावास पर नियन्त्रण, छात्रो की भर्ती व उनकी उन्नति खेल की व्यवस्था, खेल कोष और उसके समान अन्य कोषो जैसे वाचनालय या परीक्षा कोष पर अधिकार व अन्य मामलो मे जिसमे प्रधानाध्यापक पूर्णतया जिम्मेदार नही है, उसे प्रबन्धक क निर्देश मानने होंगे। प्रबन्धका द्वारा दिए गये, स्टाफ के सदस्यो के लिए निर्देश प्रधानाध्यापक द्वारा दिए जावेंगे।

प्रधानाध्यापक का लिपिक पर निर्यान्त्रत शासन होगा और प्रबन्धको को सलाह देगा कि कितने छात्र शुल्क मुक्त व कितने आधी शुल्क के होंगे। प्रबन्धक लिपिक को नियुक्त करने, पदोन्नत करने और उसको कायच्युत करने का का अधिकार है, परन्तु प्रधानाध्यापक को उस पर नियन्त्रण रखने का अधिकार है।

(5) प्रधानाध्यापक को सब समय स्कूल की सेवा के लिए देना होगा। वह कोई भी ऐसा काय जो स्कूल से सम्बन्धित नही है जब तक प्रबन्धक से पूव लिखित आज्ञा प्राप्त न करले, न करेगा, प्रधानाध्यापक जहा स्कूल स्थित है, उस स्थान की छुट्टियो मे या अवकाशा में बिना प्रबन्धक की आज्ञा के न छोडेगा।

(6) प्रधानाध्यापक को सस्था मे लागू समस्त स्वीकृत नियमो व अवकाश नियमो का पालन करना होगा एव उसे समस्त कानूनी आज्ञाओ व निर्देशो का, जो कि समय समय पर प्रबन्धको से प्राप्त होते है पालन करना होगा।

(7) (अ) प्रबन्धक प्रधानाध्यापक को निम्न मे से किसी एक या अधिक अपराध करने पर कायच्युत कर सकता है —

(1) आज्ञा भग

(2) जान बूझ कर कर्तव्य की अवज्ञा

(3) गम्भीर दुराचार, या ऐसा काय जो कि फौजदारी अपराध हो।

उचित जाच करने के वाद एक दोषारोपण पत्र दिया जावेगा व सम्बन्धित व्यक्ति को उत्तर देने की सुविधा दी जावेगी।

(ब) इस प्रकार की सेवा समाप्ति विशेष प्रस्ताव के द्वारा होगा जिसमे तीन चौथाई सदस्य उपस्थित हो, व उपस्थित सदस्यो का दो तिहाई बहुमत प्राप्त हो।

(स) निदेशक की अनुमति से ही किसी अध्यापक को निकाला जायेगा या कायच्युत किया जावेगा। अगर कोई अध्यापक बिना सूचना के या सूचना के

without notice may submit an appeal to the Director, provided that such an appeal is preferred within thirty days of the order of dismissal or removal

(8) While the Headmaster is on probation, as provided in clause 1, the manager may at any time terminate, this agreement by giving the Headmaster two calendar month's notice in writing or upon paying to the Headmaster sum equal to two months salary in addition to any pay which may be due to him and the Headmster may similarly terminate this agreement, by submitting two calendar month's notice in writing to the Manager or paying to the Manager a sum equal to his salary for two months

(9) If by end of his period of probation no notice of the termination of this agreement as provided for under clause 8 has been received or given by the Headmaster, he will ipso facto be confirmed in his appointment

(10) When the Headmaster has been confirmed, neither the Headmaster nor the Manager, subject to the provision of clause 7, shall terminate this agreement except by giving to the other three calendar month's notice in writing or by paying to the other a sum equivalent to three times the monthly salary which the Headmaster is then earning

(11) If the Headmaster at any time terminate this agreement otherwise than under the provisions of either cause 8 or clause 10 he will forfeit all pay then due to him and the Manager may dismiss him

(12) The parties to this agreement accept its conditions subject to such rules for the conduct of recognised schools as may be issued from time to time by the Education Department

In witness whereof the parties hereto have herein to set their hands the day and year first above written
Signature

On behalf of the Managing Committee, under authority of resolution of the committee as passed on   in the presence of —

Witness (1)

Address

कायच्युत किया जाता है, वह कायच्युत या हटाए जाने की आज्ञा प्राप्त होने के तीस दिन के अन्दर निदेशक के पास अपील कर सकता है।

(8) वाक्य 1 क अन्तगत जब प्रधानाध्यापक परीवीक्षा काल पर हो, तो प्रबन्धक दो माह की लिखित सूचना देकर या दो माह का अग्रिम वेतन जो कि वह प्राप्त कर रहा था, देकर सेवा समाप्त कर सकता है। इसी तरह प्रधानाध्यापक प्रबन्धक को दो माह की लिखित सूचना देकर या दो माह का वेतन जमा करवा कर इस इकरारनामे को तोड सकता है।

(9) परीवीक्षा काल समाप्त होन के बाद वाक्य 8 के अन्तगत प्रधाना ध्यापक न तो इकरारनामा समाप्ति की सूचना ही पाता है, और न देता ही है, तो उसकी नियुक्ति वास्तविक मे स्वत स्थाई हो जायेगी।

(10) वाक्य 7 के अ तगत, प्रधानाध्यापक के स्थाई होने के बाद न तो प्रधानाध्यापक और न प्रबन्धक ही तीन माह की लिखित सूचना दिय बिना या तीन माह का [वेतन जमा करा करये बिना, जो कि प्रधानाध्यापक प्राप्त कर रहा है, इकरारनामे को नही तोड सकेंगे।

(11) अगर प्रधानाध्यापक वाक्य 8 या 10 के विरद्ध किसी भी समय इकरारनामे का खण्डन करता है तो उसकी बकाया रकम जब्त करली जावेगी और प्रबन्धक उसको कायच्युत कर सकता है।

(12) इस इकरारनामे के पक्षो को शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त स्कूलो के व्यवहार के नियमो के लिए लागू शर्तो को स्वीकार करना होगा।

उपरोक्त लिखित साल व दिन को दोनो पक्षो ने साक्षी के सम्मुख लिखित हस्ताक्षर किय।

हस्ताक्षर

प्रबन्ध समिति की ओर से प्रस्ताव द्वारा प्रदत्त प्राधिकार से
निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया —

साक्षी (1) -

पता

Witness (2)

Address

Signed by the said Headmaster ... in the presence of

Witness (1) ... ...

Address

Witness (2)

Address

Note 1 —In the case of an intermediate College, the wor "School" where it occurs in the agreeme should be altered to "College" and the wor "Headmaster" to "Principal"

Note 2 —In cases of girls schools, the word "Headmaster where it occurs in the agreement should l altered to "Headmistress"

साक्षी (2)

पता

हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक इनकी उपस्थिति में —

साक्षी (1)

पता

साक्षी (2)

पता

टिप्पणी —(1) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए जहां कहीं भी शब्द "स्कूल" आया है वहां "कालेज" व 'प्रधानाध्यापक' के स्थान पर आचार्य समझा जाय।

(2) छात्राओं के सम्बन्ध में जहां कहीं भी शब्द "प्रधानाध्यापक" आया है, वहां "प्रधानाध्यापिका' समझा जाय।

APPENDIX V

Schedule of power of Departmental Officers for aided institution

S No	Name of expenditure	Govt	Director of Education	Dy Director of range	I O S	Remarks
1	2	4	4	5	6	7
1	Approval of appointment	Full powers	1 D E (College) up to the Lecturers (285 25 510 EB 25-560 30 800)	Instructors in B S T C (170 10 310 12 1/2-335)	Up to Trg Inter (75-4 95 5 105 EB 5 130 FB 5-160)	
			2 D E (P&S) (i) Headmaster H S (285-20 385 25 510 540)	Trg Gradute or Graduate (115 5 155 10-165 EB 10 235 250)	L D C (90 4 102 EB 4-110 5 150)	
			(ii) Headmaster H S S (270			

परिशिष्ट १

मान्यता प्राप्त सस्थाओं के विभागीय अधिकारियों के अधिकारों की अनुसूची

क्रम सं	व्यय का नाम	सरकार	शिक्षा निदेशक	श्रेणी का उप शिक्षा निदेशक	विद्यालय निरीक्षक	विशेष अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	नियुक्ति के लिए	समस्त अधिकार	1 शिक्षा निदेशक प्राध्यापक तक (285-25-519-दक्षता बरी 25 560 30 800	बेसिक एस टी सी मे शिक्षक (170-10 310 1211-335)	प्रशिक्षित इन्टर तक (75-4 95-5 105 दक्षता बरी 5-160)	
			2 अपर निदेशक (प्रा व मा)	प्रशिक्षित स्नातक या स्नातक	कनिष्ठ लेखक (90 4-102 दक्षता बरी 4-110 5-150)	
			(i) प्रधानाध्यापक हाईस्कूल (285 20-385 25 510 540)	(115 5 155 10 165-दक्षता बरी 10 235-250)		
			(ii) प्रधानाध्यापक उच्चतर माध्यमिक शाला			

1	2	3	4	5	6	7
			20 375-25-560 30 650)			
			(iii) Senior Teacher (225 10 275-EB 10 285 15 435-25 485)			
			3 Director, Tech Education up to lecturers (360 25 560 30 500 EB 30 860 900)			
			4 Director, Sanskrit Edu Lect in Sans Colleges Beyond this to the Govt	Beyond this to Director	Beyond this Dy Director	
2	Appeal by employees against the decision of the management		According to the powers noted in item No 1			Note —First appeal by the employees of

1	2	3	4	5	6	7
			(270-20 375-25-560-30-650) (iii) वरिष्ठ अध्यापक (225 10 275 दक्षतावरी 10 285 15 435 25 485)			
			3 निदेशक 1 प्राविधिक शिक्षा प्रधानाध्यापक तक (360 25 460-30 500 दक्षतावरी 30 860 900)			
			4 निदेशक संस्कृत शिक्षा संस्कृत कालेज में प्राध्यापक तक इसके बाद सरकार	इसके बाद निदेशक	इसके बाद उप निदेशक	
	प्रबन्धकों के निर्णय के विरुद्ध सेवामुक्त कर्मचारी द्वारा		मद नं 1 मे दी गई शक्ति के अनुसार			ऐसी संस्था के कर्मचारी द्वारा प्रथम अपील जो

1	2	3	4	5	6	7
3	Approval of creation of new posts	Full powers beyond the power of Director	Full powers up to 1 D Coll Edu up to lecturer 2 D P S E up to Headmaster/Head mistress, High/Higher Secondary Schools 3 Director of Tech Edu upto lecturers (360 25-560 30 500 EB 30 860 900 4 D S Edu Lecturers in Sanskrit	Nil	Nil	the institutions which are running three or more institutions & whose expenditure exceeds Rs one lacs per annum would lie with the Director of Edu and second appeal to the Govt

1	2	3	4	5	6	7
3	नई पद स्थापन के लिये अनुमोदन	निदेशक की शक्ति के बाद के समस्त अधिकार	समस्त अधिकार इस तक 1 शिक्षा निदेशक कालेज प्राध्यापक तक । 2 अपर निदेशक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/हाईस्कूल व उच्चतर माध्यमिक शाला तक । 3 निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, प्राध्यापक तक (360–25–460–300–500 दक्षता वरी-30–860–900) 4 निदेशक संस्कृत शिक्षा प्राध्यापक संस्कृत कालेज	–		कि इससे अधिक सस्थाए चलाती है जिसका वार्षिक खर्च 1 लाख रु से अधिक हो निदेशक, शिक्षा विभाग के पास की जायेगी और दूसरी अपील सरकार के पास होगी।

1	2	3	4	5	6	7
❀4	Approval of raising of standard/sanction for opening of new subjects	Full powers	Nil	Nil	Nil	Nil
5	Approval of opening of new section	,	Nil	Nil	Nil	Nil
6	Approval of non recurring expenses	Full powers with concurrence of G I A Committee above 50,000/	Up to 50,000/ with concurrence of G I Committee	Upto middle according to approved pattern	Up to primary according to approved pattern	
7	Approval of constitution	Full powers (College)	Full powers (School level)	Middle School	Primary School	
8	Sanction of non recurring grants (Within budget provision)	Full powers	Up to 25,000/	Nil	Nil	
9	Sanction of Grant in aid to new institutions	Full powers with the concurrence of G I A	Nil	Nil	Nil	

❀Substitution vide No F 29 (1) CAV/Edu/Gr V/72 Dated 29th Dec 1973

1	2	3	4	5	6	7
ॐ[4	स्तर ऊंचा उठाने के लिये अनुमोदन/ नये विषय खोलने की स्वीकृति]	समस्त अधिकार	×	×	×	
5	नया वर्ग खोलने के लिए अनुमोदन	,,	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तनुसार	उपरोक्तानुसार	
6	अनावर्तक व्यय का अनुमोदन	सहायता अनुदान समिति की राय से 50,000 के ऊपर के समस्त अधिकार	सहायता अनुदान समिति की राय से 50,000 तक	अनुमोदित प्रणाली अंतगत माध्यमिक स्तर तक	अनुमोदित प्रणाली अंतगत माध्यमिक स्तर तक	
7	सविधान के लिए अनुमोदन	समस्त अधिकार (कालेज)	समस्त अधिकार (स्कूक स्तर)	माध्यमिक शाला	प्राथमिक शाला	
8	अनावर्तक अनुदान स्वीकृत बजट की के अनुसार	समस्त अधिकार	25000 तक	×	×	
9	नई संस्थाओ को सहायता अनुदान की स्वीकृति	सहायता अनुदान समिति की राय से समस्त अधिकार	×	×	×	

ॐ क्र स एफ 29 (1) CAV/Edu/Gr V/72 दि 29-12-1973 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1	2	3	4	5	6	7
10	Sanction of Grant in aid to institutions out side Rajasthan	Full powers with the con currence of G I A	Nil	Nil	Nil	
11	Sanction of Grant in aid to institutions al ready in the grant in aid list within budget provision		Full powers	Nil	Nil	
12	Change in category of institution		Full powers with concurrence of G I A	Nil	Nil	
13	Approval of special in crements Higher start & special level etc	Full powers	Full powers up to the powers of appointment	Nil	Nil	

1	2	3	4	5	6	7
10	राजस्थान से बाहर की सस्थाओं को सहायता अनुदान	सहायता अनुदान समिति की राय से समस्त अधिकार	×	×	×	
11	सस्था को सहायता अनुदान की स्वीकृति, को पहले स ही बजट से सहायता अनुदान प्राप्त कर रही है		समस्त अधिकार	+	+	
12	सस्था की श्रेणी का परिवतन		सहायता अनुदान समिति की राय से समस्त अधिकार	+	×	
13	उच्चतर व खास बढोतरी का प्रमुख बढ़ातरी के लिए अनुमोदन	समस्त अधिकारी	नियुक्ति के अधिकार तक समस्त अधिकार	×	×	

APPENDIX VI

Revised Estimates showing maximum limits of expenditure to be taken as approved in regard to grant in aid to private institutions

S N	Heads as provided in the grant in aid Rules	Tech (Engg) College	Post Graduate College	Degree College 11th to 14th	Training Colleges	Inter Colleges 9th to 12th	H S S 6th to 11th	H S or S T C 6th to 11th	Middle School	Primary School 1st to 5th	Montessory Schools Primary Standard 1st to 3rd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Salaries —											
1	(a) Teaching Staff	At R P S or scales prescrib d by the University (whichever is more but increase in Establishment or increase in Recurring liability by way of revision of Grades or D A should be got approved by the Department										
	(b) Ministerial staff (c) Class IV servant	According to the attached Appendix VII										
2	Provident Fund	Not exceeding 6 1/4% In case of pre merger employees of former Jodhpur State & Compulsory Education Schools it will be upto 8/1/3* In the case of degree and Post degree colleges it will be 8% as prescribed by Rajasthan University										
3	Dearness Allowance	Note more than the Scale allowed by the Government										
4	Stationery & Printing	900	700	600	600	500	400	350	200	75	150	

परिशिष्ट ६

निजी संस्थाओं मे सहायता अनुदान के लिये अनुमानित खर्चे की अधिकतम सीमा का संशोधित मूल्यांकन

क्रम सं०	सहायक अनुदान मे निर्दिष्ट शीर्षक	टेकनीकल इन्जीनियरिंग कालेज	स्नातकोत्तर उच्च विद्यालय	उपाधि महा विद्यालय 11 से 14 तक	प्रशिक्षण महा विद्यालय	उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय 9 से 12 तक	उच्चत्तर माध्यमिक शाला 6 से 12 तक	हाईस्कूल या एस टी सी	मिडिल स्कूल	प्राथमिक स्कूल	मान्टेसरी स्कूल प्राथमिक स्तर 1 से 3 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वेतन --										
	(अ) अध्यापक वर्ग	राजस्थान वेतन क्रम या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन क्रम के अनुसार (जो अधिक हो) परन्तु कर्मचारी वर्ग के बढने पर या वेतनमान अथवा महगाई भत्ते के बदलने से होने वाले परिवतन से बढे हुए ऋणो के लिए विभाग से पहले स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिये।									
	(ब) लिपिक वर्गी कर्मचारी वर्ग	साथ मे दी हुई परिशिष्ट 7 के अनुसार।									
	(स) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्ग										
2	प्रोविडेन्ट फन्ड	$6\frac{1}{4}$% से अधिक नही। जोधपुर राज्य मे पहले और अनिवाय शिक्षा स्कूल के पूर्व विलयी कर्मचारी के $8\frac{1}{3}$% तक। उपाधि महाविद्यालय और स्नातकोतर उच्च विद्यालय के राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 8 %									
3	महगाई भत्ता	सरकार द्वारा स्वीकार की गई क्रम (Scale) से अधिक नही।									
4	लेखन सामग्री एव मुद्रण	900	700	600	600	500	460	350	200	75	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Water & light charges	600	600	500	600	600	600	300	125	50	250
		[1](For Night College Rs 1000/)									
6	Recurring expenditure on equipments	As per University condition				As per Board condition and as regards S T C schools the limit will be as per stetement 'B'			150	50	250
7	Ordanary repairs to	@1% of the cost of the pucca building and 2% of Kachha building upto 25,000/-									
	(i) Building	to be verified by I O S and above by P W D									
	(ii) Furniture and its replacement	700	600	600	500	500	300	200	150	100	200
8	Building Rent	Actual expenditure incurred (original) receipts to be produced) on assessment certificate of competent authority whichever is less									
9	Recurring expenditure on liberary Books, reading rooms	700	As per University conditions		700	500	500	300	100	50	150

1 Inserted vide No F1 (26) Edu |Cell VI/68 Dt 5 8 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	पानी और रोशनी खर्च	600	600	500	600	600	600	300	125	50	250
		[1][रात्रि महाविद्यालयों के लिये 1000/- रु]									
6	सामान पर आवर्तक खर्च	विश्वविद्यालय की शर्तों के अनुसार				बोर्ड की शर्तों के अनुसार और एस टी सी स्कूल के लिए विवरण ब में दी गई सीमा होगी।			150	50	250

7 साधारण मरम्मत (1) भवन — पक्के भवन के लिये लागत का 1% प्रतिशत और कच्चे भवन के लिए 2% प्रतिशत 25000 तक और इसकी जांच निरीक्षक शिक्षा विभाग करेगा और लि० क्यू० डी० द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(2) फर्नीचर और

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	पानी और रोशनी खर्च	600	600	500	600	600	600	300	125	50	250
		ꙮ[रात्रि महाविद्यालयो के लिये 1000/– रु]									
6	सामान पर आवतक खच	विश्वविद्यालय की शत के अनुसार			बोड की शर्तें के अनुसार और एस टी सी स्कूल के लिए विवरण "व" में दी गई सीमा होगी।				150	50	250
7	साधारण मरम्मत										
	(1) भवन	पक्के भवन के लिये लागत का 1% प्रतिवष, और कच्चे भवन के लिए 2% प्रतिशत 25000 तक और इसकी जाच निरीक्षक शिक्षा विभाग करेगा और पी० डब्लू० डी० द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।									
	(2) फर्नीचर और उसका स्थानान्तरण	700	600	600	500	500	300	200	150	100	250
8	भवन किराया	वास्तविक किया गया खर्च (मूल रसीदें प्रस्तुत की जावेंगी) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्धारण प्रमाण-पत्र पर जो भी कम हो।									
9	पुस्तकालय की पुस्तकें व वाचनालय पर किये जाने वाला खच	700	विश्वविद्यालय की शट के अनुसार		700	500	500	300	100	50	150

ꙮ स एफ 1 (26) Edu /Cell VI/68 दि 5-8-1969 द्वारा निविष्ट।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Net recurring exp on games, physical Education and extra curicular activities etc	800	800	700	700	500	400	300	200	50	250
11	Net recurring exp on crafts including Agri Dairy, Home Science etc (per craft)	—	—	300	—	300	300	150	50	100	
12	Expenditure on travelling of teachers attending conferences	According to the rate of Government T A Rules									
13	Expendirure of Central Office Managing Several Institutions [See also rule 6 (b)]	1 For approved expenditure to Rs 1 Lac by deptt and having 3 separates institutions 1 Organising Secy [2]150 350 2 L D C 60 130 3 Class IV Servants 1 25 40 4 Office contingencies 500						2 For approved expenditure amounting to Rs 2 Lacs and over by Deptt and having separate institutions 1 Organising Secy [2]225 525 2 Accountant 150 300 3 U D C cum Steno 80 200 4 Two L D C's 60 130			

2 Pay Scales amended vide No F 29 (2) Edu Gr V/73 Dt 14 10 74

अनुदान नियम

राजस्थान

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	खेल व शारीरिक शिक्षा व अन्य सांस्कृतिक कार्यों पर किये जाने वाला शुद्ध खर्च	800	800	700	700	500	400	300	200	50	250
11	क्राफ्ट पर खेती डेरी पर किया जाने वाला शुद्ध व्यय	—	—	100	—	300	300	150	50	100	—
12	अध्यापकों द्वारा सम्मेलन में भाग हेतु यात्रा व्यय	सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते के प									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	खेल शारीरिक शिक्षा व अन्य सांस्कृतिक कार्यों पर किये जाने वाला शुद्ध खर्च	800	800	700	700	500	400	300	200	50	250
11	आफ्ट पर खेती, डेरी पर किया जाने वाला शुद्ध खर्च	—	—	300	—	300	300	150	50	100	—
12	अध्यापकों द्वारा सम्मेलन में भाग हेतु यात्रा व्यय	सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ते के अनुसार									
13	अनेक संस्थाओं का प्रबंध करने वाले केन्द्रीय कार्यालय का खर्च— [नियम 6 (ख) भी देखिये]	(1) विभाग द्वारा अनुमोदित 1 लाख का खर्च, और जो तीन अलग संस्थायें रखती हो — (1) प्रबंध मंत्री ×[150 350] (2) निम्न श्रेणी लिपिक 60 130 (3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक 25 40 (4) कार्यालय का आनुषंगिक व्यय 500 (2) दो लाख का खर्च या अधिक विभाग द्वारा, अनुमोदित अलग संस्थायें रखती हो — (1) प्रबंध मंत्री ×[225-525] (2) लेखापाल 150 300 (3) उच्च श्रेणी लिपिक कम स्टैनो 80 200 (4) दो निम्न श्रेणी लिपिक 60 130									

× वि स एफ 20 (2) Edu /Gr V/73 दिनांक 14 10 75 द्वारा वेतनमान संशोधित ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								5 Two Cl IV servants			25 1-40
								6 Office contingencies			1000/–
14	Postage					600	200	150	75	50	75
	other Petty items					250	75	60	30	15	30

NOTE —1 Library books and reading rooms If the number of students in Middle schools exceed 300 Rs 150/– may be allowed in the case of Primary School Rs 75/– if students exceed 200

2 For library

3 The provision under item No 6 expenditure an equipment and No 9 library books as shown above represents general limit for provision subject wise see Appendix A

4 Item (a) and 3 in the case of aided institutions of erswhile Ajmer State the Rajasthan scale will be applicable who have been appointed after 1–11–55

5 The amount shown against item 9 is for General Library for subject wise, See Appendix A

Hostels

Wards allowance Rs 30/- p m provided the number of students in hostel is 25 in respect of boys and 15 in respect of girls and the pay of Warden/Supdt /Matron is not less than Rs 200/- p m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								(5) दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी			25-40
								(6) कार्यालय के आनुषंगिक व्यय			1000/—
14	डाक व्यय व	—	—	—	—	600	200	150	75	50	75
	अन्य फुटकर खर्च	—	—	—	—	250	75	60	30	15	30

टिप्पणियाँ

(1) पुस्तकालय की पुस्तकें और वाचनालय —अगर मिडिल स्कूल में छात्रों की संख्या 300 से अधिक है तो 150 रु और प्राथमिक शाला में छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो तो 75 रु स्वीकार किया जायगा।

(2) पुस्तकालय के लिये।

(3) मद नं० 6 में सामान पर खर्च और मद नं० 9 में पुस्तकालय की पुस्तकों पर खर्च साधारण सीमा है उपरोक्त अनुसार विषय के अनुसार किये जाने वाला खर्च परिशिष्ट (ए) में देखें।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(5) दो चतुथ श्रेणी कमचारी				25-1-40
							(6) कार्यालय का आनुसगिक व्यय				1000/—
14	डाक व्यय व	—	—	—	—	600	200	150	75	50	75
	अन्य फुटकर खच	—	—	—	—	250	75	60	30	15	30

टिप्पणियाँ

(1) पुस्तकालय की पुस्तकें और वाचनालय —अगर मिडिल स्कूल मे छात्रो की सख्या 300 से अधिक है, तो 150 रु और प्राथमिक शाला मे छात्रो की सख्या 200 से अधिक हो तो 75 रु स्वीकार किया जायगा।

(2) पुस्तकालय के लिये।

(3) मद न० 6 में सामान पर खच और मद न० 9 मे पुस्तकालय की पुस्तको पर खच, साधारण सीमा है, उपरोक्त अनुसार विषय के अनुसार किये जाने वाला खच परिशिष्ट (अ) मे देखें।

(4) मद (अ) और 3 मा यता प्राप्त सस्थाओ के विषय मे—जब कि वह पहल अजमेर राज्य मे 1 11 55 के बाद नियुक्त किया गया हो उस पर राजस्थान वेतन शृ खला लागू होगी।

(5) सामान्य पुस्तकालय के लिए मद न० 9 मे दिखाये गये विषय के अनुसार खच के लिए परिशिष्ट (अ) देखे।

छात्रावास

लडको की सख्या 25 होने पर और लडकियो की सख्या 15 होने पर कक्षा भत्ता 30 रु० प्रति मास के हिसाब से दिया जा सकता है, और सरक्षक/अधीक्षक/मेटन का वेतन प्रतिमास 200 रु० से कम नही होना चाहिये।

STATEMENT--B (ANNEXUR to APPENDIX VI)

Statement Showing Limits of Recurring Grants For S T C Schools Under Head Equipment And Apparatus

1	History Maps & Charts	Rs	50 00
2	Geography	Rs	50 00
3	Commerce	Rs	100 00
4	Drawing & Painting	Rs	100 00
5	Music	Rs	100 00
6	Apparatus & Chemicels (Physics & Chemistry)	Rs	300 00
7	General Science	Rs	200 00
8	Domestic Science	Rs	200 00
9	Civics with Indian Admn	Rs	25 00
10	Biology	Rs	100 00
11	Agriculture	Rs	500 00

सारणी—ब (परिशिष्ट ६ से संलग्न)

एस टी सी स्कूलो के लिए शीर्षक सामान तथा यन्त्रो के अन्तगत
आवर्तक अनुदान की सीमा निर्धारण का विवरण पत्र

(1)	ऐतिहासिक मानचित्र और चाट स	—	50 00 रु०
(2)	भूगोल	—	50 00 रु०
(3)	वाणिज्य	—	100 00 रु०
(4)	चित्रकला	—	100 00 रु०
(5)	सगीत	—	100 00 रु०
(6)	यन्त्र और रसायन (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र)	—	300 00 रु०
(7)	सामान्य विज्ञान	—	200 00 रु०
(8)	गृह विज्ञान	—	200 00 रु०
(9)	भारतीय शासन तथा नागरिक शास्त्र	—	25 00 रु०
(10)	जीव विज्ञान	—	100 00 रु०
(11)	कृषि	—	500 00 रु०

APPENDIX VII

Statement showing the scale of the Ministerial Class IV servants for the various categories of the institution

S No	Head	Tech Engg College	Post graduate College	Degree College	Traing College	Inter College	H S S	H S or S T C	M S	Primary School	Montessory School	Hostels	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Class IV Servants												
	Peon	4	4	4	3	3	3	3	..			2	On Addl Chow
	Chowkidar	1	1	1	1	1	1	1		1		1	kidar where two
	Waterman	1	1	1	1	1	1	1		1			shifts are arran-
	Lab Bearer		One per section subject if separate laboratoriesare are maintained for each sub										ged in the build-ding
	Mistry for gas Plant	..		1	1	1	1	1	1			1	One addl Far
	Sweeper	1	1	1	1	1	1	1		1		1	rash be allowed
	Farrash	2	2	2	2	2	2	1				1	where the No of
	Games Boys	1	1	1	1	1	1	1					students exceeds
	Gardner	1											500 in the case
	Agr Farm servant								2				of H S and
	Library attendant		1			1							below

परिशिष्ट ७

सस्था मे चतुथ श्रेणी के विभिन्न कर्मचारियों की श्रेणी का विवरण

क्रम स०	शीषक	टैक्नीकल इ जनियरिंग कालेज	स्नातकोत्तर उच्च विद्यालय	उपाधि महा विद्यालय	प्रशिक्षण महा विद्यालय	उच्च माध्यमिक विद्यालय	माध्यमिक शाला	उच्च माध्यमिक एस टी सी	प्राथमिक शाला	मान्टेसरी स्कूल	छात्रावास	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चतुर्थ श्रेणी कमचारी											
	चपरासी	4	4	4	3	3	3	—	—	2		जहां एक ही भवन
	चौकीदार	1	1	1	1	1	1	1	—	1		मे दो शिफ्ट चलती
	जलधारी	1	1	1	1	1	1	1	—	—		है वहा एक अतिरिक्त
	प्रयोगशाला सेवक											चौकीदार
	(लेब बियरर) जहा पर प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला काम मे लाई जाती हैं, वहां प्रत्येक वग विषय के लिए एक लेब बियरर											
	गसे यत्र के लिए मिस्त्री	—	1	1	1	1	1	—	—	—		हाईस्कूल और नीचे
	हरिजन (भगी)	1	1	1	1	1	1	1	—	1		जहां विद्यार्थियो की
	फर्राश	2	2	2	2	2	1			1		सख्या 500 से
	गेम्स बॉय	1	1	1	1	1	1	—	—	—		अधिक हो वहा एक
	बागवान	1	—	—	—	—	—	—	—	—		अतिरक्त फर्राश रखा
	खेतीहर कमचारी	—	—	—	—	—	2	—	—	—		जा सकता है।
	पुस्तकालय परिचारक	1	—	—	1	—	—	—	—	—		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Class IV Servants												
	Por verious course of the Higher Sec Schools Technical												
	Agriculture				1		2					7	These dedend upon the sub allotted to the institution
	Fine Arts								2				
	Home Science					1			1				
	Commerce								1				
	Ministerial staff												
	Librarian			1	1	1	1	1	1	1			
	U D C			2	2	2	1	1	1	1	1		
	L D C,			2	2	2	2	2	2	2	1	1 part time	

NOTE —1, Games Boys —In all the Secondary School and Inter Colleges where regular games are provided for all the students and euough facilities exist for the purpose provided the No of students is at least 300

2 Gardner —Allowed for High School aud institutions of Higher Standard provided the iustitution maintain a suitable Garden and justified the work for the full time man

3 Lib Attendent —In all High Schools or above where there is a separate librarian and the issue of books justifies the necessity of a library attendent One extra hand for institution where open shelf system is in vague be also given

4 Montessory Schools —If there be middle section one addl peon and one addl waterman if the

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—												
उच्चतर माध्यमिक शाला में शिल्प के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए —												
कृषि							2					ये सस्था द्वारा निर्धारित विषय पर निर्भर है।
ललित कला (फाईन आर्टस)							2					
गृह विज्ञान				1			1					
वाणिज्य							1					
लिपिक वर्गीय कर्मचारी												
पुस्तकालयाध्यक्ष		1	1	1	1	1	1	1				
उच्च श्रेणी लिपिक		2	2	2	1	1	1	1	1			
निम्न श्रेणी लिपिक		2	2	2	2	2	2	2	1	1	अंशकालिक	

टिप्पणी —(1) गेम्स बाय —समस्त उच्च माध्यमिक शालाओं और माध्यमिक विद्यालयों में जहा विद्यार्थियों की सख्या 300 से अधिक हो, व समस्त विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त खेल की सुविधा हो

(2) बागवान —हाईस्कूल तथा उच्चतर सस्थाओं में, जहा सस्था बाग का सधारण करती हो, और पूरे समय के लिए आदमी का काय हो, तो बागवान रख सकेगी।

(3) पुस्तकालय—परिचारक —समस्त हाईस्कूल व ऊपर की सस्थाओं मे, जहा अलग से पुस्कालयाध्यक्ष हैं, एव पुस्तक ठीक प्रकार से दी जाती है, वहा पुस्तकालय परिचारक की आवश्यकता हैं। जहा खुली आलमारी काम में लाई जाती है, वहा एक अतिरिक्त पुस्तकालय परिचारक रखा जा सकता है।

(4) मान्टेसरी स्कूल —अगर मिडिल वग तक हो और छात्रो की सख्या 200 से अधिक हो तो एक अतिरिक्त चपरासी और एक अतिरिक्त जलधारी रखा जा सकेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी— उच्चतर माध्यमिक शाला में शिल्प के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए —											
	कृषि						2					ये सस्था द्वारा निर्धारित विषय पर निर्भर है।
	ललित कला (फाईन आर्टस)						2					
	गृह विज्ञान			1			1					
	वाणिज्य						1					
	लिपिक वर्गीय कर्मचारी											
	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	1	1	1	1					
	उच्च श्रेणी लिपिक	2	2	2	1	1	1	1	1			
	निम्न श्रेणी लिपिक	2	2	2	2	2	2	2	1	1	अशकालिक	

टिप्पणी --(1) गेम्स वाय —समस्त उच्च माध्यमिक शालाओ और माध्यमिक विद्यालयो मे जहा विद्यार्थियो की सख्या 300 से अधिक हो, व समस्त विद्यार्थियो के लिए पर्याप्त खेल की सुविधा हो

(2) बागवान --हाईस्कूल तथा उच्चतर सस्थाओं में, जहा सस्था बाग का सधारण करती हो, और पूरे समय के लिए आदमी का कार्य हो, तो बागवान रख सकेगी।

(3) पुस्तकालय--परिचारक —समस्त हाईस्कूल व ऊपर की सस्थाओं मे, जहा अलग से पुस्कालयाध्यक्ष हैं, एव पुस्तक ठोक प्रकार से दी जाती हैं, वहा पुस्तकालय परिचारक की आवश्यकता हैं। जहा खुली आलमारी काम में लाई जाती है, वहा एक अतिरिक्त पुस्तकालय परिचारक रखा जा सकता है।

(4) माण्टेसरी स्कूल —अगर मिडिल वग तक हो और छात्रो की सख्या 200 से अधिक हो तो एक अतिरिक्त चपरासी और एक अतिरिक्त जलधारी रखा जा सकेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Class IV Servants													
Por verious course of the Higher Sec Schools Technical													
Agriculture			..		1		2					7 These dedend upon the sub allotted to the institution	
Fine Arts									2				
Home Science						1			1				
Commerce									1				
Ministerial staff													
Librarian				1	1	1	1	1	1	1	..		
U D C				2	2	2	1	1	1	1	1		
L D C,				2	2	2	2	2	2	2	1	1 part time	

NOTL —1, Games Boys —In all the Secondary School and Inter Colleges where regular games are provided for all the students and euough facilities exist for the purpose provided the No of students is at least 300

2 Gardner —Allowed for High School aud institutions of Higher Standard provided the institution maintain a suitable Garden and justified the work for the full time man

3 Lib Attendent —In all High Schools or above where there is a separate librarian and the issue of books justifies the necessity of a library attendent One extra hand for institution where open shelf system is in vague be also given

4 Montessory Schools —If there be middle section one addl peon and one addl waterman if the number exceeds 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी—											
	उच्चतर माध्यमिक शाला में शिल्प के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए —											
	कृषि						2				ये सस्था द्वारा निर्धारित विषय पर निर्भर है।	
	ललित कला (फाईन आर्टस)						2					
	गृह विज्ञान			1			1					
	वाणिज्य						1					
	लिपिक वर्गीय कर्मचारी											
	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	1	1	1	1					
	उच्च श्रेणी लिपिक	2	2	2	1	1	1					
	निम्न श्रेणी लिपिक	2	2	2	2	2	2	2	1	1	अंशकालिक	

टिप्पणी --(1) गेम्स वाय --समस्त उच्च माध्यमिक शालाओ और माध्यमिक विद्यालयो मे जहां विद्यार्थियो की सख्या 300 से अधिक हो व समस्त विद्यार्थियो के लिए पर्याप्त खेल की सुविधा हो

(2) बागवान --हाईस्कूल तथा उच्चतर सस्थाओं में, जहा सस्था बाग का सधारण करती हो, और पूरे समय के लिए आदमी का काय हो, तो बागवान रख सकेगी।

(3) पुस्तकालय--परिचारक --समस्त हाईस्कूल व ऊपर की सस्थाओं मे, जहा अलग से पुस्कालयाध्यक्ष हैं, एव पुस्तक ठीक प्रकार से दी जाती हैं, वहा पुस्तकालय परिचारक की आवश्यकता है। जहा खुली आलमारी काम में लाई जाती है, वहा एक अतिरिक्त पुस्तकालय परिचारक रखा जा सकता है।

(4) मान्टेसरी स्कूल – अगर मिडिल वग तक हो और छात्रो की सख्या 200 से अधिक हो तो एक अतिरिक्त चपरासी और एक अतिरिक्त जलधारी रखा जा सकेगा।

APPENDIX VIII

(To be stamped and registered on the amount of grant in aid)

MORTGAGE DEED

This mortgage made the————————day of———— —— between the——————————a Society registered under the Societies Registration Act/A Co registered under the Indian Companies Act, having its head office at——————(hereinafter called "the Mortgager" which expression shall Include its liquidators, officials receivers and assignees) of the one part and the Governor of the Sate of Rajasthan (hereinafter called "the Government" of the other part)

Whereas the mortgager owns, runs and maintains an educational institution know as————————at——————

And whereas the mortgager has applied to the Government for grant in aid amounting to Rs, —————for the purpose of ——————————and whereas, the Government is satisfied that according to the rules relating to such matters for the time being in force a grant in aid for the purpose for which the mortgager has so applied any property be given and Government has accordingly, on the recommendations of the Director of Education, sanctioned and paid grant of Rs ————————————to the mortgager

And whereas the property described in the schedule hereto annexed and more particularly delineated and marked on the plan hereto attached (hereinafter called "the said property') is owne by the Mortgager,

And whereas the mortgager has agreed to mortgage in the manner hereinafter appearing the said property/order to ensure that the grant in aid shall at no time be utilised othertwise than for the purpose for which it has been given —

WITNESS

In consideration of payment by the Government to the mortgager of the sum of Rs ————————as grant in aid (the receipt whereof the mortgager hereby admits) for the purpose of ——————————for the benefit of the aforesaid institution, mortgager does hereby declares to be free from any incum

tbrances, by way of simple mortgage to the intent that if at any time hereafter the amount of the grant-in-aid hereby given, or *the assets created hereby used for any purpose other than for* which it has been given or if the whole or any part of the said property is used for any purpose other than educational purpose or purpose legitimately connected with the maintenance of the aforesaid institution in accordance with the purpose for which the said institution was started, and every such case, there shall be recovered by the Government from the mortgager such sum, not less than the amount of grant thereby given, as shall, as the date when such sum becomes recoverable, be equal to such pro portion of the value of the said property assessed in the manner hereinafter provided as the aforesaid amount of grant of Rs ——————————bears to the to the value of the said property on the date of these present, and estimated at Rs ———————— and in default of payment of such sum, the Government shall have the power without the intervention of any court to sell or concur with any person in selling the said property or any part thereof either together or in lots and either by public auction or private contract and subject to such conditions respecting title or evidence for title other matters on the Government may think fit with power to vary any contract for sale and to buy it at any occasion or to rescind any contract for sale and to resell without being liable to any loss occasioned thereby

Provided always that for the purposes of determining of the sum which may be recoverable by the Government by virtue of the security hereby created the value of the said property at the time when the Government seeks to enforce the security hereby created shall be assessed by the Government or by such person as may be appointed by the Government in this behalf and such assessment shall be binding on the mortgager

Schedule Above Referred to

Description of the said property —

North

South

East

West

In witness whereof the parties hereto have appended signature hereto in the manner and on the said indicated h

	for the mortgager --
Signature	Signature
Date	Date
Designation	Authorised by article No of the articles of association by the resolution No date (seal in case the mortgager is a company)
Witness (1)	(1)
(2)	(2)

APPENDIX IX

Schedule of Fees

Rates of tution fee to be charged in different kind of Institution in Rajasthan will follow Other fees will be charged as in Government Institutions

APPENDIX X

The following recommendations of the sub-committe for suggesting critrria to categories educational institutions as special were approved after some modifications —

1 An institution will be considered as Special if it is carrying on some new educational experiments in teaching and maintained a record of the same

2 Registers improvement in methology of teaching various subjects by experimenting on the devices, techniques aud variation with child as a centre of education This should be reflected in the teachers diaries and student work and a written record of experimentation should be maintained by the Head of the institution from year to year with reasons for its success and failure This may not be insisted in case of colleges

3 Maintains cumulative comprehensive records of pupils work in all round education of the child during the period of the schooling

4 Relates education in the institution to community life and bea s a hand in the community development

work in the areas A record of activities should be maintained.

5 Gives training in Crafts, producing saleable articles of proper finish and beauty and keeps accounts and necessary record

6 Has a co-ordinated programme of Home work with tutional work in the institution

7 Has a proper scheme of regular curricular activities, follow up work

8 Has regular arrangement for physical education and medical inspection with its effective follow-up Records should be maintained

9 Has arrangements for mid day meal or tiffin

10 Has atleast 200 days of work with 5 hours of actual teaching including crafts, home science etc

11 Has a pupils' Government for training in democratic way of living

Finance

An institution to be catogorised as Special should have adequate teaching equipment, buildiug, library, laboratory, work shop, playing field and other apparatus and appliances and has run efficiently for a period of 3 years This material should be necessary for the status and purpose of a particular institution

Administration

The Management provides security of tenure to teachers according to Education Code under an agreement with the teachers as approved by the Department

Minimum salaries are according to the Government scales at least 50% of the staff is trained in the institution as a whole

Teaching results in public examination

The institution shows above 75% results on 5 years average consisting of not less than 100 pupils in the public exmination in High and Higher Secondary Schools separately as well as in internal examinations and 80% in Intermediate Examinations

Qualitatively the results should be satisfactory In Middle Schools the minimum percentage should be 80 on the enrolment of 75 pupils in Classes VI, VII and VIII

These institutions fulfilling the conditions mentioned above may be given grant in aid up to 90% of the net approved expenditure or 60% of the approved expenditure which is gteater

Special types of Institutions

The institutions doing original creative work in accepted by the grant in aid committee and the Department in the fields of –

(a) Literature
(b) Arts
(c) Crafts
(d) Cultural activities e g Music, Dance and Drama
(e) Social Education
(f) Women Education

may be considered special type of institutions on the recommendation of the department

Institutions engaged in pioneering literature work in regard to the production of original or research or approved liturature for adult and children suiting the needs of age group may also be considered special types of institutions

Institutions imparting higher education in Humanities Science Commerce, Fine Arts and other technical cources may be given grant in aid from 80 to 90% of net approved expenditure and 60% of apprent in expenditure Institutions organising educational camps, tours may also be considered A sub-committee consisting of the following was appointed to apply the above recommendations various to the institutions and submit its report by 15th August, 1959 –

1	Shri K L Boardia, Director of Rural Institute, Udaipur	Convenor
2	Shri J D Vaish, Dy Director of Education, Udaipur	Member

3	Miss Menon, Principal, Rajasthan Mahila Vidyalaya, Udaipur	do
4	Shri P L Shrimali, Principal, Training College, Udaipur	do
5	Shri D P Joshi, Headmaster, Multi purpose, H S S Chittor	do

An institution adjudged as Special for the purpose of grant in aid may be demoted from this category if the special features are not efficiently kept up or the institution shows signs of deterioration The Inspector of Schools concerned will in that case, serve a caution to the institution and an officer of the rank not less than a Deputy Director of Education will inspect the institute on again after a period of 3 months but not later than 6 months and make final report on the working of the institution for the assessment of aid

अध्याय [२]—

अनुदान-नियम 1963 मे महत्वपूर्ण संशोधन एवं आदेश

३५५
विविध

[1]

❀अधि सूचना

[क्रमाक एफ 2(24) शि प्र 6/62 दिनाक 8 4 68]

राज्यपाल महोदय ने शिक्षा विभाग की अधि सूचना क्रमाक एफ 2 (24) शि प्र /6/62 दिनाक 19-1 63 द्वारा जारी किये गये अनुदान नियमो में निम्न लिखित सशोधन दिनाक 18-10 64 से करने की स्वीकृति प्रदान करदी है —

नियम 2 (b) के अत में निम्नलिखित वाक्य जोड दिया जावें—' निदेशक शिक्षा में अपर निदेशक/सयुक्त निदेशक शामिल है"

उपरोक्त नियमो मे जहा कहीं भी डाईरेक्टर ऑफ प्राईमरी एण्ड सकण्डरी एज्यूकेशन लिखा गया है, वहां उसके आगे अपर निदेशक/प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा/सयुक्त निदेशक पढा जावें ।

[2]

(A) Appendix VI—Item No 5

❀under col 5 against "Water & Light charges" substitute Rs 1000/- instead of Rs 500

New entry inserted—

❀❀[For night colleges Rs 1000/-

❀ Amended vide No F 1 (126) Edu/cell VI/68 dated 26 10 68 & was cancelled vide No F 1 (26) Edu /cell VI/68 dt 4-8 69

❀❀ vide No F 1 (26) Edu /cell VI /68 dt 5 8 1969

❀❀(B) After Rule 6 there shall be a Rule 6 (1)—

Rule 6 (1) All the items referred to in rule 6 from (a) to (x) will form component A of the admissible items of expenditure

Item 6 (d) be aliminated and items (e) to (y) in Rule 6 be re numbered from (d) to (x) respectively

The expenditure incurred on D A will form component B The grant for D A should be computed on the basis of the D A rates prevailing in the year in which the grant is being released For example, if the total of admissible items forming component 'A' of particular institution on the basis of actuals of *the previous year excluding dearness allowance is Rs 1 00 lakh* then to this should be added the element of dearness allowance in component 'B which will be the estimated dearness payable in the year in which grant is being released on the rates of dearness allowance prevailing in that year Supposing component of dearness allowance is Rs 20,000 at the rates prevailing in the year grant is being released, the total grant then shall be determined treating the total of admissible items of expenditure as Rs 1,20 lakhs This will take effect from 1st April 1967

❀(C) Rule 5 (d) Amendments

(i) The following may be added to rule 5 (d) after the words "Local Bodies'

"as also the income from interest on reserve funds or rent of property"

(ii) Item (i) & (ii) appearing under rule 5 (d) may be substituted by following —

(i) the income which accrures occasionally in the form of donations etc

---

❀❀No F 2(194) Edu/Cell/VI/66 dated 23 3 1968

❀Vide No F 7 (10) (Gr V)/74 dated 19 7 1974 and operation of above amendment stayed fill further orders vide No F 1 (6) Edu/C/6/70 dt 5 3 75

[3]

कार्यालय आदेश

महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के सुझावानुसार आवर्तक एव।
अनुदान स्वीकृतियाँ किस नाम से प्रसारित की जावे। अत जो स्वीकृतिया
समितियो के नाम से जारी की जाती रही है वे अब सस्था के नाम स
की जावेगी।

[क्रमाक ईडीबी/एड/एफ/16007/69/72/73 दिनाक 5 7 72]

[4]

विषय —सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयो में लिपिकों के पदो का।
नियमों मे प्रावधान।

प्रसग — आपका पत्र क्रमाक ईडीबी/एड/एफ/16287/68-69/70-71।
28-6 72।

महोदय

निदेशानुसार लेख है कि जिन 83 सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्य
मे प्रत्यक मे एक कनिष्ठ लिपिक शिक्षा विभाग के अनुदान नियम लागू होने के प
भी चले आ रहे है एव जिन पर शिक्षा विभाग अनुदान स्वीकार भी करता आय
को दिनाक 30 जून 1973 तक नियमित करने की राज्यपाल महोदय की स्वी
प्रदान की जाती है इस अवधि के पश्चात किसी भी परिस्थिति म स्वीकृती नह
जा सकेगा एव अनुदान नियमानुसार ही दिया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जो कि उनके अन्तगत विभा
सख्या 37/वित्त/व्यय 1/73 द्वारा प्राप्त की गयी है जारी की जाती है।

[क्रमांक एफ 11 (22) शिक्षा 4/72 दिनाक 19 फरवरी 1973]

[5]

परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश क्रमाक प 11 (14) शिक्षा/ग्रु.प-2 73 दिना
1 12 73 के अनुसार राजकीय विद्यालयो म काम करने वाले अराजपत्रित मत्र
लयिक एव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को माह के द्वितीय शनिवार के अवकाश
स्थान पर प्रत्येक माह मे एक दिवस के क्षतिपूर्ति अवकाश का परिलाभ देय है
अत राज्य सरकार के इन आदेशो के अनुसार ही सहायता प्राप्त विद्यालयो में काय
रत मत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो को भी माह के द्वितीय शनिवार के

अवकाश के स्थान पर प्रत्येक माह में एक दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश का परिलाभ देय होगा।

[क्रमाक –शिविरा/अनु/ए/16011/75/76 दिनाक 26 7-76]।

[6]

विषय —अनुदान प्राप्त सस्थाओ के कमचारियो को सरेंडर अवकाश का लाभ देने बाबत।

उक्त विषय में राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय साधनो की कमी के कारण अनुदान प्राप्त सस्थाओ के कमचारियो को सरेंडर अव काश का लाभ देना समव नहीं है।

कृपया आपके अधीनस्थ समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओ को तदनुसार सूचित करदें।

[क्रमाक शिविरा/अनु/डी/17907/38/76 दिनाक 27-3 76]

[7]

Sub —Transfer of Employees from one aided institution to another run by one parent body

Refer to your letter No Shivira/Anu/A/160 11/2/74 75 dated 29-4 74

The question has been examined by Government and it has been decided that if one parent body is running more than one institutions it may transfer employees from one institution to another subject to the following conditions —

1 The service condititions pay scale etc of the Persons transferred from one institution to other is the same

2 Both institutions where transfer is being made are aided upto the same percentage If it is not so transfer will be allowed subject to the condititon that by doing so there is no increase in the actual grant in aid payable to the institutions

[No EDB/AID/160 11/74 Dated 16 8 74]

[No F 7 (33) Edu/Gr V/75 dated 25th Feb 1976

Sub —Appointment of Sisters Staff for institutions management of the Director General of Diocesan Corporation Ajmer

In continuation of this Department letter of eve dated 9 7 1975, addressed to the President, Society of M Sister of Ajmer and copy endorsed to you I am direct convey approval of the Government to grant the following ties to the Director General of Ajmer Diocesan Corpor Ajmer in respect of appointment of Sisters Staff of thei cational institutions in Rajasthan —

1 Such sister staff who may be working on an need not be sponsored by the Employment Excl and an exemption is granted to new recruits staff from mong the sisters to be appointed institutions run by Ajmer Diocesan Corpo Ajmer provided they fulfil the minimum aca qualifications prescribed for the posts

2 The appointment of duly qualified sisters staff by the Director General and the Governing B the Societies from the panel of Sisters, may be ted and confirmed by the Education Depar provided that they so appointed are duly selec the selection committees of the institutions con as per Grant in aid rules, on which State Gover nominees should be represented

3 Permission may be also accorded for transfer o sisters staff from one mission institution to a within the State In such cases, the salary incumbant should be protected

4 Premission may also be accorded to accept on fer such sisters staff from the Mission Insti out side Rajasthan to this State and vice versa such cases also their salary will be protected

This issues with the concurrence of Labour and Em ment Department I D No 580/STP/76 dated 12/25-2-76

[No EDB/AID/B/Pra/Ayoj ana/16809/54/72-73 26-4-76]

[9]

I am directed to convey sanction of the Governor to the following —

(1) That the institutions imparting education to girls and whose total annual expenditure is Rs 75,000/ as against 1 lakh provided in the gran in aid rules be allowed recurring grant in aid on central office with effect from 1st, April 1966

(2) That recurring grant in aid on the salaries of political sufferers, who happen to work in the Aided Institutions as Secretary and in capacities other than teaching staff mav be allowed till they are physically fit, that is no age limit be pres cribed for these persons This will take effect from 1st April, 1966

This issues with the concurrence of the Finance Depart ment No 6320 dated 11 12 1967

[No F 1 (144) Edu/Cell/VI/67 Dt 6th Feb 68]

[10]

It was decided in the Abu Conference held in June, 74 as follows —

1 Payment of Salary to the employee and Teachers working in Aided Institutions should be made by cheques

2 Before termination of services of employees of aided Institutions proper show cause notice should be given to them Due notice for termination of service should also be given to them

You may kindly issue necessary instructions to ensure that these decision are implemented with immediale effect

[No F 7 (224) Edu/Gr V/74, Dated 31 3 74]

[11]

आदेश

राज्य सरकार के यह ध्यान मे लाया गया है कि अगर किसी सस्था को सव प्रथम अनुदान सूची पर लिया जाता है तो उस सस्था के कमचारियो का वेतन वेतन

श्रृंखला का न्यूनतम व्यय राशि का ही मान्य व्यय माना जाता है। जब कि उस सस्था में वह कर्मचारी गत कुछ वर्षों से कायरत है और उसे उन वर्षों में देय सा यिक वेतन वृद्धियाँ आदि भी सस्था द्वारा स्वीकृत की जा चुकी होती है।

जैसे किसी सस्था को 1-7-76 से राज्य सरकार ने अनुदान सूची पर लि है और उस सस्था में कायरत कोई कमचारी पाँच साल से कायरत है और 1 7' को उसका वेतन 200 रु० है तो उसका वेतन वेतन श्रृंखला का न्यूनतम रु 16(मान्य व्यय मानकर उस पर देय प्रतिशत के अनुसार अनुदान दिया जाता है। प्रकार अनुदान देने की प्रक्रिया गलत है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सब प्रथम अनुदान पर जो सस्थायें ली जाती हैं उनके कमचारियो का वेतन कमचारी को प्रथम नि तिथि को न्यूनतम वेतन मानकर उस पर देय सामयिक वेतन वृद्धियो का सम्मि करते हुए यदि स स्था वेतन का भुगतान करती है तो उसे मान्य व्यय मानकर दान स्वीकृत किया जावें।

[क्रमाक एफ 24 (53) शिक्षा-5 76 दिनांक 2-7 76]

[12]

विषय—अनुदान प्राप्त सस्थाओ मे कायरत कमचारियो को सशोधित नवीन मान 1976 के नियम 12 के अन्तगत अग्रिम वेतन वृद्धि।

महोदय,

निदेशानुसार आपके पत्र स शिविरा/अनु/सी/16684/अप्रा/53/7 दिनाक 28 6-77 के प्रसग मे लेखा है कि एक ही सस्था मे निरन्तर 10 व वष या 30 वष की सेवा होने पर ही नियमानुसार वेतन वृद्धियाँ दी जा सक अन्यथा नहीं।

[क्रमाक प 24 (73) शिक्षा 6/77 दिनाक 24 अगस्त 1977]

[13]

राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग

*निजी शिक्षण संस्था मान्यता प्रार्थना पत्र

1 संस्था सम्बन्धी विवरण

नाम	प्रकार	स्तर	संस्था कब से चल रही है (तिथि)	संस्था के व्यवस्थापक का नाम पता प्रबन्धक समिति का विधान और यदि हो तो सदस्यों के नाम

2 संस्था द्वारा शिक्षा सम्बन्धी उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति से सम्बन्धी विवरण

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक का अभिमत

विवरण (अ) संस्था का विशेष उद्देश्य

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक का अभिमत

* राजस्थान शिक्षा संहिता का परिशिष्ट (13)

विवरण (आ)

सम्बन्धित स्थान पर संस्था की आवश्यकता एवं उपयोगिता और यदि संस्था नए सिरे से खोली जा रही है तो उसका वर्तमान संस्थाओं पर सम्भावित प्रभाव।

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक का अभिमत

(2) अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषय जिनके सम्बन्ध में मान्यता स्वीकृति प्रार्थना अर्पित की जा रही है।

व्यवस्थापक का प्रस्ताव	निरीक्षक का अभिमत

3 कक्षानुसार छात्र संख्या

कक्षा (वर्ग सहित	छात्र संख्या	औसत उपस्थिति	व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक अभिमत

4 संस्था का भवन एवं छात्रावास-भवन विवरण

व्यवस्था का उल्लेख	निरीक्षक का अभिमत
1 कमरों की संख्या लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई 2 पुस्तकालय एवं वाचनालय का कमरा। 3 गोदाम। 4 सम्मेलन गृह। 5 छात्रावास के कमरों और विद्यार्थियों की संख्या। 6 पेशाबघर। 7 [illegible]	

सूचना– इस विवरण के साथ संस्था का उक्त विवरण प्रदर्शक मानचित्र सम्मिलित होना चाहिए––

5 फर्नीचर एवं शिक्षा सम्बन्धी सामग्री, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं

व्यवस्थापक का वक्तव्य	निरीक्षक का अभिमत

6 छात्रों की शारीरिक व्यायाम डाक्टरी-परीक्षा, स्वास्थ्य खेलकूद मनोरंजन आदि

व्यवस्थापक का विवरण	निरीक्षक का अभिमत

7 अध्यापक सम्बन्धी विवरण

क्रमांक	अध्यापकों के पूरे नाम योग्यता सहित	पद	वेतन तथा ग्रेड	निरीक्षक का अभिमत

8 यदि शुल्क लिया जाता हो तो मासिक या एक बार देय तथा असहाय छात्रों के शुल्क रहित प्रवेश सम्बन्धी विवरण

व्यवस्थापक का उल्लेख				निरीक्षक का अभिमत
कक्षा	शिक्षण शुल्क	प्रवेश शुल्क	अन्य शुल्क	
अन्य विवरण				

9 संस्था की आर्थिक परिस्थिति

यदि शुल्क ली जाती हो तो उसकी मासिक आय	संस्था कोष एवं अन्य आय	कुल मासिक आय	कुल मासिक व्यय	निरीक्षक का अभिमत

10 अन्य ज्ञातव्य विषयक प्रश्न

प्रश्न	व्यवस्थापक द्वारा उत्तर	निरीक्षक का अभिमत
1 क्या संस्था शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुगमन करती है ?		
2 क्या संस्था में समस्त जाति तथा धर्मों वाले छात्रो को शुल्क सुविधा आदि में तथा किसी भी मतभेद के बिना प्रवेश खुला है ?		
3 संस्था के स्टाफ की योग्यता, वेतन शृंखला, उप वेतन, पूर्वोपायी कोष अवकाश नियम आदि शिक्षा विभाग की आवश्यकताओं एवं नियमो के अनुसार है।		
4 शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित अनुबंध पत्र (Agreement) के अनुसार संस्था के प्रत्येक अध्यापक की नियुक्ति की गई है ?		
5 क्या शैक्षणिक वातावरण मे अव्यवस्था पैदा करने वाली किसी सार्वजनिक वादविवाद एवं प्रवृत्ति में संस्था के अध्यापकादि भाग लेते हैं ?		
6 क्या धार्मिक एवं जाति विशेषीय शिक्षा में छात्रो की और अध्यापकों का सम्मिलित होना अनिवार्य है ?		

प्रार्थी व्यवस्थापक द्वारा प्रमाणीकरण एवं प्रतिज्ञा —

1 मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र में अंकित विवरण सही हैं।

2 मैंने मान्यता-प्रदान सम्बन्धी नियम ध्यानपूर्वक पढ लिए है ।

3 मैं प्रतिज्ञा करता हू कि यदि उक्त सस्था को मान्यता प्राप्त करदी जावगी ता मैं मान्यता प्रदान सम्बन्धी शर्तों से और तत्सम्बन्धित समस्त वतमान तथा समय स परिवतन एव परिवर्द्धित नियमोपनियमो से ग्राबद्ध रहूगा और समय 2 पर प्रच लित विभाग के निर्देशो का अनुपालन करता रहूगा ।

तिथि

हस्ताक्षर

व्यवस्थापक

निरीक्षक का ग्रावेदन --

(ग्रावेदन करत समय निरीक्षक को नियमो का सदभ ग्रङ्कित करना चाहिए और यह भी लिखना चाहिए कि उक्त सस्था को उसके ग्रभिमतानुसार किस स्तर की एव किन किन विषयो की मान्यता प्रदान करना किन किन शर्तों पर उचित है ।)

तिथि

हस्ताक्षर

निरीक्षक का पद

केन्द्र

[14]

राजस्थान शिक्षा विभाग

*निजी शिक्षण सस्था सहायतार्थ–अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र

प्रपक

श्रीमान शिक्षा निदेशक,
राजस्थान, बीकानेर ।

मान्यवर महोदय,

31 माच सन 196 को समाप्त होने वाले वप के लिए (सस्था का नाम)
.. ... सस्था की सहायता स्वीकृति के सम्बन्ध में [illegible] सूचना सेवा में प्रेषित करता हू ।

---

*राजस्थान शिक्षा संहिता का परिशिष्ट (14)

मैं प्रमाणित करता हूं कि—

1 सलग्न सूचना पूर्णतया सत्य है।

2 किसी उल्लेखनीय बात को जानबूझकर छिपाया नहीं गया है।

3 यह संस्था मान्यता की आवश्यकताओं एव सहायता के नियमों का पालन करती रही है और करती रहेगी।

4 संस्था के कक्षावार एव अध्यापकवार समय चक्र विभाग की प्रति प्राप्त अवलोकनार्थ साथ मे सलग्न है।

5 मैं अनुबन्ध करता हूं कि ऊपर खण्ड में उल्लिखित नियमो में से किसी की अवहेलना होने की दशा में राजस्थान सरकार, सहायता बन्द कर सकती है।

दिनांक

भवदीय

हस्ताक्षर

पद

[सूचना—यह प्रार्थना पत्र शिक्षणसंस्थाओं से सम्बन्धित निरीक्षक के पास जिस वर्ष के लिए सहायता चाही गई है उस वर्ष के पहले वाले अक्टूबर मास के अन्त तक अवश्य पहुंच जाना चाहिए। परन्तु सन् 196-6 की सहायता के लिए प्रार्थना पत्र शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्धित निरीक्षक के पास 31 जुलाई 196 तक अवश्य पहुंच जाने चाहिए।]

साधारण सूचना

संस्था का नाम

संस्था का स्तर

संस्था की स्थापना की तिथि

मान्यता की तिथि

इसके वर्तमान स्तर की तिथि

संस्था को सहायता कब से मिल रही है

संस्था को गत वर्ष कितनी सहायता मिली,

संस्था की कार्यकारिणी नियमानुसार सरकार में रजिस्टर्ड है अथवा नहीं।

यदि हो तो रजिस्ट्रेशन नम्बर

संस्था का अन्य कोई विशेष वृतान्त (यदि कोई हो तो)

प्रबन्ध कारिणी समिति

क्रम संख्या	नाम सदस्य	निर्वाचन की तिथि

सूचना—प्रबन्ध कारिणी समिति के नये विधान तथा नियमों की प्रति साथ में सलग्न हो।

लिपिक वग

1

2

3

4

योग

लिपिक वग पर मासिक व्यय

भृत्य वर्ग

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

योग—

भत्य वग पर मासिक व्यय

वहद योग मासिक व्यय—

सस्था के गत 31 माच तक के वैतनिक कार्यकर्ताओ का विवरण

अध्यापक

क्रमाक	नाम अध्यापक	योग्यता व अवस्था	सेवा काल	पाठन कार्य का अनुभव	वेतन तथा ग्रेड	प्राविडेंट फण्ड	महगाई	अन्य कोई भत्ता	विशेष	वृत्तांत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

योग

अध्यापक वग पर कुल मासिक व्यय

कुल काय विवरण

गत सत्र की सम्या एव कक्षावार उपस्थिति का विवरण

कक्षा	काय दिवस	औसत दैनिक छात्र सख्या	पिछली 31 मार्च को रजिस्टर में अंकित छात्र सम्या

नोट—दैनिक औसत उपस्थिति के लिए सत्र के कुल काय दिवसों का कुल उपस्थिति की सम्या में भाग देना चाहिए।

गत तीन वर्षों के कक्षावार परीक्षाफल

कक्षा	वष 19		कक्षा	वष 19		कक्षा	वष	
छात्र सख्या	प्रविष्ट उत्तीण	प्रतिशत परीक्षाफल	छात्रा सम्या	प्रविष्ट उत्तीण	प्रतिशत परीक्षाफल	छात्र सख्या	प्रविष्ट उत्तीण	प्रतिशत परीक्षाफल
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आय व्यय का विवरण

आय

सस्था का स्थाई कोष जो गत 31 माच को था

इस स्थाई कोष का धन किस प्रकार लगा रखा है उसका सक्षिप्त विवरण

आय के मद	गत वष की की आय	चालू वष की अनुमानित आय	आगामी वष की अनुमानित आय
1 पाठम शुल्क			
2 दण्ड			
3 प्रवेश शुल्क			

4 छात्र प्रत्यावर्तन शुल्क
5 मासिक चन्दा अथवा स्थाई चन्दा
6 स्थाई सस्थाओं से प्राप्त धन
7 सरकारी सहायता
8 स्थाई कोष के ब्याज आदि से प्राप्त धन
9 अन्य किसी प्रकार से प्राप्त धन

योग

कुल योग

तिथि

प्रबन्धक अथवा मन्त्री के हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

व्यय

आय की मदें	गत वर्ष की सही आय	चालू वर्ष का अनुमानित व्यय	आगामी व की अनुमानित आय
1 अध्यापक वर्ग का वेतन, प्रोविडेण्ड फण्ड के लिए देने योग्य धन			
2 लिपिक वर्ग को वेतन एव प्रोविडेण्ट फण्ड के लिए देने योग्य धन			
3 महगाई			
4 स्टेशनरी व छपाई का व्यय			
5 पानी तथा प्रकाश का व्यय			
6 पाठन सामग्री को ठीक रखने के लिए व्यय			
7 सस्था के भवन तथा फर्नीचर की साधारण मरम्मत का व्यय			
8 मकान किराया, यदि सस्था किराये के मकान मे हो			

9 पुस्तकालय, पुस्तकों तथा वाचनालय का मरम्मत व्यय
10 जो शिक्षणालय एक से अधिक संस्था चला रहा है वहां पर उस संस्था का संचालन सम्बन्धी आवश्यकीय व्यय
11 अन्य व्यय

योग

बृहद् योग

तिथि

हस्ताक्षर मन्त्री तथा प्रबन्धक हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

संस्था को सहायता देने के सम्बन्ध में अधिकारी वर्ग का अभिमत।

1 संस्था की सहायता प्राप्ति के लिए उपयुक्तता
(सहायता सम्बन्धी नियमों में से चौथा नियम)
2 प्रबन्धक द्वारा प्राप्त हुई सूचना की सत्यता।
3 अन्य कोई विशेष वृत्तान्त।
4 अभिशंषा

अभिशंषक के हस्ताक्षर तथा पद
रु० सहायता के लिए

सन् 196 तक के लिए

संस्था का स्वीकृत किये गये
स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर एवं पद

अध्याय-७

फीस सबंधी आदेश/परिपत्र

[1]

[No F 2(41)Edu/C VI/66, Dated the 30 December,1966]

Subject -Representation of aided institutions against Govt Order No 2(41) Edu/C-VI/66, dated 25-3 66

Ref -Your letter No EDB/Aid/A/11007/113/65, dated 20th August, 66

Sir

I am directed to convey the sanction of the Governor to allow the aided Educational Institutions to spend on educational item of recurring and non recurring nature to be so recognised by the Director of Education upto the 50% of the income from fees charged by them over and above the rates prevelent in Government Institutions of similar category the remaining 50% being so only calculated for limiting grant in aid plus income up to 100% of the approved Expenditure

The expenditure so recognised as "Educational" will not automatically be treated as an approved expenditure in subsequent years

The above decision will take effect from the year, 1965 66

This issues with the concurrence of the Finance Department vide their I D No 6667, dated 24-12-1966

[2]

कार्यालय अपर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

अनुदान प्रार्थना पत्रो की इस कार्यालय द्वारा जाँच से पता चलता है कि काफी अनुदान प्राप्त सस्थाएँ पाठन तथा अन्य शुल्क राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरो से कम वसूल करती है और वसूल की गई राशि का पूरा रूप से हिसाब में नही दर्शाती है। जो इस विषय पर अनुदान नियम 3 (12) एव कार्यालय के भिन्न 2 परिपत्रो की अवहेलना है —

पत्रांक इडीबी बीपूडी डी 15382 107 58 दिनांक 7 10 58)
पत्रांक इडीबी बीपूडी डी 15382 110 58 दिनांक 10 10 58)
पत्रांक इडीबी एमीए सी 14186 (4) 59 दिनांक 17 1 59)

2 अतः पुन स्पष्ट किया जाता है कि सभी प्रकार की शुल्क इस कार्यालय के पत्रांक इडीबी एफ बी 2 14188 57 62 दिनांक 16 10 62 मे दी गई दरो व बाद मे समय समय पर जारी किये गए शुद्धि पत्रो से कम वसूल न की जाय तथा वसूली का छात्रानुसार माग व वसूली रजिस्टर (Demand and Realisation Register) रखा जाय। यदि कोई सस्था इन आदेशो में वर्णित फीस या उसकी सीमा से अधिक बिना इस कार्यालय की स्वीकृति से वसूल करती है तो वह राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमाक एफ 2 (41) शिक्षा प्रकोष्ठ 66 दिनाक 25-3 1966 के अन्तगत आय मानी जायेगी।

3 फीस सम्बन्धी अन्य स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं —

(क) कन्या पाठशालाओ के पाठन शुल्क को छोडकर अन्य फीसें बालकों के विद्यालयों के अनुसार वसूल होनी चाहिये।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तथा मा टेसरी स्कूलो क लिए भी शुल्का का निर्धारण हो चुका है। अत वे भी उन दरो के कम दरो पर शुल्क वसूल न करें।

(ग) जिन सस्थाओ को अन्य सस्था के रूप म अनुदान प्राप्त होता है वे जिस स्तर के लिए छात्र तैयार करते हैं या अनुदान के लिए स्टाफ व अन्य व्यय हेतु मांग पेश करते हैं ऐसे ही स्तर की सस्था के लिए निर्धारित दरो स कम दर पर फीस वसूल नही करें।

(घ) जिन सस्थाओ का स्तर निर्धारित नही हुआ है या जिनके स्तर की सस्था के लिए राज्य सरकार ने फीस निर्धारित नही की है वे सस्थाए फीस वसूली के अपने प्रस्ताव शीघ्र भेजकर निर्णय प्राप्त कर लें।

(ङ) सत्र 64 65 मे वसूल की गई शुल्क की दरों मे इस कार्यालय की पूर्व स्वीकृति के बिना कमी नही हो सकेगी।

(च) वसूल करने योग्य फीस यदि वसूल नहीं की जायेगी तो उन्हे अनुमानित आय मानी जायेगी।

4 सस्थाए चन्द तथा दान से प्राप्त होने वाली राशि का भी हिसाब रखें दान दाता के नाम, मय वल्दियत व पूरे पते के रसीद जारी करें और इसका नियमित हिसाब जाच के समय पेश करना होगा।

5 सस्था का वार्षिक हिसाब चाटर्ड एकॅाउन्टेन्ट द्वारा जांच कराया जाकर रिपोट में आय का विवरण अनुदान नियम 5 के नोट 2 में दर्शाई गई मदो के

अनुसार बताया जायेगा पैरा (ए) और (बी) यानी पाठन शुल्क, छात्र प्रत्यावर्तन शुल्क, प्रवेश व पुन प्रवेश शुल्क तथा दण्ड को छोड़कर शेष सभी प्रकार की शुल्कों का पिछले वर्ष का पोत बाकी भी दिखाया जाकर प्रमाण स्वरूप निम्न समापन नोट के रूप में दिया जाये —

"संस्था की आय का हिसाब अनुदान नियम 5 के नोट 2 के अन्तगत ठीक है फीस। आय नियमानुसार पूर्ण वसूल हो चुकी है रुपये छात्रो से निम्न मदो मे वसूल करने शेष हैं। पाठन शुल्क के आंकड़े निश्चित प्रतिशत दर पूर्ण शुल्क व अर्द्ध शुल्क माफी को ध्यान में रखते हुए दर्शाये गये हैं।"

इस पत्र की प्राप्ति रसीद भेजी जाये।

[क्रमाक इडीबी/एड/ए/16004/स्पेशल/65 दिनाक 31-5-1967 ई०]

[3]

CIRCULAR

[No EDB/Bud/D/15383/107/58, dated 7th Oct , 1958]

Government aided Educational Institutions in Rajasthan should henceforth (from the session 1957 59) change all kinds of fees at the rates sanctioned by the Government for Government Educational Institutions in those Localities and for the periods prescribed by the Government

If this will not be adhered to the aided institutions will forfiet grant in aid upto the extent they deviate from this office

Director of Education

[4]

CIRCULAR

[No EDB, Bud/D/15382/110/58, Dated 10th Oct , 1958]

In continuation of this office circular No EDB/D/15382/107/58, dated the 7th Oct , 58, it is further clarified that if any institution charges higher rates of prescribed fees, than sanctioned by the Government, one at present being charged, these should not be reduced without obtaining prior approval of this office

Director of Education
Raj Bikaner

[5]

CIRCULAR

No EDB/Aca/(C)/14186 (4) (59) Dated 17 1 59

In continuation of this Directorate circular No EDB/Bud/D/15382/107/58 dated 7th Oct, 1958 and No EDB/D/15382/110/58 dated 10th Oct, 1958, regarding fees in Aided and Recognised institutions, it is once again enjoined upon all the Dy Direcetors of Education, Inspector of Schools, Deputy Inspectors of Schools I/c District and the Assistt Director of Education (women), that every recognised and aided institutions should at least charge the minimum fees as per schedule of the Department from class IX and upwards and that no institution should be allowed to decrease the rates of fees they are charging now in any of the classes from I to XII without the prior permission of the Department

It may be added that in Government institutions no tuition fees are charges in classes from I to VIII, but fees other than tuition fees are charged as per schedule in the Education Codes It is enjoined upon all the aided institutions that they should not reduce fees below these rates from the students in their institutions and all the income derived as such should be properly accounted for in their accounts

Sd/
Director of Education

[6]

Clarification

The Accountant General,
Rajasthan JAPUR

Subject Grant in aid Rules 1963

Ref Your latter No CAD II GIA/7785 dated 5 1 72

Sir

I am directed to say that under Rule 5 (d) of Grant in aid Rules the words income from fees and other recurring sources during the same year' denote the actual income during the year

This issues in consultation with the finance Department vide their I D No 577 dated 15/23 12 72

[Education (Group-IV) Department, No 1 (6) Edu/c/6/Gr/IV/70, Dated the 24/3/72]

[7]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

स्थाई आदेश सख्या–12/72

अनुदान नियम 1963 की धारा 5 (डी), धारा 5 के नोट 2 (5) के तगत जो शिक्षण सस्थायें शिक्षण तथा अन्य शुल्क छात्र छात्राओ से वसूल करती है, हें यह शुल्क राशि धारा 5 नोट 2(5) के अनुसार अनुदान प्राथना पत्र (आवतक) अन्तगत, आय मद म प्रदर्शित करने का प्रावधान है। अनुदान नियम–1963 के रिशिष्ट 10 मे शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित र पर ही छात्र छात्राओ से वसूल करने का प्रावधान है। अनुदान नियम 1963 की ारा 3(12) मे छात्र छात्राओ से शिक्षण शुल्क एव अ य शुल्क सरकार द्वारा निर्धा-त दर से कम दर वसूल नही करने का एव बिना विभाग के पूव अनुमति प्राप्त न्य किसी प्रकार की शुल्क न वसूल करने का प्रावधान है।

महालेखाकार राजस्थान, जयपुर तथा विभागीय आडिट पार्टी ने अनुदान ाप्त शिक्षण सस्थाओ के अकेक्षण जाच प्रतिवेदन मे यह आक्षेप प्रस्तुत किया है कि तिपय शिक्षण सस्थायें सरकारी दर से कम और अनेकानेक सरकारी दर से अधिक र पर शिक्षण व अन्य शुल्क वसूल करती हैं तथा शिक्षण तथा अन्य शुल्क हेतु विभागीय स्थाई आदेश 2/68 एव उपरोक्त अनुदान नियमो के प्रावधान की पूण रूपण अनुपालना नही की जा रही है। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य शुल्क को सरकारी दर से अधिक दर पर बिना विभागीय पूर्वानुमति के छात्र छात्राओ से वसूल किया जाना अनियमित है और इस शुल्क द्वारा प्राप्त धन राशि का अनुदान प्राथना पत्र (आवतक) में आय मद मे प्रदर्शित न करना विभाग को गलत सूचना माना जा सकता है एव विभाग के नोटिस में ऐसे मामले लाये जाने पर इस प्रकार वसूल की गई राशि को अनुदान हेतु स्वीकृत व्यय मानकर अधिक भुगतान की गई राशि को वसूल की जा सकती।

इस आदेश द्वारा समस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओ को आदेश दिया जाता है कि अनुदान नियम 1963 के शुल्क सम्ब धी प्रावधानो एव इस सम्ब ध मे प्रसारित विभागीय आदेशो की पूण अनुपालना की जावे। इन प्रावधानो व आदेशो का उल्लघन या अवहेलना करने पर ऐसी शिक्षण सस्थाओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही करने अथवा अनुदान ब द करने को विभाग बाध्य होगा। जो सस्थायें सरकारी दर से अधिक दर पर शिक्षण व अन्य शुल्क विगत वर्षों मे बिना विभागीय अनुमति व स्वीकृति प्राप्त किये छात्र छात्राओ से वसूल करती रही है, वह अब अनु-मति या स्वीकृति प्राप्त करें।

प्राय यह भी देखा गया है कि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थायें छात्र छात्राओं से सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य प्रकार के शुल्क भी वसूल कर रही है। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क की बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के वसूली अनियमितता है और इस प्रकार की प्रक्रिया अविलम्ब समाप्त किया जावें।

विभाग के सम्मुख यह समस्या भी लाई गई है कि कुछ संस्थायें बस पर सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर से ही वसूल नही करती वरन जो छात्र छात्रायें बस का उपयोग नहीं करती है उनसे भी पिकनिक या सिनेमाओं में ले जाने की सुविधा हेतु मासिक बस फीस वसूल की जाती रही है यहा तक कि ग्रीष्म अवकाश अवधि की भी बस फीस ली जाती रही है। बस की सुविधा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि वे बस फीस नियमानुसार सरकारी दर से ही छात्र छात्राओं से वसूल करे, ड्राईवर का वतन बस मेंटेनेन्स खर्चा, डिप्रीसियशन राशि के व्यय से अधिक राशि को संस्था की आय मद में प्रदर्शित किया जावे जिससे कि अनुदान स्वीकृत करते समय इस राशि का नियमानुसार अनुदान हेतु समायोजित किया जा सकें।

प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी इसकी जांच अनुदान प्राथना पत्र (मासिक) जांच करते समय अवश्य कर लें एव ऐसे मामले आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुदान प्राथना पत्र के साथ अपनी टिप्पणी सहित प्रस्तुत करें।

[क्रमांक ई डी बी/एड/ए/16011/85/72 दिनांक 11-12 72]

[8]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के परिपत्र सख्या ईडीबी/एड/डी/15382/107/58 दिनांक 7-10-58, ईडीबी/एड/बी/17382/110/58 दिनांक 10-10-58 तथा ईडीबी/एके/सी/14186/(4)/59) दिनांक 17-1-59 के द्वारा समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं के प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियो को निर्देश प्रसारित किय गये थे कि अनुदान प्राप्त सस्थाओं में पाठन तथा अन्य शुल्क राजकीय शालाओं के लिए निर्धारित दरो पर ही छात्रों से वसूल किया जावे।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कुछ अनुदान प्राप्त सस्थाए निर्धारित दरो से अधिक शुल्क वसूल करती है जो नियमानुकूल नही है।

अत समस्त प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारियो (अनुदान प्राप्त सस्थाम्रो के नए) को पुन निर्देश दिय जाते हैं कि वे यह देखें कि अनुदान प्राप्त सस्थाम्रो में भी प्रकार के शुल्क इस कार्यालय के पत्राक ईडीवी/एड/वी–2/57/62 दिनाक 6-10-62 व इस सम्बन्ध मे बाद मे समय समय पर प्रसारित आदेशो। शुद्धिपत्रो दी गई दरो से अधिक शुल्क वसूल न करें, यदि कोई सस्था उक्त दरों से अधिक शुल्क वसूल करती है तो ऐसे वसूल किया गया शुल्क सस्था की आय मानकर सस्था को तदनुसार अनुदान दिया जावेगा। इसी प्रकार वसूल करने योग्य शुल्क यदि सस्था द्वारा वसूल नही किया जाता है। तो वह भी सस्था की अनुमानित आय माना जावेगी और तदनुसार ही सस्था को अनुदान स्वीकृति होगा। प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियो का यह दायित्व है कि यह देखें कि निर्देशो का पालन सही ढग से हो रहा है। उक्त निर्देशा से सस्थाम्रो को भी अवगत करा दिया जावे।

[क्रमाक-शिविरा/अनु/डी/16022/125/दि 3 9-75]

[७]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।

परिपत्र

इस विभाग के सम सरयक प्रा... दिनाक 3–9–75 के द्वारा निर्देश दिये गये थे कि यदि कोई सस्था इस विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशो म दी गई दरा से अधिक दरो पर पाठन तथा अन्य शुल्क वसूल करती है तो ऐसे वसूल किया गया शुल्क सस्था की आय माना जावेगा तथा तदनुसार अनुदान दिया जायगा। उक्त आदेश में आथिक स शोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सस्था इस विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई दरो से अधिक दरों पर पाठन तथा अन्य शुल्क वसूल करती है तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाली राशि में सिर्फ निर्धारित दर के हिसाब से बनने वाली राशि को ही सस्था की आय माना जायेगा अर्थात निर्धारित दर से बनने वाली राशि से अधिक प्राप्त हुई राशि को सस्था की आय में शामिल नही किया जावेगा।

पूव प्रसारित आदश दिनांक 3–9–75 के अनुसार यदि कोई सस्था निर्धारित दर से कम दर पर शुल्क वसूल करती है तो अनुदान हेतु निर्धारित दर के हिसाब से बनने वाली शुल्क की राशि को ही सस्था की आय माना जावेगा चाहे सस्था ने इतनी राशि शुल्क के रूप में वसूल न की हो।

[क्रमांक-शिविरा/अनु/डी/16022/125/71-72, दि 16/21 11-75]

सगीत विषय पढाने के लिए प्रशिक्षित द्वितीय वेतन श्रृंखला के समतुल्य माना गया है।" इसी अनुच्छेद के अन्त में निम्नांकित पंक्तिया जोडी जाय —

"भविष्य मे जो व्यक्ति मेट्रीकुलेट है तथा उपरोक्त सस्थाओ मे किसी सस्था का सगीत प्रमाण पत्र भी रखता है तो उसे भी प्रशिक्षित द्वितीय वेतन श्रृंखला दी जावगी।

अनुच्छेद 3 का शीर्षक निम्न प्रकार पढा जाय—

"निम्नांकित सस्थाओ से जो व्यक्ति सगीत का प्रमाण पत्र रखते हैं उनको सगीत विषय पढाने के लिये वरिष्ठ अध्यापक के समतुल्य माना गया है।"

इसी अनुच्छेद के उप अनुच्छेद 7 को रद्द किया गया है। किन्तु अनुच्छेद के अन्त म निम्नांकिन पंक्तिया जोडी जाकर पढा जावें —

राज्य सरकार की विभागीय परीक्षाओं को निम्नानुसार मान्यता दी गई है।

सगीत भूषण —तृतीय वेतन श्रृंखला के लिये प्रशिक्षित बी एस टी सी के समकक्ष अगर व्यक्ति हाई स्कूल पास हो।

सगीत प्रभाकर —द्वितीय वेतन श्रृंखला के लिये प्रशिक्षित स्नातक स्तर के समकक्ष अगर व्यक्ति हाई स्कूल पास हो।

सगीत निपुण।—वरिष्ठ अध्यापक के पद के लिये योग्य अगर व्यक्ति हाई स्कूल पास है।

[क्रमाक शिविरा/अनु/एफ/16059/15/74, दिनांक 14-2-74]

[7]

आदेश

[क्रमाक -प 9 (63) साप्र/3/71, दिनाक 30-3-74

प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रशिक्षण (Early Child Education Diploma) विद्याभवन गोविन्दराम सेक्सरिया टीचर्स कालेज, उदयपुर द्वारा सचालित प्रशिक्षण को राज्य सरकार ने अपने पत्र स एफ 9 (63) सा/प्रा/3/71 दिनांक 22 जुलाई, 1971 के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा सचालित बुनियादी प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्रदान की थी। बुनियादी प्रशिक्षण (बी एस टी सी) दो वर्षीय हो जाने से राज्य सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए यह निर्णय लिया जाता है -

1 इस सस्था द्वारा सत्र 1970-71 से सत्र 1972-73 तक प्रदत्त डिप्लोमा को इस शर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है कि इन डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को शिक्षा विभाग द्वारा सचालित एक वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा और ऐसा करने पर ही उनको तृतीय श्रेणी प्रशिक्षित

अध्यापक का वेतनमान दिया जाना सम्भव होगा। जिन डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा उक्त पत्राचार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं किया जाता है उन्हें केवल अप्रशिक्षित तृतीय श्रेणी अध्यापक वतनमान दिया जावेगा। प्रारम्भिक बाल्यावस्था प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिया, जो कि विशेष तौर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिये प्रशिक्षित होते है, के लिये शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पत्राचार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जावगा। जिससे वे प्राथमिक कक्षाओं को भी पढा सकें।

[क्रमाक –शिविरा/अनु/ए/एफ/16059/35/74, दिनाक 28-5-74]

[8]

विषय — हनुमान व्यायाम प्रसारक मडल अमरावती की विभिन्न व्यायाम परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु।

[क्रमाक –9 (10) सा प्र /ख/72 दिनाक 20 अप्रेल, 1974]

राज्य सरकार द्वारा श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मडल अमरावती की निम्नांकित विभिन्न व्यायाम परीक्षाओं का उनके सामने अंकित स्तर तक मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है —

मान्यता प्रदान दिये जाने वाले प्रमाण पत्र/उपाधि का नाम	समकक्ष उपाधि प्रमाण पत्र का नाम
1 शारीरिक शिक्षा सर्टिफिकेट कोर्स	1 राजस्थान सरकार के राजकीय कालेज आफ फीजिकल एज्यूकेशन जोधपुर, के सर्टीफिकेट कोर्स के समकक्ष तृतीय वेतन श्रृ खला में नियुक्ति हेतु।
2 शारीरिक शिक्षा डिप्लोमा कोर्स (अमरावती)	2 राजस्थान सरकार के राजकीय कालेज आफ फिजीकल एज्यूकेशन, जोधपुर के डिप्लोमा कोर्स के समकक्ष द्वितीय वेतन श्रृ खला में नियुक्ति हेतु।
3 (1) व्यायाम प्रवेश	3 सन् 1970 तक नियुक्त व्यायाम अध्यापकों की नियुक्ति को नियमन करने हेतु राजस्थान कालेज आफ फीजिकल एज्यूकेशन, जोधपुर के सर्टीफिकेट के समकक्ष निम्नलिखित शर्तों के अनुसार –

(क) व्यायाम प्रवेश, व्यायाम पटु एव व्यायाम विशारद में से कोई एक योग्यता प्राप्त हो और हाई स्कूल उत्तीर्ण नहीं हो तो अप्रशिक्षित मैट्रिक शृखला में नियुक्ति नियमन करने हेतु।

(ख) व्यायाम प्रवर व्यायाम पटु एव व्यायाम विशारद म स कोई एक योग्यता प्राप्त हो और मैट्रिक/हाई स्कूल उत्तीर्ण हो तो प्रशिक्षित मैट्रिक श्रृंखला म नियुक्ति नियमन करने हेतु।

(ग) व्यायाम विशारद सहित किसी विधिवत् विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि प्राप्त हो तो प्रशिक्षित स्नातक वेतन श्रृंखला मे नियुक्ति नियमन करने हेतु।

[क्रमाक –शिविरा/अनु/एफ/16059/56/परिपत्र/74/57, दिनांक 19-7-74]

[9]

विषय —बोर्ड द्वारा सचालित प्रवेशिका एव उपाध्याय सस्कृत परीक्षाओ की मान्यता।

[क्रमाक एफ 9 (8) सा प्र /11/72 दिनाक 11 जनवरी, 1975]

राज्य सरकार ने इस विभाग के सम सख्यक आदेश दिनाक 2 सितम्बर 1974 में सशोधन करके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सचालित निम्न लिखित परीक्षाओ को उनके नाम के आगे उल्लेखित परीक्षाओ के समकक्ष राजकीय सेवाओ में नियुक्ति हेतु मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है —

	नाम परीक्षा	समकक्ष परीक्षा
1	प्रवेशिका परीक्षा (अग्रेजी सहित)	सैकण्डरी स्कूल परीक्षा
2	उपाध्याय (प्रथम खण्ड) परीक्षा अथवा उपाध्याय परीक्षा एक वर्षीय (अग्रेजी सहित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर)	हायर सैकेण्डरी परीक्षा
3	उपाध्याय (सम्पूर्ण खण्ड) परीक्षा उपाध्याय द्वितीय वर्षीय परीक्षा (अग्रेजी सहित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर)	इन्टरमीडिएट परीक्षा

[10]

आदेश

[प 0 (75) सा प्र/ख/71 शिक्षा 5, दिनाक 12 मार्च 1975]

राजस्थान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सस्कृत सस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित निम्न परीक्षाओ को उनके समक्ष अकित परीक्षाओ के समकक्ष मान्यता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है --

नाम संस्कृत परीक्षा	समकक्षता
शास्त्री	राजस्थान विश्व विद्यालय की शास्त्री परीक्षा क समक
मध्यमा परीक्षा	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उपाध्याय परीक्षा/हा सैकण्डरी परीक्षा के समकक्ष।

[11]

आदेश

[प 9 (76) सा प्र/ख/71/शिक्षा 5, दिनाक 15/18 मार्च, 75]

इस विभाग के आदेश सम सख्यक दिनाक 12 3 75 के क्रम मे राज्य राज्य सरकार राष्टीय सस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित शिक्षा शास्त्री परीक्षा बी एड परीक्षा के समकक्ष केवल सस्कृत विषय में मान्यता प्रदान करती है।

[12]

आज्ञा

[आदेश सख्या प 9 (66) शा/प्र/3/69, जयपुर दिनाक 17 सित 1973]

राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रशिक्षण प एल टी इलाहाबाद को राजस्थान विश्व विद्यालय द्वारा सचालित बी एड के समान नियुक्ति हेतु मान्यता प्रदान करन का निर्णय लिया गया है।

[13]

विषय —प्राचीन कला केन्द्र, चण्डीगढ को सगीत अथवा वाद्य मे भास्कर तथा सगीत अथवा वाद्य में विशारद परीक्षा को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध मे।

[एफ 9 (13) माप्र/11/72, दिनांक 29 मई, 1975]

राज्य सरकार के प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ को सगीत नृत्य विशारद (Bachllor of Music) तथा सगीत नृत्य भास्कर (Master of Music) परीक्षाओं को मान्यता प्राप्त विद्यालयों मे सगीत अध्यापक हेतु निम्नानुसार मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है —

1	मैट्रिक द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा एव प्राचीन कला केन्द्र चण्डीगढ की गायन अथवा वाद्य में विशारद परीक्षा द्वितीय श्रेणी में।	सहायक अध्यापक सगीत (कक्षा 9 व 10 के अध्यापन हेतु)

[3]

घोषणा पत्र

क्रमांक दिनांक

सेवामें

(1) अपर निदेशक,
प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

(2) उप निदेशक (महिला अथवा पुरुष),
शिक्षा विभाग,

(3) प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता,

विषय —वचन बद्धता (Under Taking)

मैं आत्मज

वतमान निवासी (नाम सस्था)

का वधानिक मत्री/व्यवस्थापक/ सभापति के नाते (जैसा कि व्यवस्थापन समिति के प्रस्ताव स दिनांक द्वारा अधिकृत किया गया), राजस्थान सरकार, के शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत राशि प्राप्त करने तथा उससे सबद्ध सस्था के लेखा जोखा को व्यवस्थित ढग से रखने का सपूर्ण उत्तरदायित्व लेने की लिखित वचन बद्धता देता हू तथा मेरे इस पद पर कायकाल के दौरान यदि कोई अथ हानि, गबन, दुरुपयोग व अनियमितता प्रकट हुई, उसके लिये उपरोक्त सस्था के पदेन अधिकारी के रूप में, जिम्मेदार हूगा, तथा राजस्थान सरकार, अपर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा व प्रति हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी द्वारा समय समय पर प्रसारित नियमो व आदेशों का यथावत अनुपालन करने को वाध्य हूगा ।

हस्ताक्षर,
पद का नाम

दिनाक सस्था का नाम

[4]

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक एव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

स्थाई आदेश सख्या6/62/7/72

राजस्थान सरकार से अनुदान प्राप्त कतिपय सस्थाओ की व्यवस्थापक। प्रबन्धकारिणी समिति का गठन अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट एक के अनुसार विधिवत नही होने की सूचना प्राप्त हुई है । ऐसी स स्थाओ में प्रबन्धकारिणी समिति के विवाद के कारण स स्था स चालन सुचारू रूप से नही होने की स्थिति उत्पन्न

होती है। इन कठिनाईयाँ एवं समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि वे नवम्बर 1972 तक विधिवत अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट एक में दिये गये निर्देशनों का पूर्णत: पालन करते हुए संस्था प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करले तथा प्रबन्धकारिणी के विधिवत गठन होने का सत्यापन पंजीयक संस्थायें, राजस्थान, जयपुर द्वारा करवाकर इसकी एक सत्यापित प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित की जावे। संस्थायें जिनमे प्रबन्धकारिणी नियमानुसार गठित हो, इसके सदस्यों की सूची अनुदान विपत्र पर प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी का प्रषित की जावें यदि किसी संस्था ने इस आदेश की अनुपालना में शिथिलता की तो उसके विपत्र पर दिसम्बर, 1972 से प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी हस्ताक्षर नहीं करें और ऐसी दशा में अनुदान राशि प्राप्त न होने पर संस्था में उत्पन्न समस्त समस्याओं का दायित्व संस्था अधिकारियों का होगा। अनुदान नियम 1963 के अनुसार गठित समिति का कार्यकाल यदि तीन वर्ष से अधिक हो गया है तो पुनर्निर्वाचन किये जावे।

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन नियमानुसार हो, इस हेतु प्रत्येक संस्था को आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित अभिलेख रखा जावें तथा प्रतिवर्ष निरीक्षण अधिकारी द्वारा इसकी जाच की जावें --

(क) आजन्म सदस्यों की नामावली।

(ख) मानद (Honorary) सदस्यो की नामावली। तथा

(ग) दानदाता (Doners) सदस्यो की नामावली।

प्रबन्धकारिणी। व्यवस्थापक समिति चुनाव हेतु निम्न प्रणाली का अनुसरण किया जावें।

(1) एक चुनाव अधिकारी मनोनीत किया जावे।

(2) चुनाव तिथि के कम से कम एक माह पूर्व चुनाव अधिकारी समस्त चयन मण्डल के सदस्यों को चुनाव हेतु आवश्यक सूचना प्रसारित करेंगे।

(3) चुनाव सम्बन्धी सूचना प्रसारित की जावे। इसमें चुनाव तिथि, चुनाव स्थल समय का उल्लेख किया जावे।

(4) चुनाव सम्बन्धी समस्त विवरण चुनाव अधिकारी रखेंगे।

(5) चुनाव विवरण में प्रस्तावित सदस्यो की एवं चयनित सदस्यो की नामावली तथा उसके द्वारा प्राप्त मत संख्या का उल्लेख किया जावे।

(6) चुनाव गुप्त मत प्रणाली द्वारा ही सम्पन्न हो। गुप्त मत प्रणाली के सम्बन्ध के कार्य प्रणाली का चुनाव अधिकारी स्वयं निर्धारण करें।

(7) चयनित सदस्य चुनाव के एक माह भीतर सहवरण(Co Opted) सदस्यों का चुनाव कर लिया जावे।

(8) चुनाव के तुरन्त बाद विभागीय प्रतिनिधि की सदस्यता नियोजन हेतु उचित कार्यवाही की जावे।

(9) प्रबन्धकारिणी समिति के गठन हो जाने पर व्यवस्थापक सचिव, सभापति, कोषाध्यक्ष आदि पदों का चुनाव चयनित एवं मनोनीत सदस्य करेंगे।

प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रबन्धकारिणी। व्यवस्थापक समिति की सूचना निम्न प्रपत्र में रखें एवं इसकी एक प्रति प्रत्येक वर्ष माह जनवरी में निदेशक प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करें।

[क्रमांक ई डी बी/एड/ए/16007/66/72 73, दिनांक 15 जून, 72]

प्रपत्र

प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय की मुहर

प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी का पूरा नाम

संस्था का नाम	प्रबन्धकारिणी की कार्यभार सम्भालने की तिथि	सदस्यों की संख्या	विभागीय नियोजित अधिकारी का नाम
1	2	4	5

[5]

कार्यालय निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

परिपत्र

विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं संबंधी अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में इनके द्वारा विभागीय नियमों की अनुपालना न किये जाने की घटना विभाग के सम्मुख लायी जाती रही है यह देखा गया है कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं की ऐसी प्रबन्धकारिणी समिति, जो दो या दो से अधिक शिक्षण संस्थाओं का संचालन करती है और इनमें से सभी या कुछ शिक्षण संस्थायें अनुदान प्राप्त है, एक संस्था हेतु निर्धारित एवं स्वीकृत स्टाफ का स्थानान्तर दूसरी संस्था में बिना विभागीय अनुमति प्राप्त किये करती रहती है। किसी संस्था का निरीक्षण करते समय यह सूचित किया जाता है कि अमुक कर्मचारी का नाम इस संस्था की उपस्थिति पंजिका में है परन्तु वह इसी संस्था की प्रबन्धकारिणी द्वारा संचालित दूसरी संस्था में कार्य कर रहा है संस्था प्रबन्धकारिणी द्वारा इस प्रकार की जाने वाली कार्यवाही अनियमित कार्यवाही है। जिस संस्था विशेष हेतु विभाग द्वारा जो पद स्वीकृत किये गये है, उन्हें उसी संस्था विशेष में कार्य करना अनिवार्य

है। यदि वह किसी दूसरी संस्था में प्रतिनियुक्त किया हो तो विभाग को इसकी सूचना प्राप्त होते ही ऐसे स्वीकृत पद को कम कर दिया जावेगा एवं इस पद के वेतन पर अनुदान अस्वीकृत कर दिया जावेगा। यह भी देखा गया है कि कुछ अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्रा संख्या में कमी हो जाने के कारण स्टाफ में कमी कर दी गई है परन्तु इसकी सूचना विभाग को नहीं दी जाती रही है। ऐसी शिक्षण संस्थाओं की प्रबंधकारिणी, समिति का दायित्व है कि वह ऐसे मामलों की सूचना यथाशीघ्र विभाग को प्रेषित करदें। जो संस्थायें इस नियम का पालन नहीं करेंगी, विभाग के सामने ऐसी अनियमितता को लाये जाने पर, संस्था को दिया जाने वाला अनुदान प्रतिशत में कमी या अनुदान बन्द किया जा सकता है।

कुछ अनुदान प्राप्त संस्थायें प्राइमरी स्तर मिडिल स्तर और माध्यमिक स्तर पर अनुदान सूची में ली गई है परन्तु इनके द्वारा क्रमशः मिडिल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षायें भी चालू की गई है। जिस स्तर हेतु अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

उस स्तर हेतु अलग से अध्यापक, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कर अलग भवन में संस्थायें संचालित करना आवश्यक है। अनुदान प्राप्त स्तर के अध्यापकों, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिये अलग उपस्थिति पंजिका एवं वेतन भुगतान रजिस्टर, आय व्यय रखना तथा जिस स्तर पर अनुदान प्राप्त हो रहा है उसके लिए अलग विवरण रखना आवश्यक है। जो संस्थायें भविष्य में इसके अनुसार कार्य करती नहीं पायी जावेगी उन्हें तब तक अनुदान राशि देय नहीं होगी जब तक वह इस निर्देशन का पूर्णतः पालन न करे। अनुदान प्रार्थना पत्र में अनुदान प्रार्थना पत्र में अनुदान प्राप्त स्तर के कर्मचारियों की नामावली एवं उस स्तर की कर्मचारियों की नामावली जिस पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है अलग अलग प्रस्तुत करना आवश्यक है। अध्यापक की नियुक्ति पत्र में भी ऐसी संस्थाओं को यह अंकित करना आवश्यक होगा कि अध्यापक की नियुक्ति किस स्तर हेतु की जा रही है। यह भी देखा गया है कि प्राइमरी स्तर हेतु जिस भवन का किराया पर अनुदान दिया जा रहा है जिस भवन में मिडिल स्तर, जिसको मिडिल स्तर पर भवन किराया पर अनुदान दिया जा रहा है उसी भवन में माध्यमिक स्तर आदि की कक्षायें चलायी जा रही है। जैसा कि इस निदेशालय के स्थाई आदेश 11/72 दिनांक 1-9-72 में आदेश दिया गया है ऐसा करना नियमानुकूल नहीं है अतः अनुदान प्राप्त स्तर पर भवन किराये की गणना करते समय अनुदान प्राप्त स्तर से उच्च स्तर हेतु प्रयुक्त किये गये आवास का पृथक से मूल्यांकन कर भवन किराये के एफ० आर० ओ० में यह राशि कम करना आवश्यक है। इस सूचना के अभाव में ऐसी संस्थाओं के भवन किराये पर अनुदान देय नहीं है।

[क्रमांक ट्रोडी/एड/ए/16011/72/45 दिनांक 15-11-72]

[6]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

परिपत्र

विषय —सहायता प्राप्त सस्थाओं के एक दूसरी व्यवस्थापन समिति के अधीन हस्तान्तरण ।

ऐसे अनेक मामले विभाग के सामने आये जिनमे एक सहायता प्राप्त सस्था या तो इसकी रजिस्टड सहायता प्राप्त सस्था के नियत्रण में जाने अथवा दोनो ही एक दूसरे को नियत्रण में लेने या देने सबधी कायवाही अपने ही स्तर पर कर लेते हैं तथा उसके प्रस्ताव बाद मे भेजते हैं । यह अनुदान नियम 13 के अन्तगत सवथा अनुचित है । नियमानुसार ऐसी कायवाही को वैध नही माना जा सकता ।

अत सभी सहायता प्राप्त सस्थाओ को आदेश दिये जाते है कि जब भ किसी सस्था का हस्तातरण या विलीनीकरण किया जावे उसके लिये विधिवत अनुमि विभाग से पूव मे प्राप्त की जावे तथा रजिस्ट्रार समितिया को सूचना भेजी जावे सबधित प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारिया से भी निवेदन है कि वे ऐसे प्रस्तावो अपनी विशिष्ट टिप्पणी दिया करें । भविष्य म बिना पूर्वानुमति प्राप्त मामलो विचार करना सभव नहीं होगा ।

[क्रमाक ईडीबी/एड/ए/16011/77/72, दिनाक 25-11-72]

[7]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

सशोधन स्थाई आदेश 7/72

इस कार्यालय के पूव पृष्ठाकन सख्या ईडीबी/एड/एफ/16007/66/72 73 दिनाक 15-6-72 की मूल भावना यह थी कि सहायता प्राप्त सस्थायें अपनी व्यवस्थापन समिति का गठन अनुदान नियम परिशिष्ट एक के अनुसार करेंगे । अब यह सशोधित किया जाता है कि एक से अधिक सस्थाओ का सचालन करने वाली रजिस्टड सस्था (ट्रस्ट) को उसके अधीन चल रही अनुदान प्राप्त सस्था के लिये अलग से प्रबन्धकारिणी समिति के गठन अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट एक के अनुरूप किया जावे परतु ऐसी समिति के सदस्यो की सूची को रजिस्ट्रार सस्थायें द्वारा रजिस्टड करने की आवश्यकता नही हैं ।

[सख्या —ईडीबी/एड/ए/16011/108/72, दिनाक 3-2-73]

[८]

Sub -Transfer of employees from one aided institution to another run by one parent body

[No F 29(29)Edu/Gr v/73 dated 15 May,1974]

Refer to your letter No Shivira/Anv/A/16011/2/74 75 dated 29-4-74

The question has been examined by Government and it has been decided that if one parent body Is running more than one institutions it may transfer employees from one institution to another subject to the following conditions -

(1) The service conditions, pay scale etc of the persons trnsferred from one institution to other is the same

(2) Both institutions where transfer is being made are aided upto the same percentage If it is not so transfer will be allowed subject to the condition that by doing so there is no incre se in the actual grant-in aid payable to the institution

[No EDB/Aid/A/16011/74, Dated 16-8-64]

[९]

Subject -Revision of Pay Scales of organising Secretaries in the aided institutions

[No F 29(2)Edu/Gr V/73 dated 14 Oct, 1974]

I am directed to convey sanction of the Governor to the revision of the pay scales of the posts of organising Secretaries in the various aided Educational institutions as under with effect from 1-10-1974 -

Existing pay scales	Revised pay scales	Remarks
1	2	3
150-300	150 8 190 10 210 15 350	For Institutions with approved expenditure upto Rs 1 00 lakh
250-300	225 15 345 20 525	For institutions with approved

1	2	3
		expenditure upto Rs 2 00 lakhs & above

This issued with the concurrence of Finance Deptt (Exp I) vide their I D No 3602 dated 25 9 74

अध्याय–६

भवन किराये के संबध मे आदेश

[1]

कार्यालय, निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

स्थाई आदेश संख्या 11/72

[क्रमांक —ईडीवी/एड/ए/16011/72/16 दिनांक 1–9–72]

इस कार्यालय के ध्यान में समय समय पर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के भवन किराया संबधी अनेक समस्यायें लाई गई उदाहरणत किराय म वृद्धि, संस्था भवन परिवीक्षा या भवन में अतिरिक्त आवास व्यवस्था हेतु नया निर्माण कार्य। अनुदान नियम 1963, 6 (जि) नोट 4 के अनुसार निम्न शर्तों की पूर्ति होने पर ही भवन किराये पर अनुदान देय है,—

(1) संस्था भवन किराया नामा शर्त एव दशाओं सहित मकान मालिक तथा संस्था अधिकारी द्वारा नियमानुसार हस्तांतरित होना आवश्यक है।

(2) कियायानामा पंजीयक विभाग द्वारा पंजीकृत किया जाना आवश्यक है। नोटेरी (Notory) द्वारा पंजीकृत किरायानामा अनुदान हेतु मान्य नहीं समझा जावेगा।

(3) भवन का मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाकर उसी के अनुसार उचित किराया प्रमाण पत्र (एफ आर सी) प्रस्तुत किया जावे। इस प्रमाण पत्र में भवन कि आवास संबधी सूचना, कमरो की संख्या प्रत्येक कमरे की लम्बाई चौड़ाई एव ऊंचाई का विवरण भी अंकित किया जावे।

(4) किराया चुकारा रसीद की सत्यापित प्रतिलिपि अनुदान प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जावे।

इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं को निम्न निर्देश दिये जाते हैं —

(1) भवन परिवर्तन की पूर्वानुमति संस्था के विपत्र प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी से प्राप्त की जावे। अनुमति प्रदान आदेश जारी की गई तिथि से पहले का भवन किराया अनुदान हेतु अमान्य समझा जावेगा।

(2) भवन में अतिरिक्त नये कमरे बनाने की सूचना विभाग को संस्था द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के तुरन्त बाद प्रेषित की जानी चाहिए।

(3) संस्था के भवन का कोई भाग संस्था के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका व्यवस्थापक मन्त्री आदि किसी संस्था अधिकारी के आवास हेतु काम में लाया जाता है तो इसका पूर्ण विवरण एवं मासिक किराया का गणना पत्र भी अनुदान प्रार्थना पत्र में साथ प्रस्तुत किया जावे तथा संस्था भवन के जो भाग किराये पर दिये गये हों उसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जावे।

(4) ऐसी संस्थाओं को जो किसी स्तर पर अनुदान हेतु मान्य हैं, परन्तु संस्था में उच्च स्तर की कक्षायें भी चालू करने की विभाग से अनुमति प्राप्त हो और दोनों स्तरों की कक्षाये एक ही भवन में लगाई जाती हैं और समस्त भवन किराया अनुदान प्राप्त स्तर हेतु चार्ज किया जाता हो तो ऐसी संस्थाओं को उच्च स्तर की कक्षा हेतु प्रयुक्त कमरों का पूर्ण विवरण एवं एतदर्थ अनुमानित किराये का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा अपेक्षित सूचना के अभाव में ऐसी संस्था का भवन किराया अनुदान हेतु स्वीकृत व्यय नहीं माना जावेगा।

(5) कुछ संस्थायें संस्था भवन को स्कूल समय के पहले या बाद में अन्य प्रवृत्तियों हेतु प्रयुक्त करते पाये गये हैं। ऐसी अवस्था में संस्था भवन को अन्य प्रवृत्तियों हेतु प्रयुक्त करने की अनुमति विपत्र प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है। पूर्ण अनुमति के अभाव में संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जिसमें भवन किराये पर अनुदान स्वीकृत न किया जाना भी सम्मिलित है।

(6) भवन किराये में वृद्धि अनुदान हेतु तभी मान्य होगी जबकि संस्था अतिरिक्त आवास की आवश्यकता का प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी से प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रस्तुत करे एवं अतिरिक्त आवास की व्यवस्था का पूर्ण विवरण एवं मूल्यांकन पी० डब्लू० डी० से करवाकर उसका भी प्रमाण प्रस्तुत करे।

(7) शिक्षा संस्था को जो विभाग से भवन किराये पर अनुदान प्राप्त करती है, सन 1972 73 से प्रतिवर्ष निम्न प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही [illegible] अधिकारी भवन किराया स्वीकृति हेतु अनुशंसा करेंगे।

मैं व्यवस्थापक/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि संस्था का भवन, जिस हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है, पूर्णत: अनुदान हेतु स्वीकृत स्तर की कक्षाओं हेतु ही काम मे लाया जा रहा है। भवन का कोई भाग संस्था अधिकारी के आवास हेतु या किराये हेतु काम में नही लाया जा रहा है। संस्था भवन अन्य प्रवृतियों हेतु भी प्रयुक्त नही किया जा रहा है। अथवा संस्था भवन का मासिक किराया भवन के अन्य प्रवृतियों हेतु काम में लाने के कारण जिसके प्रमाण सलग्न हे केवल रुपया मात्र मासिक भवन किराया अनुदान हेतु स्वीकृत व्यय माना जावे।

[2]

Clarifications (1)

The provisions of grant in aid Rules are very clear and rent is admissible from the actual date the building is taken on rent and not from the date of registration of rent deed The actual occupation on rent is to be confirmed either on the basis of the P W D Certificate or an stipulation in the deed itself

[No F 1(3)Edu/C-6/71, Dated the 23 Jan , 1971]

Clarifications (2)

The rent is admissible from the actual date the buiding is taken on rent and not from the date of registration of rent deed

[No F 1(101)Edu/6/70, Dated the 5 June, 1974]

अध्याय–३

रेल्वे-शालाओं के संबंध में अनुदान-नियम

[1]

Sub —Grant in aid to Railway Schools situated in Rajasthan

In continuation of this Department letter of even No Dated the 4th April 1958 on the above subject, I am directed to say that the State Government propose to give grant in-aid to the various Railway Schools situated in this state from next year according to the grant in aid rules at the following rates:—

1	Primary Schools	50% of approved expenditure
2	Middle Schools	33% of approved expenditure
3	High Schools & Higher Sec Schools	25% of approved expenditure

The State Government have also considered the case of the Anglo Indian Schools but they do not propose to give any grant in aid to such schools

[No F 18 (4)/56 dated 17 Oct, 1958]

[2]

विषय —अनुदान प्राप्त संस्थाओं में नियुक्ति हेतु निर्धारित चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि नियोजित करने के क्रम में।

विभाग के सम्मुख यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय रेलवे द्वारा संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति केन्द्रीय सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा निर्मित सेवा नियमों के अनुसार की जाती है। प्रत्येक रेलवे के मुख्य कार्यालय पर स्थित रेल सेवा आयोग इन कर्मचारियों का चयन करके चयनित व्यक्तियों की सूची प्रत्येक मंडल कार्मिक अधिकारी को भेज देता है कार्मिक अधिकारी द्वारा अपने अपने मंडल स्थित रेलवे स्कूलों के अध्यक्ष से सूची में से क्रमवार नियुक्ति की जाती है। विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त कर्मचारियों की नव नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति में विभागीय करने का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध प्रत्याशी में से सुयोग्य व्यक्ति का

की जा रही अनियमितता को रोकना है। रेलवे बोर्ड द्वारा सचालित शिक्षण सस्थाओं के कर्मचारियो का चयन रेल सेवा आयोग द्वारा विधिवत किया जाता है। अत सस्थाओ की नव नियुक्ति हेतु निर्मित चयन समिति मे विभागीय प्रतिनिधि का समा योजित करना आवश्यक नही समझा जावे। रेलवे आयोग द्वारा नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की शक्षणिक एव प्रशिक्षणक योग्यता पूण होने पर अनुमोदन किया जावे जिससे इन पदो पर अनुदान स्वीकृत किया जा सके।

[कमाक —ई डी बी/एड/ए/16011/86/72, दिनांक 11-12-72]

[3]

Sub —Deposting the P F amount in the Post-Offices by the Institutions Governed by the Central Government

Ref —Your letter No EDB/AID/G/17104/77 dated 9 11 72

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to relax the rule 4 (k) of the Grant in aid Rules, 1963 for deposting the Provident Fund amount in the Post Office Saving Bonds in respect of Institutions the employees of which are governed by the Central Government service Rules

This issues with the concurrence of Finance Department vide their U O No 4656/GD/(Exp-I)/73 dated 27th/30 December, 1973

[No F 2 (24) Edu-G-VI/62, the 31st January, 1973]

[4]

परिपत्र

अनुदान नियम 1963 की धारा 4 (बी) के अन्तगत राजस्थान सरकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओ में कायरत कर्मचारियो को राजस्थान वेतन शृ खला के समकक्ष वेतनमान मे भुगतान की गई राशि पर ही अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है। रेलवे स्कूल के कर्मचारियो को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मान मे ही वतन भुगतान की व्यवस्था है तथा इन सस्थाओ द्वारा अनुदान प्राथना पत्र (आवतक) में अपेक्षित सूचना इन कर्मचारियो को वास्तव मे भुगतान की गई

राशि पर आधारित रहती है। परन्तु अनुदान वेतन केवल राजस्थान वेतनमान में देय राशि पर ही दिया जाता है। निदेशालय स्तर पर राजस्थान वेतनमान में समस्त कर्मचारियों का वेतन गणित कर अनुदान स्वीकृत करने में अनावश्यक श्रम करना पड़ता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि वह अपने प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी द्वारा अनुदान हेतु स्वीकृत पदों पर देय वेतन राशि का स्टेटमेंट ही अपने अनुदान प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें। यदि वह चाहे तो समस्त केन्द्रीय वेतन शृंखला में भुगतान की गई राशि का भी विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

कर्मचारियों का नाम नियुक्ति तिथि, जन्मतिथि आदि सूचना भी निम्न प्रपत्र में अनुदान प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया जावे —

प्रपत्र

नाम कर्मचारी	पद	वेतनमान केन्द्रीय	वेतनमान राजस्थान	योग्यता शैक्षणिक	योग्यता प्रशैक्षणिक	जन्मतिथि
1	2	3	4	5	6	7

नियुक्ति तिथि	वेतन वृद्धि तिथि	राजस्थान वेतनमान में 1 4-72 से 31 3 73 तक देय वेतन
8	9	10

प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह रेलवे स्कूल के अनुदान प्रार्थना पत्र की जांच करते समय संस्था के अनुदान हेतु स्वीकृत समस्त पदों की आर्थिक वर्ष की देय राशि का विवरण पत्र तैयार कर ही स्वीकृत राशि की गणना करें तथा अनिवार्य रूप से रेलवे स्कूल के अनुदान प्रार्थना पत्र (आवर्तक) की जांच कर दिनांक 31 10 73 तक निदेशालय को प्रेषित करें ताकि इसकी जांच समुचित रूप से की जा सकें।

इन आदेशों की अनुपालना न किये जाने पर संबंधित रेलवे स्कूल को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जावेगा। अपेक्षित सूचना के समुचित रूप से प्राप्त होने पर ही निदेशालय द्वारा अनुदान स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी। अतः रेलवे स्कूल के प्रधानाध्यापक एवं प्रतिहस्ताक्षर-कर्त्ता अधिकारियों का यह दायित्व है कि वह उपरोक्त अपेक्षित सूचना सहित अनुदान प्रार्थना पत्र (आवर्तक) को प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर तक इस कार्यालय को प्रेषित करने की व्यवस्था करें।

[क्रमांक–शिविरा/अनु/ए/16011/74/73, दिनांक 5 9 73]

[6]

Sub —Grant in aid to Railway Schools

Sir,

I am directed to refer to your letter No 149 dated 24 5 73 on the subject cited above and to convey sanction of the Governor to exempt the Railway Schools run by the Railway Board in Rajasthan from operation of the following provisions of the Rules for payment of Grant in aid to non Govt Educational, Cultural and Physical Educational Institutions in Rajasthan, 1963, for the purpose of regulating payment of Grant in aid to these schools —

(1) Note (2) below Rule 1

(2) Condition no 5 below Rule 3

(3) Rule 9 (2)

This issues with the concurrence of the Finance Department vide their I D No 4289/PA/FC/73 dated 4 9 73

[No F 1 (33) Edu-V/70, Dated the 5-12 73]

[No Shivira/Anu/H/17404/Vol/65, Dated 29 12 73]

अध्याय–४

परीक्षाओं की मान्यता संबंधी आदेश/परिपत्र

[1]

[क्रमांक डीईप्रो/14/यू/ए/बी/72 जयपुर दिनांक 31-3 72]

विषय --सहायता प्राप्त मोंटेसरी स्कूलों में बाल सेविका प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति।

सन्दर्भ --आपका पत्र सहायक शासन सचिव शिक्षा (प्र 6) के नाम क्रमांक इडीबी/एड/ए/16353/11531/69 दिनांक 23 12-71।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि मामले पर पुनर्विचार किया गया। बाल सेविका प्रशिक्षण को राज्य सरकार द्वारा अस्थाई रूप से तीन साल के लिए मान्यता प्रदान की गई थी, जो अवधि दिनांक 11 अगस्त 1967 को समाप्त हो गई। अत इस

विभाग के पत्र सख्या एफ 9 (11) सा प्र /ख/64 दिनांक 6 मई, 1970 को सशोधित करते हुए स्पष्टीकरण दिया जाता है कि जिन व्यक्तियो ने मान्यता अवधि मे प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उन्हे नियुक्ति के योग्य समझा जावेगा।

[क्रमाक इडीबी/एड/ए/16353/157/69 दिनांक 28-4 72]

[2]

विषय —विभिन्न परीक्षाओ को मान्यता।

क्रमाक एफ-9 (10) सा/प्र/ख/67 दिनाक जयपुर 17-7-72।

सामान्य प्रशासन (ग्रुप) विभाग के आदेश समसख्यक दिनाक 3 अप्रेल 1972 के सबध मे यह स्पष्ट किया जाता है कि विधानानुसार गठित विश्व विद्यालयो की समस्त परीक्षाए राज्य सरकार के आदेश सख्या एफ 5 (85) सा/प्र/क/52 पार्ट 2 दिनाक 25 11 52 व 28-2-58 के अनुसार स्वत ही मान्यता रखती है, किन्तु विभिन्न सेवाओ के लिए इनकी मान्यताएँ सेवा नियमो मे दी गई शैक्षणिक योग्यताओ के आधार पर निर्भर करती है।

इस प्रकार कामेश्वर सिंह दरभगा सस्कृत विश्व विद्यालय की "शिक्षा शास्त्री" परीक्षा विश्व विद्यालय की परीक्षा होने के नाते मान्य है। राज्य सरकार द्वारा कामेश्वर सिंह दरभगा सस्कृत विश्वविद्यालय की शिक्षा शास्त्री' परीक्षा का राजस्थान की 'बी एड' के समकक्ष दी गई मान्यता समाप्त की गई है।

[क्रमाक शिविरा/रिकाड/5911/2/32/15 दिनाक 30-8 72]

[3]

विषय —केसिमक मान्टेसरी प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर एव जोधपुर व उदयपुर विश्वविद्यालयो द्वारा आयोजित मान्टेसरी डिपलोमा को बी एस टी सी प्रशिक्षण के समकक्ष मानने के विषय मे।

राज्य सरकार के आदेश क्रमाक स एफ 10 (95) शिक्षा/ग्रुप 4/72/ दिनांक 29 9 72 मे यह निर्णय लिया गया है कि मोन्टसरी प्रशिक्षण को बी एस टी सी प्रशिक्षण के समकक्ष मानने का प्रश्न विचाराधीन है। जब तक यह प्रश्न विचाराधीन रहता है सरकार ने आदेश दिये है कि केसिमक मोन्टेसरी प्रशिक्षण केन्द्र जयपुर, जोधपुर एव उदयपुर विश्व विद्यालया द्वारा आयोजित मोन्टेसरी प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियो को यथावत काम करने दिया जावें।

[क्रमांक – ईडीबी/एड/ए/16012/34/72 दिनांक 7-10 72]

[4]

आज्ञा

[क्रमांक एफ 9 (63) सा/प्र/3/72 दिनाक जुलाई, 12, 1973]

केस्मिक मोन्टेसरी प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर द्वारा सचालित मोन्टसरी पाठ्यक्र एव जोधपुर विश्व विद्यालय जोधपुर द्वारा सचालित पूर्व प्राथमिक शिक्षा (प्राईमरी एज्यूकेशन) डिप्लोमा पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण हेतु कुछ विद्यार्थियो ने इ भ्रान्ति मे प्रवेश ले लिया था कि इन पाठ्यक्रमो को राज्य सरकार यथा समय मान्य प्रदान कर देगी। ऐसे व्यक्तियो के हितो को ध्यान मे रखते हुये निम्न निर्णय लि गया है —

(1) उक्त सस्थाओ द्वारा सत्र 1968 69 तक प्रदत्त डिप्लोमा को राज्य सरका के अधीनस्थ सेवाओ के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक (बी एस टी सी) के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाती है।

(2) इन सस्थाओ द्वारा सत्र 1969 70 से सत्र 1972 73 तक प्रदत्त डिप्लोम को भी उक्त प्रयोजनार्थ मान्यता इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि इ डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियो को शिक्षा विभाग द्वारा सचालित एक वर्षीय पत्रा चार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा और ऐसा करने पर ही उनक तृतीय श्रेणी प्रशिक्षित अध्यापक वेतनमान दिया जाना सभव होगा। जि डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियो द्वारा उक्त पत्राचार पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नही किय जाता है उन्हे केवल अप्रशिक्षित तृतीय श्रेणी अध्यापक का वेतनमान दिया जावेगा।

(3) मोन्टेसरी/पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियो जो कि विशेष तौर पर पूर्व प्राथमिक कक्षाओ के लिये प्रशिक्षित होते है के लिये शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पत्राचार पाठ्यक्रम निर्धारित किया जावेगा जिससे वे प्राथमिक कक्षाओ को भी पढा सकें।

(4) सत्र 1972-73 के पश्चात उक्त सस्थाओ द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा को बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (बी एस टी सी) के समकक्ष मान्यता नहीं दी जावेगी।

[क्रमांक शिविरा/अनु/ए/16011/स्पे/72 73 दिनाक 26 7 73]

[5]

क्रमांक --प 9 (67) सा/प्र/3/71, दिनांक 27-8-73

विषय --सगीत परीक्षाओं की मान्यता।

राजस्थान सरकार द्वारा निम्न लिखित सस्थाओ की सगीत परीक्षाओ की

संगीत विषय अध्यापन के लिए नियुक्ति हेतु मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है --

संगीत (कंठ अथवा वाद्य)

1 हिन्दुस्तानी संगीत में विश्व विद्यालय की उपाधि।
2 माधव संगीत महा विद्यालय की अथवा इन्दौर के गवर्नमेन्ट म्युजिकल कालेज की सर्वोच्च परीक्षा।
3 बड़ोदा स्टेट स्कूल आफ म्यूजिकल की सर्वोच्च परीक्षा,
4 गांधर्व महाविद्यालय की अलंकार परीक्षा,
5 इलाहाबाद विश्व विद्यालय द्वारा संचालित वोकल तथा इन्स्ट्रूमेंटल म्यूजिकल की डिप्लोमा परीक्षा,
6 गांधर्व महा विद्यालय बोर्ड की सन् 1939 से पूर्व संगीत की विशारद परीक्षा,
7 भातखण्डे कालेज आफ हिन्दुस्तानी म्यूजिक की इन्टर मिडीयेट परीक्षा का प्रमाण पत्र
8 हाई स्कूल परीक्षा सहित इलाहाबाद की प्रयाग संगीत समिति संगीत में सीनियर डिप्लोमा।
9 जयपुर के राजस्थान कला संस्थान अथवा जयपुर के राजस्थान का संगीत संस्थान का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम।
1 किसी मान्य विश्व विद्यालय का संगीत लेकर स्नातक,
2 ग्वालियर के माधव म्यूजिक कालेज का संगीत में इंटर मीजियट (ये परीक्षाएं बाद में शिक्षा विभाग मध्य भारत और इसके बाद मध्य प्रदेश द्वारा संचालित हुई)
3 लखनऊ के भातखण्डे संगीत विद्यापीठ की मध्यमा।
4 शंकर ग्वालियर के शंकर गान्धर्व महाविद्यालय की संगीत विशारद,
5 खेरगढ के इन्द्रा कला संगीत विश्व विद्यालय की मध्यमा,
6 बम्बई के गांधर्व महा विद्यालय बोर्ड का संगीत विशारद,
7 राजस्थान सरकार की विभागीय परीक्षाओं का संगीत भूषण
8 अंग्रेजी में हाई स्कूल अथवा समकक्ष योग्यता के साथ निम्नलिखित योग्यताओं में से कोई —
(क) हिन्दुस्तानी संगीत में विश्व विद्यालय की उपाधि
(ख) ग्वालियर के माधव संगीत महा विद्यालय की अथवा इन्दौर के गवर्नमेन्ट म्यूजिक कालेज की सर्वोच्च परीक्षा
(ग) बड़ोदा स्टेट स्कूल आफ म्यूजिक की सर्वोच्च परीक्षा
(घ) गांधर्व महाविद्यालय मण्डल की अलंकार परीक्षा

(ड) कठ तथा वाध्य सगीत में डिप्लोमा परीक्षा (दोनों इलाहाबाद विश्व विद्यालय द्वारा सचालित)

(च) महाविद्यालय मण्डल की 1939 की परीक्षा से पूव की सगीत विशारद परीक्षा,

(छ) भात खण्डे कालेज आफ हिंदुस्तानी म्यूजिक का इटर मिडियट परीक्षा प्रमाण पत्र,

(ज) इलाहाबाद की प्रयाग सगीत समिति का सगीत मे सीनियर डिप्लोमा

(झ) जयपुर के राजस्थान कला सस्थान का त्रिवर्षीय पाठयक्रम

सगीत का वरिष्ठ अध्यापक :—

3 1 माधव सगीत महाविद्यालय ग्वालियर का सगीत रत्न (ये परीक्षाए बाद में मध्य भारत के तथा उसके बाद मध्य प्रदश के शिक्षा विभाग द्वारा सचालित हुई)

2 ग्वालियर राज्य के माधव सगीत विद्यालय की उच्चतम परीक्षा,

3 भातखण्डे सगीत विद्यापीठ लखनऊ की सगीत विशारद

4 इन्द्रा कला सगीत विश्व विद्यालय खेरागढ की 'कोविद'

5 लश्कर ग्वालियर के शकर गाधव महाविद्यालय का "सगीत प्रवीण '

6 गान्धव महाविद्यालय मण्डल बम्बई का "सगीत अलकार

7 राजस्थान सरकार की विभागीय परीक्षा का सगीत प्रभाकर

4 विभागीय परीक्षायें, शिक्षा विभाग, बीकानेर —

1 सगीत भूषण

2 सगीत निपुण

[क्रमांक – शिविरा/अनु/एफ सरकूलर फाईल/16039/73 दिनाक 23-11-73]

[6]

शुद्धि पत्र

[क्रमांक एफ/9/(67) प्रा /स 71, दिनाक 11 जनवरी 74]

इस विभाग द्वारा प्रसारित आदेश सम सख्यक दिनाक 27-8-73 के अनुच्छेद 1 का शीर्षक निम्न प्रकार पढा जावे —

निम्नांकित सस्थाओं से जो व्यक्ति सगीत का प्रमाण पत्र रखत है उनको सगीत विषय पढाने के लिए प्रशिक्षित तृतीय वेतन शृ खला के समतुल्य माना गया है।" अनुच्छेद 2 का शीर्षक निम्न प्रकार पढ़ा जावें —

निम्नांकित सस्थाओं का जो व्यक्ति सगीत प्रमाण पत्र रखते है उनको

अध्याय--8

आयु एव सेवा निवृति सबधी आदेश/परिपत्र

[1]

Government of Rajasthan, Education (Cell VI) Department

ORDER

No F 6 (d) (34) Edu/Cell/VII/67 Dated 4th August, 1967

Governor is hereby pleased to order that the displaced teachers from Pakistan employed as teachers in Government schools in Rajasthan may be allowed to continue in Government service upto 60 years, provided they joined service before 1952

Governor is further pleased to order that the sons and daughters of displaced teachers should, however, treated on par with other teachers appointed in Government service

[2]

No F 1(114) Edu/Cell/VI|67 dated the 6th Feb, 1968

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to the following —

(1) That the institutions imparting education to girls and whose total annual expenditnre is l s, 75000/–as against 1 lakh provided in the grant in aid Rules be allowed recurring grant in aid on central office with effect from 1st April, 1966

(2) That recurring grant in aid on the salaries of political sufferers, who happen to work in the Aided Institutions as Secretary and in capacities other than teaching staff may be allowed tile they are physically fit, that is no age limit be prescribed for these persons This will take effect from 1st April, 1966

शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थी को मनुष्य बनाना।

This issues with the concurrence of the Finance Department No 6320 dated 11 12 1967

[3]

स्पष्टीकरण

उपरोक्त विषय मे मुझे यह लिखने का निर्देश है कि स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र डी एम एण्ड एच ओ, पी एम एच ओ अथवा प्रिंसिपल मेडीकल कालेज द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत किया जावे ।

राजनैतिक पीडित का प्रमाण पत्र जिलाधीश द्वारा प्रदत्त माना जावे ।

[स एफ 1 (114) शि प्र 6/67 दिनाक 22 मार्च 1968

[4]

NOTIFICATION

No F 1 (164) Edu/Cell/VI/68 Dated the 21st March, 196!

The Governor has been pleased to order that the followin new para may be added to Rule 3 (16) of the Rules for paymen of Grant in Aid to Non Government Education, Cultural and Ph sical Education Institution in Rajasthan 1963, published i Rajasthan Gazette vide No F 2 (24) Edu/Cell/VI/62 Dated 19 1 1963

"The age of supperannuation of employees holding post equal to Class III aud Class VI emplopeee of Government shal not execeed 58 and 60 years respectively"

This order shall be applicable from 1st July, 1969

This issues with the concurrence of Finance Departmen (Fxp I) vide their I D No 1046 dated 20 3-1969

[4-क]

परिपत्र

इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र 9 स ईडीबी/एड/ए/16007/स्पेशल/67 दिनाक 28-6-1967 के अनुक्रम मे सूचित किया जाता है कि अनुदान प्राप्त सस्थानो के कर्मचारी जो राज्य सेवा के तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदो/

समकक्ष पदों पर सेवा रत हैं, के लिए सेवा निवृत्ति की आयु क्रमश 58 तथा 60 वर्ष होगी।

अत यह विशेष रूप से संस्थाओं के ध्यान में लाया जाता है कि दिनांक 30-6-69 के बाद ऐसे पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आयु पहुंचते ही सेवा निवृत्त कर दिया जावे क्योंकि ऐसे मसलों में सेवाकाल में वृद्धि का कोई प्रावधान नहीं होने से उन पर विचार करना सम्भव नहीं होगा तथा फल स्वरूप होने वाले व्यय भार पर कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति रसीद भेजें।

(क्रमांक इ डीबी/एड/ए/16007/237/67 दिनांक 11-6-1969 ई)

[5]

NOTIFICATION

No F 1 (164) Edu/Cell/VI/68 Dated the 13th March, 1970

The Governor has been pleased to order that the following new para may be added to Rule 3 (15) of the Rules for payment of Grant in Aid to Non Government Educational, Cultural and Physical Education Institutions in Rajasthan 1963, Published in Rajasthan Gazetta vide No F 2 (24) Edu/Cell/VI/62 dated 19-1-1963

"No Government Servent retired on Superannuation will be re employed by any Institution receiving grant under these Rules"

This order shall be applicable from Ist July, 1970

This issues with the concurrence of Finance Department (Exp (1) vide their I D No 712 dated 5-3-70

[No F 1 (164) Edu/Cell/VI-63 Dated the 13th March, 1970]

[6]

CLARIFICATION

Some Institutions have sought clarification regarding pplicability of this Department Notification of even number

dated 13-3-70 as to whether those retired Goverument Sarvants already employed by aided Institutions will continue in service upto the age of 58 years or not

I am, therefore, directed to state that the provision of existing Rules will apply to the employees, who have been re employed by aided Institutions after retirement

[No EDB/AID/A/16007/48/70 Bikaner, Dated 21-8-70]

[7]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
स्थाई आदेश 14/1972

समय समय पर विभाग के सम्मुख जो समस्यायें प्रस्तुत की जाती रही हैं उन पर विचार कर निम्न निर्णय लिये जाते हैं तथा समस्त शिक्षण सस्थाओ को आदेश दिया जाता है कि सबधित समस्या पर इन निर्णयो के अनुरूप ही कार्यवाही की जावे अन्यथा इस आदेश की अनुपालना के अभाव मे आगामी कार्यवाही सम्भव नही होगी।

(1) अनुदान नियम 1963 की धारा 3 (13) के अनुसार नये वर्ग प्रारम्भ करने की पूर्वानुमति विभागीय सक्षम अधिकारी से प्राप्त करली जावे।

(2) किसी कक्षा मे नवीन वर्ग प्रारम्भ तब तक नही किया जावे जब तक छात्र-छात्राओ की न्यूनतम सख्या उस वर्ग हेतु 20 तक न हो जावे, किसी भी नवीन वर्ग मे इस निर्धारित न्यूनतम छात्र सख्या से कम छात्र छात्राओं के होने की स्थिति मे ऐसे वर्ग प्रारम्भ नही किये जा सकते हैं। उदाहरणत किसी कक्षा के प्रथम वर्ग में 40 दूसरे म 40 छात्र छात्रा होने पर ही तीसरा वर्ग प्रारम्भ किया जा सकता है। जबकि तीसरे वर्ग हेतु भी कम से कम 20 छात्र छात्रा उपलब्ध हो।

(3) (अ) अतिरिक्त अध्यापक पद स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय विगत तीन वर्षों के छात्र छात्रा सख्या विवरण प्रस्तुत किया जावे, इस विवरण म प्रत्येक सत्र हेतु चार कालम बनाये जावे, जिनमे —

(1) निचली कक्षा से प्रोमोटेड

(2) इस कक्षा मे फल

(3) नये प्रवेश प्राप्त एव

(4) कक्षा छोडकर अन्यत्र चले गये छात्र सख्या कक्षा वार व वर्गवार अकित की गई हो।

सयम ही जीवन का सर्वागीण सूत्र है।

(ब) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर हेतु उस नगर मे शिक्षण सुविधा प्राप्त है या नही इसका भी उल्लेख किया जावे एव उन सस्थाओ के नाम अंकित किये जावे जिनमे यह सुविधा प्राप्त है।

(4) बडे नगरो में जहा माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक शिक्षणार्थी अन्य विद्यालय उपलब्ध हो किसी वर्ग हेतु, (विज्ञान, कला, वाणिज्य) 20 से कम छात्र उपलब्ध होने पर यदि इस विषय के अध्यापक की सुविधा अन्य विद्यालय मे उपलब्ध हो तो ऐसे वग को समाप्त कर दिया जावें। एक ही वग म 40 छात्रा के प्रवेश प्राप्त करने एव दूसरा सैक्सन प्रारम्भ करने हेतु न्यूनतम सख्या 20 होन पर ही अतिरिक्त सक्सन को अनुदान हेतु स्वीकृत माना जा सकता है। यह प्रतिबंध उन माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयो हेतु लागू नही होगा जहा दूसरे विद्यालय मे उस वग के छात्र छात्राओ के प्रवेश की सुविधायें उपलब्ध नही है।

(5) मिडिल स्तर तक सामान्यत कोई विशिष्ट योग्यता के अध्यापक जैसे क्राफ्ट, सिलाई, ड्राईंग आदि स्वीकृत नही किया जाता है क्योंकि इस स्तर तक तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापको को ही नियोजित किया जाता है और ऐसे अध्यापक इस स्तर हेतु निर्धारित पाठयक्रम के अन्तगत पढाये जाने वाले विभिन्न विषयो के अध्यापन हेतु सक्षम माने गये हैं। मिडिल स्तर तक के शिक्षण सस्थाओ म छात्र सख्या की कमी आदि कारणा से यदि अध्यापक पद म कमी करनी हो तो सबसे कनिष्ठ अध्यापक को ही सेवा मुक्त किया जाना आवश्यक है।

(2) माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयो म किसी विषय के समाप्त किये जाने की स्थिति मे उस विषय विशेष के सबसे कनिष्ठ अध्यापक को ही सेवा मुक्ति का प्रावधान नियमान्तर्गत माना जावे।

शिक्षण सस्थाओ के अध्यापको के पद हेतु प्रकाशित किये गये विज्ञापन मे शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य कोई प्रतिबन्ध लगाना अनुचित समझा जावे। अध्यापक पद हेतु योग्यता अनुभव आदि की वही शर्त लागू होगी जो आर ई एस एस 1971 नियमा तगत राज्य सेवा हेतु निर्धारित है। प्रधानाध्यापक पद हेतु भी वही योग्यताए व अनुभव जो कि राजकीय सेवा हेतु आर ई एस 1970 मे निर्धारित की गई है आवश्यक समझी जावे। इन योग्यता धारित प्रत्याशी प्राप्त न होने पर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, की पूर्व अनुमति प्राप्त करने पर ही नियम म शिथलन सम्भव होगा।

समस्त प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारियो को निर्देश दिये जाते हैं कि व इन निर्णयों के अनुसार ही कार्यवाही करे और अपने स्तर पर ही इन निर्णयो के अनुपालना न किये जाने की अवस्था मे सस्था को अनुपालना हेतु आदेश प्रदान करे।

विद्या मानव की शोभा है–सुकरात

स्था मे प्राप्त इन समस्याओ को सीधे निदशालय स्तर पर ही निणय लिये जाने हेतु प्रपित न किये जावे। क्योकि इनके कारण शिक्षण सस्थाओ की समस्याओ पर निणय लेने एव उनका निपटारा करन हेतु निदशालय द्वारा अनावश्यक पत्र व्यवहार करना पडता है और निणय लेने म अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

(क्रमाक —ईडीबी/एइ/ए/16011/89/72 दिनाक 29 12 72)

(8)
स्थाई आदेश 14/1972 में सशोधन

इस कार्यालय के स्थाई आदेश स 14/72 दिनाक 29-12-72 मे निम्न लिखित सशोधन किया जाता है —

"शिक्षण सस्थाओ म नियुक्त अध्यापको की आयु के विषय में राजस्थान शिक्षा नियमो मे निर्धारित आयु सीमा मे शिथिलन दिया जाना है तथा प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक होन पर उस किसी भी आयु म नियुक्त किया जा सकता है।"

(क्रमाक-शिविरा/अनु/ए/16001/41/73-74 दिनाक 26-5-73)

(9)
स्थाई आदेश 14/72 मे सशोधन

इस कार्यालय के स्थाई आदश 14/72 दिनाक 29-12-72 में निम्न लिखित सशोधन किया जाता है —

प्रशिक्षित अध्यापको की कमी को दृष्टि मे रखते हुए अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओ मे नव नियुक्त प्रशिक्षित अध्यापको पर राजस्थान आर ई एस एस नियम 1971 में आयु सम्बन्धी प्रतिबन्ध में शिथिलन किया जाता है। प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति अनुदान नियम 1963 क तहत निर्धारित अधिकतम आयु तक की जा सकती है परन्तु राजकीय सवा से मुक्त प्रशिक्षित अध्यापको हेतु राज्यादेश क्रमांक एफ 1(164) /शिक्षा/सी 6-68 दिनाक 19-5-70 लागू समझा जावे।

इस कायालय द्वारा प्रसारित आदश क्रमाक शिविरा/अनु/ए/16001 41-73-74 दिनाक 26-5-73 को निरस्त समझा जावे।

(क्रमाक — शिविरा/अन/ए/16001/60 73— 74 दिनाक 2 6 73)

पापीम नही, पाप म घृणा करो—गाधी

(10)

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

परिपत्र

अनुदान नियम 3 (16) के अनुसार सहायता प्राप्त सस्थाओ के कमचारियो को 58 वष को आयु प्राप्ति पर सेवा निवृत आयु (Superannuation) मानने का प्रावधान है। केवल विशेष मामलो मे 60 वष की आयु या उससे अधिक 5 वष के सेवाकाल वद्धि की राज्य सरकार की अनुमति पर मान्य करने का नियम मे आगे उल्लेख है। साथ ही इसी नियम मे राज्यादेश सख्या एफ (164) शिक्षा/सल 6/68 दिनाक 21-3-69 के द्वारा यह वाक्य और जोडा गया है "सहायता प्राप्त सस्थाओ के कर्मचारियो जिनके पद तृतीय श्रेणी व चतुथ श्रेणी के बराबर है, की सेवा निवत आयु (Saperannuation age) क्रमश 58 और साठ स आगे नही बढाइ जावेगी।"

नियमो के उक्त दोनो प्रकार के प्रावधान समाविष्ट होने के उपरान्त भी सस्थाओ से कमचारियो को सेवा निवति की आयु सम्बधी प्रकरण यदाकदा प्राप्त होते रहते है एव नियमो की भावना अब भी स्पष्ट होती नजर नही आ रही है। अत समस्त शकाओ के समाधान एव इस हेतु सस्थाओ व अधिकारियो के मागदशन हेतु निम्न बिन्दुओ के द्वारा इस नियम के आशयो को स्पष्ट किया जाता है —

1 सहायता प्राप्त सस्थाओ मे कायरत सभी श्रेणी के कमचारियो (केवल चतुथ श्रेणी कमचारी के अलावा) के लिये नियमानुसार सेवा निवति की आयु 58 वष ही रहेगी। चतुथ श्रेणी कमचारी को इस हेतु 60 वष की आयु पर सेवा निवति माना जावें।

(2) इन दोनो प्रकार के श्रेणी के कमचारियो की आयु की सीमा से ऊपर आगे सेवा मे रखने का कोई प्रावधान नही है। यहा तक कि अध्यापन कमचारी को भी सत्र के मध्य मे 58 वष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवत किया जावे। सत्रान्त तक सेवा मे रखने पर विभाग द्वारा ऐसे अध्यापको के वतन पर कोई अनुदान देय नही होगा।

(3) सेवा निवत्ति की उपरोक्त आयु मे पूव यदि किसी सस्था अपने मे को हटाती है या सेवा निवत करती है, तो ऐसी सेवा मुक्ति की कार्यवाही नियम के प्रावधान के अनुसार ही की जावे।

[क्रमाक-शिविरा/अनु/ए/16001/33/73 दिनाक

NOTIFICATION

No F ((10) Edu//Gr V/74 Dated the 19 July, 1974

Governor is pleased to make the following amendments in the Rajasthan Grant-in aid to Educational Cultural Institutions, Rules, 1963 :—

(a) The follwing may be added after sub rule *(16)* of rule 3—

"Teachers who have received National and State Awards may be re employed by the aided instituions till such teachers complete 58 years Such aided institution would receive the usual grant in aid on expendituare incurred on Such teachers also"

(b) The following may be added to rule 5 (d) after the words "Local Bodies" –

"As also the income from interest on reserve funds or rent of property"

Item (i) & (ii) appearing unaer rule 5 (d) may be substituted by the following —

(i) the income which accrues occasitonally in the form of donations etc

[No F 7 (10) Edu/Gr, V/74 Dated the 19 July, 1974]

(12)

(No F (31) Edu C–6 168 Dated the 6 Sept, 1975)

I am directed to convey sanction of the Governor to the following amendments being made in this department letter No F 1 (114) Edu/Cell vi/67 dated 6–2–68 —

For para (2) of the above letter, the following may be Substituted —

"That recurring grant in aid on salaries of politcal sufferers who happen to work in the aided institution as Sceretary and

in capacities other than teaching staff may be allowed upto age of 65 years provided they are physically fit"

This issues with the concurrence of F D (Exp I) vide their I, D No, 3801 dated 3-9-74

(13)

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
कार्यालय आदेश

इस विभाग के सामने इस प्रकार के कई मामले ध्यान मे लाये गय हैं कि अनुदान प्राप्त सस्थायें अपने कर्मचारियो को सेवा निवत आयु प्राप्त करने स पूव ही सेवा मुक्त कर देती है तथा कर्मचारी पुन सेवा म आने के लिय भी विभाग को बार-बार प्रतिवदन देते रहते हैं।

अनुदान नियम 3 (16) व राज्य सरकार के आदेश क्रमाक एफ-1 (164) शिक्षा सेल-6/68 दिनाक 21-2-69 के प्रावधानानुसार अनुदान प्राप्त शालाओ के तृतीय व चतुथ श्रेणी कमचारियो की सेवा निवृति आयु साधारणतया क्रमश 58 वष व 60 वप से अधिक नही होगी।

कुछ सस्थाओ ने यह तक दिया है कि नियमो मे सेवा निवति की अधिकतम आयु 58 वष तृतीय श्रेणी तथा 60 वष चतुथ श्रेणी कमचारियो के लिये निर्धारित की है अत सस्था चाहे तो पहले भी सेवा निवृत कर सकती है।

इस सम्बन्ध मे राज्यादेश तथा इस विभाग के आदेश क्रमाक शिविरा/ अनु/ ए/ 160,1/33/73 दिनाक 29 1 74 स्पष्ट है फिर भी पुन स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम का आशय यह कदापि नही है कि सस्थायें अपने कमचारियो को निर्धारित सेवा निवति आयु प्राप्त करने से पहले ही सेवा निवत करदे, निर्धारित सेवा निवत आयु के पूव निवति के आदेश कमचारी पर अनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप ही की जा सकती है अन्यथा नही। सस्था की आर्थिक स्थिति खराब होने अथवा किसी पद के समाप्त किये जाने के फलस्वरूप यदि सस्था किसी कमचारी को सेवा मुक्त करना चाहे ता उसके सामने राजस्थान सेवा नियम 215 क अन्तगत निम्न लिखित विकल्प है

1—कमचारी को अपने पद के अलावा निम्न श्रेणी के पद (Lower Post) पर रखने के लिए निर्देशित किया जाय।

2—यदि कमचारी निम्न पद पर काय करने के लिये राजी भी हो तो उसे निम्न व पद श्रेणी पर नियुक्ति दी जाय तथा उस श्रेणी क कनिष्टतम कमचारी की सेवायें समाप्त की जाए?।

अनुशासन ही प्रगति की सीढी है।

3—यदि किसी संस्था में एक ही प्रकार के पद स्वीकृत हैं तो उस श्रेणी में कनिष्ठतम कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जाय न कि वरिष्ठ कर्मचारी की।

यदि अकारण बिना नियमों का अनुसरण किये कोई संस्था किसी कर्मचारी को सेवा निवृत आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवा निवृत करती है तो वह नियम विरुद्ध माना जायगा तथा विभाग को संस्था के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

[2]

(दिनांक 26-8-75)

*It has been observed that some of the Grant in Aid Inst*itutions have been retiring their emplopees keeping in view the provisions of Rule 244 (2) of the Rajasthan Service Rules It is pointed out that neither Rule 4 (e) nor the approved bond of Agreement as per appendix III & IV of the Grant in aid Rules, *1963 provide for compulsory retirement of the emyloyees of the* Grant in aid Institutions Keeping in view the said provisions, the compulsory retirement of such employees, may creats com plcations for the insittutions as well as for this D partment

It is, therefore, enjoined upon all the Grant in aid Institutions that whenever there are any serious allegations against the employees of their institutions, they should take action against them as per provisions of Rule 4 (e) idid

A copy of this order may be sent to the Grant in Aid Institution under jurisdiction and they may be asked to comply *with the provisions contained there in*

[15]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

इस कार्यालय के स्थाई आदेश संख्या 13/66 क्रमांक शिविरा/अनु/स/16007 विशेष/65 दिनांक 8-6-66 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त दी जाने वाली सेवा वृद्धि के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। तदुपरान्त राजस्थान सेवा नियम 56 के नोट 1 में संशोधन हो जाने के कारण उक्त आदेश को वापिस लेते हुए अनुदान

प्राप्त संस्थाओ मे कायरत अध्यापको की सेवा वद्धि के लिये भविष्य मे निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है।

1–31 दिसम्बर के बाद सेवा निवत होने वाले जिन अध्यापको को छात्रो के हित को ध्यान मे रखते हुए सेवा मे रखने के लिए प्रबन्ध समिति ने निर्णय ले लिया है तथा जिनकी सेवाए सस्था मे उत्तम रही है उनकी सेवा वद्धि 30 जून तक की जा सकती है।

2–ऐसे अध्यापको के प्रस्ताव प्रति हस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी इस निदेशालय को अपनी टिप्पणी सहित भिजवायेगें जिन पर विचारोपरान्त स्वीकृति जारी तक की जायगी।

3—अप्रशिक्षित एव साधारण अध्यापको के प्रस्ताव नहीं भिजवाये जावें।

4—सेवा वद्धि के प्रस्ताव सेवा निवति के कम से कम 6–6 माह पूर्व इस निदेशालय को भिजवा दिये जावे अन्यथा समय पर स्वीकृति जारी नही होने के लिये निदेशालय जिम्मेवार नही होगा। प्रत्यक प्रस्ताव के साथ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव व कर्मचारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सलग्न किया जावे।

अनुदान नियम 3 (16) के अन्तर्गत 58 वर्ष की आयुपरान्त 60 वर्ष की आयु तक अधिवद्धि के लिए अगर सस्था आवश्यक मानती है तो ऐसे मामले भी उचित माध्यम से उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार ही इस कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने पर ही कोई कार्यवाही की जा सकेगी। बशर्ते कि ऐसी अभिवृद्धि के लिए कारण सतोषजनक पाये जावें।

यह आदेश निदशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की पूर्वानुमति से प्रसारित किये जाते हैं।

[क्रमाक–शिविरा/अनु/ग/17907/104/78/79 दिनाक 18–3–1979]

अध्याय--9

संस्थाओ के लिए पदो के निर्धारण के सबध म आदेश। परिपत्र

[1]

कार्यालय, अपर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विषय --अनुदान प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक विद्यलयों में चतुर्थ कर्मचारियो के पद।

अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 7 के अनुसार प्राथमिक शालाओं के लिए एक भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद नियत नही है तथा माध्यमिक विद्यालय में तीन से अधिक पद मान्य नही हैं लेकिन कुछ शालाएँ ऐसी हैं जो कि 1 4 63 से पहले भी अनुदान सूची पर थी और उनमे पहले से ही उपरोक्त सीमा से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं तथा उन पर अनुदान भी स्वीकार किया जाता रहा है।

इस सम्बन्ध मे महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा आडिट आक्षेप होने के फलस्वरूप निम्न निर्णय लिया गया है जिसे लागू करने के लिए तत्काल कार्यवाही शुरु कर दी जावें —

(1) जिन माध्यमिक शालाओं मे 1-4 63 से पहले से तीन से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं तथा जिनके बारे मे विभाग की विशिष्ट स्वीकृति (Specific Sanction) 1 4 63 के बाद नही ली गई हैं उन पर दिनाक 1 4 63 से अनुदान स्वीकार नही किया जायगा।

(2) जिन प्राथमिक शालाओं म 1-4 63 से पूर्व एक से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त थे उन पर भी दिनाक 1 4 68 स अनुदान नही दिया जायगा।

(3) जो प्राथमिक शालाएँ 1-4 63 से या उसके बाद म अनुदान सूची पर आई है उनमे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक भी पद दिनाक 1 4 68 से अनुदान हेतु मान्य नही किया जायगा।

अत सम्बन्धित प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी अपने अधीनस्थ माध्यमिक व प्राथमिक शालाओं के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के पदो की जाच करके दिनाक 1 4 68 से संस्थानुसार अधिक (Surplus) होने वाले पदो का ब्यौरा दिनाक 29 2-1968 तक इस कार्यालय को पेश करने की व्यवस्था करें। कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति रसीद भेजे।

(क्रमाक —ईडीबी/एड/ए/16007/50/67 दिनाक 5 2 1968)

[2]

परिपत्र

अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 7 के अनुसार प्राथमिक शालाओं के लिये एक भी पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का (पद निर्धारित नही होने के कारण विभाग द्वारा विगत वर्षो मे जो प्राथमिक शालाओं के लिय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के पदों पर अनुदान दिया गया था उस पर लेखा आक्षेप बन कर जनलेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ और उस प्रसग मे राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार विभाग को ऐसे भुगतान की वसूली करना सभव नही होगा।

अत इस कार्यालय के परिपत्र सख्या।ईडीबी।एडाए।16007।50।67 दिनाक 7 1 68 के अधिलघन म सूचित किया जाता है कि आवतक अनुदान 69–70 में किसी भी प्राथमिक शाला मे चतुर्थ श्रेणी कमचारी का कोई पद स्वीकार नही किया जा सकेगा अत इस बिन्दु पर विभाग मे अनावश्यक पत्राचार नही किया जावे ।
(क्रमांक ईडीबी।एडाए।16007।बी-2।69–70 दिनाक 10 2 70)

[3]

[No F 5 (d) (24) Edu Cell VI 67 Dated 4th June, 1970]

Sub Grant in aid on the posts of Class IV Servants in aided Primahry Schools

Sir,

In supersession of this Department letter of even number dated 14th July, 1969 I am directed to convey sanction of the Governor to treat the posts of Class IV Servants sanctioned before th Revised Grant in Aid Rules came into force, in aided primary Schools as an approved item of expenditure subject to condition that as and when such class IV amployee retires, resigns or is removed, dismissed, the post shall not be filled and grant reduced

This issues with the concurrence of the Finance Dapart ment vide their I D No 1050 dated 22 5 70

(No F 5 (d) (24) Edu Call VI 67 Dated 4th June, 1970)

[4]

(क्रमांक एफ 11(22) शिक्षा 4/72 दिनांक 19 फरवरी 1973)

विषय —सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयो के लिपिको के पदा का अनुदान नियमों में प्रावधान ।

महोदय,

निर्देशानुसार लेख है कि जिन 83 सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयो म प्रत्येक में एक कनिष्ट लिपिक शिक्षा विभाग क अनुदान नियम लागू होन के पश्चात् भी चले आ रहे है एव जिन पर शिक्षा विभाग अनुदान द [illegible] ी करत आया है को दिनाक 30 जून 1973 तक नियमित करन की र [illegible] स्वीकृति प्रदान की जाती है । इस अवधि के पश्चात किसी भी पद [illegible] नहीं दी जा सकेगी एव अनुदान नियमानुसार ही दिया जायगा ।

विपत्ति मनुष्य की कसौटी है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से जो कि उनके अ नविभागी सख्या 371 /वित्त/व्यय/1/73 द्वारा प्राप्त की गयी है, जारी की जाती है।
(क्रमांक शिविरा अनु/ए/16011/72 दिनांक 14 3 73)

[5]

(क्रमाक प स 5 (डी) (24) शिक्षा/6/67 दिनांक 29 जून 1973)

विषय ---प्राथमिक शालाओ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वतन पर अनुदान

इस विभाग के समसख्यक आदेश दिनांक 4 6 70 के क्रम म निदेशानुसार लेख है कि राज्यपाल महोदय ने ऐसे कमचारियो जिनकी नियुक्ति सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयो मे 1 4 63 क बाद परन्तु राज्यादेश 4 6 70 के जारी होने से पूर्व की गई थी के वतन को अनुदान हेतु मान्य समझने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

इस स्वीकृति हेतु वित्त विभाग ने अपनी सहमति उनके पृष्ठाकन स 29925 दिनांक 23 6 73 द्वारा प्रदान कर दी है।

[6]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमाक शिविरा/अनु/डी/17906/76 77 दिनाक 3 5 76

विषय ---अतिरिक्त पद हेतु ।

अनुदान प्राप्त सस्थाओ द्वारा समय समय पर अतिरिक्त कमचारियो हेतु माग की जाती है। भविष्य मे अतिरिक्त स्टाफ की माग माह अप्रेल मे निम्नाकित परिपत्र मे भरकर भेजी जाये ताकि विभागीय वार्षिक बजट मे उचित प्रावधान की माग वित्त विभाग को प्रस्तुत की जा सके। जो सस्था 10 मई तक यह माग प्रस्तुत नही करगी उस की माग पर वर्ष के मध्य में विचार नहीं किया जायगा। वर्ष 77-78 की माग हेतु प्रार्थना पत्र दिनाक 30 5 76 तक इस कार्यालय मे प्राप्त हो जाने चाहिए एव भविष्य मे ऐसी माग प्रतिवर्ष अप्रेल के अ त तक प्राप्त हो जानी चाहिए। माग पत्र प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत होना आवश्यक है।

परिपत्र

1 सस्था का नाम
2 सस्था स्तर जिसके लिए अनुदान मिल रहा है
3 प्रतिशत जिस पर सस्था को अनुदान मिल रहा है
4 बजट शीर्षक जिसके अ तगत प्रावधान करना है

आलस्य भी एक प्रकार की हिंसा है ।

5 वर्तमान कुल पद कैडर वाईज (जिन पर अनुदान मिल रहा है)
6 अतिरिक्त पद जो चाहिये कैडर वाईज
7 किस आधार पर मांग की जा रही है
8 छात्रा की सख्या गत वर्ष एव चालू वर्ष मे एव कक्षा वर्ग के अनुसार
9 अतिरिक्त पदो का वर्ष भर का व्यय तथा अनुदान राशि

(1) वेतन
(2) महगाई भत्ता आदि
(3) कुल व्यय
(4) अनुदान राशि

10 प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी की अभिशषा —

प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी, सस्था व्यवस्थापक

[7]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र सख्या शिविरा/अनु/डी/17006/76-77 दिनाक 3 5 76 मे अनुदान प्राप्त सस्थाओ के लिये अतिरिक्त पदो के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने सम्बन्धी प्रक्रियाओ के निर्देश दिये गये थे। इन निर्देशो के साथ निर्धारित प्रार्थना पत्र की क्रम स 8 के अन्तर्गत छात्रो की सख्या गतवर्ष एव चालू वर्ष की सस्थाओ से मागी जाती रही है। अनेक सस्थायें इस प्रकोष्ट में जुलाई की छात्र सख्या बताते हैं जो अनुदान नियमानुसार सही नहीं है। अत अब यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी सस्थाओ को अतिरिक्त पदो की माग के साथ सलग्न प्रार्थना पत्र में छात्रो की सख्या गत तीन वर्षों के माच की बतानी चाहिए। इसके अलावा अन्य माह की छात्र सख्या को पदो का आधार नही माना जावेगा।
(क्रमाक शिविरा/अनु/ए/17907/78 79/103 दिनाक 15 मार्च 1979)

आनन्द का मूल सताप है। —मनु

अध्याय-10

भविष्य निधि । पी डी अकाउण्ट

[1]

Office of the Director of Primary & Secondary Education,

No EB/Bud/C-1/16518/18/62-63 Dated 31st October, 1962

CIRCULAR

It has come to the notice of the Department that the aided institutions where provident fund scheme is prevalent are not following the correct Procedure of accounting for the amount of Provident contribution received from the staff as well as *contribution from the Management In some cases* it has also been observed that individual accounts of the member of staff have not been opened in Banks or Post offices to deposit their Provident Fund amount in their accounts Insome cases the amount of Provident Fund is being utilised for the purposes other than those for which the fund has been started, such as utilisation of the amount of Provident Fund for the normal expenditure of the day to day activities of the institutio s It is highly object ionable and is against the Rules

Therefore in order to regularise it, it is hereby no ified for all concerned that the amount of provident fund contribution from the staff as well as from the man gement should be depo sited in the Post Office/State Banks or any other standard Bank in the Saving Bank Account of the individual couc-rned This procedure should be followed immediately if not already in vogue and the

amount so far standing at the credit of each individual should also be deposited immediately failing which the aid on the amount of Provident Fund contributron from the managment will not be paid by the Department

A certificate to the effect that the individual Accounts of Provident Funt in Post Office/Banks have been opened and the amounts standiug at the credit of each individual have been deposited should be sent to this office with a copy to the Inspecor of Schools concerned within a month failing which finalisation of the aid for the year 1962–1963 will not be done

(NO EDB/BUD/C–1/16518/18/62–63 dated 31–10–1962)

[2]

विषय —सहायता प्राप्त सस्थाओ को प्रोविडेन्ट फन्ड तथा अनुदान नियमो के अनुसार सुविधायें देना।

ऐसी सूचनायें यदा कदा प्राप्त होनी रहती हैं कि सहायता प्राप्त सस्थायें अनुदान नियम 1963 के अनुसार अपने कमचारियो को वेतन, भत्तो प्रोवीडेन्ट फन्ड की सुविधायें नही देती। वेतन तथा भत्ते के विषय मे इस कार्यालय के क्रमाक ईडीबी एड/ए/16005/16/65 दिनांक 22–8–65 के द्वारा उचित आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

प्रोविडेन्ड फन्ड के सम्बन्ध में यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक सहायता प्राप्त सस्था के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक कमचारी के नाम से अलग अलग पोस्ट आफिस या बैंक में खाता खोले। केवल प्रोविडेन्ट फन्ड की धनराशि बैंक या पोस्ट आफिस म जमा करवा देना पर्याप्त नही है। ऐसा न करने से किसी भी स्थिति मे प्रोवीडेन्ट फन्ड के लिये अनुदान प्राप्त नही हो सकेगा।

विभाग के सम्बन्धित अधिकारी इसका ध्यान रखें कि सहायता प्राप्त सस्थाओं के कर्मचारियो के लिये अलग अलग खाता खोला जाता है तथा ऐसा न करने पर प्रोविडेन्ड फन्ड के लिये किसी प्रकार का अनुदान न दिया जाय।

(क्रमाक–ईडीबी/एड/ए 16007 65 56 दिनाक 16–4–66)

*आवश्यकता दुबल को भी साहसी बना देती है। टेलर

[3]

NOTIFICATION

(No F2 (24) Edu|Cell|VI|62 Dated Jaipur, the 18th July 1967)

The Governor has been pleased to order that the following may be added as sub clause (K) to Rule 4 of the Rules for payment of Grant in aid to Non Govt Educational, cultural and physical Institutions in Rajasthan, 1963, Published in Rajasthan Gazette vide No F 2 (24) Edu|Cell VI|62 dated 19 1 63 –

"4 (k) All aided Institutions which receive Grant in aid under these Rules shall invest (i) all moneys belonging to the Employees Provident Funds and deposits etc, including past accumulations, in State Goverment Securities or National saving securities viz Post Office Savings Bank Account, National Def nce Certificaes, or National Defence Deposit Certificates only

(ii) All the other recurring and non recurring Grants which are not needed within a period of three months, in Post office Savings Bank Account

[4]

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के स्थाई आदेश स 20 (ईडीबी|एडा|ए|16007|27|65|67 दिनाक 31–7–1967 ई) के विरूद्ध कुछ सस्थाओ द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिवेदनों पर विचार के पश्चात आदेश दिया जाता है कि जिन सस्थाओ ने छात्र कोष' का तथा कर्मचारियो की भविष्य निधि के पृथक् पृथक् खाते खोलकर चालू वर्ष की राशि डाकखाने में जमा करवा दी है, उनके अनुदान बिलो का यथावत चुकारा जारी किया जा सकता है।

अन्य बिन्दुओ पर अलग से आदेश प्रसारित किये जावेंगे।

(क्रमाक ईडीबी|एडा|ए|16007|47|65|66 दिनाक 23 दिसम्बर 1967 ई0)

[5]

कार्यालय अपर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

स्थाई आदेश स 20

राज्य सरकार की विज्ञप्ति स एफ–2 (24) शिक्षा/प्रकोष्ट 6/62 दिनाक 18 7 67 (प्रतिलिपि सलग्न है) के अनुपालनाथ निम्न विभागीय आदेश प्रसारित किये जाते हैं —

*ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है।

1—प्रत्येक अनुदान प्राप्त सस्था के व्यवस्थापक निकटतम डाकखाने मे निम्न ार बचत खाते खोलेगें —

(अ) सस्था का 'रिजव फन्ड',—जो शिक्षा विभाग के प्रतिहस्ताक्षरकर्ता धकारी और सस्था के व्यवस्था का सम्मिलित खाता (जोइन्ट एकाउन्ट)- ा—

इस खाते मे सस्था का रिजव फण्ड जो नियमानुमार निर्धारित राशि से कम ही जमा कराया जायगा परन्तु (with drawal) बिना अपर निदेशक की स्वीकृति हो सकेंगे।

(आ) सस्था का 'छात्र कोष'—व्यवस्थापक के द्वारा सचालित खाता

इस खाते मे सस्था द्वारा छात्रो से प्राप्त होने वाली व सभी राशि जमा ाई जावे जो अनुदान हेतु आय की परिभाषा म नही आती है और जिनका उल्लेख दान प्राथना पत्र भाग–1 खण्ड–4 के कालम 20 मे किया जाता है।

आय व्यय का सविस्तार हिसाब 'छात्र कोष' की रोकड बही cash book) रहेगा। 'वार्षिक आय' सस्था द्वारा बनाये 'वार्षिक बजट-अनुमार खच की जाय न्तु जिस मद की आय हो उसी मद मे व्यय की जाय। प्रत्येक वष 31 माच को दवार पोते बाकी की सूचना आगामी वर्ष के अनुदान प्राथना पत्र के साथ निर्धा- त तालिका में सलग्न की जायेगी। एक माह की आवश्यकता से अधिक राशि स्था म नगद कोष मे न रखी जाकर इस खाते मे जमा रहेगी।

(इ) 'सस्था कोष'–व्यवस्थापक द्वारा सचालित खाता—

सस्था के नाम मे सभी श्रोतो जैसे दान, चन्दा, राजकीय आवतक व - नावतक अनुदान (नियम 4 (के) (ii) से प्राप्त होने वाली राशि इन खातो म मा होगी जिसमे प्राथना पत्र भाग 1 खण्ड 4 अ के कालम 8 व 14 मे दिखाई ई राशिया भी सम्मिलित होगी।

(ई) सस्था के कमचारियो की भविष्य निधि (प्रोविडेंट फन्ड) के व्यक्तिगत ते—(सस्था य कमचारी के नाम पर सम्मिलित खाता)।

1 4 63 या इससे पूव सस्था द्वारा प्रोविडेण्ट फण्ड नियमानुमार लागू करने ी तिथि स 31 7 67 तक कमचारियो के वैतन से काटी गई या कटने योग्य राशि र उसी के समतुल्य सस्था का हिस्सा तथा ब्याज इन खातो में जमा कराया जाय र इसके बाद माहवारी किश्त हर महीने डाकघर म जमा होती रहे।

इस आदेश की अवहेलना करने वाली सस्थाओ के अनुदान हेतु मान्य व्यय म 1967 68 से वेतन पर व्यय राशि का 10 प्रतिशत आदेश पालन करने तक मान्य रहेगा।

*ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वय अपना सहायक है।

2 - डाकघरो मे खोले गये उपरोक्त बचत खातो मे से खातेदार (कर्मचारी) किसी भी समय अपनी सुविधानुसार अपनी विनियोजित (भविष्य निधि की) राशि से धन निकाल कर राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियो जैसे राष्ट्रीय रक्षा पत्र, राष्ट्रीय रक्षा जमा पत्र एवं अन्य राजकीय प्रतिभूतियो मे इस अनुबन्ध के साथ राशि विनियोजित कर सकेंगे कि इन प्रतिभूतियो के परिपक्व होने पर जो राशि प्राप्त होगी, वापस डाकघर बचत खाते मे जमा करानी होगी।

3—चू कि राज्य आज्ञानुसार सलग्न आदेश अनुपालन करने पर ही अब और कोई अनुदान राशि स्वीकार की जा सकेगी। अत निम्न प्रमाण पत्र' अपने प्रति हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी के माध्यम से दिनाक 31 10 67 तक प्रेषित करदें अन्यथा अनुदान प्राप्त न होने को जिम्मेदारी सस्था की ही होगी।

प्रमाण पत्र

(अनुदान नियम 4 (के) 1963)

मैं (नाम व पता)

व्यवस्थापक (सस्था का नाम व पता)

प्रमाणित करता हू कि सस्था के सभी निक्षेपो (Deposits) का निवेश (Investment) राज्य सरकार की विज्ञप्ति सख्या एफ 22 (4) शिक्षा/प्रकोष्ठ 6/62 दिनाक 18 7 67 के अनुसार दिनाक को निम्न प्रकार से किया जा चुका है।

क स	निवेश का मद (Investment)	दिनाक 31 जुलाई 67 को पोते बाकी	निवेश का विवरण (रकम) डाकखाने का नाम मय हिसाब	राज्य सरकार की प्रतिभूतिया	राष्ट्रीय बचत प्रतिभूतियां
1	2	3	4	5	6

1 सस्था का 'रीजर्व फन्ड

2 सस्था 'छात्र कोष'

3 सस्था का कोष

4 सस्था क कर्मचारियों की भविष्य निधि के व्यक्तिगत खातो की कुल सख्या।

*आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है।

सस्था के प्रत्येक कमचारी के व्यक्तिगत खाते के सम्बन्ध मे अलग से निम्न प्रारूप म सूचना सलग्न की जाय —

क स	नाम कमचारी मय पिता का नाम	उत्तराधिकारी का नाम	प्रथम कटोती की तिथि
1	2	3	4

31-7-67 को खाते का पोते बाकी				डाकखाने का नाम मय बचत खाता सख्या
कमचारी का अ शदान्	सस्था का अ शदान्	ब्याज	कुल	
5	6	7	8	9

(क्रमाक इडीबी/एड/ए/16007/27/65-66 दिनाक 31-7 67 ई।

[6]
NOTIFICATION

NO F 2 (24) /Edu/C-11-VI/62 Dated the 4th Sept 1968

The Governor has been pleasel to order that following may be added as a Note Below Rule 4 (ii) of this Deptt Notification No F 2 (24) Edu/Cell-VI/62 dated the 18th July 1967 —

Note—"Reserve Funds will be invested in the manner prescribed under 4 (k) above only if under the relevant rules the maine enance of such funds is a condition precedent for entitlement to grant in aid"

[7]

कार्यालय अपर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

राज्य की अनेक अनुदान प्राप्त सस्थाओ के पास रिजव फड न होने के कारण इस कार्यालय के आदेश स ईडीबी/एड/ए/16007/104167 दिनाक

*जो व्यक्ति लालसाओ से मुक्त है—सदैव स्वतन्त्र है।

31 8 67 को अक्षरश अनुपालना मे अनुदान का चुकारा रोक दिया गया है जिससे इन सस्थाओ के अध्यापको का वेतन देना व्यवस्थापको के लिए कठिन हो गया है। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति स एफ 2 (24) शिक्षा/प्रकोष्ठ 6/62 दिनाक 4 9 68 को प्रसारित की गई जिस का मूल उद्देश्य अनुदान चुकारा सम्बधी कठिनाईयो को दूर करना था। राज्य सरकार से इस मामले मे और स्पष्टीकरण चाहा जा रहा है, जिससे कि तमाम दिक्कतें दूर हो सकें।

इस सस्थाओ को व इनके अन्तगत काम कर रहे अध्यापको को और अधिक कठिनाई न हो इस हेतु निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं, जिनकी तुरन्त पालना की जाय –

(1) चूकि अनुदान के नियमो में प्राथमिक एव माध्यमिक सस्थाओ के लिए रिजव फड (Reserve Fund) रखना जरूरी नही है, इस प्रकार की समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओ को अनुदान का चुकारा तुरत कर दिया जाय।

(2) उच्च माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शालाओ को जो कि राज्य से अनुदान प्राप्त करते हैं उनके लिए रिजव फड की राशि 15000 रु व 25,000 रु क्रमश बोड के नियमानुसार रखना जरूरी है जब तक यह शत पूरी न हो जाय तब तक अनुदान का चुकारा नही किया जा सकता किन्तु रिजव फड का एकदम जमा कराना भी सस्थाओ के लिए व्यवहारिक दृष्टि से सभव नही है। लकिन इस की शुरूआत की जानी नितान्त आवश्यक है। इन सस्थाओ को अनुदान का चुकारा कइ महीनो से नही हो रहा है। हर एक सस्था के अनुदान की राशि मे से दो महीने का अनुदान ये सस्थाए रिजव फड मे रखने को तैयार हो जाय तो इनको बाकी राशि का चुकारा कर दिया जाय व भविष्य मे अनुदान का चुकारा निरन्तर किया जाता रहे। इन सस्थाओ के व्यवस्थापको को यह भी निर्देश दे दें कि धीरे धीरे रिजव फड मे राशि जमा करते रहे ताकि वह कालान्तर मे पूरे रूप से स्थापित हो जाय।

(3) प्रशिक्षण महाविद्यालयो के लिए भी रिजव फड बनाना आवश्यक है है इसलिए इनको भी जो अनुदान दिया जाना है इसमे दो महीना का अनुदान रिजव फड मे रखवा लिया जाय व बाकी राशि का चुकारा तुरत कर दिया जाय। इन विद्यालयो के व्यवस्थापको को कहा जाय कि वे रिजव फड को पूरा कायम करने के लिए धीरे धीरे राशि जमा करते रहे।

(क्रमाक —शिविरा/अनुदा/16007/183/67/68　　दिनाक 27-9 68)

[8]

कार्यालय आदेश

विभाग के बारम्बार यह ध्यान मे लाया जाता है कि अनुदान प्राप्त सस्थायें अपने कमचारियों को यथा समय एव पूरा भुगतान नही करती है तथा उनक भविष्य

*बिना शारीरिक उन्नति के आध्यात्मिक उन्नति असम्भव है।

निधि की राशि भी समय पर डाकघर म जमा नही कराई जाती है जिससे उन्हें ब्याज की हानि होती है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक दृष्टिकोण से इच्छित मासिक आंकड़े भी कई संस्थाओं द्वारा भेजे ही नहीं जाते हैं। समय पर नहीं भेजे जाते है जिससे आवश्यकता पड़ने पर विभाग को जानकारी प्राप्त करने के लिए पुन प्रयास करने पड़ते है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आदेश दिये जाते है कि प्रत्येक शिक्षण संस्था को अपने अनुदान के मासिक बिलो के साथ विगत माह से सम्बन्धित निम्न सूचनाएं सलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा सूचना के महत्व के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी उन पर अपने प्रतिहस्ताक्षर करने से मना कर सकेंगे।

परिशिष्ठ 'क' सस्था के कर्मचारियों की योग्यता व भुगतान का विवरण

माह

नाम संस्था

क्र स	नाम कर्मचारी मय योग्यता	नियुक्ति तिथि	वेतन शृंखला	माह मे चुकाए गए वेतन का विवरण		
				वेतन	डी ए	कुल
1	2	3	4	5	6	7

पी एफ कटौती	खरी राशि जो चुकाई गई	कर्मचारी के प्राप्ति स्वरूप हस्ताक्षर	पी एफ की राशि डाकघर म जमा कराने का विवरण		
			कर्मचारी का अशदान	सस्था का अशदान	जमा कराने की तिथि
8	9	10	11	12	13

विशेष विवरण
14

प्रमाण पत्र — म　　(बिल पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधि नाम व पद) प्रमाणित करता हू कि उपरोक्त सूचना सस्था के हिसाब के आधारित है तथा मैंने इनका सत्यापन करने के बाद सही पाया है।

दिनाक

(हस्ताक्षर

मोहर

*भाग खोज निकालो अथवा अपना भाग स्वय बनालो

नोट इन आदेशों के अन्तर्गत प्राप्त नहीं होने वाले प्रथम बिल या भविष्य में –

(1) प्रत्येक साल के मार्च के बिल के साथ योग्यता व नियुक्ति तिथि का पूर्ण विवरण देना आवश्यक होगा अन्यथा नया नाम दर्ज होने पर केवल उसकी ही ऐसी सूचना देनी आवश्यक होगी।

(2) अगर किसी कर्मचारी का भुगतान नहीं हुआ हो तो उसके आगे संक्षिप्त विवरण लिखा जाय।

परिशिष्ट 'स' छात्र विवरण माह

संस्था का नाम

क्र स	कक्षा	कुल छात्रों की संख्या	परिगणित जाति के छात्रों की संख्या	पिछड़ी जाति के छात्रों की संख्या	परिगणित जन जाति के छात्रों की संख्या	स्वर्णकार छात्रों की संख्या	अन्य छात्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

माह में भर्ती किये गए छात्रों की संख्या टी सी एफेडेविट के के आधार पर	माह में शाला छोड़ कर जाने वाले छात्रों की संख्या		माह की नई भर्ती के मामले में अगर नियमानुसार विभागीय अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वह उपलब्ध की या नहीं अगर हां तो पत्रांक	विशेष विवरण
9	10	11	12	13

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है।

प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता
(संस्था के बिल पर
प्रतिहस्ताक्षर करने वाला)
पदाधिकारी

(हस्ताक्षर संस्था प्रधानाध्यापक)

अवितरित वेतन तथा भविष्य निधि की राशि के बारे में संस्था का प्रतिकूल व्यवहार प्रकट होने पर भी प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी मामले में अपनी पूर्ण रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

ये आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

(क्रमांक ईडीबी।एड।ए।16007।29।69 दिनांक 30-5 70)

*समय पर काम करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। पंचतन्त्र

[9]

कार्यालय

(अभिवृद्धि स्थाई आदेश 20 । 67 मे।

संस्थाओं के हिसाब की जांच के दौरान पाया गया है कि उनके विभिन्न खातों तथा रिजर्व फन्ड छात्रकोष। संस्था कोष, भविष्य निधि की विगत वर्षों की शेष बाकी ( ) को अभी तक प्राईवेट पार्टियो से हटाकर राजाज्ञा स एफ2 (24) शिक्षा प्रकोष्ट 6।62 दिनाक 18-7 67 के अनुरूप निवेश नहीं किया गया है ।

चूंकि राजाज्ञा को प्रसारित हुए काफी समय गुजर चुका है तथा उसे दुबारा इस कार्यालय स्थाई आदेश 20 । 67 के रूप मे भी प्रसारित किया जा चुका था । अत एक बार पुन ध्यान में लाया जाता है कि संस्थाये अपने विभिन्न खातो की विगत पाते बाकी का भी तुरन्त प्राईवट पार्टीज से हटाकर उसका नियमानुसार निवेश करें अन्यथा इसे नियमो की अवहेलना की स ना देकर भावी कायवाही की जावगी ।

(क्रमाक –ईडीबी।एडाए।16007।स्थे ।70 दिनाक 1-8-70)

[10]

कार्यालय आदेश

विषय –अनुदान प्राप्त संस्थाओ के कमचारियो के भविष्य निधि के मामले हेतु ।

प्राय यह ध्यान मे लाया गया है कि राज्य की अनुदान प्राप्त संस्थाओ के कमचारियों के भविष्य निधि की रकम जो डाकघर मे जमा होती है उसमे से कज लेने एव खाता को बन्द करने हेतु इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति लेनी पडती है जिसमे काफी समय व्यतीत हो जाता है तथा सम्बंधित व्यक्ति को समय पर राशि का भुगतान नही होता है ।

अत उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में समस्त प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारियो को भविष्य में भविष्यनिधि के खाते से कर्ज दिलाने हेतु स्वीकृति एव उसे बन्द कर देने हेतु शक्तिया प्रदान की जाती हैं ।

(क्रमाक –ईडीबी।एडाए।160।16007। दिनाक 12-11-71)

[11]

(No F 2 (24)/Eud–C VI/62 dated the 31s Jan 1973)

Sub Depositing the P F amount in the Post Offices by the Institutions Governed by the Central Govt

*उपदेश देना सरल है तदनुसार काम करना कठिन–पचतत्र

I am directed to convey sanction of the Governor to relax the rule 4 (k) of the grant in aid Rules, 1963 for depositing the Provident Fund amount in the Post Office Saving Banks in respect of institutions the employees of which are governed by the Central Government Service Rules

This issues with the concurrence of Finance Department vide their U O No 4656/FD (Exp 1)/73 dated 27th/30th December, 1973

(No EDB/AID/G/17104/67 Dated 16-5 73)

[12]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियो को सूचित किया जाता है कि महालेखाकार के जाच दल द्वारा अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओ के कमचारियो के भविष्य निधि से सम्बन्ध मामलो पर यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिका ो द्वारा सस्था कमचारियो की भविष्य निधि से सस्था अनुदान के डाकखाने मे सम्बधित कमचारी के खाते में जमा होने की जाच किये बिना यह राशि अनुदान हेतु स्वीकृत व्यय मे सम्मिलित की जाती रही है जिसके फलस्वरूप अनेक सस्थाओं की भविष्य निधि राशि पर गलत रूप से अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। अनुदान प्राथना पत्र (आवतक) के साथ मान्य व्यय 2000/- रु से अधिक होने पर चाटड एकाउण्टेन्ट प्रतिवेदन के साथ स्थिति विवरण (B lance sheet) का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक शर्त मानी गई है परन्तु अधिकाश मामलो मे यह पाया गया है कि बलेन्स शीट सस्थायें चाटड एकाउण्टेट प्रतिवेदन के साथ सलग्न नही करती रही है जिससे इस कार्यालय मे बेलेन्स शीट की लेनदारी देनदारी मद मे अकित राशि के आधार पर प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी द्वारा अनियमित भविष्य निधि के मान्य व्यय की सार्थकता की जाच करना सम्भव नही हो पाता है। अत इस कार्यालय के आदेश क्रमाक ईडा बी/ए ड/ए/16003/68-69 दिनाक 26 7 68 क्रमाक इडीबी/एड/ए/1600/27/65 66 दिनाक 31-7 67 स्थाई आदेश 20 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पुन समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियो को आदेश दिया जाता है कि —

*महान् उद्देश्य वाले व्यक्ति को भाग्य नही रोक सकता।

1 उनके द्वारा प्रत्येक सस्था से गत पाँच वर्षों का भविष्य निधि का वारवार विवरण सलग्न प्रपत्र मे प्राप्त कर उसकी जाँच सस्था के रिकार्ड के आधार पर की जावे एव इस विषय को दिनांक 31-10 73 तक इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे । प्रत्येक वित्तीय वर्ष सस्था की भविष्य निधि राशि पर स्वीकृत अनुदान राशि का उल्लेख भी किया जावे ।

2 भविष्य मे बैलेन्स शीट आडिट एकाउण्टेन्ट प्रतिवेदन के साथ सलग्न होने पर ही अनुदान प्रार्थना पत्र (आवतक) को इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाव

3 यदि कोई सस्था अपने स्थाई कर्मचारियों के भविष्य निधि जमा नही करती हो तो उसका अनुदान प्रार्थना पत्र प्रत्येक स्थाई कर्मचारी के भविष्य निधि के खाते डाकखाने मे खोलने एव दिनांक 1 4-73 से डाकखाने में कर्मचारी व सस्था के अशदान जमा किये जाने की स्थिति मे ही इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाय।

4 सस्था के आगामी अनुदान प्रपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने से पूर्व सभी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियो को आश्वस्त होना होगा कि सस्था ने कर्मचारियो के पी एफ की राशि विगत माह की डाकघर म जमा करा दी है और डाकघर द्वारा कर्मचारियों के स्टेटमेन्टस पर मोहर लगा दी है । यदि कोई सस्था डाकघर से प्राप्त विवरण प्रस्तुत नही करती है तो अनुदान बिल रोका जावे ।

5 भविष्य मे सभी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियो को यह देखना है कि अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 4 (के) (ii) के अनुसार सस्था की सभी निधिया यदि वो तीन महीने से अधिक सस्था के पास पडी हुई है डाकघर में जमा होनी चाहिए अन्यथा सस्था की जिम्मेदारी होगी ।

6 भविष्य निधि की राशि से कर्मचारी को कर्ज देते समय ध्यान रखा जावे कि यह कर्ज कर्मचारी के 3 माह के वेतन से ज्यादा नही हो तथा पूर्व बकाया कर्ज की कोई राशि शेष न हो।

अनुदान प्राप्त सस्थाओ के भविष्य निधि (पी एफ) के मामलो मे अनियमितता पायी जाने पर इसका पूर्ण दायित्व प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का माना जायेगा क्योंकि सस्था के लेखा की फिजीकल चैकिंग का पूर्ण दायित्व प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी का है । निदेशालय द्वारा केवल प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी द्वारा अनुशंषित आय व्यय पर ही अनुदान स्वीकृत पत्र जारी किया जाता है।

(क्रमाक –शिविरा/अनु/ए/16011/58/73 74 दिनाक 2-6 7?

*जोडना व्यर्थ है मुख्य बात तो समय पर निकलना है।

भविष्य निधि संबंधी प्रपत्र

…ाक	कर्मचारी का नाम मय शैक्षणिक तथा प्रशैक्षणिक योग्यता	अप्रैल माह का वेतन (पे+डीपी)	भविष्य निधि की मासिक दर	प्रथम कटौती की तिथि	डाकखाने का नाम व पास बुक का नम्बर
1	2	3	4	5	6

गत मार्च खाते का पोते बाकी: कर्मचारी का अंशदान	संस्था का अंशदान	ब्याज	योग	ऋण	वर्तमान वित्तीय वर्ष तक जमा राशि: कर्मचारी का अंशदान	संस्था का अंशदान	ब्याज	योग	ऋण	वृहद योग
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1…

हस्ताक्षर
संस्था व्यवस्थापक
(मय मुहर)

प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी
हस्ताक्षर (मय मुहर व तिथि)

एकाग्रता से ही विजय प्राप्त होती है।

[13]

भविष्य निधि के नियम (अनुदान प्राप्त सस्थाओं हेतु

[राज्य सरकार के पत्राक एफ 7 (13) शिक्षा/ग्रुप 74 दिनाक 12-11-74 के अन्तगत अनुमादित]

(1) अनुदान प्राप्त सस्थाओं में कार्य करने वाले कमचारियों के लिए यह अनिवाय रूप से आवश्यक है कि एक वर्ष की सेवा उपरान्त भविष्य निधि राशि की कटौती 6% वतन की दर से की जावे।

(2) सस्था प्रबन्धकारिणी समिति प्रत्येक मास कमचारी के अंशदान के बराबर धन राशि कमचारी की भविष्य निधि के खाते मे जमा करेगी।

(3) सस्था क कमचारियो की भविष्य निधि का खाता डाकखाने में कमचारी के व्यक्तिगत नाम से खोला जावे एव प्रत्येक माह वेतन भुगतान तिथि क अधिक से अधिक तीन दिन भीतर कमचारी व सस्था का अंशदान डाकखाने मे अनिवाय रूप से जमा किया जावे।

(4) कमचारी के भविष्य निधि अंशदान की गणना करते समय 50 पैस से कम राशि को छोड दिया जावे और 50 पैस से अधिक राशि का एक रूपया मान लिया जाय भविष्य निधि राशि केवल पूरे रूपयों मे ही जमा की जावेगी।

(5) भविष्य निधि के डाकखाने की पास बुक सस्था के सरक्षण म रखी जावे एव विभागीय जाच के समय प्रत्येक कर्मचारी की पास बुक को प्रस्तुत करने का दायित्व सस्था प्रधानाध्यापक का होगा।

(6) प्रत्यक आर्थिक वर्ष के डाकखाने म जमा भविष्य निधि का विवरण अनुदान प्रार्थना पत्र (आवर्तक, के साथ निर्धारित प्रपत्र मे सलग्न किया जावे (प्रपत्र 'ग')।

(7) प्रत्येक माह सस्था को अपने विपत्र के साथ गत माह मे डाकखाने में सस्था कमचारियो के भविष्य निधि म जमा राशि का डाकखाने से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस निर्धारित प्रपत्र सलग्न किया जाता है। (प्रपत्र 'ख')

(8) प्रत्येक कमचारी की उसकी व्यक्तिगत पास बुक प्रत्येक वष माह म दिखलाई जावे एव इस हेतु कमचारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर f यह कार्यवाही सस्था द्वारा रखे गये व्यक्तिगत भविष्य निधि का विवरण पजिका मे की जावे।

*स्वस्थ शरीर मे स्वस्थ आत्मा निवास करती है।

(9) भविष्य निधि राशि के लेखा विवरण में ऋण आदि भुगतान की कार्यवाही सस्था सचिव, व्यवस्थापक एव सबन्धित कमचारी दोनो के हस्ताक्षर से किया जा ेगा।

(10) भविष्य निधि के सम्बन्ध मे कमचारी के अधिकार –

(क) कमचारी द्वारा अपने भविष्य निधि के कानून अधिकारी की घोषणा सलग्न (विभाग द्वारा आयोजित प्रपत्र घ मे की जावेगी ताकि कमचारी की मृत्यु या पागल होने की दशा म भुगतान सही व्यक्ति को किया जा सके।

(ख) कमचारी से की जाने वाली किसी भी प्रकार की वसूली भविष्य निधि से नहीं की जावेगी।

(ग) यदि कोई कमचारी भविष्य निधि जमा करने की तिथि से दो साल या इससे कम अवधि म सस्था की सेवा स्वेच्छा से छोड दे तो ऐसे कमचारी को प्रबन्धकारिणी समिति के अ शदान व उस पर प्राप्त व्याज दोनो भुगतान नही किया जावेगा परन्तु सस्था द्वारा सेवा स हटाये जाने पर सम्पूर्ण भविष्य निधि राशि का भुगतान कमचारियो को किया जावेगा।

(11) (क) ऋण निम्न लिखित कि ही एक कारण पर कमचारी को तीन माह का वेतन या 50 प्रतिशत भविष्य निधि राशि (इनमे से जो भी कम हो) ऋण दिया जा सकता है —

(1) कमचारी के आश्रित का विवाह।
(2) कमचारी या उस पर आश्रित व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर
(3) कमचारी के बच्चो की शिक्षा हेतु।
(4) भवन निर्माण या भवन हेतु भूमि क्रय करने हेतु।
(5) कमचारी के आगे अध्ययन करने हेतु।
(6) कमचारी अपने हेतु साईकिल आदि वाहन क्रय करने हेतु।

(ख) उपरोक्त किसी भी प्रकार के ऋण हेतु कमचारी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे प्रब ध कारिणी समिति को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ग) ऋण हेतु प्राथना पत्र प्राप्त होने पर सस्था सचिव/व्यवस्थापक द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

(घ) कमचारी के वेतन के 1/8 भाग के बराबर किश्तो मे ऋण की वसूली की जा े।

*पढना सब जानते हैं, पर क्या पढना चाहिए कोई नहीं जानता।

(ङ) एक या दो ऋण किसी कर्मचारी को स्वीकृत कर भुगतान किये जाने पर ऋण राशि की वसूली प्रत्येक ऋण के 1/24 वे भाग प्रति माह की दर से की जावेगी।

(च) यदि कर्मचारी बिना वेतन अवकाश या अर्द्ध वेतन अवकाश पर हो तो उससे ऋण की वसूली नहीं की जावेगी।

(छ) ऋण दिये गये राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज कर्मचारी से वसूल कर भविष्य निधि खाते मे जमा की जावें

(ज) एक ऋण का चुकारा किये बिना संस्था दूसरा ऋण भविष्य निधि खाते से कर्मचारी को प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता की पूर्वअनुमति प्राप्त कर लिये जाने पर ही दिया जाने ।

(12) कर्मचारी के सेवा मुक्त (Retired) होने निलम्बित (Dismissal) होने पर ही भविष्य निधि का अंतिम चुकारा किया जा सकता है।

(13) कर्मचारी के सेवा मुक्त होने पर भविष्य निधि राशि का पूर्ण भुगतान किये जाने पर प्राप्त कर्त्ता के हस्ताक्षर (Revenue stamp) पर लिये जाने आवश्यक हैं।

(14) प्राप्त कर्त्ता कर्मचारी के भविष्य निधि का कोई claiment न होने पर निदेशक के निर्देशानुसार इस राशि का उपयोग संस्था द्वारा किया जा सकता है।

(15) प्रतिवर्ष माह अप्रेल में संस्था को समस्त कर्मचारियों की भविष्य निधि का गत वर्ष का लेखा विवरण निर्धारित प्रपत्र मे डाकखाने से माह अप्रेल मे जारी किये गये प्राप्ति पत्र (Acknowledgement) के साथ निदेशक कार्यालय को प्रेषित करना आवश्यक होगी (प्रपत्र ग)

(15) किसी कर्मचारी के एक अनुदान प्राप्त संस्था मे स्थानान्तरित होने पर सम्बन्धित कर्मचारी की भविष्य निधि राशि को भी दूसरी संस्था के प्रबन्धकारी सम्बन्धित को स्थानान्तरित किया जावेगा, स्थानान्तरण दोनो सम्बन्धित संस्थाओं की सहमति से होने पर ही ऐसा किया जा सकता है।

(17) किसी कर्मचारी को प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियमानुसार नोटिस देकर नोटिस अवधि के वेतन भुगतान की स्थिति में नोटिस अवधि के वेतन पर भी (कर्मचारी व संस्था दोनों का अंशदान) भविष्य निधि राशि की कटौती की जाकर कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जावेगी।

(18) 6¼% से अधिक दर पर भविष्य निधि राशि की कटौती नहीं की जा सकती है और इससे अधिक कटौती की गई राशि को भविष्य निधि खाते में जमा नहीं किया जावेगा।

*पुराना कोट पहनो और नई किताब खरीदो।

(19) भविष्य निधि की कटौती विधिवत जारी न करने की स्थिति में सस्था का अनुदान बन्द किया जावेगा तथा सस्था की मान्यता को भी निरस्त किया जा सकता है।

(20) राज्य सरकार द्वारा भविष्य निधि पर अनुदान सम्था की चाटर्ड एकाउण्टेण्ट के प्रतिवेदन के साथ सलग्न बी। एस मे Assets व Liabilities दोनों ओर भविष्य निधि का उल्लेख होने एव अनुदान प्राथना पत्र (आवतक) के साथ वी। एस सलग्न किये जाने पर ही स्वीकृति किया जावेगा।

(21) भविष्य निधि के लिये निम्नाकित रिकाड रखा जावे —

(1) प्रत्येक कमचारी के भविष्य निधि के खाते की डाकखाने का पास बुक।

(2) प्रत्येक कमचारी के भविष्य निधि का लेखा विवरण।

(3) प्रत्येक मास डाकखाने मे जमा की गई भविष्य निधि राशि का डाकखाने से प्राप्त प्रमाण पत्र।

(4) प्रतिवष माह अप्रेल मे निदेशालय को प्रेषित किये गये भविष्य निधि सम्बन्धित स्टेटमेन्ट की प्रतिलिपि पजिका।

(22) भविष्य निधि राशि का भुगतान कमचारी को किये जाने के बाद पास बुक सस्था रखेगी।

(क्रमाक—शिविरा। अनु। ए। 16011। 73 दिनाक 29 11-73)

*अधकार को क्यो धिक्कारें अच्छा, हो एक दीप जलाएँ।

फार्म —(क)

संस्था के कर्मचारियों की भविष्य निधि का लेखा विवरण

संस्था का नाम   कर्मचारी का नाम

पद   वेतन शृंखला

माह	महिने में प्राप्त वेतन राशि	वेतन भुगतान तिथि	पास बुक का न	जमा की गई राशि		
				कर्मचारी द्वारा	संस्था द्वारा	जमा करने की तिथि
1	2	3	4	5		7

प्रारम्भिक शेष	ऋण वसूली की राशि	ब्याज	योग	ऋण लेने की तिथि	ऋण ली गई राशि	ऋण लेने का कारण	अंतिम शेष	प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर	विवरण
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

फार्म —(ख)

प्रत्येक डाक खाने में जमा की गई भविष्य निधि राशि का विवरण पत्र

भविष्य निधि लेखा

क्रमांक	पास बुक क्रमांक	कर्मचारी का नाम	मासिक वेतन राशि	कर्मचारी का अंशदान	संस्था का अंशदान	ऋण की वसूली	योग	रिमार्क्स
1	2	3	4	5	7		8	9

*सभी औषधियों में सर्वोत्तम है, विश्राम और निद्रा ।

फाम--(ग)

भविष्य निधि का वार्षिक लेखा विवरण

स स्था नाम सत्र 197 से सम्बंधित ।

क्रमाक	कमचारी का नाम	कमचारी का वेतन	पास बुक क्रमाक	गत वर्ष माच तक जमा राशि	सन 197 मे जमा की गई राशि	ब्याज	माच 31 की जमा राशि	सलग्न प्रमाणपत्र स स्था व तिथि	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फाम--(घ)

मै (कमचारी का नाम एतद द्वारा यह घोषित करता हूँ कि मेरे भविष्य निधि खाते, खाता स ख्या डाकखाना मे जमा समस्त धन राशि मेरी मृत्यु के बाद निम्नांकित उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियो) जिनके नाम क्रमानुसार नीचे अंकित है। भुगतान की जावे

क्रमाक	उत्तराधिकारीका नाम व पता	कमचारी से सम्बन्ध	आयु	उन व्यक्ति/व्यक्तियो के नाम जिनको उत्तराधिकारी की मृत्यु होने की दशा मे भुगतान किया जा सकता है।
1	2	3	4	5

दिनांक

स स्था का नाम

प्रमाण कर्ता

(1) हस्ताक्षर व पद (2) हस्ताक्षर व पद

जमा कर्ता का नाम व पता पद

हस्ताक्षर

... अधिकार है, फल मे नहीं ।

[14]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राज्य सरकार क निर्णयानुसार सहायता प्राप्त विद्यालयो को अनुदान नियम 4 (के) के अनुसार सुरक्षित निधि रखना जरूरी है, इस बारे मे इस कार्यालय द्वारा पूर्व देश स शिविरा अनु।ए।16007।183।67 68 दिनाक 27 9 68 के अनुसार माध्यमिक एव उच्च माध्यमिक विद्यालयो हेतु रिजव फण्ड की राशि क्रमश 15000। एव 25000।– रखने के पूव आदेश दिये जा चुके है । अब प्राथमिक विद्यालयो उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा मा टेसरी विद्यालया के लिए भी निम्न प्रकार से रिजव फण्ड की राशि सृजित करना जरूरी है ।

1) प्राथमिक विद्यालय 2000रु –
2) उच्च प्राथमिक विद्यालय 5000रु –
3) मोन्टेसरी विद्यालय 5000 रु –

अत उपरोक्त स्तर वाली समस्त सस्थाओ को आदेश दिये जाते है कि अनुदान नियम 4 (क) तथा इस कायालय के परिपत्र दिनाक शिविरा।अनु।ए 16007 123।67 68 दिनाक 27 9 68 के अनुसार सुरक्षित निधि सृजित करने की कायवाही पूर्ण करे एव अनुपालना इस कायालय को भेजे ।

(क्रमाक–शिविरा।अनु।ए।17903।गिरी।8।76 दिनाक 17।6।197/

[15]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

(क्रमाक —शिविरा/अनु/ए/17906/साशो/384/79—80 दिनाक 21 7 79)

विषय—अनुदान प्राप्त सस्थाओ के कमचारियो के भविष्य निधि राशि को पी डी खातो म जमा करने हेतु ।

विशेष शासन सचिव, शिक्षा विभाग' राजस्थान, जयपुर की विज्ञप्ति स एफ 10।120।शिक्षा/6/78 दिनाक 28 5 79 के अ तगत अनुदान नियम 1963 मे निम्न प्रकार स सशोधन किय गये हैं । ये सशोधन 1 4 79 से प्रभावी होंगे —

(1) नियम 1 का (ii) परिभाषा मे उपनियम (जी) नया प्रावधान जोडा गया है ।
(2) नियम 4(जे) के आगे नया प्रावधान जोडा गया है ।
(3) नियम 4 (के) मे नये भाग (i) (ii) (iii) जोडे गये ह।

उक्त आदेश के साथ साथ वित्त विभाग की एक आज्ञा सं एफ 3/44/एफ डी/आरएण्ड/5/आई दिनाक 16 5 79 एव दिनाक 10 5 79 मे सभी अनुदान

*प्रत्येक काय किसी कारण का परिणाम है–मनु ।

प्राप्त स स्थाओ के कार्यरत कर्मचारियो के भविष्य निधि खाता को पी डी खाते में जमा कराने के आदेश भी जारी किये हैं जिसके अनुसार अब दिनांक 1 9 79 से समस्त खाते राजकीय प्रतिभूति मे परिवर्तित हो जाते ह । विस्तृत निर्देश इन आदेशो के साथ में स लग्न हैं

उक्त सभी आदेशो की प्रतियां आपको भेज कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त सहायता/अनुदान प्राप्त स स्थाओ को इन आदेशो की प्रतियां उपलब्ध करावें और राज्यादेश अनुसार तुरन्त कार्यवाही के निदे श दें । यदि इस विषय मे आपको कोई शका हो तो उसे मय पूरे विवरण के निम्न हस्ताक्षरकर्ता को भिजवादें, ताकि स्पष्टीकरण भेजा जा सके ।

[16]

Government of Rajasthan, Education (Cell VI) Department

NOTIFICATION

No F 10(102) Edu/VI/78 Dated 28 May, 1979

The Governor has been pleased to make the followin amendments in the Rules for payments of Grant in aid to Non Government Educational, Cultural Physical Education Institution in Rajasthan, 1963 —

(1) The following may be added after sub rule (ii) (f) of Rule 1

(g) 'Examiner" means the Examiner Local Fund Audit Department, Rajasthan, Jaipur

(2) The following may be added as proviso to existing Rule 4 (j),

Provided that the institutions shall follow the directions issued by the Government of Rajasthan with regard to investment of past accumulations as well as current and future accretions to the G P F account and ancillary matters from time to time

Note —The Departm nt/Board of Secondary Education/University /*Universities* to be established shall make necessary amendments in the respective rules framed by them

(3) The existing rule 4 (k) shall be substituted by the following —

(i) All accumulated, current and future accretions to the P F amount of the employees and contribution of the institution shall be deposited in the interest bearing personnel deposit account by the institutions in Government Treasury in the manner and as per directions laid down by the State Govt from time to time

(ii) The reserve funds and deposits etc of the institutions shall also be invested in the State Govt securities or National Savings Securities viz post office Savings Bank Account, National Defence Certificates only

(iii) All the other recurring and non recurrinf grants which are not needed within a period of three months shall be deposited in the post office Savings Account

Note – Reserve Funds will be invested in the manner prescribed under (ii) above only if under the relevant rules the maintenance of such funds is a condition precedenr for entitlement to grant in aid

This shall come into force with effect from 1 4-1979

[17]

क्रमांक एफ 3 (44) एफ डी/आर/एण्ड आइ/79 दिनांक 16-5-79

आज्ञा

इस समय नगर पालिकाओ, नगर परिषदो, नगर विकास न्यासो गैर सरकारी स्कूलो तथा कालेजो एवं विश्वविद्यालयो में नियुक्त व्यक्तियो के भविष्य निधि खातो की धनराशि के विनियोग मे एकरूपता नही है। फलस्वरूप अलग अलग संस्थाओं को इस राशि के विनियोजन पर अलग अलग ब्याज की दरें प्राप्त होती है। ऐसे उदाहरण भी सामने आये हैं जिनमे कर्मचारियो से प्राप्त राशि को समयावधि में जमा नही कराया गया है अथवा नियोजको ने अपना हिस्सा निधि मे जमा नही कराया है। कुछ दृष्टात ऐसे भी हैं जहा स्थानीय निकायो अथवा संस्थाओ ने इस राशि से अपनी अन्य आवश्यकताएँ पूरी करली हैं। कर्मचारियो के हितो की रक्षा करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त समस्त निकायो तथा

सस्थाओ के कमचारियो की भविष्य निधि की राशि को तुरंत प्रभाव मे परिग्रहित की जावे ।

अत विभिन्न स्थानीय निकायो, नगर विकास न्यासो, अराजकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओ तथा विश्वविद्यालयो आदि द्वारा इस निधि मे उपलब्ध एव भविष्य म जमा होने वाली राशि से राज्य कोष मे तुरंत जमा कराना होगा । राज्य सरकार इस राशि पर, राज्य कर्मचारियो को भविष्य निधि पर दय दर स ब्याज देगी । इसके साथ इन कमचारियो को राज्य सरकार के प्रचलित नियमा एव उप नियमो के समान निर्धारित उद्देश्यो के लिए ऋण अथवा अग्रिम भुगतान की सहू लियत भी प्रदान करदी जावेगी, परन्तु इस आहरण की स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी पूववत अपनी अधिकारो का प्रयोग करत रहगे ।

इस विषयक काय प्रणाली व लेखा सम्बन्धी विस्तृत निर्देश पृथक स जारी किय जा रहे हैं ।

[18]

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

No F 3 (44) F D /R&AI/79 Jaipur, dated 17, May, 1979

Sub —Investment of contributory Provident Fund Monies of the municipalities, U I T Univ rsities and Aided Educational Institutions in Interest bearing Personal Deposit Accounts with Govenment Treasury Instructions regarding

The Finance Department vide its order No F 3 (44) FD/R&AO/79 dated 16–5–79 has directed that the Contributory Provident Fund monies of the Municipal Councils Municip l Boaros and Urban Improvement Trusts, Universities and aided Educational Institutions shall be deposited in the interest bearing F D Accounts with Government Treasuries withimmedi ate effect In this connection the following instructions regarding the procedure to be followed are laid down for guidance of all concerned —

Opening of Iterest Bearing Personal Deposit Account

(1) A sparete Interest Bearing F D Acourt under Head "S Deposits and Advances (4) Deposits bearing interest 238–

क्षतिया उत्पन्न नही की जाती, वे स्वय होती हैं ।

Deposits of Local Funds personal Deposit accounts for C P F of Local Bodies shall be opened by the Treasury officer on the written request of each of the Municipalities/Urban Improvement Trusts/Universities/Aided Educational Institutions under the four new heads viz

1 Deposit account for C P F Municipalities
2 Deposit Account for C P F of Urban Improvement Trusts
3 Deposit account for C P F of Universities
4 Deposit account for C P F of Aided Educational Institutions

With the District or Sub-Treasury concerned in the name of the Institution which will be termed as interest bearing C P F Personal Deposit Account of the institution concerned An intimation of the Account opened by the Treasury Officer shall be given to the Examiner, Local Fnnd Audit Department Pass book shall be supplied to each Account Holder by the Treasury Officer

(2) The entire balance of the C P F account of the employees of the Institution comprising of their uptodate subscription, institution's contribution and the interest accured thereon after proper verification by the Head of the Institution shall be transferred to this Personal Deposit Account with immediate effect As regards existing investment of the provident fund in Government or Government Guaranteed Securities, Fixed Deposits and / or Time Deposits in Banks and Post Offices etc Now avilable with the Institutions the same shall be endorsed in favour of the District Sub–Treasury by the respective holders for credit to the P D account concerned of the Institution on maturity Cash Balance and the amount avilable under the Post Office savings Bank Account or in other Bank Account

shall also b deposited in th District/Sub-Treasury for credit in the respective P D account The Head of the institution concerned shall take necessary action to verify the corrections of the balances and ensure that these are credited in the respective P D Accounts

Procedure for regular deposits and withdrawals

(3) The following procudure shall be follwed in respect of Provident Fund subscriptions to be realised from the employees and its deposit alongwith the contribution by the Institutions and withdrawals —

(a) while drawing the pay bill of the staff by cash institut ion, the provident Fund subscription shall be shown separately in the pay-bills The amount representing the P F subscription shall be deposited and the proscribed contribution by the Insti ut ion as per rules in force shall be deposited in the respective P D Account in the District/Sub-Treasury by means of triplicate chall ans not later than 2 days in any case on which the cheques representing the salary of the employees are encashed or the payment of salary is effected in cash

(b) The respective institntions shall maintain individual P F ledger account in respect of individual employees in which the monthly subscription to P F and the contribution paid by the institution shall be credited promptly For withdrawals from this account a separate cheque book shall be issued by the Treas ury Officer to the Officer operating the P D Account

(c) In respect of the withdrawals from the P D Account employees will be allowed to avail of the facility of the temporary and final withdrawal from the Provident Fund for the prescribed objective according to the rules and regulations of the Governm nt respective institutions " Separate cheque in respect of such withd avals shall oy issued be the competent authority of the institution operating the account A copy of the sanction for temporary or final withdrawl, as the case may be, shall invariably be forwarded to the Examiner Lo al Fund Audit D partment for scrutiney at the

*नियमो का विधान मनुष्य के लिये है । मनुष्य का निर्माण नियमो के लिये नहीं ।

end of, the moth the competent authority of institution sanctioning such withdrawals shall forward tothe Examiner, Local Fund Audit department for scrutiny At the end of the month the competent authority of the institution sanctioning such withdrawls shall for warda certificate to Examiner, Local Fund Audit Deptt that all the monies withdrawn are in accordance with the sanctions issued-during the month and have been disbursed to the respective beneficiary employees The Treasury officer will ansure that the withdrawals are supported by sanctions issued by the competent authority

Rate of Interest etc –

(4) At the end of each financial year, interst will be allowed on the minimum balance in the P D Account between 6 th to end of individual months by the Treasury Officer at the rates to be prescribed at par with the rate allowed on G P F of Government Servants A separat intimation for credit of interest at the end of Financial year shall be sent by the District Treasury Officer to each of the Institution The expenditure on account of interest will be debitable to the minor head concerned below the major head 249–Interest payment-F Interest on other obligations —

1–Interest on P D Account for C P F of Municipalities
2–Interest on P D Account for C P F of U I T
3–Interest on P D Account for C P F of Universities
4–Interest on P D Accouut for C P F of Aided Educational Institutions

5–The head of the Institution shall arrange to credit the interest in the respective P F Ledger account of the Individual employees on pre rate basis as per balance appearing in such individual's provident fund account

*चरित्रवान बनो, जगत तुम पर स्वय मुग्ध हो जावेगा।

(6) Audit of P F Accounts maintained by Institutions and deposits & withdrawals from the P D Accounts of individual institutions with the Distt Treasuries —

(7) The examiner, Local Fund Audit Department shall arrange for the detailed audit of the C P F Accounts maintained by the Institutions concerned and examine the position of reconciliation, deposits and withdrawals form the P D Account He will submit Budget Estimates of Receipt, withdrawals and interest payment on these accounts to the Goverment in Finance Deptt (Budget) on the basis of estimates obtained from the Treasury Officer,

Peridiocal returns to be furnished by Head of the Institution

(8) The Head of the Institution will furnish and initial return showing the position to the Examiner, Locel Fund Audit Department with in the month of the issuance of this order This return will include information of the following points —

(1) Total number of Employees in the Institution as on the date of issue of this order

(2) Number of employees ,entitled and subscrbing to the Contributory Provident Fund on the above date

(3) Total accumulated amount of Contributory Provident Fund including employees subscription, employer's contribution, and interest as on above date

(4) Balance of unrecovered/outstanding temporary advances granted out of C P F beneficiary employees, as on above date

(5) Total amount transferred in the personal Deposit Account in the Treasury alongwith Challan number and date

(6) Details of term/fixed deposits, National Savings certificates and other securities endors d in favour of the Treasury Officer concerned, showing amount, rate of interest, date of

*यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो तो देना सीखो।

maturity of each investment and periodicity of paymnet of interest on such securities

(B) The Head of the Institution shall furnish a monthly return by 10th of the next month to the Examiner, Local Fund Audit Department in the enclosed proforma

This issued with the concurrence of Finance Department W M) and Finance Department (Budget)

PROFORMA OF MONTHLY RETURN TO BE SENT BY HEAD OF THE INSTITUTION TO THE EXAMINER, LOCAL FUND AUDIT DEPARTMENT, RAJASTHAN, JAIPUR

1 SUBSCRIBERS —

(i) Number of subscribers on the last day of the previous month

(ii) Number of subscribers enrolled during the month

(iii) Number of subscribers who have ceased to pay contributions during the month on account of cessation of employment

(iv) Number of subscribers on the last day of the month

(v) Total number of employees in the etablishment on the last day of month

(vi) Reasons for difference in the number given in (iv) and (v) above, to be appended

2 ACCUMULATIONS —

(i) Total net accumulations as per last return

(ii) Accumulations during the month

(a) Employee's subscriptions

(b) Employer's contribution

(c) Total

(d) Amount transferred to Personal Deposit Account

3 WAGES & CURRENT CONTRIBUTION —

(i) Total amount of gross wages liable to Provident Fund contributions (Basic/Salary wage, Dearness Allowance & other allowance to be mentioned separately)

(ii) Current contributions during the month
   (a) Employer's Share
   (b) Employee's share,
   (c) Total

4 OTHER INCOME —

(i) Amount received in repayment of temporary advances

(ii) Interest recovered on temporary advances

(iii) Amount transferred to Personal Deposit Account against (i) and (ii) above

5 PAYMENT —
   (i) Temporary advances
   (ii) Final claims of withdrawal
   (iii) Total

6 NET ACCUMULATION IN THE C P F PERSONAL DEPOSIT ACCOUNT

(This should tailly with the total of the amount indicated In sub paras 2 (1),+2(ii),+4(i),+4(ii) Minus 5(iii) above)

[19]

राजस्थान सरकार शिक्षा (प्रकोष्ट-6) विभाग

प 10 (102) शिक्षा/6/78 दिनाक 20 7 79

विषय—अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि को पी डी खातों में जमा करने हेतु।

महोदय,

निदेशानुसार इस विभागीय समसख्यक आदेश दिनाक 28 5 79 के क्रम में लेख है कि अनुदान प्राप्त सस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि को राज्य कोष मे पी डी खातों के रूप मे जमा करने की अवधि 1 9 1979 तक बढ़ाने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

★परहित सरिस धर्म नही भाई— तुलसी।

यह स्वीकृति वित्त (आर एण्ड ए आई) विभाग की सहमति आई डी सख्या 423 एफाडीाआर ए।79 दिनाक 18 7 79 द्वारा प्राप्त कर प्रचलित की गयी है ।

अध्याय--11

अनुदान प्राप्त संस्थाओ मे कमचारियो की नियुक्ति करने की चयन प्रक्रिया सबधी आदेश परिपत्र

Government of Rajasthan-Department of Education
No EDB/Aid/A116007 68/65-66 dated 26 11 65

Sub —Appointment of Trained & Qualified Staff in Aided Institutions

Where as an adequate number of Qualified and trained teachers is now available in all, except Science Subjects, it is hereby ordered with immediate effect that all aided institutions should appoint only qualified and trained te chers in future This will however not apply to science teachers Appointment of under qualified and/or untrained teachers if subjects other than science will be considered for Grant in aid only if a non availa bility certificate to this effect is obtained from the Employment Exchange

[2]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

अनुदान प्राप्त सस्थाओ मे नियोजन हेतु प्रशिक्षित अध्यापको की उपलब्धि की कठिनाईयो को ध्यान म रखते हुए इस विषय मे पूव प्रसारित पत्राक इडी बी/

★जीओ और जीने दो ।

एड/ए/16007/68/65-66 दिनाक 26-11-65 मे निम्न सीमा तक शिथिलन प्रदान की जाती है।

(क) अप्रशिक्षित अध्यापक जो दिनाक 1-1-69 तक नियोजित किये जा चुके हैं उनके तथा सस्था के सस्थापको से इस आशय का घोषणा पत्र कि अध्यापक आगामी तीन वर्षों मे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा, उन पर हुए व्यय को अनुदान हेतु मान्य किया जाता रहेगा।

(ख) छोट कस्बो मे प्रशिक्षित अध्यापिकायें सुलभ नही है अत अप्रशिक्षित अध्यापिकाओ की नियुक्ति की जा सकती है लेकिन एक लाख व उससे अधिक सख्या वाले नगरो मे अध्यापिकाओ के लिए भी नियुक्ति हेतु प्रशिक्षित होना आवश्यक होगा।

प्रत्येक सस्था के व्यवस्थापक अनुच्छेद (क) के अनुपालन मे उचित प्रार्थना पत्र भिजवावें, ताकि उ हें ध्यान मे रखते हुए उनके अनुदान मे से की गई अप्रशिक्षित अध्यापको के वेतन से सम्बन्धित कटौतियो को निस्तारित किया जा सके।

[क्रमाक —ईडीबी/एड/ए/16007/238/67 दिनाक 11 6 68]

[3]

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र स ईडी बी/एड/ए/16007/238/67 दिनाक 11-6-1968 के अ तगत अप्रशिक्षित अध्यापको/अध्यापिकाओ के नियोजन से सम्बन्धित विभागीय नीति स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि 1-1-69 तक नियोजित अप्रशिक्षित अध्यापको के मामलो मे इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर कि वे आगामी तीन वर्षों मे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, विभाग उनक वेतन से सम्बन्धित अनुदान मे से की गई कटौतिया को निरस्त करके अनुदान स्वीकार कर लेगा। पर तु ऐस घोषणा पत्र अभी तक प्राप्त नही हुए हैं।

अत एक बार पुन' सभी सस्थाओ के ध्यान मे लाया जाता है कि वे कृपया समुचित घोषणा पत्र तथा अपने अभिवेदन इस परिपत्र की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि म भिजवाने की यवस्था करे अन्यथा उसके बाद अप्रशिक्षित अध्यापको के वेतन से सम्बन्धित अभिवेदना पर कोई विचार नही किया जायगा।

[क्रमाक — ईडीबी/एड/ए/16007/स्पेशल/67 दिनाक 30-8-69]

[4]

परिपत्र

इस कार्यालय के परिपत्र स ईडी बी/एड/ए/16007/238/67 दिनाक 11-6-1969 के स दभ में प्रशिक्षण के मामले को लेकर कुछ सस्थाओ ने कठिना

*मनुष्य की खुशहाली उसकी सच्चरित्रता का फल है।

इयो की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो कि व्यवहारिक होने के कारण पूरा। म निम्न सशोधन किया जाता है —

1 जो अध्यापक।अध्यापिकाए सबधित प्रशिक्षण क लिए निधारित अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं तथा 1-12-65 स पूव सवारत है उन्हे ट्रेनिग क शर्तो से मुक्त किया जाता है लेकिन सम्बधित वेतनमान मे जो ट्रेनिग की ई वी होगी वह उस सम्ब ध मे बनाय गये नियमो की पूर्ति पर ही पार का जा सकेगी।

2 दिनाक 1-12-65 से पूव नियुक्त जो अध्यापक।अध्यापिका प्रशिक्षण मे प्रवेश की आयु पार नही कर चुके हैं अगर न्यूनतम शक्षिक योग्यता धारण नही किए हुए हो तो उन्हे पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करन क लिए उचित समय दिया जाकर फिर प्रशिक्षण के लिए बल दिया जाय।

3 1-12-65 से 31-12-68 तक नियोजित सभी अध्यापको।अध्यापिकाओ के लिए 30-6-72 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। अत जो शैक्षिक योग्यताओं की कमी के कारण ऐसा करन मे असमथ हो उन्हे सम्बधित शक्षिक योग्यता व प्रशिक्षण दोनो निश्चित अवधि म प्राप्त करन का नोटिस दिया जाय।

(क्रमाक —ईडीडी।एडाए।16007।स्पे।67 दिनाक 17 1 1970)

[5]
परिपत्र

(क्रमाक —ईडीडी।एडाएफ।16007।71 दिनाक 7 9 74)

विषय —अनुदान प्राप्त सस्थाओ के अध्यापको की नियुक्तिया अनुमोदन

एसा दखने को आया ह कि अनुदान प्राप्त सस्थाओ म अध्यापको की नियुक्ति के अनेक मामले बहुधा अपूर्ण प्राप्त होते हैं। अधीनस्थ अधिकारी या तो सस्था के मूल पत्र सलग्न कर देत हैं या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति क कार्यालय आदेश की प्रति सलग्न कर इस कार्यालय को अनुमति देने हेतु भेज देते है। इस तरह स प्राप्त हुए पत्रो म अनेक कठिनाइया उपस्थित होती ह फलस्वरूप सूचना के अभाव म पुन इस कार्यालय से या तो पूछा जाता है या मामला लौटाया जाता है। इससे अनावश्यक पत्र व्यवहार म समय नष्ट होता है। अत भविष्य म इन मामलो मे शीघ्रता लाने हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं जिनके आधार पर मामले इस कार्यालय मे प्रस्तुत किया करें।

1 नियुक्ति नियोजन कार्यालय द्वारा भेजे गये प्रार्थियो मे से की गई है या विज्ञापन द्वारा की गई है।

2 नियुक्ति के लिए कितने प्रार्थी साक्षात्कार के लिए आये उनकी पूरी सूची मय पूर्ण योग्यता, काय अनुभव एव अन्य विवरण। साक्षात्कार के समय बनाये गए मूल्याकन शीट की प्रतिलिपि साथ मे भेजी जाए।

*श्रेष्ठ जीवन ही सबसे बड़ा धम है।

4 संस्था की व्यवस्थापन समिति द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव एवं चयन समिति के सदस्यों का नाम भी लिया जाय। यह देखा जाय कि चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि की हैसियत से कोई अधिकारी उपस्थित रहा अथवा नहीं। विभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति मे चयन किये गये कर्मचारी के मामलों को ग्रहण न किये जावें।

5 प्रत्येक नियुक्ति पर, संस्था से निर्धारित प्रपत्र म सूचना प्राप्त की जाये जिसमे, कर्मचारी का नाम, जन्म तिथि, योग्यता, पूर्ण अनुभव, नियुक्ति का पद, वेतन मय वेतन श्रृंखला नियुक्ति तिथि रिक्त स्थान की उपलब्धि। निर्धारित प्रपत्र का नमूना संलग्न है।

6 अध्यापकों की ज्यादातर नियुक्तियां जुलाई और अगस्त के बीच में होती है, अत सभी संस्थाओं से प्राप्त मामले एक स्टेटमेन्ट में दर्ज करके उक्त पूर्ण विवरण सहित एक साथ इस कार्यालय म 31 अगस्त के बाद में भेजे जावें। विशेष मामले पहले भेजे जा सकते हैं।

7 कर्मचारी के त्याग पत्र के कारण हुए रिक्त स्थान पर नियुक्ति का विशेष रूप से ध्यान मे रखते हुए यह प्रमाणित किया जाये कि त्याग पत्र देने वाला व्यक्ति बिना किसी दबाव या पूर्व मे लिये गये त्याग पत्र के कारण छोड़कर नहीं गया है। त्याग पत्र देने की तिथि और उसके नियमानुसार नोटिस समय का वेतन देने की भी विशेषतया निर्धारित प्रपत्र के अन्त मे टिप्पणी होना जरूरी है।

8 जिस विषय के अध्यापक पद का रिक्त स्थान हुआ है, उसी विषय के दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति का मामला विचारार्थ भेजा जाय।

प्रपत्र

स्कूल का नाम	चयन समिति के सदस्यों का नाम	रिक्त पद मय वेतन श्रृंखला	साक्षात्कार मे बुलाये गये व्यक्तियों के क्रमानुसार नाम	चयन किये गये व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5

जन्म तिथि	योग्यतापूर्ण अनुभव	नियुक्ति तिथि	वेतन मय श्रृंखला	रिक्त स्थान की उपलब्धि के कारण सेवानिवृत/सेवा समाप्ति/त्याग पत्र
6	7	8	9	10

त्याग पत्र पर हुए रिक्त स्थान मे पूव नियोजित कमचारी का नाम	क्या वह सस्था से त्याग पत्र दकर गया है ।	टिप्पणी
11	12	13

[6]

स्थाई आदेश स 3

विषय —अनुदान प्राप्त सस्थाओ मे अध्यापक एव अ य अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के सम्ब ध में—

समस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओ तथा प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियो का ध्यान इस कार्यालय के परिपत्र क्रमाक इडीबी।एड ए।16007।11।74 दिनाक 4–9–71 की ओर आकर्षित किया जाता है कि जिसमें ये निर्देशन दिए गए थ कि अध्यापक एव अ य अतिरिक्त पद स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण एक निर्धारित समय म भेजे लेकिन इस ओर कोई ध्यान न देकर ऐसे प्रकरण वष के अन्त तक भेजे गय । जिन पर कायवाही करना न तो उचित था और न ही समयाभाव और अ य कारण वश इन पर विचार किया जा सका । अत इस सत्र अथात 72–73 एव भविष्य क लिए यह आदश दिये जात हैं कि समस्त सस्थाए अपने विद्यालय म छात्र सख्या के बढोत्तरी के फलस्वरूप तथा अतिरिक्त वग (section) खोलने की विभागीय अनुमति प्राप्त करने पर स्टाफ के अतिरिक्त पदो की माग के प्रस्ताव प्रत्येक सत्र के माह अगस्त के अन्त तक प्रतिहस्ताक्षरकत्ता अधिकारी के कार्यालय मे प्रस्तुत करेंगे क्योकि शिक्षा सत्र एक जुलाई से शुरू होगा और इसी माह के अ त तक छात्रो का पूण रूप से प्रवेश का काय समाप्त हो जाता है । अत अतिरिक्त पदो की माग के लिए उनकी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

अतिरिक्त वग खोलने की अनुमति देने के लिए सक्षम अधिकारी अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट 4 के क्रम स 4 के अनुसार होगे । प्रतिहस्ताक्षरकत्ता अधिकारी अपने जिले के ऐसे सारे प्रकरणो की जाच कर अपनी उचित तथा विस्तृत अभिशषा इस कार्यालय को दो माह अथात अक्टूबर तक अवश्य प्रस्तुत करगे ताकि सब प्रकरण एक बार मे ही तय किय जा सकें । प्रतिहस्ताक्षरकत्ता अधिकारी प्रकरणो को अलग अलग तथा टुकडो (piece meal) म भेजेंगे लेकिन अक्टूबर के अन्त तक भेज जा सकेगे । ताकि ऐसे प्रकरणो पर समय पर उचित कार्यवाही की जा सके और अन्तिम रूप से इस विषय के प्रकरण नवम्बर तक निपटाय जा सकें ।उक्त तिथि के बाद किसी भी सस्था के एस प्रकरणो पर विचार नही किया जावगा ।

(क्रमाक —इडीबी/एड/ए/16007/23/72 73 दिनाक 9 5 72)

★ विनय पात्रता प्रदान करती है ।

[7]

स्थाई आदेश स 4/22

समस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओ तथा प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का ध्यान इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक ईबीडी/एड/एफ/16007/76 दिनांक 7-9-71 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अन्तर्गत यह निवेदन दिया गया था कि अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति का विभागीय अनुमोदन लेना आवश्यक है जो केवल प्रशासनिक बिन्दु से ही आवश्यक नहीं है अपितु अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट-5 (पांच) की पालना के लिए भी आवश्यक है। लेकिन 70-71 के अनुदान प्रार्थना पत्र के अन्तिमीकरण की जाच करते समय यह पाया गया है कि अनेक संस्थाओ द्वारा अध्यापकों तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति का विभागीय अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है जो अवाछनीय है। अत यह पुनः आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्त परिपत्र मे दिये गये निर्देशनों की अनुपालना किया जाय। इस आदेश की अवहेलना करने वाली संस्थाओ को सत्र 72-73 तथा भविष्य में ऐसी नियुक्तियों पर राजकीय अनुदान स्वीकृत नहीं किया जावेगा। नियुक्ति के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ट पाच के अनुसार होंगे। जो निम्न प्रकार से है —

निदेशक —1 वरिष्ठ अध्यापक एव उससे उच्च पद पर नियुक्त अध्यापको की नियुक्ति।

1 शोध अधिकारी, सहायक अन्य विशेष श्रेणी की नियुक्ति।

संयुक्त निदेशक (महिला)/ द्वितीय ग्रेड अध्यापक तथा वरिष्ठ लिपिक

उपनिदेशक।

विद्यालय निरीक्षक/कन्या तृतीय श्रेणी अध्यापक, कनिष्ठ लिपिक तथा

विद्यालय निरीक्षिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

नियुक्ति सम्बन्धी सूचना संस्था द्वारा निम्नलिखित प्रपत्र* में प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के कार्यालय मे नियुक्ति के 15 दिन के भीतर भीतर प्रस्तुत करेंगे और प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी प्रकरण की जाच कर सक्षम अधिकारी के कार्यालय में एक पक्ष के भीतर भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(क्रमांक ईडीबी/एड/एफ/16007/28/72-73 दिनाक 12-5-72

[8]

स्थाई आदेश स 5/72

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि प्राय अनुदान प्राप्त संस्थाओ के व्यवस्थापक अपने कर्मचारियों को एक वर्ष की नियुक्ति देते हैं तथा सत्र की समाप्ति

प्रपत्र पृष्ठ 48 पर देखिये।

★प्रसन्नता ही स्वास्थ्य है और मलीनता ही रोग।

के दिन बिना कारण बताये सेवा मुक्त कर देते हैं या एक माह का नोटिस देकर पद से हटा देते हैं। ऐसा वे सम्भवतया ग्रीष्मावकाश का वेतन बचाने हेतु करते हैं। कुछ संस्थायें अगले सत्र में भी पुनः उन्हें सेवा में रख लेती हैं। अकारण सेवामुक्त होने से अध्यापकों में असन्तोष होना स्वाभाविक है क्योंकि वे ग्रीष्मावकाश के वेतन से वंचित रहते हैं तथा उन्हें पिछले वर्ष की सेवा का लाभ आगे के वर्ष में नहीं मिलता।

समस्त संस्था व्यवस्थापकों को आदेश दिया जाता है कि रिक्त पदों पर नियुक्तियां एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर हों एवं वर्ष उपरान्त नियुक्ति स्थाईकरण के आदेश प्रसारित कर इस विभाग को सूचित किया जावे। परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर केवल वे ही व्यक्ति सेवा मुक्त किये जा सकते हैं जो या तो स्थानापन्न रिक्त पद पर नियुक्त किये गये हों अथवा जिनका कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न रहा हो। जिन व्यक्तियों का कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न हो उन्हें नियमानुसार कारण बताकर नोटिस दिया जाना चाहिए तथा व्यवस्थापक समिति की जिस बैठक में ऐसे व्यक्तियों को सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया जावे उसमें विभागीय प्रतिनिधि को बुलाना आवश्यक है। नियुक्ति के समय नियुक्ति सम्बन्धी इस कार्यालय परिपत्र ईडी बी।एड।एफ।16007।76 दिनांक 7-9-71 का पूर्णतः पालन करना आवश्यक है। इस आदेश की अवहेलना करने पर नियुक्तियां अनियमित समझी जावेंगी एवं उनके वेतन की राशि पर अनुदान नहीं दिया जावेगा।

विद्यालय निरीक्षक कृपया देखेंगे कि इन आदेशों का पालन उचित प्रकार से हो रहा है तथा अध्यापकों को अनावश्यक रूप में सेवामुक्त नहीं किया गया है और कोई संस्था इन नियमों का समुचित पालन नहीं करेगी तो उसकी मान्यता समाप्त की जा सकती है तथा अनुदान कम या बन्द किया जा सकता है।

[क्रमांक-शिविरा ईबीडी/एड/एफ।16007/75/72/73 दिनांक 17-5-1972]

[9]

स्थाई आदेश 6।72

विषय :—अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

अनुदान प्रार्थना पत्रों की जांच करते समय प्रायः यह देखा गया है कि अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्तियाँ की जाती हैं और विभाग द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों की अवहेलना की जाती है। समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं को नव नियुक्ति के हेतु विभागीय आदेश दिनांक 9-7-69 का पूर्णतः पालन करना एवं नियुक्ति का अनुमोदन सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा

★ *हम कोई धोखा नहीं देता, हम स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं।

प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमोदन प्राप्त नियुक्तियां अनियमित समझी जावेंगी एवं इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों के वेतन व्यय पर अनुदान नहीं दिया जायेगा प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति रिक्त पद हेतु दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जावें साथ इस हेतु पूर्व विवरण नियोजन कार्यालय से दूरभाष नाम मांगे जावें प्राप्त प्रार्थना पत्र का विवरण संलग्न प्रपत्र में तैयार किया जावे। चयन समिति का गठन किया जावे जिसमें एक विभागीय अधिकारी अवश्य सम्मिलित हों जिस हेतु आदेश क्रमांक ईडीबी।एड।एफ।16007।28।71 72 दि 12-5 72 द्वारा सूचित किया जा चुका है। चयन विवरण पत्र अनुमोदन सक्षम अधिकारी को पद पर सम्भालने की तिथि के दो माह भीतर प्रस्तुत किया जावे। अगर इस दो माह की अवधि में चयन विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो ऐसे पदों पर अनुदान देने में कठिनाई होगी। प्रशिक्षित अध्यापक प्राप्त न होने पर रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अप्रशिक्षित अध्यापकों की अस्थाई नियुक्ति नियोजन कार्यालय द्वारा अनुपलब्धि प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही की जावे। इस सम्बन्ध में निम्न रिकार्ड रखना आवश्यक होगा।

(क) नियोजन अधिकारी को भेजे गये पत्र की प्रतिलिपि।

(ख) नियोजन अधिकारी से प्राप्त उत्तर की प्रति।

(ग) साक्षात्कार हेतु भेजे गये निमन्त्रण पत्र की प्रति।

(घ) प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र।

(ङ) चयन समिति के सदस्यों की नामावली।

(च) चयन समिति की बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारी का नाम एवं पद।

(छ) चयन एवं मूल्यांकन विवरण पत्र।

नियुक्ति हेतु व्यक्तियों का चयन विवरण पत्र

प्रार्थी का नाम (इसमें समस्त आवेदनकर्त्ताओं के नाम अंकित किये जायेंगे)	पद जिसके हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया गया	योग्यता शैक्षणिक/प्रशिक्षणिक (इसमें श्रेणी व प्रतिशत अंक लिखे जावें)	अनुभव	चयन समिति द्वारा दिये गये अंक
1	2	3	4	5

नोट —चयन समिति द्वारा अंक दिये जाने का मापदण्ड संक्षेप में लिखा जावे।
[क्रमांक—इडीबी/एड/एफ/16007/136/72–73 दिनांक 16।17–5–72]

★क्रोध पाप का मूल है—तुलसी।

[10]

स्थाई आदेश 6/72 मे सशोधन

सहायता प्राप्त विद्यालयो मे अ यापको की नियुक्ति सम्ब धी विस्तृत निर्देशन जो इस कार्यालय के स्थाई आदेश स 6-72 क्रमाक ईबीडी।एड।एफ। 6007।36।72-73 दिनाक 17 5 72 के अ तगत प्रसारित किये गये हैं, व निर्देशन अध्यापको के साथ साथ सहायता प्राप्त सस्थाओ म अ य सभी पदो की नियुक्तियो क लिए लागू होगे ।

[क्रमाक —इबी डी।एफ।एड।16007।C 2।72 73।49 दिनाक 25 5 72]

[11] परिपत्र

अनुदान प्राप्त सस्थाओ को आदेश दिया जाता ह कि किसी भी दैनिक या साप्ताहिक समाचार पत्र म अध्यापको तथा मा य कमचारियो के पदो हतु विज्ञापन प्रकाशित करत समय निम्न सूचनाएँ अवश्य दी जाए —

(क) पद का नाम

(ख) पद हतु अपेक्षित योग्यताए शैक्षणिक ए । प्रशैक्षणिक

(ग) पद की वेतन शृंखला

(घ) पद हेतु अपेक्षित अनुभव या अ य योग्यता सम्ब धी आहतायें ।

(ङ) द्वितीय वेतन शृ खला के स्नातक परीक्षा के विषय सम्बन्धी सूचना यदि आवश्यक हो ।

विज्ञापन व्यय पर अनुदान स्वीकृति हेतु निम्न प्रमाण प्रस्तुत किये जावे —

(अ) विज्ञापन की कतरन जिसमें समाचार पत्र का नाम ए । प्रकाशन तिथि के प्रमाण हो ।

(ब) प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत बिपत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि ।

स) प्रकाशक द्वारा भुगतान के पश्चात प्रदत्त रसीद की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि ।

यह भी आवश्यक है कि विज्ञापन दो ऐसे समाचार पत्रो म दिए जाए जो परिचालन के आधार पर राज स्तरीय रूप मे जाए ।

उपरोक्त निर्देशन की अवहेलना या अनुपालना क अभाव मे विज्ञापन म म व्यय की गई राशि पर अनुदान स्वीकृत करना सम्भव नहा होगा ।

(क्रमाक ईबीडी/एड/एफ।16007 71-22 दिनाक 31 7 72

[21]

स्थाई आदेश 40/72

अनुदान नियम 1963 धारा 3 (14) के अ तगत कवल प्रशिक्षित अ यापको को अनुदान प्राप्त सस्थाओ म स्थायी रूप म नियुक्ति करने का प्रावधान है । इस

★सच्चा मित्र वह है जो कि समय पर काम आये ।

कार्यालय के परिपत्र ईडीबी/एड/ए।16007।238।67 दिनांक 11 7 69 द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापक जो दिनांक 1-1 69 तक नियोजित किये जा चुके थे उन्हे आगामी तीन वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर ही उनके वेतन व्यय पर अनुदान देय था तथा इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 17 1 70 द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं में नियोजन हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि के कठिनाईयों का ध्यान में रखते हुए एक लाख से कम आबादी वाले कस्बों की शिक्षा संस्थाओं में अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की नियुक्ति का प्रावधान है। यह प्रावधान 30 6 72 तक ही प्रभावी समझा जाये।

अब विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति विभागीय स्थाई आदेश 6।72 दिनांक 17 5 72 की अनुपालना करते हुए की जावे। नये शैक्षणिक सत्र में समाचार पत्रों में अध्यापक पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने तथा नियोजन कार्यालय से भी प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति में चयन समिति द्वारा चयनित प्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिये ही की जाय तथा यदि नियुक्ति 31 दिसम्बर के पूर्व तिथि की हो तो संस्था द्वारा ऐसे अध्यापकों की ग्रीष्मावकाश का वेतन भुगतान करना आवश्यक है परन्तु अध्यापक का सेवाकाल 30 जून को स्वतः समाप्त माना जाये। नियुक्ति करने वाले अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र में ही इस शर्त का समावेश कर दिया जावे।

विभाग द्वारा प्रसारित अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी पूर्व आदेश में कोई शिथिलता देना सम्भव नहीं है।

क्रमांक —ईडीबी।एड।ए।16011।72 73 दिनांक 10 8 72

[12]

परिपत्र

विभागीय स्थाई आदेश सं 6।72 दिनांक 17-5-72 के अनुसार अनुदान प्राप्त संस्थाओं के स्वीकृत पदों पर नव नियुक्ति हेतु संस्था द्वारा चयन समिति गठित करना आवश्यक है। समिति में एक विभागीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जावेगा विभिन्न स्तर की संस्थाओं द्वारा निर्मित चयन समिति द्वारा विभिन्न श्रेणी की नियुक्ति हेतु निम्न विभागीय अधिकारियों का विभागीय प्रतिनिधि नियोजित किया जाता है—

नियुक्ति पद का नाम	संस्था का नाम	नियोजित विभागीय अधिकारी
1-प्रधानाचार्य।प्रधानाध्यापक तथा अन्य पद	शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय	संयुक्त निदेशक।उप निदेशक (पुरुष।महिला)

*जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है।

2 प्रधानाचाय।प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय	उच्च माध्यमिक विद्यालय	सयुक्त निदेशक।उप निदेशक (पुरुष।महिला) तथा विद्यालय निरीक्षक कन्या विद्यालय निरीक्षिका
3–प्रधानाध्यापक तथा ओरगनाइजिंग सक्रेटरी विशिष्ठ सस्थाओं के अन्य पद	(1) माध्यमिक विद्यालय (2) विशिष्ठ सस्थाऐं (3) केन्द्रीय कार्यालय	विद्यालय निरीक्षक/कन्या विद्या निरीक्षिका तथा प्रधानाचाय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
(4) वरिष्ठ अध्यापक	उच्च माध्यमिक विद्यालय	प्रधानाचाय तथा प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय
5–द्वितीय वतन शृंखला अध्यापक तथा प्रयाग शाला सहायक	(1) माध्यमिक विद्यालय (2) उच्च प्राथमिक विद्यालय (3) मोन्टेसरी (4) अन्य विशिष्ठ सस्थाए	प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा विद्यालय उप निरीक्षक
6–ततीय वतन शृंखला अध्यापक	सम्बन्धित सस्थायें	विद्यालय अवर उप निरीक्षक (एस0 डी0 आई)
7–लिपिक वग	सम्बन्धित सस्थाये	विद्यालय उप निरीक्षक

विभागीय अधिकारियो को इस योजना को समुचित ढग से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध मे निम्न निर्देशन दिये जाते हैं।

1—उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचाय।प्रधानाध्यापक की नव नियुक्ति हेतु प्रत्येक रेन्ज के सयुक्त निदेशक उप निदेशक (महिला।पुरुष) द्वारा अपने क्षेत्र के अनुदान प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूची बनाली जावे तत्पश्चात् उसमें सम्बन्धित विद्यालय निरीक्षक विद्यालय निरीक्षिका से विचार विमर्श कर इन शिक्षण सस्थाओं को उपरोक्त काय हेतु आपस मे बाट लिया जावे और सम्बन्धित सस्थाओं को इसकी सूचना प्रेषित करदी जावे। इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित कर दी जावे।

2—केन्द्रीय कार्यालय के ओरगनाइजिंग सेक्रेटरी की नव नियुक्ति हेतु विद्यालय निरीक्षक तथा कन्या विद्यालय निरीक्षिका द्वारा अपने अधीनस्थ निरीक्षणालय की समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओं की सूची बनाली जावे, तथा प्रत्येक सस्था

*प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है।

के लिए इस कार्य हेतु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को नियोजित कर लिया जावे। निरीक्षणालय के समीपस्थ विद्यालय हेतु स्वयं ही विद्यालय निरीक्षक यह कार्य करेंगे। नियोजित अधिकारी एवं संस्था को यह सूचना प्रेषित करदी जावे।

3—वरिष्ठ अध्यापक की नव नियुक्ति हेतु विद्यालय निरीक्षक या विद्यालय निरीक्षिका द्वारा निरीक्षणालय के समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं की सूची बनायी जावे। निरीक्षक/निरीक्षिका द्वारा अपने अधीनस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य। प्रधानाध्यापकों को इस कार्य हेतु नियोजित किया जाए। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक तथा संस्था को तत्सम्बन्धित सूचना प्रेषित करदी जावे।

4—द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों तथा प्रयोगशाला सहायक की नव नियुक्ति हेतु विद्यालय निरीक्षक या विद्यालय निरीक्षिका द्वारा निरीक्षणालय के समस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की जिनमें द्वितीय वेतन श्रृंखला एवं प्रयोगशाला सहायक पद स्वीकृत हो सूची बनायी जावे। उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय उप निरीक्षक या उप विद्यालय निरीक्षिका को इस कार्य हेतु नियोजित किया जावे। सम्बन्धित संस्था तथा अधिकारी को तत्सम्बन्धी सूचना प्रेषित की जावे।

5—तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक की नव नियुक्ति हेतु निरीक्षणालय की समस्त अनुदान प्राप्त संस्थाओं की सूची बनाली जावे तथा विद्यालय अवर उप निरीक्षक को इस कार्य हेतु नियोजित किया जावे और तत्सम्बन्धी सूचना शिक्षण संस्थाओं को प्रेषित करदी जावे।

6—यदि किसी शिक्षण संस्था की नव नियुक्ति चयन समिति विभिन्न पदों हेतु साक्षात्कार एक ही दिन करे तो इस हेतु उच्च पद हेतु नियोजित अधिकारी को ही अन्य पदों के चयन हेतु भी विभागीय प्रतिनिधि माना जावेगा। अतः अन्य पदों हेतु नियोजित अधिकारी से इस चयन समिति की बैठक में सम्मिलित होने हेतु पत्र व्यवहार न किया जावे।

7—अनुदान प्राप्त संस्थाओं के बिपत्र प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी के कार्यालय से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की अनुदान प्राप्त संस्था के अध्यापकों/व्यक्तियों तथा अन्य कर्मचारियों के चयन हेतु संस्था के समीपस्थ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को विभागीय प्रतिनिधि नियोजित किया जावे।

8—अनुदान बिपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी अपने क्षेत्र की समस्त शिक्षण एवं अन्य संस्थाओं हेतु नियोजित अधिकारियों की सूची इस कार्यालय को सितम्बर 30, 1972 तक प्रेषित करें। यह सूचना निम्न प्रपत्र में भर कर प्रेषित की जावे —

*निन्दक मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार करता है।

प्रपत्र

नियोजित अधिकारी का पद एव पता	शिक्षण सस्था का नाम	नियुक्ति स्तर

अनुदान प्राप्त सस्थाओ को आदेश दिया जाता है कि सस्था द्वारा नव नियुक्ति सम्बंधित पत्र व्यवहार सीधे सम्बंधित विभाग द्वारा नियोजित अधिकारी से ही किया जाय। नव नियुक्ति का विभागीय अनुमोदन सामान्यतया तभी किया जावेगा जबकि चयन समिति की बैठक म विभागीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहा हो, अत चयन समिति की बैठक की तिथि सम्बन्धी सूचना विभागीय अधिकारी को कम से कम 15 दिन पहिले दी जाये तथा आवश्यक हो तो विभागीय प्रतिनिधि की सुविधानुसार चयन समिति की बैठक की तिथि निश्चित की जावे। चयनित कमचारी की नियुक्ति अनुमोदन पत्र के साथ साथ उपरोक्त आदेशानुसार निर्धारित मूल्याकन प्रपत्र पर चयन समिति के समस्त उपस्थित सदस्यो के हस्ताक्षर होन आवश्यक है। इस निर्देशन की अवहेलना करने पर ऐसी चयनित नव नियुक्ति का अनुमोदन सम्भव नही होगा। इस हेतु समस्त अनुमोदन कर्त्ता अधिकारियो को आदेश दिया जाता है कि नियुक्ति अनुमोदन के समय मूल्याकन प्रपत्र पर विभागीय नियोजित अधिकारी के हस्ताक्षर होने की स्थिति मे ही नव नियुक्ति का अनुमोदन किया जाव।

(क्रमाक इडीबी/एड/ए/16011/12/72/73 दिनाक 16 अगस्त 197-)

[14]

स्थाई आदेश स 5/72 मे सशोधन

इस कार्यालय के स्थाई आदेश स 5/72 क्रम स ईडीबी/एड/एफ/16007 135/72-73 दिनाक 17-5-72 मे सहायता प्राप्त शिक्षण सस्थाओ मे एक वर्ष के परिवीक्षाकाल मे नियुक्त अस्थाई कर्मचारियो का सेवा समाप्ति के विषय म जो निर्देशन पूर्व म दिये गये है उनके लिये निम्न सशोधन किया जाता है —

सभी स्थाई कर्मचारियो की सेवाये हेतु उनके परिवीक्षणकाल की समाप्ति पर सस्था प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा अनुदान नियम 1963 के परिशिष्ठ-3 धारा (1) व (8) अनुसार ही कार्यवाही की जाव। अनुदान नियम 1963 क परिशिष्ठ 3 के अनुसार परिवीक्षण काल एक वर्ष से कम तथा दो वर्ष से अधिक नही माना जा सकता है। यदि नियुक्ति पत्र अथवा शर्तनामा म उक्त नियम के विपरीत, प्रावधान हो तो एसा प्रावधान नियमो के विरुद्ध माना जाएगा एव इसका अध्यापक के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।

(क्रमाक — ईडीबी/एड/ए/16012/43/72 दिनाक 3-11-72)

*जिसने समय नष्ट किया उसको समय नष्ट कर देगा।

[15] परिपत्र

1 अनुदान नियम 1963 परिशिष्ट 3 की धारा (8) व (10) में अनुदान प्राप्त शिक्षण सम्थाओं के क्रमश परिवीक्षण काल मे तथा स्थाई नियुक्ति पर सेवा मुक्त होने पर सस्था तथा अध्यापक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का प्रावधान है। परिवीक्षण काल म नोटिस अवधि हेतु एक माह तथा स्थाई कमचारी को नोटिस अवधि का तीन माह तक की वेतन राशि सस्था को भुगतान करने का प्रावधान है। नोटिस अवधि के लिए अध्यापक से वसूल की गई राशि को सस्था की आय मानने का प्रावधान भी अनुदान नियमा मे है। इस प्रावधान के अन्तगत समस्त अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओं को आदेश दिया जाता है कि वह अध्यापक से वसूल की गई नोटिस अवधि के वेतन राशि का उल्लेख अनुदान प्राथना पत्र एव चाटर्ड एकाउटट रिपोट भेजा मे करें। अनुदान हेतु इस राशि का वह प्रतिशत जो सस्था के अनुदान हेतु निर्धारित है सस्था की स्वीकृति अनुदान राशि से कम करदी जावेगी जिसस कि अध्यापक स नियमान्तगत वसूल की गई राशि सस्था की आय का स्रोत बन सके। इन नियमो क विरुद्ध सवा मुक्त किये गये कमचारी के नोटिस अवधि के वेतन को इसी नियम क अ तगत सस्था की आय मानी जावेगी और इसकी अनुपालना मे समुचित ढग से म किये जान का दायित्व सबधित सस्था का होगा।

2 अनेक भविष्य निधि मामले विभाग के सम्मुख प्रस्तुत किए गए है जिनम सस्था को सदा छोडन पर अध्यापक को उसकी भविष्य निधि राशि का भुगतान नही किया जाता रहा है। सस्था इस प्रकार प्राप्त राशि को अनुदान हेतु अपनी आय लेखा विवरण म प्रदर्शित करती रही हैं। अनुदान प्राप्त सस्थाओं के भविष्य निधि सबधी नियमा क राज्य सरकार स स्वीकृत होकर प्रकाशित होने तक समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओं को आदश दिया जाता है कि वे इस प्रकार प्राप्त राशि का उल्लेख अपने अनुदान प्राथना पत्र मे अवश्य करें। अध्यापक एव सस्था के अ शदान पर दी गई अनुदान राशि को सस्था की आय मानी जावगी तथा इस राशि की स्वीकृति अनुदान राशि से कम कर दिया जा सकता है जिसस इस प्रकार प्राप्त धन राशि सस्था की आय न होकर सरकार की आय होगी जिसस कि इस मामला म कमी हो सके जिसके कारण अनुदान प्राप्त सस्था का छोडने से अनावश्यक रूप स अध्यापक या अन्य कमचारी को आर्थिक कष्ट एव सस्था व अध्यापक के बीच विवाद उत्पन्न हो जाते है।

3 प्राय यह देखा गया है कि कुछ अनुदान प्राप्त सस्थाएँ निर्धारित प्रपत्र में रसीद प्राप्त न कर लेटर पेड के कागज पर रसीद प्राप्त करती है। अनुदान हेतु इस प्रकार की वित्तीय रसीद की राशि को मान्य व्यय स्वीकृत न किया जाव। निर्धारित

*श्रेष्ठ व्यक्ति कभी नही मर सकता।

रसीद जिसमे नम्बर भी नियमानुसार अंकित हो को ही अनुदान हेतु स्वीकृत व्यय माना जाये ।

4 अनुदान प्राप्त सस्थाओ मे काय करने वाले उन कमचारियो को जिन्हे नियमानुसार आय कर आयकर विभाग म जमा कराना आवश्यक है आदेश दिया जाता है कि वह अपने आय कर रिटनस को भरे जिसम बाद मे आयकर म उपलब्ध रिकाड के आधार पर किसी द्वारा आयकर जमा न करने की स्थिति न पाये तो सब धित कमचारी को दण्ड का भागी न होना पड । प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियो को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओ म कायरत आयकर देने वाले कमचारियो की नामावली की सूची वषवार एक रजिस्टर मे रक्खे जिससे कि आवश्यकता पडने पर यह रिकाड सरलता से उपलब्ध किया जा सके ।

5 नोटिस अवधि की अध्यापक/कमचारी से वसूल की गई धन राशि भविष्य निधि के मामले जिसमे अध्यापक/कमचारी को भविष्य निधि का भुगतान न किया गया है, के सबध म प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी अपने कायालय मे रिकाड रक्खेंगे ।

[16]

[क्रमाक—ईडीबी/एट/ए/16011/66/72 दिनाक 22-11-72]

स्थाई आदेश 1 (1973)।

अनुदान प्राप्त सस्थाओ के कमचारियो की नियुक्ति के सबध मे निम्नलिखित नियमो की अनुपालना की जावे —

(1) चयन समिति का गठन —

शिक्षण सस्थाओ के चयन समिति मे विभागीय प्रतिनिधि एव शिक्षण सस्था के प्रधानाध्यापक सहित पाच सदस्य रखने का प्रावधान किया जावे ।

(2) प्रथम चयन समिति का गठन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा इस आदेश प्राप्ति के एक माह के भीतर किया जावे एव इस समिति के सदस्यो की नामावली दो माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरकत्ता अधिकारी को प्रेषित की जावे ।

(3) चयन समिति का गठन करते समय प्रबधकारिणी के सदस्यो को रजिस्टड पोस्ट द्वारा 10 दिन का नोटिस दिया जावे ताकि सभी सदस्य समिति की बैठक मे भाग लेकर चयन समिति के सदस्यो के नियोजन या चुनाव म सम्मिलित हो सके ।

4 चयन समिति का कायकाल सस्था प्रबन्धकारिणी समिति के कायकाल के साथ ही समाप्त समझा जावे । चयन समिति के रिक्त पद पर नियुक्ति रिक्त पद होने के तीन माह भीतर अवश्य की जावे ।

5 चयन समिति का कोई सदस्य विभागीय प्रतिनिधि के अतिरिक्त, यदि

*अध्ययन हमे आनन्द प्रदान करता है ।

चयन समिति म लगातार दो बैठक मे सम्मिलित न हो सके तो उसका चयन समिति म अलग कर उसके स्थान पर नय सदस्य की नियुक्ति करन की कायवाही की जावे ।

6 चयन समिति का कोरम 3 सदस्यो तक का हागा इससे कम सदस्या की उपस्थिति म किया गया चयन अनियमित माना जावगा ।

7 किसी कमचारी के नियुक्ति के सबध मे अपक्षित व आवश्यक कायवाही सस्था व्यवस्थापक/मत्री करेंगे एव चयन तिथि से चयन समिति को अवगत कराना भी उसी का दायित्व होगा ।

8 सीधी नव नियुक्ति के सबध मे निम्न विधि एव शर्तों की अनुपालना आवश्यक है —

1 विभागीय स्थाई आदेश 6/72 दिनाक 17 5 72 एव दिनाक 10 8 72 क अनुसार रिक्त पदा हेतु विज्ञापन प्रकाशित करना जिला नियोजन कार्यालय स प्रत्याशी सूची प्राप्त करना आवश्यक है ।

2 किसी अनुदान प्राप्त सस्था मे कार्य करने वाले कर्मचारी का आवेदन पत्र अनुदान नियम 1963 क परिशिष्ठ 3 (14) के अनुसार प्राप्त किया जावे ऐसे मामलो मे सस्था व्यवस्थापक आदेश किया जाता है कि वह प्रार्थना पत्र प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित अधिकारी को अग्रेषित करें ।

3 प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर प्राप्ति सख्या अकित कर एक पजिका म दज कर लिय जावे । प्रार्थी की शक्षणिक योग्यता मय श्रेणी एव अनुभव भी प्रत्याशी क नाम के सम्मुख दज किये जाये । यह पजिका का स्थाई रिकाड माना जाय । चयन हेतु कम स कम तीन गुने प्रत्याशी बुलाये जाने चाहिए । चयन समिति के बैठक क कम से कम 10 दिन पूव सस्था व्यवस्थापक चयन समिति के सदस्यो एव प्रत्याशियो को रजिस्टड पास्ट द्वारा साक्षात्कार हेतु निर्धारित स्थान तिथि एव समय स अवगत करेगें ।

4 साक्षात्कार हेतु बुलाये गये प्रत्येक प्रत्याशी के सम्बन्ध मे सक्षिप्त रूप स शक्षणिक व प्रशक्षणिक योग्यता अनुभव आदि विवरण चयन के समय प्रत्येक चयन समिति के सदस्यो को उपलब्ध किया जावे, चयन प्रत्याशी की शैक्षणिक व प्रशक्षणिक योग्यता अनुभव की जाच करने के पश्चात मूल्याकन चाट बनाकर किया जाय । चयन समिति तीन व्यक्तियो के नाम मूल्याकन चाट क आधार पर अनुशंसित करे । चयन के मूल्याकन चाट पर चयन समिति क उपस्थित सभी सदस्यो के हस्ताक्षर आवश्यक हैं ।

5 चयन समिति के सदस्या क सम्बधी प्रत्याशी होने की स्थिति म ऐसे सदस्य को चयन समिति की ऐसी बैठक मे न लिया जावे । सदस्य के सम्बन्ध मे

★ इसकी कल्पना भी मत करो कि अवसर तुम्हारे द्वार पर दुबारा आयेगा ।

निम्न व्यक्ति शामिल है। पिता माता, श्वसुर, मामा, तथा पुत्र, चाचा पोता, जामाता, भाई, पुत्री पोता, पोती, पत्नी दादी, भतीजा चाचा जात भाई (पैत्रिक व मात्रिक) साले, साला, बहनोई, जेठ, ननद, पति, पुत्रवधू बहिन, सास, चाची आदि।

4 (ब) चयन समिति द्वारा दिय गए अ को का आधार मूल्याकन चाट, के नीचे नोट के रूप मे अ कित किया जाय।

9 विभागीय अनुमोदनाथ सूचना प्रेषित करते समय निम्न सूचना प्रेषित करना आवश्यक है –

1 नाम

2 जन्म तिथि

3 पता

4 शक्षणिक व प्रशक्षणिक योग्यता परीक्षा का नाम परीक्षा प्राप्त करने का वष, परीक्षा लेने वाली सस्था का नाम श्रेणी, परीक्षा के विषय(एव विशेषयोग्यता।

5 सह शैक्षणिक प्रवति।

6 अध्यापक अनुभव पद जिस पर काय किया मय वेतन, सेवा प्रवेश व मुक्ति तिथि।

10 किसी पद हेतु प्रत्येक या समस्त प्रत्याशी विवरण जिनके नाम पर साक्षा कार हेतु विचार किया गया हो। विभाग द्वारा मागे जान पर, प्रस्तुत किये जान का पूण दायित्व सस्था का होगा।

1 नियुक्ति पत्र सस्था व्यवस्थापक, मत्री के हस्ताक्षर द्वारा चयनित व्यक्ति को रजिस्टड पाम्ट द्वारा प्रेषित किया जावे। नियुक्ति पत्र म वेतन, वेतन शृखला परिवीक्षाकाल और नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद 15 दिन की अवधि तक सस्था म अपना काय भार न सभालने की स्थिति म दूसरा स्थान प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त किया जावे।

12 (अ) परिवीक्षाधीन कमचारी स अनुदान नियम 1963 मे परिशिष्ठ २ (1) के अनुसार सभालन के दो माह तक एग्रीमे ट भर लिया जाने का पूण दायित्व सस्था व्यवस्थापक/मत्री का होगा।

(ब) सस्था द्वारा प्रत्येक कमचारी स सलग्न प्रपत्र अपेक्षित सूचना प्रार्थी क हैण्ड राईटिंग म पाप्त कर ली जा। एव नव नियुक्त कमचारियो के इस रिकाड की एक पजिका बनाली जावे। विभागीय अधिकारी के सस्था निरीक्षण के समय इस फाईल को प्रस्तुत करन का पूण दायित्व सस्था प्रधान या शिक्षण सस्था प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापिका का होगा। इस रिकाड के अभाव मे सस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कायवाही की जा सकती है। सस्था के पुराने कमचारियो का यह रिकाड 30 4 73 तक पूरा कर लिया जाय। प्रपत्र का प्रारूप सलग्न है कृपया अनुमोदन करने का कष्ट करें।

*असफलता निराशा का सूत्र नही अपितु नई प्ररणा को स्रोत है।

13 विभागीय आदेश दिनांक 7 9 72, स्थाई आदेश 6/72 दिनांक 11 5-72 एव परिपत्र दिनांक 16 8 72 के अनुसार सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। नियुक्ति अनुमोदन सम्बन्धी कार्यवाही माह अक्टूबर तक पूरी करली जावे। अनुमोदनार्थ चयन समिति के मूल्यांकन चार्ट को प्रस्तुत करना एव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रपत्र म अध्यापक द्वारा परीक्षाओं में प्राप्त श्रेणी (डिवीजन) एव इस प्रमाण की सत्यापित प्रतिलिपि सलग्न करना आवश्यक है।

14 यदि सक्षम अधिकारी किसी नियुक्ति का अनुमोदन नियुक्ति सम्बन्धित कार्य प्रणाली में कमी रहने के कारण नही करे तो वह अनुमोदन न करने के कारण से सस्था व्यवस्थापक/मत्री को अवगत करगें। द्वितीय व तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों का अनुमोदन उच्च अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

15 किसी पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एव प्रशक्षिणिक योग्यता वाले प्रत्याशी प्राप्त न होने पर विभागीय आदेश दिनांक 10 8 72 के अनुसार कार्यवाही की जावें।

(क्रमांक —शिविरा।अनुदा।16011।102।72 दिनांक 6 10 73)

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग

कार्यालय अपर निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

प्रार्थी का पासपोर्ट साईज फोटो जिसको प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी अपनी मुहर सहित एटेस्ट करेगें

(1)

(अ) पद का नाम जिस पर नियुक्ति हुए है।

(ब) सस्था का नाम व पता

(स) वेतन श्रृंखला

(2) प्रार्थी का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरो मे)

★ बुरी आदतो से हमारी क्षुद्रता प्रकट होती है।

(3) डाक का पूरा पता

(4) जिले का नाम जिसके आप स्थायी निवासी है

(5) जन्म की सही तिथि तथा नत्थी प्रमाण

(6) स्थायी पता (ग्राम, नगर डाकखाना जिला, राज्य का उल्लेख करें)

(7) नीचे उन स्कूल और कालेजा के नाम अंकित करे जिनमे आपने शिक्षा पाई है —

विद्यालय व महाविद्यालय	विश्वविद्यालव	वर्ष जिसमे प्रवेश किया	वर्ष जिसमे त्याग किया

(8) नीचे हाई स्कूल या उसके समान परीक्षा से लेकर सम्पूर्ण विश्वविद्यालय सम्बन्धी परीक्षाओ जिसमे सफल हुए हो या प्रशिक्षण जो प्राप्त किया हो —

परीक्षा या डिग्री	श्रेणी	विषय	परीक्षा मे उत्तीर्ण होने का वर्ष	दिया हुआ प्रमाण

(9) यदि आप पहिले से ही काम मे लगे हो तो उसका विवरण नीचे दे —

पद का नाम	नियोजक नाम	पद सम्भालने की तिथि तिथि	पद छोडने की तिथि	दिया हुआ प्रमाण

(10) प्रार्थी की हस्ताक्षर युक्त घोषणा—

मैं प्रमाणित करता/करती हू कि इस प्राथना पत्र की समस्त पूर्तिया मेरी पूरी जानकारी तथा विश्वास से सत्य है तथा मेरा निवास स्थान राज्य म है।

दिनाक सस्था व्यवस्थापक के हस्ताक्षर (मय मोहर) कमचारी क हस्ताक्षर

★अरूणोदय से पूर्व सदैव ही अंधकार होता है।

(11) संस्था द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जावें। वह निम्न सत्यापन अंकित करें —

(1) प्रार्थी के फोटो पर हस्ताक्षर कर अपने पद की मुहर अंकित करें।

(2) प्रमाणित करे कि निम्न हस्ताक्षर प्रार्थी द्वारा उसके सम्मुख किये गये।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

(1)

दिनाक (2)

(3)

प्रमाणित किया जाता है कि यह हस्ताक्षर मेरे सामने किये गये।

दिनाक

प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी
के हस्ताक्षर
(मय मुहर)

[17]

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

अनुदान समिति द्वारा गठित निरीक्षक दल द्वारा जयपुर की अनेक शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण प्रतिवेदन में अनेक सुझाव विभाग को प्रस्तुत किये गये हैं। इस वर्ष अनुदान प्रार्थना पत्र (आवर्तक) की इस कार्यालय में जांच करते समय यह देखा गया कि निरीक्षण दल द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार अन्य स्थानों पर भी कार्यवाही करना आवश्यक है। अतः समस्त प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि यह अपने अधीनस्थ समस्त शिक्षण संस्थाओं की नव नियुक्ति हेतु संस्था चयन समिति की बैठक मे अवश्य उपस्थित हों। यदि निर्धारित तिथि को कारणवश उपस्थित होना सम्भव न हो तो इसकी सूचना संस्था और विभाग दोनों को दी जावे तथा संस्था को अपनी सुविधानुसार दूसरी तिथि निर्धारित करने हेतु लिखा जावे। संस्था को बिना सूचित किये या बिना कारण चयन समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभागीय प्रतिनिधि के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए विभाग को बाध्य होना पड़ेगा। विभागीय प्रतिनिधि का दायित्व है कि वह योग्य प्रत्याशी के चयन में संस्था का मार्ग दर्शन करे। चयन समिति की बैठक मे विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति को केवल औपचारिक कार्यवाही न माना जावें।

★मस्तिष्क के लिए अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर को व्यायाम की।

समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओ को आदेश दिया जाता है कि ये नव नियुक्ति हेतु विभागीय आदेशा का पूरा अनुपालना कर तथा विभागीय प्रतिनिधि को विधिवत चयन समिति की बैठक की तिथि की सूचना यथा समय प्रेषित करे तथा चयन समिति मे विभागीय प्रतिनिधि के अनुपस्थिति रहने पर इसकी सूचना प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी एव निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को रजिस्टड पोस्ट द्वारा प्रेषित की जावे। विभागीय प्रतिनिधि के बिना कारण ही चयन समिति की बैठक मे अनुपस्थित रहन की दशा मे प्रत्याशियो की नियुक्ति की अनुमोदन करना सम्भव नही होगा तथा नियुक्ति अनुमोदन क अभाव म एस नियुक्त कमचारी के वेतन व्यय पर अनुदान अस्वीकृत किया जायेगा। पूव प्रसारित आदेशा के स दभ मे सस्थाओ को पुन सूचित किया जाता है कि वह चयनित व्यक्ति की नियुक्ति अनुमोदनार्थ मामला सक्षम अधिकारी को चयन के दो माह के भीतर प्रस्तुत करने की व्यवस्था करे। चयन के दो माह पश्चात अनुमोदनाथ प्रस्तुत मामला पर भविष्य मे कायवाही करना सम्भव नही होगा। अनुमोदनाथ मामला प्रस्तुत किय जाने पर दो माह तक सक्षम अधिकारी द्वारा कोई कायवाही न किय जाने की स्थिति म रजिस्टड पत्र द्वारा निदेशालय को वस्तु स्थिति स अवगत किया जावे, ताकि निदेशालय द्वारा ऐसे मामलो पर आवश्यक कायवाही की जा सके।

प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियो को निदेश दिये जाते है कि वह सस्था द्वारा नव नियुक्ति के अनुमादनाथ प्रस्तुत मामला को प्राथमिकता देकर अनुमोदन आदेश जारी करने की व्यवस्था करे। इस प्रकार जारी किये गये नियुक्ति अनुमोदन आदेश की एक प्रति अनुमोदित नियुक्ति से सम्बधित शक्षणिक एव प्रशक्षणिक योग्यता प्रमाण की सत्यापित प्रतिलिपि सलग्न कर रजिस्टड पास्ट द्वारा निदेशालय को सूचनाथ एव आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित किये जा। शक्षणिक सत्र 1971 72 एव 1972 73 के चयनित कमचारियो की चयन समिति की बठक म विभागीय प्रतिनिधि के आमन्त्रित किये जाने का प्रमाण सस्था द्वारा प्रस्तुत किय जान एव *विभागीय प्रतिनिधि के सूचना प्राप्त होन पर भी चयन समिति की बठक म* अनुपस्थित रहने की दशा मे ऐस चयनित कमचारियो की नियुक्ति का अनुमादन जारी करन का आदश नियमो म शिथिलन करते हुए दिया जाता है परन्तु एम मामले जुलाई 1973 तक निपटा लिये जाये और इसकी सूचना निदशालय का प्रेषित की जावे।

(क्रमाक —शिविरा।अनु।ए।1691।19।73 74 दिनाक 1–5–73)

[18] स्थाई आदेश स 4/1973

इस कार्यालय के स्थाइ आदेश म 10/72 क्रमाक ए|16011/1/72 दिनाक 10–8–72 के क्रम म सहायता प्राप्त सस्थाओ म नियोजित अप्रशिक्षित

अध्यापकों के सम्बन्ध में जो आदेश दिए गए थे, संस्थाओं की कठिनाइयों की एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को ध्यान में रखते हुए पूर्व आदेश में शिथिलन किया जाता है एवं निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं —

1 सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियों द्वारा सब प्रशिक्षित व्यक्तियों की एक सूची (मेरिट लिस्ट) प्रतिवर्ष बनाई जाती है। भविष्य में अब इन विद्यालयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति इसी सूची में से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जायेगी। जब भी संस्था को अध्यापक की आवश्यकता होगी वे सीधे जिला अधिकारी को अपनी माग (Requsition) पेश करेंगे तथा जिला अधिकारी अपने द्वारा बनाई गई सूची में से मेरिट के आधार पर संस्था के पद के लिए व्यक्तियों के नाम को निर्दिष्ट करेंगे। इन्ही में से अध्यापक को नियुक्त करना संस्था के लिए आवश्यक है तथा उनकी नियुक्ति हेतु चयन समिति के अनुमोदन की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को विभागीय अनुमोदन ही समझा जावे।

2, विज्ञान विषय के अध्यापकों की कमी को देखते हुए अब यह निर्देश दिये जाते हैं कि उनकी नियुक्ति अप्रशिक्षित होने पर वही प्रक्रिया होगी जो पूर्व में निश्चित की जा चुकी है। अर्थात् किन्ही दो समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन तथा चयन समिति द्वारा उसका चयन व विभाग द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।

3 कला व वाणिज्य विषय के पदों के लिए जिला अधिकारी से अनुपलब्धि प्रमाण पत्र (एन ए सी) प्राप्त कर नियुक्ति की जा सकती है। प्रतिहस्ताक्षर कर्त्ता अधिकारी ऐसे अभ्यार्थियों के उपलब्ध नहीं होने पर ही नियुक्ति की स्वीकृति हेतु अभिशंसित किया करेंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया वही होगी जो विभाग द्वारा पूर्व में निश्चित की गई है। अर्थात् पद को विज्ञप्तित करके प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी से अनुपलब्धि प्रमाण पत्र (एन ए सी) प्राप्त करेंगे तथा चयन समिति से चयन करा कर विभाग से अनुमोदित करावेंगे।

4 वे पुराने अप्रशिक्षित अध्यापक जो दिनांक 1-9-61 के बाद व 1 12 65 से पूर्व नियुक्त थे तथा अब भी सेवारत है, यदि उनकी आयु 30-6-73 को 40 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन्हे नियमानुसार प्रशिक्षण से मुक्त किया जाता है। किन्तु एसे कर्मचारियों के वेतन का राजकीय विद्यालयों के लिए लागू नियमों के समानान्तर ही वेतन का स्थिरीकरण किया जावेगा। इस अवधि में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापक जिनकी आयु दिनांक 30-6-73 को 40 वर्ष से कम है, को आगामी तीन माह के भीतर अर्थात 30 6 76 तक प्रशिक्षण प्राप्त करना परमावश्यक होगा इस अवधि तक इन्हे अनुदान हेतु वेतन मान्य किया जावेगा। दिनांक 30 6 7१ के बाद जो अध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे उनके वेतन को इस

तिथि के बाद किसी भी स्थिति मे अनुदान हेतु मान्य नही किया जायेगा तथा सस्था द्वारा इनकी सेवा समाप्ति के फलस्वरूप विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

5 ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक जो दिनाक 1-12 65 के बाद व दिनाक 1 1 69 से पूर्व नियोजित है, को आगामी तीन वर्ष अर्थात 30 6-76 तक हर हालत मे प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा इनका वेतन किसी भी स्थिति मे अनुदान हेतु मान्य नहीं होगा। सस्था द्वारा इनकी सेवा समाप्ति के फलस्वरूप विभाग पर कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

6 ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक जो दिनाक 1 1 69 के बाद नियोजित होंगे, उनके अनुदान पर वे ही निर्देशन लागू होंगे जो पूर्व मे प्रसारित किये जा चुके हैं, अथवा इस आदेश मे सन्निहित है।

(क्रमाक — शिविरा/अनु/ए/16011/40/73–74 दिनाक 28 5 73)

[19]

स्थाई आदेश 4/73 के क्रम मे

स्थाई आदेश 4/73 मे सहायता प्राप्त शिक्षण सस्थाओ में नव नियुक्तियो की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके पूव नव नियुक्ति हेतु जो आदेश समय समय पर प्रसारित किये जाते रहे हैं, व यथावत रहेगे अर्थात पद विज्ञापित करना, जिला नियोजन कार्यालय के माध्यम स आशार्थी बुलाना चयन समिति के द्वारा चयन किया जाना, चयनित व्यक्ति का विभागीय अनुमोदन प्राप्त करना इत्यादि प्रक्रियायें पूण करनी है। पर तु जो सस्था इस प्रक्रियाओ को अपनाने मे कठिनाई अनुभव करती हो, तो उनके लिए दूसरा विकल्प स्थाई आदेश 4/73 दिनाक 26–4–73 म निर्देशानुसार कायवाही कर माना जा सक्ता है।

[क्रमाक—शिविरा।अनु।ए।16011।57।73–74 दिनाक 17 6 73]

[20]

परिपत्र

स्थाई आदेश स 1/73 दिनाक 10–1–73 के क्रम मे शिथिलन देते हुए यह आदेश दिया जाता है कि केवल अशकालीन अध्यापको एव अन्य अ शकालीन कर्मचारियो की नियुक्ति हतु विज्ञापन प्रकाशित करना एव नियोजन कार्यालय स प्रत्याशी नामावली प्राप्त करना आवश्यक नही है परन्तु ऐसी नव नियुक्ति का अनुमोदन विभागीय सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक है।

क्रमाक–शिविरा/अनु/ए/16011/150/73 दिनाक 16 2 74

★ईमानदार व्यक्ति ईश्वर की सवो त्तम कृति है।

[21]

An extract from the Rajasthan Grant in aid to Educational and Cultural Institutions Rules, 1963 is reproduced below --

> "The Notice period pay recovered from the employees of the institution and the amount of the management share of the Provident Fund Scheme forfeited by the management during the year shall be shwon as income in the audited Statement and shall be credit as income of the institution for the purpose of arriving at the net approved expenditure"

It has been observed that this Rule is not being followed by the officers of Education Department The rule clearly says that notice period pay recovered from the employees by the institution shall be counted as income for purposes of grant in aid There have been cases where an employee has left the institution without giving notice and in such case it has not been possible for the management of that institution to recover the notice period pay from him In that case also notice period pay not actually recovered is being counted as income of the institution It is hereby clarified that this amount will be treated as income for calculation of grant in aid only if the same is recovered by the institution from the employees concerned

(No F 2 (211) Edu /Gr V/74/Dated the 23 August, 1974)

[22]

राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग (ग्रुप 5)

स 7 (6) शिक्षा/ग्रुप 5/75 दिनांक 22 अप्रल75

महोदय,

सहायता प्राप्त शिक्षण सस्थाओ (सगम) के दिनाक 4 जनवरी, 75 स 6 जनवरी 75 को हुये अधिवेशन मे पारित प्रस्ताव सख्या 2, 6, 14,21 (प्रतिसलग्न) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदश हुआ है। इस सम्बन्ध मे सरकार

*क्रोध पर नियन्त्रण रखने वाला ही स्वग का सच्चा अधिकारी है।

ने यह निणय लिया है कि कमचारियो के चयन और पदोन्नति के लिए एक छोटी समिति का गठन सस्था की प्रबधक समिति द्वारा किया जाय। इस समिति म शिक्षा विभाग का भी एक प्रतिनिधि होगा। इस चयन और पदोन्नति समिति की बैठक मे अगर शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि समय पर सूचना मिलने के बाद भी उपस्थित नही होते हैं तो भी इस समिति का निणय आखरी होगा और दूसरी कोई मीटिंग की आवश्यकता नही होगी। इसी प्रकार यह भी निणय लिया गया है कि जिन सस्थाओ मे पूव में कमचारियो की सख्या कम कर दी गई यद्यपि न तो विद्यार्थियो का स मे कमी हुई थी और न कोई सवसन मे कोई भी कमी हुई थी तो ऐसी सूरत मे जो अनुदान मे कटौती की गइ थी उसको निरस्त कर दिया जाय। (The cut made in Grant-in aid may be restored) भविष्यमें किसीभी सस्था के कमचारियोमे अनुदान के लिए कोई कटौती नही की जायेगी जब तक सस्था को अपने मामले प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया जाता है।

प्रस्ताव स 2

मान्यता प्राप्त एव अनुदान प्राप्त सावजनिक शिक्षण सस्थाओ के आत रिक मामलो मे शिक्षा विभाग का वतमान हस्तक्षेप समाप्त किया जाय।

प्रस्ताव स 6

अनुदान प्राप्त शिक्षण सस्थाओ मे अध्यापक एव अन्य कायकर्त्ताओ की नियुक्ति के लिए विभागीय अनुमोदन लेने सम्बधी प्रतिबन्ध को हटाया जाय। चयन समिति की बैठक म विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति को ही विभागीय अनुमोदन माना जाय। निधारित अवधि मे पूव सूचना द देने पर भी चयन समिति की जिस बटक म विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित न हो उसमे शेप सदस्या द्वारा चयनित यक्ति को विधिवत चयनित व्यक्ति स्वीकार किया जाय।

प्रस्ताव स 42

अनुदान प्राप्त सार्वजनिक शिक्षण सस्थाओ मे कार्यरत कायकर्त्ताओ की पदोन्नति के लिए विभागीय स्वीकृति आवश्यक समझी जाय।

प्रस्ताव स 21

निदेशालय द्वारा कइ बार पूर्व नोटिस के भी स्वीकृत पदो मे कटोती कर दी जाती है जिसस सस्थाओ के सामन बडी कठिनाइया उपस्थि हो जाती है। अत यह अधिवशन माग करता है कि स्वीकृत पदो म कटौती स पूव सस्था को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अवसर दे तथ कटौती से पूव समुचित समय पहिले सूचना दी जाय।

★क्रुद्ध अवस्था म किसी का उत्तर न दो।

[23]

आदेश

विषय — अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबध में।

1 विभाग के ध्यान में लाया गया है कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं में जो नियुक्तियां की जाती है उनके अनुमोदन संबंधी कार्यवाही संबंधित सक्षम अधिकारियों द्वारा समय पर नहीं की जाती है, जिससे उन शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण कार्य में रुकावट उत्पन्न होती है। अतः इस कार्यालय के स्थाई आदेश 4।72(क्रमांक शिविरा। अनु।एफ।16007।29।72–73 दिनांक 12 5 72) के क्रम में पुनः निर्देश दिये जाते है कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों पर सक्षम अधिकारियों द्वारा 15 दिन के भीतर भीतर अनुमोदन के संबंध मे आवश्यक कार्यवाही करदी जानी चाहिये।

2 अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं मे नव नियुक्ति हेतु चयन समिति में विभागीय प्रतिनिधि मनोनीत करने व उनके चयन समिति में भाग लेने के संबंध में आवश्यक निर्देश इस कार्यालय के परिपत्र संख्या शिविरा।अनु।ए।16011।12।72 73 दिनांक 16-8-72 व शिविरा।अनु।ए।16011।०।73-74 दिनांक 1-5 73 द्वारा पूर्व में प्रसारित किये जा चुके हैं।

अनुदान प्राप्त संस्थाओं को सूचित कर दिया जावेगा कि वे चयन समिति की बैठक की तिथि की सूचना मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि को बैठक से कम से कम दो सप्ताह पहले दे।

विभागीय प्रतिनिधि सूचना मिलने के उपरान्त भी किसी कारणवश यदि चयन समिति की बैठक मे उपस्थित हो नहीं सके तो बैठक की कार्यवाही नियमित मानी जाएगी। नियुक्ति का विभागीय अनुमोदन 15 दिन के भीतर लेना आवश्यक होगा।

3 यदि किसी अनुदान प्राप्त संस्था में कोई रिक्त पद हो तो संस्था उस पद का एक माह के लिए अस्थाई तौर पर भर सकती है लेकिन उस पद को स्थाई रूप से भरने के लिए चयन समिति की बैठक माह के भीतर बुलवा कर स्थाई रूप में रिक्त पद को भरने की कार्यवाही सम्पन्न करनी होगी।

4 अनुदान प्राप्त संस्थाओं में जो अध्यापिका प्रसूति अवकाश पर जाती है उससे हुए रिक्त पद को संस्थाओं द्वारा अस्थाई नियुक्ति से भरा जा सकता है। ऐसी नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक बुलाने व विभागीय प्रतिनिधि के शामिल

*जब आवे सन्तोष धन, सब धन धूरि समान।

होने की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन उक्त कारण से हुए रिक्त पद को अस्थाई रूप से भरने के लिये नियोजन कार्यालय से आशार्थियों की सूची प्राप्त कर उसमें से प्रशिक्षित व्यक्ति की नियुक्ति करनी आवश्यक होगी।

5 अनुदान प्राप्त सस्थाओं में किसी अध्यापक।अध्यापिका के बी एड प्रशिक्षण में जाने के फलस्वरूप हुए रिक्त पद को भी अस्थाई रूप से भरा जा सकता है लेकिन ऐसी नियुक्ति के लिए संस्था को वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो नव नियुक्ति के लिए निर्धारित है।

6 अनुदान प्राप्त सस्थाओं में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद को भरने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी पडती है जो एक अध्यापक।अध्यापिका के पद को भरने के लिए अपनानी पडती है। जैसा कि इस कार्यालय के पत्र सख्या शिविरा।अनु।ग्फ।16007।72–73।49 दिनाक 25 5 72 में इसका उल्लेख है। इस सबध में उक्त पत्र दिनाक 25 5 72 में आंशिक सशोधन करते हुए आदेश दिये जाते है कि अनुदान प्राप्त सस्थानों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद को भरने के लिये चयन समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसी नियुक्ति सस्थाओं द्वारा नियोजन कार्यालय से प्राप्त आशार्थियों की सूची में से की जा सकती है।

7 यदि किसी अनुदान प्राप्त सस्था में किसी एक वर्ष में छात्रों की सख्या में कमी होती है तो ऐसी सस्थाओं में स्वीकृत अध्यापक पद उसी वर्ष में कम न किये जावें लेकिन यदि छात्र सख्या दूसरे वर्ष भी कमी जारी रहती है तो सस्था को आवश्यक नोटिस देकर उस सस्था में अध्यापक पद छात्र सख्या के अनुपात में कम किये जा सकते है।

[क्रमांक शिविरा/अनु/डी/16022/75-76 दि 22 6 76]

[24]

Sub —Appointment of Sisters Staff for institutions under the management of the Director General of Ajmer Diceason Corportaion Ajmer

[No F 7 (33) Edu/Gr, V/75 Dated the *25 Feb, 1976*

1 Such Sister Staff of may be working on any post need not be sponsored by the Employmeut Exchanges and an exemption is granted to new recruits for the staff from among the sisters to be appointed in the institutions run by Ajmer Diocesan Corporation Ajmer provided they fulfil the minimum academic qualifications prescribed for the posts

*क्रोध एक क्षणिक पागलपन है—होरेस

2 The appointment of duly qualified sisters staff made by the Director General and the Governing Body of the Societies from the panel of Sisters, may be accep ted and confirmed by the Education Department provided that they so appointed are duly selected by the Selection committees of the institutions concerned as per Grant-in aid rules, on which State Government nominee should be represented

3 Permission may be also accorded for transfer of such sisters staff from one mission institution to another within the State In such cases, the salary of the incumbant should be protected

4 Permission may also be accorded to accept on transfer such sisters staff from the Mission Institutions outside Rajasthan to this State and vice versa In such cases also their salary will be protected

This issues with the concurrence of Labour and Employment Department I B No 580/STP/76 dated 12/25 2 76

[25]

विषय —अनुदान प्राप्त सस्थाग्रा के कमचारिया को सरेन्डर अवकाश का लाभ देने बाबत ।

उक्त विषय मे राज्य सरकार द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय साधनो की कमी के कारण अनुदान प्राप्त सस्थाओ के कमचारियो का सरेन्डर अवकाश का लाभ देना सभव नही है ।

कृपया आपके अधीनस्थ समस्त अनुदान प्राप्त सस्थाओ को तदनुसार सूचित करद ।

क्रमाक शिविरा।अनु।डी।17907।38।76 दिनाक 27 3 76

[26]

आदेश

इस कार्यालय द्वारा पूव प्रसारित स्थाई आदेश सख्या 4।73 क्रमाक शिविरा। अनु।ए।16011।40।73–74 दिनाक 28-5 73 मे आशिक सशोधन करत हुय आदेश दिये जाते है कि अनुदान प्राप्त सस्थाग्रा म जिन अध्यापको का 30 6 76

*श्रम की महत्ता सर्वोपरि है ।

तक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था, एवं जो अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर सके हैं उनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि एक वर्ष अर्थात 30 6 77 तक बढ़ाई जाती है।

(क्रमांक शिविरा।अनु।ए।17906।14।76–77 दिनांक 14 5 76)

[27]

— परिपत्र —

इस कार्यालय के पूर्व स्थाई आदेश संख्या 4।72 क्रमांक शिविरा।अनु।ए 16007।28।72 73 दिनांक 12 6 72।एवं स्थाई आदेश संख्या 6।72 क्रमांक शिविरा।अनु।ए।16007।36।72 73 दिनांक 17 5 72 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पर विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता की शर्त लगाई गई थी। बाद में इस कार्यालय के परिपत्र संख्या शिविरा।अनु।डी।16002।75 76।54 दिनांक 22 5 76 में यह शिथिलन दिया गया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक बुलाने की आवश्यकता अब नहीं होगी और केवल नियोजन कार्यालय से प्राप्त आशार्थियों की सूची में से ही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकेगा।

उपरोक्त स्थाई आदेश एवं परिपत्रों के उपरान्त संस्थाओं ने च श्रे क की नियुक्ति का अनुमोदन विभाग से करवाने के मामों में अनुदान नियमों में प्रावधान नहीं होने की बिना पर शिथिलन चाहा है। इस बिन्दु पर विचार करने के बाद भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए योग्यता का कोई निर्धारण नहीं है और विभागीय अनुमोदन केवल औपचारिकता है। अतः उक्त अनावश्यक पत्राचार को रोकने हेतु स्थाई आदेश 4।72 एवं 6।72 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के विभागीय अनुमोदन की शर्त को अब हटाया जाता है एवं यह स्पष्ट आदेश दिये जाते हैं कि भविष्य में ऐसी नियुक्तियों का विभागीय अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा किन्तु चयनित आशार्थी का नियोजन कार्यालय से निर्दिष्ट होना जरूरी होगा और नियुक्ति आदेश की प्रति निदेशालय तथा प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी को डाक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत तत्काल भेजनी अनिवार्य होगी।

[क्रमांक–शिविरा।अनु।ए।17906।परि।76–77 दिनांक 12 10 76]

[28]

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या शिविरा।अनु।डी।16022।75 76।54 दिनांक 22 3 67 के बिंदु संख्या 3 में सहायता प्राप्त संस्थाओं में एक माह के लिए हुए

रिक्त स्थान को भरा हेतु चयन प्रक्रिया अपनाने मे छूट दी गई थी। अनेक सस्थाओ ने इस प्रकरण मे पुन स्पष्टीकरण चाहा है कि ऐसी नियुक्तियो मे विभागीय अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है या नही ?

इस बिन्दु पर अब आदेश दिये जाते है कि छात्रो के अध्ययन का हित्गत रखते हुए किसी पद का अस्थाई तौर से एक माह की अवधि तक के लिए भरना हो तो चयन प्रक्रिया अपनाने के साथ साथ विभागीय अनुमोदन प्राप्त करना भी आवश्यक नही है लेकिन सस्था के लिए यह आवश्यक होगा कि वह ऐसे कर्मचारी के नियुक्ति आदेश तथा योग्यता प्रमाण पत्र की प्रतिया तत्काल प्रतिहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारी को भेजे।

[क्रमाक–शिविरा।अनु।ए।17906।26।76 77 दिनाक 22 11 76]

[29]

परिपत्र

अनुदान प्राप्त सस्थाओ के कर्मचारियो की नियुक्ति हेतु बनाई गई चयन समिति म विभागीय प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए इस कार्यालय द्वारा पूर्व प्रसारित परिपत्र म उल्लेख किया हुआ है। ऐसा देखन म आया है कि कई विभागीय चयन समिति की बठक मे तो उपस्थित होते हैं किन्तु चयन समिति की कार्यवाही को कई दिना तक अपने पास ही रख लेते है तथा चयन चार्ट पर हस्ताक्षर करन म विलम्ब करते है। उनकी इस कार्यवाही से अनावश्यक विलम्ब होता है। अत सभी प्रति हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकारियो को यह आदेश दिए जाते हैं कि वे अपने अधीन सस्थाओ म नियुक्त विभागीय प्रतिनिधियो को निर्देश दे कि चयन समिति की बठक की कार्यवाही पर वे उसी दिन हस्ताक्षर करे जिस दिन सस्था म चयन समिति की बठक होती है।

[क्रमाक–शिविरा।अनु।ए।17906।77–78 दिनाक–1 8 77]

[30]

— परि पत्र —

इस कार्यालय के स्थाई आदेश सख्या 10।72 म यह निर्णय प्रसारित किया गया था कि नियोजन कार्यालय मे प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध न होने की स्थिति म चयन समिति द्वारा चयनित अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए ही की जाय तथा यदि 31 दिसम्बर स पूर्व नियुक्ति हुई हो तो सस्था एस अध्यापको को ग्रीष्मावकाश का वेतन देगी। अब राजस्थान सेवा नियम के नियम 97 के नीचे दिए गये निर्णय मे राजाज्ञा सख्या 6 एफ।(22) एफडी (व्यय-2)75

दिनाक 9 6-75 द्वारा सशोधन हो जाने के फलस्वरूप उक्त स्थाई आदेश सख्या 10।72 मे निम्न सशोधन किये जाते है —

1– आदेश के अनुच्छेद 2 की लाइन 5 मे शब्द 'नियुक्ति केवल एक ही शैक्षणिक सत्र के लिए ही की जाव' के बाद विराम (।) का चिन्ह लगाया जावे ।

2 अनुच्छेद 2 मे लाईन 5 मे शब्द "तथा यदि नियुक्ति 31 दिसम्बर व उसके आगे की सभी तीन लाइनें विलोपित करते हुए उनके स्थान पर निम्न नई प्रविष्टया की जावे ,—

"वे अध्यापक जिनकी नियुक्ति रिक्त पद पर सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य है एव जिन्ह 31 दिसम्बर को या उससे पूव नियुक्त किया गया है ग्रीष्मावकाश का वेतन मान्य होगा बशर्ते कि उस पर अन्य किसी कमचारी द्वारा ग्रीष्मावकाश वेतन नही उठाया गया हो और ऐसे कमचारी ने उस पद पर आगामी सत्र मे शाला खुलने के एक माह के भीतर भीतर काय ग्रहण कर लिया हो तथा यह आगामी सत्र म माह दिसम्बर तक कायरत रहे ।"

[क्रमाक–शिविरा।अनु।ए।17907।75।77–78 दिनाक 29 10 77]

अध्याय-12

अनुदान प्राप्त सस्थाओ के कमचारियो द्वारा व्यवस्था समिति के निणय के विरुद्ध अपील के क्रम में

Subject Procedure for dealirg with appeals

[No EDB/AID/ /16007/spl/'5 Dated 27-12 65)

The Grant in aid Rules publisl ed in Rajasthan Rajpatra, January 24 1963, rule 4(e), provide th t a member of the staff of an institution who has been di n issed or removed or reduced in rank can appeal to the Education Department acco ding to Apperdix–5, Item No 2 page 854 According to this, Officers

*परिश्रम से दूर भागने वाला भी चोर है ।—गाधीजी

of the Education Department who have powers for approval of appointments according to item 7(i) have also the power to hear the first appeal This implies —

1 That the Inspectors of Schools will hear the appeals of all the employees working in III grade, L D C grade or any lower grade

2 That the Dy Director of Education of the range concerned can hear appeals of teacher working in II grade and S T C Instructors

3 That the Addl Director of P&S Education can hear appeals of Headmasters, Senior teachers and other employees above the grade of Instructors of S T C Schools and of all employees of Institutions which are running three or more institution and whose total approved expenditure exceecs Rs one lakh

The aforesaid Rules also provide that the second appeal will lie with the immediate superior officer of the officer of the first appeal No further appeal is provided in the rules

Procedure for appeals

A teacher aggrieved against an order the Management may appeal to the authority as mentioned above within one month of the order represented against He shall State clearly the reasons for his appeal He must note that appeal against dismissal, removal and reduction in rank alone can be entertained by the Department Appeal against an order awarding any other punishment may not be entertained by the Department

The teacher appealing against the order of the Management shall furnish two copies of appeal and is advised to send it by Registered A D post to the appellate Authority He should clearly mention the ground of appeal and should enclose copies of all relevant documents

On receipt of an appeal the appellate authority will send by registered A D post one copy of the appeal to the Manage-

*व्यस्त व्यक्ति के पास अश्रु प्रवाह का समय नहीं होता ।

ment and invite their comments within a period of 15 days of the receipt of the copy If the Management fails to send its comments, the appellate authority may decide the appeal exparte

Where the management sends its comment and contradicts the contentions of the appellant teacher, the appellate authority shall examine the merits of the case If, on the basis of the documents available to it, it is able to make up its mind in regard to the appeal, it shall do so under intimation to both the parties

Where the appellate authority considers it necessary to conduct an enquiry in regard to a particular point in dispute it may do so either itself or may entrust it to a particular officer not below the rank of Deputy Inspector of Schools The officer asked to conduct an enquiry should be asked to do so in respect of specific points and should be given a specific time within which to complete it The Enquiry Officer shall generally make the enquiry in the presence or both the parties but may, in special cases, do so confidentially A copy of the appellate authority directing an Officer to enquire into some specific points shall be sent to the Management and the appellant teacher, both of whom shall co-operate with the Enquiry Officer in the conducting of the enquiry

On receipt of the report of the Enquiry Officer the appellate authority shall decide the merits of the appeal and shall appraise both parties of the decision immediately after it is arrived at

As mentioned above, the second appeal may be filed by the aggrieved party within the period of one month of the receipt of the copy of the order of the authority of the first appeal The second appeal shall be decided by the authority concerned by following the same procedure as for the first appeal

Sufficient number of copies has been enclosed to be s e to the aided institutions who will please bring this to the notice of all the teachers by pasting it on the Notice Board

*अपना काय ईमानदारी से करो ।

विषय—अपीलों के सम्बन्ध में कार्य प्रणाली (हिन्दी अनुवाद-अप्राधिकृत)

राजस्थान राज पत्र दिनांक 24 जनवरी 1963 में प्रकाशित सहायतार्थ अनुदान नियमावली के नियम 4 (ड) में प्रावधान है कि किसी संस्था के स्टाफ का कोई सदस्य जिसे बर्खास्त कर दिया गया है, या सेवा से हटा दिया गया है अथवा पदावनत कर दिया गया है, शिक्षा संहिता के परिशिष्ट 5 की मद में ... के अनुसरण में अपील कर सकता है। इसके अनुसार शिक्षा विभाग के वे अधिकारी जिन्हें मद 7 (1) के अनुसरण में नियुक्तियों की स्वीकृति देने की शक्ति है, प्रथम अपील की सुनवाई करने की शक्ति रखते हैं। इससे उपलक्षित है कि—

(1) निरीक्षक स्कूल उन समस्त कर्मचारियों की अपीलों की सुनवाई करेंगे जो कि श्रेणी 3 अध्यापक या निम्न लिपिक वर्ग की वेतन शृंखला में अथवा किसी अन्य निम्नतर वेतन शृंखला में काम कर रहे हैं।

(2) उप निदेशक शिक्षा विभाग, सम्बन्धित क्षेत्र, श्रेणी 2 में काम करने वाले अध्यापकों की तथा एस टी सी इंस्ट्रक्टरों की अपीलों की सुनवाई कर सकते हैं।

(3) अतिरिक्त निदेशक प्राइमरी एवं सैकण्डरी शिक्षा प्रधान अध्यापकों, सीनियर अध्यापक और एस टी सी स्कूलों के इंस्ट्रक्टरों के ग्रेड से ऊँचे ग्रेड में काम करने वाले कर्मचारियों के तथा ऐसी संस्थाओं के समस्त कर्मचारियों की जो कि तीन अथवा चार संस्थाएं चला रही हैं एवं जिसका समग्र स्वीकृत व्यय एक लाख रुपये से अधिक है अपीलों की सुनवाई कर सकेंगे।

उपरोक्त नियमों में यह प्रावधान भी है कि द्वितीय अपील उस अधिकारी को होगी जो कि प्रथम अपील के अधिकारी से ठीक उच्चतर (सुपीरियर) अधिकारी हो। नियमों में और किसी अपील का प्रावधान नहीं है।

अपीलों के लिए प्रणाली

कोई अध्यापक जो प्रबन्ध समिति के आदेश से परिवेदित हो, ऊपर वर्णित प्राधिकारी को उस आदेश की तारीख से एक महीने के अन्दर जिसके विरुद्ध अभ्यावेदन (Reperesentation) करना है अपील पेश कर सकता है। वह अपील के कारण स्पष्टतया व्यक्त करेगा। उसे यह भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि केवल बरखास्तगी हटाये जाने तथा पदावनति के ही विरुद्ध शिक्षा विभाग द्वारा अपील ग्रहण की जा सकती है। ऐसे आदेश के विरुद्ध जिससे कोई अन्य दण्ड दिया गया हो कोई अपील विभाग द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकेगी।

प्रबन्ध समिति के आदेश के विरुद्ध अपील करने वाला अध्यापक अपील की दो प्रतियां पेश करेगा और उसे अपील अधिकारी को रजिस्टर्ड ए-डी पोस्ट से भेजे

जान की सलाह दी जाती है। इस अपील व आधारों का स्पष्टतया उल्लेख करना चाहिए। समस्त सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां शामिल करनी चाहिए।

अपील अधिकारी अपील प्राप्त होने पर अपील की एक प्रति रजिस्टर्ड ए डी पोस्ट से प्रबन्ध समिति को भेजेगा और उससे अपील की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के अन्दर अपनी टिप्पणी (Comments) आमन्त्रित करेगा। यदि प्रबन्ध समिति टिप्पणी देने में असफल रहे, तो अपील अधिकारी अपील का एकतरफा निर्णय करेगा।

जहां प्रबन्ध समिति अपनी टिप्पणी भेज तथा अपीलकर्ता अध्यापक के विवाद स्पष्ट कथन (Co...) का विरोध करे तो, अपील प्राधिकारी मामले की जांच गुण दोष (Meri...) के आधार पर करके अपील के विषय में अपना निश्चित विचार बना सके तो वह दोनों पक्षों को सूचना देकर ऐसा करेगा।

जहां अपील प्राधिकारी किसी विवादास्पद बात विशेष के बारे में जांच करना आवश्यक समझता है या तो स्वयं कर सकेगा अथवा उस किसी ऐसे अधिकारी विभाग को सौंप सकेगा जो कि उप निरीक्षक स्कूल से नीचे पद का न हो। जिस अधिकारी को जांच कार्य सौंपा जाय उसे उन्हीं निर्दिष्ट बातों के विषय में जांच करने को कहा जाना चाहिए और एक निर्दिष्ट अवधि दी जानी चाहिए जिसके अन्दर उस कार्य को पूरा किया जाय। जांच अधिकारी साधारणतया जांच दोनों पक्षों की मौजूदगी में करेगा परन्तु विशिष्ट मामलों में गोपनीय तरीके से भी कर सकेगा। जिस पत्र के जरिए अपील अधिकारी किसी अधिकारी को किन्हीं निर्दिष्ट बातों की जांच करने का निर्देश दे उसकी एक प्रति प्रबन्ध समिति तथा अपीलकर्ता अध्यापक को भेजी जायगी व दोनों जांच अधिकारी के साथ जांच कार्य में सहयोग करेंगे।

अपील अधिकारी जांच अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपील को गुण दोष (Me...) पर निश्चित करेगा और दोनों पक्षों को निर्णय की सूचना तुरन्त देगा। जैसा वर्णित है परिवादित पक्ष द्वारा द्वितीय अपील, प्रथम अपील अधिकारी के आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक महीने के अन्दर प्रस्तुत की जा सकेगी। द्वितीय अपील का निर्णय सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उसी प्रणाली का अनुसरण करते हुए किया जायेगा जो कि प्रथम अपील के लिए है।

इसकी प्रतियां पर्याप्त संख्या में संलग्न हैं जिन्हें सहायता प्राप्त संस्थाओं को भेजना है और वे इसे सूचना पट्ट पर चिपकवाकर समस्त अध्यापकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगी।*

[स ई डी बी/एड/16007/स्पशल/65 दिनांक 2?-12-19..]

* सुप्रसिद्ध पुस्तक 'अनुशासनिक कार्यवाही (लेखक-दत्त) ...

अध्याय-१३

अन्य/विविध विषयो पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा प्रसारित आदेश/परिपत्र

राजस्थान सरकार
[शिक्षा (ग्रुप) विभाग]

क्रमांक-एफ 24 (53) शिक्षा/ग्रुप-5/76 जयपुर दिनांक 26 मई, 1976

— आदेश —

राज्य सरकार के ध्यान मे लाया गया है कि अगर किसी भी सस्था को क्रमोन्नत किया जाता है तो कुल अनुदान सस्था को पहले की अपेक्षा कम मिलने लगता है जो कि नीचे दिए हुए उदाहरण से स्पष्ट होता है—

जैसे किसी माध्यमिक स्कूल को 80% अनुदान मिल रहा था उसको उच्च माध्यमिक स्कूल मे क्रमोन्नत किया गया और जो कक्षाएँ खोली गई और उस पर जो अतिरिक्त खर्च हुआ है उस पर साधारणतया पहले साल 50% अनुदान दिया जाता है। क्रमोन्नत होने के फलस्वरूप कोई सेकेण्ड ग्रेड अध्यापक जसे उदाहरण के लिए पहले कुल वेतन 5000 रुपये वार्षिक था उसको वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नत किया गया जिसका वेतन बढ़कर 6000 रुपये वार्षिक हुआ और वह उच्च माध्यमिक कक्षाएँ भी लेने लगा। साधारणतया यह देखा गया है कि जो अनुदान दिया जाता है वह कुल वेतन का 50% ही दिया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि पहले इस सस्था को उस शिक्षक के वेतन पर अनुदान 80% के हिसाब से 4000 रुपये मिल रहा था लेकिन अब बढे हुए वेतन पर 50% की दर से उसको 3000 रुपये ही मिले। यह चीज बिलकुल गलत है और ऐसा लगता है कि हमारे अनुदान नियमों को या तो ठीक से समझा नही जा रहा है या जानबूझकर इनकी अवहेलना की जा रही है। लेकिन जो सही अनुदान मिलना चाहिये वह निम्न प्रकार से होना चाहिए —

80 प्रतिशत अनुदान 5000 रुपये पर	4000 रुपये
50 प्रतिशत अनुदान 1000 रुपये पर	500 रुपये
कुल योग	4500 रुपये

इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कुल अनुदान सस्था को ऐसी स्थिति में 3000 रुपये के बजाय 4500 रुपये मिलना चाहिए।

संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि क्रमोन्नत होने के पश्चात् जो खर्चा सस्था का होता है और जो क्रमोन्नत होने के बगर भी होता उस पर पुरानी दर से ही मिलना चाहिये और जो अतिरिक्त खर्चा क्रमोन्नत होने से हुआ उस पर 50%

क्रमोन्नत संस्था को पहले साल या उस पर जो अनुदान की दर सरकार मुकर्रर करती है, उस पर मिलना चाहिए। साधारणतया क्रमोन्नत होने के पश्चात जो नया खर्चा होता है वह खरीद पर हो सकता है या पदोन्नति पर हो सकता है या नय अध्यापकों की नियुक्ति पर हो सकता हैं। यदि कोई पद खाली हो जाता है और उस पर नई नियुक्ति की जाती है तो भी संस्था को ऐसे मामले पर निम्नानुसार अनुदान देय होना चाहिए —

द्वितीय वेतन श्रृंखला का न्यूनतम 160/- रुपये

अनुदान मिलेगा 80 प्रतिशत के हिसाब से	128 00
वरिष्ठ अध्यापक के वेतन श्रृंखला का न्यूनतम 225/- होता है इसलिए वरिष्ठ अध्यापक के वेतन के अन्तर (225-160) 65 रुपये पर 50 प्रतिशत केहिसाब से	32 50
योग-	160 50

इसी प्रकार अध्यापक के वार्षिक वेतन वृद्धि पर भी अनुदान निम्न प्रकार होना चाहिए, मानाकि अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक की वेतन श्रृंखला में रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि देय है, पूर्व में द्वितीय वेतन श्रृंखला में वेतन वृद्धि की 10 रुपये है

तो उस पर अनुदान 80 प्रतिशत के हिसाब से	8-00
और शेष वेतन वृद्धि की राशि (15-10) 5/- पर 50 प्रतिशत के हिसाब से	2-50
योग-	10-50

इस प्रकार संस्था को वेतन वृद्धि पर 10-50 रुपये देय होना चाहिये।

वेतन के अनुसार ही अन्य व्यय पर भी 80 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत इस प्रकार अनुदान स्वीकृत किया जाना चाहिए।

अतः राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया है कि इस प्रकार संस्था क्रमोन्नत स्तर पर अनुदान स्वीकृत किया जाता है और उसके वर्गीकरण में अन्तर तो उस संस्था को क्रमोन्नत के पूर्व के व्यय पर पूर्वानुसार ही अनुदान देय जाता क्रमोन्नत स्तर पर बढ़ हुए व्यय पर क्रमोन्नत पर निश्चित किये गये प्रतिशत के सार उपरोक्तानुसार अनुदान देय होगा।

यह आदेश वित्तीय वर्ष 1976-77 से प्रभावशील होंगे।

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

विज्ञप्ति

इस वित्तीय वर्ष (79-80) के लिए विभिन्न स्तर वाली रजिस्टर्ड गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान सूची में लेने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वे छात्र/छात्रा संस्थाएं जिन्हें मान्यता प्राप्त किये हुए

सद्‌ आचरण ही मानव को जानवर से श्रेष्ठ बनाता है।

प्राप्त हुए अथवा नवीन विषय प्रारम्भ किये हुए 5 वर्ष/3 वर्ष की अवधि जुलाई 78 में पूरी हो गई है, विभागीय नीति के अनुसार आवेदन की पात्र होगी। निम्न श्रेणी में आनेवाली संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर ही अनुदान सूची में लिया जा सकेगा —

(अ) छात्र विद्यालय जुलाई 73 से मान्यता प्राप्त है/स्तर में क्रमोन्नत है/नये विषय खोले गये हैं।

(ब) छात्रा विद्यालय जो जुलाई 75 से मान्यता प्राप्त है/स्तर में क्रमोन्नत है। नये विषय खोले गये हैं।

इस श्रेणी में आनेवाली संस्थाओं को ही आवेदन पत्र देने चाहिए। जो सीधे इस कार्यालय में 30 सितम्बर, 79 तक प्राप्त हो जाने चाहिये निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा।

आवेदकों से निवेदन है कि आवेदन पत्र भेजने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें—

(1) केवल वे ही संस्थाएं आवेदन कर सकेंगी जो उक्त नीति में आती है। ऐसी संस्थाओं का विभागीय रजिस्ट्रेशन किया जावेगा।

(2) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिसकी नकल साथ में संलग्न है, टाइप किये हुए साफ कागज में अथवा मोटे अक्षरों में हाथ से लिखे हुए भी स्वीकार किये जा सकते हैं। गलत सूचना देने अथवा अस्पष्ट अक्षरों में लिखे आवेदनों को अस्वीकार किया जा सकता है।

(3) आवेदनकर्त्ता आवेदन पत्र देने के बाद विभाग से इस प्रसंग पर कोई पत्र व्यवहार नहीं करेंगे क्योंकि समस्त आवेदन पत्रों को निरीक्षण प्रतिवेदन सहित अनुदान समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाकर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जायेंगे।

(4) संस्थाओं को अनुदान सूची पर लेने अथवा नहीं लेने की सम्पूर्ण परिस्थिति विभाग के पास उपलब्ध बजट प्रावधान पर ही निर्भर करेगी।

(5) अनुदान केवल उन्हीं संस्थाओं को दिया जावेगा जो अनुदान नियमों (1963) का पालन करेंगी तथा विभागीय आदेशों के अनुरूप कार्य करेंगी। इस प्रकार सूची में ली गई संस्थाओं को यथा समय सूचित कर दिया जावेगा तथा जो सूची में नहीं ली जा सकेंगी उनको कोई सूचना नहीं दी जायगी।

(6) जो छात्र संस्थाएँ जुलाई 72 तक तथा छात्रा संस्थाएँ जुलाई 74 या इससे पूर्व मान्यता प्राप्त/क्रमोन्नत/नये विषय की स्वीकृति प्राप्त किये हुए हैं उनके मामले पर गत वर्ष की नीति के अनुसार 5 व 6 अक्टूबर 78 की अनुदान समिति की बैठक में विचार किया जा चुका है, अतः ऐसी संस्थाओं का रजिस्टर्ड नहीं किया जावेगा। इनके मामले राज्य सरकार को भेजे जा चुके हैं अतः ऐसी संस्थाओं को अब आवेदन करना वाञ्छनीय नहीं है।

[क्रमांक–शिविरा।अनु।ए।17902।69।।78–79 दिनांक 6 9 79.

*कायर बार बार मरता है किन्तु वीर एक ही बार मरता है।
—चन्द्र शेखर आजाद

रजिस्टर्ड गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्थाओं को अनुदान सूची पर लेने हेतु आवेदन पत्र

(1) संस्था का नाम व डाक का पता

(2) रजिस्ट्रेशन संख्या (प्रति सहित)

(3) (अ) संस्था का स्तर प्रा वि उ प्रा वि मा वि उ मा वि

(ब) सत्र जिससे मान्यता दी गई (मान्यता का सत्र)

(4) स्तर जिस हेतु वर्तमान मे अनुदान मिलता है

(5) स्तर जिस हेतु अनुदान मांगा जा रहा है

(6) मान्यता की स्वीकृति की प्रति मय देनेवाले अधिकारी का नाम

(7) मान्यता यदि जून 79 तक मिली हुई हो तो (प्रथम मान्यता से लगातार वृद्धि की अनुमति की प्रति संलग्न हो)

(8) कक्षावार छात्र सं — प्रा वि उ प्रा वि मा वि उ मा वि

(9) मा वि तथा उ मा वि के लिए बढाये जाने वाले विषय

(ए) नियोजित कर्मचारियो की संख्या—

प्रधानाध्यापक

वरिष्ठ अध्यापक

द्वितीय वेतनमान

तृतीय वेतनमान

लाईब्रेरियन

वरिष्ठ लिपिक

कनिष्ठ लिपिक

चतुर्थश्रेणी कर्मचारी

(बी) अनुमानित वार्षिक व्यय

(अ) वेतन व भत्ते

(ब) अन्य व्यय

(10) भवन (निजी) या किराये पर

हस्ताक्षर

मंत्री/अध्यक्ष संस्था

मोहर

पुस्तकें जीते जागते देवता हैं जिनकी सेवा करके तुरन्त वरदान प्राप्त किया जा सकता है। —अज्ञात

अध्याय--14

निजी सस्थाओं को मान्यता

[शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर का पत्रांक–शिविरा। प्राथमिक।डी। 19626।स्पेशल।73 दिनाक 16 4 74]

1 मा यता हेतु अधिकारों का विवरण—

निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियो द्वारा निम्न प्रकार से निजी सस्थाओ को मान्यता दी जाएगी

क स	सक्षम अधिकारी	प्रवृत्ति।सस्था प्रकार
(1)	निदेशक, प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा	(i) मोंटेसरी (ii) शोध सस्थान (iii) मूक बधिर विद्यालय (iv) प्रज्ञाचक्षु विद्यालय (v) सगीत सस्थाएँ (vi) एस टी सी तथा शि क प्रशिक्षण विद्यालय (vii) अन्य
(2)	उपनिदेशक समाज शिक्षा	(i) प्रौढ शिक्षा (ii) पुस्तकालय एवं वाचनालय
(3)	सयुक्त निदेशक और उप निदेशक (मण्डल)	(i) उच्च प्राथमिक विद्यालय
(4)	निरीक्षक, शारीरिक शिक्षा (निदेशालय)	(i) क्लब्स (ii) व्यायाम शाला तथा अन्य सब और शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियो।

सबसे उत्तम बदला क्षमा कर देना है। —रवीन्द्रनाथ टगोर

(5) जिला शिक्षा अधिकारी (महिला सहित)। वरिष्ठ उप जिला शिक्षाधिकारी। उपजिला शिक्षा अधिकारी (महिला) — (i) प्राथमिक विद्यालय (ii) बालवाडी

2 निजी सस्थाओं के मा यता निरीक्षण हेतु सुझाव—

(1) सस्थाओं से जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय मे 28 फरवरी तक मा यता हेतु प्रार्थना पत्र पहुँच जाने चाहिए।

(2) उनकी जाच जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय म 31 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए और निरीक्षण के लिए समिति गठित की जानी चाहिये।

(3) 30 अप्रेल से पूर्व सस्थाओं का निरीक्षण किया जाकर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय म पहुँच जाना चाहिए। सम्बन्धित सस्थाओं को निर्णय की सूचना 30 अप्रेल तक रजिस्टर्ड ए डी द्वारा दी जाए।

(4) मा यता शर्तों की कमियों की पूर्ति हेतु निजी सस्थाओं को दो माह का समय दिया जाय जिससे कि पूर्ति होने के पश्चात अनुपालना प्रतिवेदन 30 जून तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाय।

(5) नवीन सस्थाओं के निरीक्षण हेतु जो समिति गठित की जाय उसम एक लेखाकार को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए।

(6) प्रथम निरीक्षण के समय ही सस्था से सम्बन्धित सभी शर्तों को सम्मिलित कर लिया जाए और किसी भी स्थिति म हर समय नई नई शर्तें नहीं लगाई जाए।

(7) निजी सस्थाओं से मा यता हेतु जो आवेदन पत्र आय उनमे स्टाफ के नाम और योग्यता सम्बन्धी सूचना स्पष्ट दी जाय।

(8) शर्तों के सम्बन्ध मे विस्तृत रूप स विचार करने हेतु एक पृथक समिति बनाई जाए ताकि पूरी समीक्षा की जा सके।

(9) निजी सस्थाओं को समय पर मा यता हेतु जो समय सारिणी और विधियाँ नवीन सस्थाओं के लिए प्रस्तावित की गई है वे ही नवीनीकरण के लिए भी रखी जाय।

(10) सस्थावार पजिकायें सक्षम अधिकारी के कार्यालय म खोली जायें

जिनमें संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अन्य आवश्यक पत्र रखें जायें।

(11) समय-समय पर विजिट तथा अचानक निरीक्षण किया जाए एवं उसका अभिलेख रखा जाय।

3 अस्थाई मान्यता सम्बन्धी रजिस्टर—

(1) अस्थाइ मान्यता हेतु निम्न प्रारूप मे एक रजिस्टर सक्षम अधिकारी के कार्यालय मे संधारित किया जाए और उसमे वर्षवार स्थिति निर्दिष्ट की जाए

संस्था का नाम व स्तर	आवेदन पत्र प्राप्ति की, तिथि	दल निरीक्षण तिथि	मान्यता प्राप्त करने की तिथि एव अवधि	मान्यता स्थाई/ अस्थाई

(2) स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए हिन्दी वर्णमाला के क्रम मे सक्षम अधिकारी के कार्यालय मे एक रजिस्टर रखा जाए।

(3) कमियों की पूर्ति हेतु संस्था के लिए समय निर्धारित कर दिया जाए। कमियों की पूर्ति हेतु संस्था से लिखित मे आश्वासन प्राप्त किया जाए। परन्तु किसी भी दशा में अस्थाई मान्यता की अवधि 3 वर्ष से अधिक न बढाई जाए। इस अवधि मे स्थाई मान्यता प्राप्त न करने अथवा कमी पूर्ति न करने पर संस्था की अस्थाई मान्यता समाप्त मानी जायगी।

(4) किसी भी संस्था को भूतलक्षी मान्यता प्रदान नही की जाएगी।

(5) किसी संस्था की मान्यता निम्न कारणो से समाप्त की जा सकती है —

(क) कोई मान्यता प्राप्त संस्था या उसका अनुभाग बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए बन्द किया जा चुका हो।

(ख) संस्था को दूसरे भवन या क्षेत्र मे बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए स्थानान्तरित किया गया हो।

(ग) संस्था को बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए अन्य दूसरी प्रबन्ध कारिणी समिति को स्थानान्तरित किया गया हो।

(घ) अस्थाई मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अस्थाई मान्यता समाप्त होने तक विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किया गया हो या स्थाई मान्यता का आवेदन पत्र सक्षम अधिकारी को,

*प्रत्येक अच्छा काम पहले असम्भव होता है। —कारलाईल

निर्धारित प्रपत्र मे, मान्यता समाप्ति की तिथि के चार (4) माह पूर्व प्रस्तुत न किया गया हो।

(ट) *किसी शिक्षा संस्था को मान्यता शिक्षा सत्र के अन्त होने पर ही समाप्त की जा सकती है।*

टिप्पणी—(i) उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत किसी संस्था की मान्यता समाप्त किये जाने के बाद पुनः मान्यता हेतु विचार के समय वह संस्था नई संस्था मानी जाएगी।

(ii) संस्था द्वारा नये स्थान पर संस्था की शाखा कायम (प्रारंभ) किए जाने पर मान्यता हेतु ऐसी शालाओं को नई संस्था माना जाएगा।

4 मान्यता सम्बन्धी सामान्य शर्तें—

(1) संस्था एक प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित हो जिसका विधान विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो। प्रबन्ध समिति के सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही मान्यता दी जाएगी, अथवा *जारी रखी जाएगी।*

5 अनुदान प्राप्त तथा अनुदान लेने हेतु इच्छुक संस्थाओं के लिए–

(1) प्रबन्ध समिति मे 15 से अधिक सदस्य नही होगे तथा उसके दो तिहाई से अधिक सदस्य किसी विशिष्ट समुदाय, जाति अथवा वर्ग के भी नही होगे।

(2) इस समिति मे निम्नलिखित सम्मिलित होगे —

(क) सदस्यो में एक तिहाई दानदाताओ तथा नियमित रूप से चन्दा देने वालो मे से होगे —

(ख) सदस्यो मे कम से कम एक सदस्य अध्यापको म से प्रतिनिधि होगा।

(ग) एक सदस्य छात्रो के अभिभावको म से होगा।

(घ) शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि होगा।

(ङ) छात्रो का भी एक प्रतिनिधि लिया जाए। छात्र संसद का प्रधानमंत्री कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य होगा।

(3) प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित पदाधिकारी होगे —

(i) अध्यक्ष	एक
(ii) उपाध्यक्ष	दो (इनमे से एक व्यवस्थापक का कार्य करेगा।
(iii) कोषाध्यक्ष	एक
(iv) सचिव	एक (प्रधानाध्यापक)

(v) सचिव के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी दानदाताओ मे से होगे।

(4) अनुदान न लेने वाली संस्थाओ के लिए प्रबन्ध समिति म 15 से अधिक सदस्य नही होगे। उनमे शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि हो

6 अन्य शर्तें —

(1) (i) संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा बाद में उसकी स्वीकृति के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ii) यदि सक्षम अधिकारी की सम्मति में स्वीकृति रोक देनी चाहिए तो वह आदेश प्राप्त करने के लिए उस मामले को उपनिदेशक के पास भेजेगे । उपनिदेशक यदि सम्बन्धित संस्था से जवाब चाहे तो उसके प्रतिनिधि को सुनने के बाद उस मामले पर अपना आदेश देगा ।

(2) प्रबन्ध समिति के सदस्यों में किया गया प्रत्येक परिवर्तन विभाग को सूचित किया जाएगा ।

(3) आन्तरिक व बाह्य गतिविधियों के लिए उपयुक्त भवन व क्रीडांगन बने हुए हों और उनका उपयोग केवल शैक्षिक उद्देश्यों तक ही सीमित हो ।

(4) संस्था भवन किसी भी दशा में साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त नहीं होगा ।

(5) संस्था व्यवस्थापक के लिए आवश्यक होगा कि वह सेवा के निर्धारित नियम, अवकाश, भविष्य निधि आदि के बारे में विभागीय शर्तों की अनुपालना करेगा तथा संस्था अपने कर्मचारियों के लिए वे ही वेतन शृंखलाएँ निर्धारित करेंगी जो उसी योग्यता वाले कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत हैं ।

(6) अनुदान प्राप्त तथा अनुदान लेने हेतु इच्छुक संस्थाओं के लिए संस्था के समस्त कर्मचारियों के भविष्य निधि के भुगतान किए जाने का प्रावधान भी होगा । सम्बन्धित कर्मचारी अपने मासिक वेतन की सवा छह प्रतिशत धन राशि संस्था में जमा कराए जिसके बराबर का अंशदान संस्था द्वारा जमा कराया जाएगा । यह राशि डाकखाने में कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में जमा की जाएगी । प्रति वर्ष भविष्य निधि का लेखा विवरण सम्बन्धित कर्मचारी को दिखलाया जाना चाहिए ।

(7) विभाग द्वारा चाही गई सूचना तुरन्त तथा नियमित रूप से भेजनी होगी ।

(8) संस्था एवं उसके समस्त अभिलेख लेखा आदि का विभाग द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकता है तथा निरीक्षक द्वारा प्रधिकृत किसी भी व्यक्ति के सामने संस्था को अपने अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे ।

(9) संस्था किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के लाभार्थ संचालित नहीं की जाएगी ।

(10) विभाग द्वारा निर्धारित अभिलेख संस्था द्वारा रखे जाएँगे ।

(11) संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तथा विभाग द्वारा निर्धारित सुरक्षित निधि डाकघर या बैंक में जमा हो ।

(12) प्रत्येक संस्था का रिजर्व फंड होना चाहिए । रिजर्व फण्ड की राशि का निर्धारण मान्यता की विशिष्ट शर्तों के अन्तर्गत निश्चित किया जाएगा ।